राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार,

6 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम जी।

पर्यटन स्थलों पर जाने हेतु निजी वाहनों को अनुज्ञा-पत्र

167. **श्री केसाराम चौधरी**(खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में पर्यटक बसों, मिनी बस, कमांडर जीप को कांट्रैक्ट कैरिज के अनुज्ञा–पत्र दिये जाते हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अनुज्ञा–पत्रों में राष्ट्रीय राज मार्ग अथवा उसके भाग पर नहीं चलने की शर्त लगाई जाती है ? यदि हां, तो कितने पर्यटन–स्थल राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित हैं जहां उक्त वाहन नहीं जाते हैं ? यदि उक्त मार्गों पर बसें चलती हैं तो इस शर्त को अनुज्ञा–पत्र में लगाने का क्या औचित्य है ?

यातायात मंत्री(श्री छोगाराम बाकोलिया) :

(1) जी हां। पर्यटक बसों, मिनी बस, कमांडर जीप का कांट्रैक्ट कैरिज के अनुज्ञा–पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 व 88(9) के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। संबंधित प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं, राष्ट्रीय राज मार्ग अथवा उसके भाग पर नहीं चलने की शर्त नहीं लगाई जाती।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है वह एम.वी.एक्ट 1988 की धारा 74 (84) के तहत पूछा है और उसमें यह परमिट की कापी है जिस पर यह शर्त लगी हुई है। इन्होंने जवाब दिया है 74 (88) के तहत, मेरे मूल प्रश्न का जवाब इन्होंने सही नहीं दिया है। दूसरा कहते हैं, जी नहीं, राष्ट्रीय राज मार्ग अथवा उसके भाग पर नहीं चलने की शर्त नहीं लगाई जाती है। जबकि यह परमिट की कापी है उस पर बिलकुल यह शर्त लगी हुई है। इसके अनुरूप इन्होंने सरासर गलत जवाब दिया है इसका।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ज्ञानवर्द्धन करना चाहता हूं। जो मैंने जवाब दिया है बिलकुल सच दिया है, आपका प्रश्न गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़(चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, स्टेट कैरिज परमिट और कांट्रैक्ट कैरिज परमिट ये दो तरह के परमिट आप देते हैं राष्ट्रीय राज मार्गों पर जो भी वाहन संचालित होते हैं उनको। मंत्री महोदय, आप कृपया यह बताएं कि जयपुर और बड़े महानगरों में जितने भी वीडियो कोच चलते हैं ये किस परमिट के तहत चलते हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राज मार्ग पर आप जो कोई परमिट ग्रांट करें इससे पहले आपको सर्वे करके गजट में सारी चीज प्रकाशित करनी होती है या नहीं ?

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न तो मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं रखता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वही है, साहब, राष्ट्रीय राज मार्ग पर चलने वाली बसों के बारे में।

डा. किरोड़ी लाल : इसमें बस भी है, मिनी बस भी है।

श्री हीरासिंह चौहान : और कमांडर जीप भी है, तीनों के बारे में पूछा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, इनका प्रश्न रेलेवेंट नहीं है तो आप इनको क्यों ऑब्लाइज कर रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं। क्या राज्य में पर्यटक बसों, मिनी बस, कमांडर जीप को कांट्रैक्ट कैरिज के अनुज्ञा–पत्र दिये जाते हैं ? अब मैंने यही तो पूछा है। यहां से चलने वाले वाहनों को स्टेट कैरिज और कांट्रैक्ट कैरिज ये दोनों अलग–अलग परमिट हैं। होता यह है कि नेशनल हाई–वे पर स्टेट कैरिज का परमिट लेना चाहिये और कांट्रैक्ट कैरिज के नाम पर सारे वीडियो कोच चलते हैं। उसी की जानकारी चाह रहा हूं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं जवाब दूं क्योंकि मैं तो इनको जवाब दे चुका हूं अब आपके निर्देश के माध्यम से ही मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : दे दीजिए आप। वो नेशनल हाई–वे आ गया है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी परमिट स्टेट कैरिज के दिये जाते हैं वो राजस्थान मोटर एक्ट की धारा 74 के अंतर्गत दिये जाते हैं। जो मूल प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है वो अधिनियम 88(9) के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से ट्यूरिस्ट अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किये जाते हैं सम्पूर्ण भारत में या तीन स्टेट के

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

लिये। खुद की स्टेट प्लस दो बाकी के स्टेट साथ लगाकर ट्यूरिस्ट परमिट दिया जाता है जिसके अन्तर्गत वह पूरे भारत में भी जा सकता है। अगर अनुज्ञा–पत्र तीन स्टेट के लिये होता है तो बस कांट्रैक्ट कैरिज के हिसाब से तीन स्टेट में जा सकती है और वह नेशनल रूट के ऊपर भी चल सकती है जब वह नेशनल रूट के ऊपर चलती है तो नेशनलाइज्ड रूट के ऊपर जो स्टाम्प लगाने का प्रोविजन है वह उस पर लगाया जाता है। बाकी वह नेशनलाइज्ड रूट के ऊपर नहीं चल सकती, उस पर केवल मात्र रोडवेज चल सकती है। इसलिए कण्डीशन लगाई जाती है उसके ऊपर।

डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमैंट्री प्लीज। मंत्री महोदय, एक परमिट मेरे पास है जिसमें लिखा है : The conditions of Section 74 and 84 of Motor Vehicles Act are in force, he will not ply vehicle on nationalised routes and the routes as prescribed by R.T.A. यह जोधपुर का है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : Sir, there is a difference between National Route and nationalised route. आप थोड़ा–सा और ज्ञानवर्द्धन कर लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : ज्ञानवर्द्धन है, नेशनलाइज्ड रूट है। आप मना कर रहे हैं, कोई मनाही नहीं है और आपके ट्रांसपोर्ट के अधिकारी इनको रोक–रोक कर लूट रहे हैं, इनका चालान कर रहे हैं। इस लुटाई को तो रोकिए। जवाब दो सही इसका। नेशनलाइज्ड रूट का परमिट मेरे पास है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप अच्छी तरह से सही सवाल पूछिए, मैं सही जवाब आपको निरन्तर देता रहूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : यह परमिट हमारे पास है जिस परमिट में कंडीशन लिखी हुई है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 74 के अन्तर्गत जो परमिट इश्यू किये जाते हैं वे नेशनलाइज्ड रूट के लिये नहीं किये जाते है बल्कि एक स्पेसिफाइड रूट के ऊपर किये जाते हैं या ऑल राजस्थान के कांट्रैक्ट कैरिज के लिए दिये जाते हैं। नेशनल रूट के ऊपर परमिशन नहीं देने के लिये उसके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है कि वो नेशनलाइज्ड रूट के ऊपर नहीं चलेगा। राष्ट्रीयकृत राज मार्ग के ऊपर उसका संचालन नहीं होगा, उसके लिये उसको पाबंद किया जाता है।

श्री केसाराम चौधरी : ऐसे परमिट वाली बसें कहां चलती हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। आपने पहले तो सप्लीमैंट्री पूछा नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : मेरा एक सप्लीमैंट्री है, साहब। मेरा जवाब ही नहीं आया। अभी ये कह रहे हैं कि शर्त आरोपित की जाती है।

(श्री केसाराम चौधरी)

मतलब राजस्थान के लिये जो बसें, मेटाडोर, मिनी बसें चलती हैं उनके लिये यह शर्त आरोपित की जाती है तो ये बसें कहां चलती है कांट्रेक्ट कैरिज में ? या किस रूट से चलती हैं, वह रूट बता दीजिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांट्रेक्ट कैरिज को जब परमिट दिया जाता है तो उसको पाइंट टू पाइंट परमिट दिया जाता है और उसी के मुताबिक वह चल सकती है उसके अलावा नहीं चलने के लिये उसको पाबंद किया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब के आपने सही बात कही है। अब बोले हो इतनी देर से आप।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं तो पहले भी सही कह रहा था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मदन दिलावर।

विकलांगों के कल्याणार्थ व्यय की गई राशि

168. **श्री मदन दिलावर(अटरू)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा विकलांगों को स्वरोजगार हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर मौखिक/लिखित आदेश देकर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों नहीं, तो कोटा, जयपुर बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर जिलों में कितने विकलांगों को उक्त आर्थिक सहायता 1 दिसम्बर, 1998 से 1 मार्च, 1999 तक दी गई ? जिलेवार कितने प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं ?

(2) क्या विकलांग लोगों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रावधान हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां, किस–किस खेल की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि विकलांग विवाह में अनुदान/प्रोत्साहन राशि देने की योजना है ? यदि हां, तो, 1 दिसम्बर, 1998 से मार्च, 1999 तक कितने विकलांगों को यह राशि उपलब्ध करवाई गई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री(श्री बनवारी लाल) :

(1) जी नहीं, सरकार द्वारा विकलांगों को स्वरोजगार हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता एवं लम्बित प्रार्थना पत्रों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–"अ")

(2) जी हां, विकलांग लोगों को खेलकूद प्रतियोगिता का प्रावधान है विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं व उनको विभाग द्वारा दी गई सहायता राशि/व्यय का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–"ब")

(3) जी हां, विकलांग विवाह में अनुदान/

(श्री बनवारी लाल)

प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। विभिन्न जिलों द्वारा दी गई सहायता राशि एवं पते का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट–"स")

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विकलांगों को रोजगार हेतु जो सहायता दी जाती है वह कोटा व बारां जिले में कितनी–कितनी दी गयी है एक दिसम्बर के बाद ? वह थोड़ा मुझे अलग–अलग बताएंगे तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : वह सदन की मेज पर रख दी है, आपके पास अवेलेबल भी होगी।

श्री मदन दिलावर : नहीं, साहब, यह विभागवाइज है। एक मार्च के बाद खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु कौन कौन–सी संस्थाओं को कितनी–कितनी राशि आबंटित की गयी है या विभाग ने अपने स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की है तो कितना–कितना व्यय हुआ है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विकलांग लोगों को शादी के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह कोटा जिले में नहीं देने के क्या कारण रहे हैं ? क्या वहां आवेदन लम्बित नहीं है ? यदि आवेदन लम्बित हैं तो कितने आवेदन हैं और किस–किस के हैं ? यह थोड़ा विवरण सहित बताएंगे तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : कोटा का आपने कहां पूछा है ?

श्री मदन दिलावर : हां, साहब, कोटा का है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह तो सभी का पूछा है।

श्री मदन दिलावर : पूछा है, साहब।

श्री अध्यक्ष : कोटा शामिल है उसमें। वह तो सूची सदन की मेज पर रख दी है। मंत्री जी।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोटा है न ? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल(बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे विकलांग व्यक्ति, छात्र या छात्राएं जिनको माडा योजना में छात्रवृति मिल गयी है, उनकी समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृति है वह रोक ली गयी है, ऐसा क्यों है ?

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। उसके लिए माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अलग से प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री मदन दिलावर : कौन–सा प्रश्न अलग है ?

श्री अध्यक्ष : माडा के सम्बन्ध में आपने कुछ भी नहीं पूछा।

श्री मदन दिलावर : मेरा उत्तर तो दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कहां से दें जवाब ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह(आसींद) : मेरा एक प्रश्न है, मंत्री महोदय, वह भी साथ में ले लें।

श्री बनवारी लाल : जो मूल प्रश्नकर्त्ता हैं उनका उत्तर हो जाए, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही थी वह कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर के लिए चाही थी और वह जानकारी आपको प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि विकलांगों के लिए क्या आपने यह भी तय किया या करने जा रहे हैं कि एक स्पेशल स्टेटस देकर सब जगह उनका रिजर्वेशन हो, बस यात्रा करे तो उनके लिए अलग सीट हो, सिनेमा के अन्दर अलग उनकी सीट्र हो, बाथरूम के लिए हो, पार्किंग के लिए, जो वह विकलांग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए अलग हो ? ऐसा हर कंट्री में होता है, खाली यहां पर अभी तक नहीं हुआ है। सब जगह–अमेरिका में, यूरोप में उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। आप भी देने का विचार रखते हैं क्या ? आपने पूछा है न ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न सप्लीमैंटरी प्रश्न के दायरे में नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे जिले करौली के अन्दर एस.टी. और एस.सी. की जो स्कॉलरशिप थी वह बी.जे.पी. के टाइम में बन्द कर दी गयी है, वहां पर नहीं आ रही थी। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महादेय से कि हमारे बच्चों की जो स्कॉलरशिप आपने बन्द की है, आप उसको जल्दी दुबारा दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे हैं ?

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है बिलकुल इससे भिन्न है, अलग है, वे अलग से उसका जवाब ले लें। आपने स्पेशल स्टेटस की जो बात फरमायी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसके जमाने में सिर्फ दो हजार रुपये सहायता के दिये जाते थे लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया है। इसके अलावा, बहुत सारी योजना अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया था, उसमें विस्तार से नहीं हैं, वे तमाम उसके अन्दर सम्मिलित थीं।

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब आ जाने दो।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री जी, कांग्रेस के माननीय सदस्य उठा रहे हैं, छात्रवृति नहीं दी जा रही है तो छात्रवृति दिलाओंगे ? खुद आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप लोगों ने बन्द की थी।

श्री बनवारी लाल : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने खुद ने मांग रखी थी।

डा. किरोड़ी लाल : हमने बन्द करा दी तो आप चालू करा दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : यही दिलावर साहब मंत्री थे उस समय।

डा. किरोड़ी लाल : हमने बन्द कर दी तो आप चालू करा दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने सदन में मांग की थी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : माननीय सदस्य, यह विचारने का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आज क्वेश्चन उठा रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : आप अलग से सवाल पूछ लें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : विकलांगों के साथ अन्याय किया था आपने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप मेरा सवाल कीजिये पूरा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा निवेदन है साहब, वह स्कॉलरशिप बन्द की है इन लोगों ने उस स्कॉलरशिप को आप दुबारा चालू करवाएं। अध्यक्ष महोदय, एस.टी., एस.सी. के सारे छात्र परेशान हैं इस बात से।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह परम्परा इन्होंने गलत डाली है।

श्री मदन दिलवार : मैंने यह जानकारी चाही थी...(व्यवधान) दूसरा मेरा एक पूरक प्रश्न था कि एक दिसम्बर के बाद...

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, एस.टी., एस.सी. के विकलांगों को ...(व्यवधान) आप मेहरबानी करके उसको दुबारा चालू करवाएं।

श्री मदन दिलावर : विकलांगों को खेलकूद प्रतियोगिता हेतु कितना धन किस–किस संस्था को आवंटित किया बाद में...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव(तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है यह ?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया है, मंत्री जी उत्तर देंगे क्या उसका ?

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो बिलकुल अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग है।

श्री बनवारी लाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि अलग से प्रश्न कर लें।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया है सप्लीमैंटरी।

श्री बनवारी लाल : सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप मूल प्रश्नकर्त्ता है लेकिन आपने सप्लीमैंटरी पूछ ली है।

श्री बनवारी लाल : सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद में आप खड़े भी नहीं हुए उस वक्त।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि एक दिसम्बर से एक मार्च तक कितने विकलांगों को धन आवंटित करवाया। पूरे साल का दिया है, कहीं डेट वगैरह नहीं है। मैंने यह पूछा था कि कोटा जिले में विकलांग लोगों को शादी के लिए पैसा क्यों नहीं उपलब्ध करवाया गया ? इन्होंने मेरे को निल बताया है। क्या आवेदन आये ही नहीं या इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाये ? यदि आवेदन पैंडिंग हैं तो कितने पैंडिंग हैं और किस–किस के पैंडिंग हैं, यह थोड़ा विवरण सहित मुझे बता दें।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न आपने किया था उसका उत्तर सदन की मेज पर प्रस्तुत है। वह लिस्ट आप मुलाहिजा फरमा लें।

श्री मदन दिलावर : आपने निल बताया है।

श्री बनवारी लाल : जहां–जहां से दरख्वास्तें इस तरह की आयी हैं, समाज कल्याण अधिकारी के पास में याचनाएं आयी हैं कि हमारा विवाह कराया जाए तो वह एनरोल हो गया है और चयनित कर शादियां करवा दी गयी हैं। आपके यहां से कोई आया है या नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ है तो आप फरमा दें, उसका करवा देंगे।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह शादी करवाने का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : और कितने आवेदन पत्र आपके यहां हैं, यह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ीसादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूछने का जो हेतु है आप शायद उसको ठीक प्रकार से समझ नही पाएं। प्रश्न पूछने का हेतु यह था कि आपके पास कोई आवेदन–पत्र थे क्या और अगर नहीं थे तो आप ना कह दो कि हमारे पास कोई आवेदन–पत्र थे या नहीं इसलिए हमने नहीं किया। मतलब प्रश्न की मूल भावना है कि आपके पास आवेदन थे या नहीं थे और ? तो आपने उन पर निर्णय क्यों नहीं किया। बस यह सवाल है, इतना–सा।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सवाल को आप मुलाहिजा फरमा लें। क्या यह सही है कि विकलांग विवाह में अनुदान प्रोत्साहन राशि देने की योजना है ? यदि हां, तो एक दिसम्बर, 1998 से एक मार्च,

(श्री बनवारी लाल)

1999 तक कितने विकलांगों को वह राशि उपलब्ध करायी गयी है ? संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें। वह सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री मदन दिलावर : कोटा जिले में निल बताया है। मैं यह जानना चाह रहा था कि क्या आपके यहां आवेदन प्राप्त ही नहीं हुए ? या प्राप्त हुए हैं तो किस किस ने आवेदन दिया है और उनको क्यों नहीं राशि उपलब्ध करवायी गयी ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाह रहा हूं।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया है एक दिसम्बर से एक मार्च तक के लिए और विशेष जिले में, उसकी एक पूरी सूची है और वह आपके पास प्रस्तुत कर दी गयी है।

श्री मदन दिलावर : मेरा यह पूरक प्रश्न है।

डा. किरोड़ी लाल : सवाल का जवाब ही नहीं आ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह पूरक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : जो आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह पूरक प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, किसी ने आवेदन किया और नहीं हुआ है (व्यवधान) तो बता देना करवा दिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान) नहीं आये तो ना कर दो कि प्रार्थना पत्र थे ही नहीं। न आप मना कर रहे हैं और न इसका उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक निश्चित तारीख दे रखी है, उत्तर देने का समय है। दो महीने के समय में आपके पास कितने प्रार्थना पत्र आये, उनमें से कितने आपने रिजेक्ट कर दिये ? अगर नहीं आये, यही तो पूछ रहा हूं, प्रार्थना पत्र आये या नहीं आये। हमने जवाब दे दिया, हमने जवाब दे दिया। एक निश्चित तारीख है उस तारीख में कोई दो–चार साल का नहीं पूछा है, मुश्किल से दो महीने का समय पूछा है कि इस दो महीनों में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए कि नहीं हुए। नहीं हुए तो ना कर दो। नहीं हुए निल क्या होता है ? यह कोई आपका काम नहीं है। यह काम मंत्री का है कि वे जवाब दें, ठीक प्रकार से जवाब दें तैयारी नहीं करके आते है, इसमें कोई हमारा कसूर नहीं है। हमने सिर्फ इनसे यही पूछा है।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है उसका सही जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : अगर आपकी जानकारी में यह है कि अमुक व्यक्ति ने एप्लाई किया और उसको नहीं किया तो मुझे बता दें आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम यह जानना चाहते है कि क्या आवेदन किया ही नहीं, या किया है तो उनकी संख्या क्या हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री जी, मोटी–सी बात है, आवेदन आयें ?

श्री बनवारी लाल : आये।

डा. किरोड़ी लाल : या नहीं आये ? वह ठीक बात है। आये कि नहीं आये ?

श्री बनवारी लाल : जो आये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर है।

श्री मदन दिलावर : देखिये, निल लिखा है इसमें। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : जो भी आये हैं वे आपके पास प्रस्तुत कर दिये गये है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आवेदन पत्र प्राप्त हुए कि नहीं, हां, या ना कह दो... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था चाहते है।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वह एक लिमिटेड टाइम का है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आवेदन आये या नहीं आये, यही बात तो है और क्या बात पूछ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर मंत्री तैयार होकर नहीं आये। या तो स्थगित करो उस सवाल को, या उनको कहें।

श्री मदन दिलावर : या तो स्थगित करें।

श्री सांवर लाल(भिनाय) : एक दिसम्बर से एक मार्च तक का पूछा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने इंफार्मेशन एक दिसम्बर से एक मार्च तक पूछी है, सदन के पटल पर वह सूची अलग–अलग डिवीजनों की है। इसमें कोटा से कोई आवेदन आया नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही कह दें, इतनी–सी बात है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यही बात वे कह दें। अध्यक्ष महोदय, यही तो हम मांग रहे हैं।

श्री महेश जोशी(उप मुख्य सचेतक) : क्या तरीका है यह ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप कौन हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा, आप क्या है ? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, 2

(श्री महेश जोशी)

महीने हो गये...(व्यवधान) यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बताएंगे तरीका? अध्यक्ष महोदय सदन चला रहे हैं, आप क्या हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अपने मंत्री को इतना कमजोर समझ रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : 5–7 एक साथ खड़े हो जाते हैं, यह तरीका नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप हमें बताएगें क्या तरीख? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5–7 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये तरीका बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह नहीं है, आपके मंत्री को आप सक्षम नहीं पाते हैं क्या कि वे जवाब नहीं दे सकते हैं? इसलिए आपको खड़ा होना पड़ा क्या? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : वार्ता हो गयी है, प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर किस लिये? आपके मंत्री सक्षम हैं और वे जवाब दे रहे हैं तो आपको खड़ा होने की कहां आवश्यकता पड़ी?

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट...

श्री सांवर लाल : आप तो उप सचेतक हैं, आप पहली बार बनकर आये हैं। आप तो मंत्री बनने की कैटेगरी में भी नहीं हो, आप कैसे जवाब दे रहे हैं किसी का? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्रीजी ने तो जवाब बराबर दिया है।

श्री मदन दिलावर : नहीं दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन यह क्या तरीका है कि ये 5–5, 7–7 एक साथ खड़े हो जाते हैं? बारी–बारी से सवाल पूछो, हर एक का जवाब मिलेगा। लेकिन आप जवाब नहीं चाहते हैं, आप तो+++ करना चाहते हैं और +++ मचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं हम+++ नहीं करना चाहते हैं हम तो सवाल रखना चाहते हैं। +++ नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल बारुपाल : माननीय अध्यक्षजी, मुझे थोड़ा–सा आपसे निवेदन करना है। (व्यवधान) पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने हमारे राजस्थान के अन्दर छात्रावास का भट्टा बैठा दिया है और अब ये ऐसे जोर लगा रहे हैं। छात्रावास का भट्टा बैठा दिया मदन दिलावर ने...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट–"स" आपके पास है। इन्होंने दूसरे डिवीजन की जो सहायता दी है विवाह के लिये या प्रोत्साहन के लिये, उसका, उसमें उल्लेख किया है। नाम भी दे दिये हैं। कोटा में कोई एप्लीकेशन नहीं आयी होगी, या कोई उसके लिये नहीं मिला होगा।

डा. किरोड़ लाल : यही तो कह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यही तो बात है कि आवेदन प्राप्त हुए या नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इतना ही कह दें कि कोटा से कोइ आवेदन प्राप्त हुए कि नहीं हुए। बस इतनी–सी बात है।

श्री बनवारी लाल : आपने पूछा है कि एक दिसम्बर से एक जनवरी तक... (व्यवधान) आपने जो प्रश्न किया है, एक लिमिटेड समय के लिये किया है, उसके आगे–पीछे का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 3 महीने का सब ऐसे ही है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : उसमें नहीं आए। उसके बाद आएगें तो कर दिया जाएगा। जब औरों को कर सकते हैं तो उनको भी कर दिया जाएगा। अगर आपकी जानकारी में यह है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैंने यह जानकारी चाही है कि आवेदन आये हैं कि नहीं आये हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में है कि अमुक व्यक्ति ने एप्लाई किया है और उसको नहीं दिया गया है तो अब बता दें, उसका भी हम कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आप मुझे कहेंगे कि आप जोर से बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, थोड़े कृपा ही कर रहे हैं, आप तो यह बताओं कि 3 महीनों मैं आये कि नहीं आये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं तो आपसे करबद्ध इतना–सा निवेदन कर रहा हूं कि आवेदन प्राप्त हुए या नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मार्च के पहले आवेदन आये या नहीं आये हैं, यही पूछ रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : एक दिसम्बर से एक मार्च तक, बड़ी कृपा होगी।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बीच में प्रार्थना–पत्र नहीं आये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 38 आवेदन आये हैं।

श्री बनवारी लाल : ये बाद में आये होंगे।

(श्री बनवारी लाल)

अब बता दें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नहीं, एक दिसम्बर के बाद आये हैं, 38 आवेदन आये हैं, अध्यक्ष महोदय, और ये इस प्रकार से बोल रहे हैं। 38 आवेदन आये है।

श्री बनवारी लाल : आप बताएं तो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री संयम लोढ़ा।

श्री बनवारी लाल : नहीं, ये क्या कागज दिया दिखा रहे हैं ? (व्यवधान) आपका 2 महीने का सवा था, 2 महीने में नही आये, बस।

श्री संयम लोढ़ा : प्रश्न संख्या 169.

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दे नहीं पाये। मैं आपके माध्यम से एक पूरक प्रश्न और करना चाहता हूं कि जोधपुर में इनके पास विकलांगों के 300 आवेदन स्वरोजगार के लिए लम्बित हैं तो इन्होने केवल 25 को ही स्वरोजगार के लिये सहायता दी है। वे 275 आवेदन लम्बित क्यों हैं, थोड़ा इसकी जानकारी दें।

श्री बनवारी लाल : माननीय अध्यक्ष महादेय, यह सब प्रक्रिया के अधीन हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं, यह आप दिला दें, बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : 20 मिनट आपने एक क्वेश्चन में ले लिये।

श्री मदन दिलावर : महत्वपूर्ण प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय, 10 लाख विकलांग इससे जुड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

राजस्थान वन सेवा में आरक्षण

169. **श्री संयम लोढ़ा(सिरोही)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वन सेवा के अधिकारियों के कुल कितने पद हैं एवं इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल कितने अधिकारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संविधान प्रदत्त आरक्षण प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये हैं ?

(3) क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार शेष आरक्षित पदों को विशेष भर्ती से भरने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण(श्री भगराज चौधरी) : (1) राजस्थान वन सेवा में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 107 पद तथा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 65 पद हैं। इस प्रकार से कुल 172 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 103 पद तथा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में 65 पद... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माइक मुंह के सामने रखें।

श्री भगराज चौधरी : I am sorry, I repeat it. (1) राजस्थान वन सेवा में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 107 पद तथा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 65 पद हैं। इस प्रकार से कुल 172 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 103 तथा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में 65 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 17 अधिकारी कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पदोन्नति के कोटे को भरने के लिये रिक्तियों की पांच गुणा सीमा तक उपलब्ध अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारियों को पदोन्नति हेतु विचार किया जाकर चयन किया गया है। सीधी भर्ती के लिये वर्षवार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। विज्ञप्ति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों को नोटिफाई कर परीक्षा लिखित में लिये जाने के पश्चात् साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता रहा है। इस प्रकार विभाग ने आरक्षित पदों को भरने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की है।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों को भरने के लिय किसी प्रकार की अवहेलना न किये जाने से किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता है।

(4) शेष आरक्षित पदों को नियमानुसार ही भरने का सरकार का विचार है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, राजस्थान वन सेवा में 172 पद स्वीकृत हैं और उसके अगेंस्ट में 168 अधिकारी कार्यरत हैं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के 17 अधिकारी कार्यरत हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब अनुसूचित जाति–जनजाति का 28 प्रतिशत आरक्षण है तो इसके मुताबिक 172 में से इनके करीब 48 अधिकारी होने चाहिए थे। लेकिन जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि 17 अधिकारी ही कार्यरत हैं। अब पदोन्नति के लिये पांच गुना आप आरक्षण देने की इच्छा रखते हैं लेकिन जब आप के पास 17 अधिकारी ही उपलब्ध हैं तो आप 5 गुना आरक्षण देकर भी उन 48 पदों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं ? आपने वह जवाब दिया है कि आप विशेष भर्ती से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का कोई इरादा

(श्री संयम लोढा)

नहीं रखते हैं, नियमानुसार ही पूर्ति करना चाहते हैं और किसी अधिकारी ने अनुच्छेछ 309 की अवहेलना नहीं की है, तो ये पद रिक्त कैसे रहे, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। अगर यह अवहेलना नहीं की गयी है तो ये पद रिक्त कैसे रहे ?

श्री अध्यक्ष : आपका उत्तर दीजिए आप।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा ज़ो सप्लीमैंट्री रेज की गयी है उसके सम्बन्ध में मेरा उत्तर इस प्रकार से है कि राजस्थान वन सेवा में 2 प्रकार की श्रेणियों के पद हैं, 8–कनिष्ठ वेतन श्रृंखला और वरिष्ठ वेतन श्रृंखला। कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 107 पद हैं। इनमें 50 प्रतिशत पद डाइरेक्ट रिक्रूटमैंट के जरिये आर.पी. एस.सी. के द्वारा भरे जाते हैं और शेष 50 प्रतिशत पद प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं। वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के सारे पद जो कुल मिलाकर 65 हैं, नियमों के अन्दर प्रमोशन के द्वारा ही भरे जाने का प्रावधान है। प्रमोशन के द्वारा भरे जाने वाले पदों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइव के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण की जो सीमा है उसको देखते हुए उनके पांच गुना तक की संख्या के जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति सेवा में हैं और जिनको प्रमोशन दिया जा सकता है और प्रमोशन के कोटे से ज़ो एलिज़िबल पाये जाते हैं, उन पर विचार किया जाता है। विचार करने के पश्चात् जो व्यक्ति एलिजिबल कोटे में नहीं पाया जाता है अथवा प्रमोशन दिये जाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है उसे प्रमोशन नहीं दिया जाता। अब तक कुल मिलाकर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में से 65 पदों में से आठ व्यक्तियों को, आठ व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब का एक भी नहीं है जो पोस्टस खाली रह गयी हैं, वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में शिड्यूल्ड कास्ट की दो पोस्टस हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब की सात पोस्टस हैं यानि कुल 9 पद वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के रिक्त हैं। जहां तक कनिष्ठ वेतन श्रृंखला का सवाल है, जैसा कि मैने निवेदन किया, इनमें से 50 परसेंट पद तो प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं और 50 परसेंट पद आर.पी. एस.सी. के द्वारा लिखित परीक्षा लिये जाने के पश्चात, साक्षात्कार लेने के पश्चात ज़ो व्यक्ति नियुक्ति के लिए सूटेबल पाये जाते हैं, उनको आर. पी.एस.सी. के द्वारा रिकमण्ड करने के पश्चात् ही राज्य सरकार नियुक्ति देती है। उनमें से अभी 103 पद भरे हुए हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के सात पद भरे हुए हैं और दो पद शिड्यूल्ड ट्राइब के भरे हुए हैं। इस प्रकार से कुल नौ पद भरे हुए है। नौ पद शिड्यूल्ड कास्ट के खाली है और नौ पद शिड्यूल्ड ट्राइब के खाली हैं, 18 पद खाली हैं जो खाली पद हैं उनको भरने के लिए नियमानुसार जैसा कि निवेदन किया, कार्यवाही की जाती रही है। आर.पी.एस.सी. द्वारा लिखित

(श्री भगराज चौधरी)

परीक्षा लेने के पश्चात जो व्यक्ति मिनिमम क्वालिफिकेशन को पार कर जाते हैं, इन्टरव्यू के लिये योग्य पाये जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उसके पश्चात् ही भर्ती का प्रश्न पैदा होता है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह जो उत्तर दिया है कि 107 पद के विपरीत कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में 103 अधिकारी कार्यरत हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के नौ अधिकारी कार्यरत है, यह साफ जाहिर करता है, हालांकि मैं दलगत राजनीति में इस मामले को नहीं ले जाना चाहता, परन्तु ब्यूरोक्रेसी जो है, उसकी नीयत साफ नहीं हैं। मात्र नौ अधिकारी हैं कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में और उसके बावजूद भी विशेष भर्ती से उन पदों को भरने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। यह साफ जाहिर करता है कि सरकार की सोच इस मामले में सवेदनशील नहीं है और दलित वर्ग के प्रति आपनी नीयत साफ नहीं है या तो आप पद भरिये। (व्यवधान) हमारे पद नहीं भरते है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में रिक्तियां बतायी हैं एस.सी. की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में दो और एस.टी. की सात और कि जो कनिष्ठ वेतन श्रृंखला है उसमें 50 परसेंट परीक्षा द्वारा और साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये रिक्तियां कब से पड़ी हुई हैं और उनको कब तक भर दिया जाएगा ? इतना तो बता दो।

श्री अध्यक्ष : करण सिंहजी, आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए।

डा. करण सिंह यादव(बहरोड) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जब जब भी मंत्रियों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि नियमानुसार हो रहा है। अगर नियमानुसार होता तो 103 में से सात नौ पद अनुसूचित जाति, जनजाति के नहीं होते। अगर नियम की ही पालना की गयीं होती तो आप समझते हैं कि जिस वर्ग के लोग आपको आई.ए.एस. मिल जाएंगे, आई.पी.एस. मिल जाएगे, जजेज मिल जाएंगे, कालेजेज में लैक्चरर मिल जाएगें, वन सेवा के अन्दर अनुसूचित जाति का आदमी नहीं मिलेगा ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं जहां पर किसी अधिकारी ने आरक्षण के नियमों की अवहेलना की और उसके खिलाफ किसी सरकार ने कोई एक्शन लिया मैं तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा कोई नियम बनाएंगे अपने विभाग में अधिकारियों में कि आने वाले विधान सभा सत्र में जब हम प्रश्न पूछें तो या तो वे पदोन्नति वाली रिक्तियां भर दी जाएं या किसी अधिकारी को आप उलटा लटकाकर यह एग्जाम्पल प्रस्तुत करें कि इतने अनुसूचित जाति के आदमी के आरक्षण की अवहेलना की है इसलिए उसकी पदोन्नति रोक दी गयी।

(डा. करण सिंह यादव)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने रिक्तियों के बारे में प्रश्न पूछा है।

एक माननीय सदस्य : लटकाना ?

डा. करण सिंह यादव : लटकाने से मेरा मतलब है उसकी पदोन्नति रोकना, उसकी ए.सी.आर. में कुछ डालना। आज किसी अधिकारी की ए.सी.आर. में कहीं लिखा गया है यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न की व्याख्या मत कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे भी निवेदन करना है। हम बारबार पहले भी निवेदन करते रहे हैं कि हमारे जितने भी बैकलाग हैं वे भरे नहीं जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ इस प्रकार का व्यवहार शुरू से ही क्यों किया जा रहा है ? मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन यह है कि क्या आप इस बात को टाइम बाउण्ड करेंगे ? कब तक आप इसको भर देंगे ? आप कोई टाइम निश्चित कर दीजिए कि इतनी अवधि के अन्दर आपके ये सारे पद भर दिये जाएगे। हमारे लोग मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री को लम्बा मत कीजिए। आपने पूछ लिया है।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो रिक्तियां अभी अवशेष हैं, भरी जानी हैं उसके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने निवेदन किया, 50 परसेंट पद तो आर.पी.एस.सी. के मार्फत भरे जाते हैं। उन पोस्टों को भरे जाने के लिए जब इस प्रकार अन्य जनरल कोटे की रिक्तियां सरकार के विचार में आएंगी; उनके साथ में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की जो रिक्तियां मौजूद हैं उनको जोड़कर के आर.पी.एस.सी. से निवेदन किया जाएगा कि सूटेबल कैंडिडेट के बारे में वे नियमानुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार...

डा. करण सिंह यादव : नहीं, उनको जोड़कर क्यों ? आप अलग से विशेष प्रावधान क्यों नहीं करते हैं ? बैकलाग पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, आप यह बताइयें। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : नहीं–नहीं, यह... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपने तो चुनावों के दौरान यह कहा था, कांग्रेस ने भी कहा था कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हक पूरे उनको प्रदान करेंगे, जितने भी बैकलाग है, वे भरेंगे और अब आप लीपापोती का जवाब दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : तो आर.पी.एस.सी. के मार्फत भरे जाने के लिए बराबर निवेदन किया जाएगा, जो भी पद खाली हैं उनके लिए, नम्बर एक।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, क्या यह भी ध्यान रखेंगे कि कोई विशेष भर्ती अभियान चलाएं ?

श्री भगराज चौधरी : नम्बर दो...

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : कब तक भरेंगे, यह बता दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आर.पी.एस.सी. इन्टरव्यू लेगी जब तक...

श्री भगराज चौधरी : नम्बर दो, आर.पी. एस.सी. को बराबर लिख देंगे इनको शीघ्र भरे जाने के लिए, यही होता है, नम्बर एक।

नम्बर दो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्व में पिछले आठ साल के दौरान अलबत्ता शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्तियों की भर्ती करने में, प्रमोशन देने में कुछ कोताही बरती गयी है। वैसे मैंने सूचित किया है कि आठ साल में यह...(व्यवधान) इसलिए मैं इस मामले में जांच करूंगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए बराबर विभाग के सक्षम अधिकारियों को आदेश दूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी आप सही कह रहे हो ?

श्री निर्भय लाल(रूपवास) : मंत्रीजी, अब आप क्या कर रहे हो, आप भी कुछ करो। मंत्रीजी, आपका निर्णय सही है, बी.जे.पी. ने कोताही बरती है, उसको आप सूचित करें। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के शासन काल में तो ऐसा हुआ है लेकिन आप अपने शासन काल में क्या करने जा रहे हो ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर पूर्व के किसी व्यक्ति ने इसमें कोताही बरती है तो क्या आप इसकी जांच करवाकर कार्यवाही कराने की मंशा रखते हैं ? किसी भी व्यक्ति ने अगर उसमें पूर्व में गलती की है तो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आर.पी.एस.सी. को ये पद भरने के लिए क्या कोई पत्र लिखा है, वह बताइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बी.जे.पी. के आठ साल के शासन काल में तो... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं। इस प्रश्न के भाग संख्या चार में माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से यह आपसे पूछा था कि क्या आप इसके लिए विशेष अभियान चलाकर जो बैकलाग है, उसको पूरा कर रहे हैं ? आपने उसके जवाब में कहा है कि हम कोई विशेष अभियान नहीं चलाएंगे। हम तो जो ढर्रा चलता आ रहा हैं, वह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहे उनके कारण से चल रहे हो, चाहे आपके कारण से चल रहा हो, उसी हिसाब से करेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप इसके लिए विशेष अभियान चलाकर जो यह बैकलाग है, एस.सी. और एस.टी. का, इसको पूरा क्यों नहीं करते हैं ? आप आर.पी.एस.सी. का पचास परसेंट की आड़ लेते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं। भाषण मत दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही कर रहा हूं। मंत्रीजी, क्या आप विशेष अभियान चलाकर विशेष तरीका अपनाकर इस बैगलाग को पूरा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बस बैठिये। पूछ लिया प्रश्न।

मोहम्मद माहिर आजाद : और दूसरा यह कि आर.पी.एस.सी. से पचास परसेंट और पंचास परसेंट लोगों को ये डिपार्टमैंटल प्रमोशन देते हैं। तो जो डिपार्टमैंट में एस.सी., एस.टी. के लोग हैं उनको ही तो प्रमोट करना था, उसमें कहां दिक्कत आ रही थी ? इसको आप कब तक पूरा कर देंगे, आप कृपया यह अवगत करा दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जानबूझकर ऐसा किया जाता है।

श्री अमराराम(धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी सदन में उत्तर दिया है कि पिछले आठ साल में वन सेवा में प्रमोशन और नियुक्ति में गड़बड़ियां हुई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, गड़बड़ी नहीं कहा उन्होंने।

श्री अमराराम(धोद) : यह कहा है आखिर में, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल कहा है जिन्होंने आठ साल में इस वर्ग के साथ अन्याय किया है वे कौनसे अधिकारी हैं, और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, यह बता दें, मेरा पाइंटेड सवाल है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह लीपापोती का जवाब हैं। मंत्री महोदय जवाब दें। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए यहां बोलना पड़ता है तो यह शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री अमराराम(धोद) : अध्यक्ष महोदय, अगर पिछली सरकार ने यह स्पष्ट लिखा है कि इनको नहीं भरा जाए, सरकार के मंत्री ने लिखा है कि नहीं भरा जाए तो यह मंत्रीजी बता दें। पिछली सरकार के लिए, मंत्री के लिए बता दें या किसी अधिकारी ने आठ साल में कोताही बरती है तो वह बता दें, वरना...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, उत्तर दिलाइये।

श्री अमराराम(धोद) : बे वजह आरोप लगाने की बात है, अगर मंत्रीजी स्पष्ट नहीं करते हैं तो। मेरा यही मंत्रीजी से पूछना है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्यों ने क्वेश्चन पूछे हैं, मंत्री महोदय, उसका उत्तर दें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप नाम बताइये, चाहे कितने बड़े मंत्री हों।

श्री रघुवीर सिंह(सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के उत्तर में 172 में से...(व्यवधान) उससे पहले की है कि नहीं की है, यह बता दें ?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सामान्य बात है कि कोताही की है या नहीं की है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह सराड़ा। जीतमलजी, आप बैठिये।

श्री रघुवीर सिंह(सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय मंत्रीजी ने कहा कि 172 में से नौ हैं और...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : शासन जो पहले था उस समय कितनी रिक्तियां थीं, यह बता दो, मालूम पड़ जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा : मेहरबानी करके इसको दलगत राजनीति में मत डालिये।

श्री रघुवीर सिंह(सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने कहा कि 172 में से 17 एस.सी., एस. टी. के हैं। 107 में से नौ हैं और 65 में से आठ एस.सी. के अधिकारी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 12 परसेंट और 16 परसेंट के हिसाब से जितने पद बनते हैं वे क्या अभी भी रिक्त हैं या भर दिये गये हैं ? अगर भर दिये गये हैं तो निश्चित रूप से अधिकारी की मंशा खोटी थी। जब आप कहते हैं कि अनुच्छेद 309 का दुरुपयोग हुआ है या उसकी अवहेलना हुई है तो क्या आप अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं ? अगर बैकलाग है तो विशेष भर्ती द्वारा कब तक भरे जाएंगे ये पद ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर.पी.एस.सी. के मार्फत कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद भरे जाने का प्रश्न है, पिछले चार–पांच साल के दौरान जो भी भर्तियां की गयी हैं उनका ब्यौरा मैं सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह किसी ने पूछा ही नहीं । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह किसी ने पूछा नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : उससे स्थिति स्पष्ट ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये पद कब से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रिक्त हैं और आप इनको कब तक भरने का इरादा रखते हैं ?

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी प्रश्न को घुमा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि कब तक इनको भरने का इरादा रखते हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : विशेष अभियान चलाकर भरेंगे...(व्यवधान) जो सवाल पूछा ही नहीं उसका जवाब दे रहे हों ?

श्री भगराज चौधरी : आप सुन तो लीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग कोई अंडमान निकोबार में तो नहीं है, यह अजमेर में है और अजमेर राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इनका सवाल है, कब तक भर दोगे। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : माननीय सदस्यों ने यह सूचना चाही है कि सरकार द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं की गयी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भगराज चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के पदों को उनके आरक्षित प्रतिशत के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के मार्फत भरे जाने के लिये बराबर लिखित में निवेदन किया जाता रहा है और उसके आधार पर परीक्षा ली जाती रही है। (व्यवधान) जो भी नतीजे भर्ती के बारे में सामने आये हैं, वह मैं थोड़ा–सा निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 1985–87 में अपने ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह बताएं, ये पद खाली कब से हैं ? यह नहीं पूछ रहे हैं। (व्यवधान) ये खाली कब से हैं ? (व्यवधान) आप गुमराह कर रहे हो सदन को। आप बिलकुल गलत जवाब दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप क्वेश्चन को घुमा रहे हो। आप आर.पी.एस.सी. में कहां फंस रहे हो ? हम आर.पी.एस.सी. के बारे में नहीं पूछना चाहते, हम तो यह पूछ रहे हैं कि ये रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे ?

मोहम्मद माहिर आजाद : ये पद कब से खाली पड़े हैं ? ये इनसे भी पहले के हैं... (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्यों की मंशा यह है कि भविष्य में जो भी रिक्तियां खाली हैं... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मंत्रीजी, आप एक मिनट विराजिये। आपसे तीन चीजे पूछी गयी हैं। पहली चीज यह पूछी है कि ये पद कब से रिक्त हैं कृपया आप पहली चीज तो यह बता दें। दूसरा, आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो सम्बन्धित प्रश्न है, उसके लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को क्या रिक्विजीशन भेजी है कि आप इन रिक्तियों को पूरा कीजिये ?

श्री मदन दिलावर : जो क्वेश्चन पूरा है उसका जवाब दे दें। दायें–बायें टालने से क्या मिलेगा ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर(दूदू) : आप बताइये कि कौन से निश्चित समय तक इसकी पूर्ति कर देंगे, आपसे यही आग्रह है ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलाएं। जो क्वेश्चन पूछा है उसी का जवाब दिलाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सीधी जवाब दें, घुमाते–फिराते जवाब न दें। (व्यवधान)

श्री भमराज चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के राज्य वन सेवा आयोग के मार्फत भरे जाते हैं। इसमें जितने भी पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की रिक्तियां खाली हैं उनके आधार पर इसी वर्ष के अन्त से पहले–पहले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के मार्फत पद भरे जाने के लिये व्यवस्था करने जा रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : खाली कब से हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह बैकलाग है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री जीतमल जी।

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की सड़कविहीन ग्राम पंचायतें

170. **श्री जीतमल(बागीदोरा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में कितनी सड़कविहीन ग्राम पंचायतें हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायत हैं जो डामरीकृत सड़क से वंचित हैं ? अब उक्त पंचायतों की सड़कों को कब तक डामरीकृत कर दिया जाएगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरेन्द्र मिर्धा):

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में कोई भी ग्राम पंचायत सड़कविहीन नहीं हैं।

(2) समस्त 72 ग्राम पंचायतें किसी न किसी प्रकार की सड़क से जुड़ी हुई हैं।

(3) बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 17 ग्राम पंचायत डामरीकृत सड़क से नहीं

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

जुड़ी हुई हैं व 12 ग्रेवल सड़क से जुड़ी हैं। 4 ग्राम पंचायत की स्वीकृति प्राप्त है जिसमें एक कार्य चार रास्ता से सागन बंगला वाया हाण्डी नाबार्ड योजना में, दो कार्य सम्पर्क सड़क सैण्डनानी एवं सम्पर्क सड़क मटकोलामोगजी कृषि उपज मण्डी में, तथा एक कार्य उदयपुर बड़ा से पाटियागलिया की आंशिक स्वीकृति न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना में प्राप्त है। ये कार्य प्रगति पर हैं। इसमें तीन कार्यों का डामरीकरण मई, 1999 तक पूरा होना प्रस्तावित है एवं कार्य का डामरीकरण दिसम्बर, 1999 तक पूरा होना प्रस्तावित है। सभी पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़क विकास नीति के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।

श्री जीतमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र में 72 ग्राम पंचायतें हैं जो किसी न किसी सड़क से जुड़ी हुई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो पेवर सड़कें है वे तीन या चार सालों के अन्दर टूट जाती हैं या उखड़ जाती हैं। 20 साल पूर्व की जो सड़कें बनी हुई हैं, जहां बैलगाड़ी नहीं जा सकती, जहां साइकिलें नहीं जा सकतीं, वहां भी आप फरमा रहे हैं कि सभी सड़कें पंचायतों से जुड़ी हुई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 20 साल पहले की जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी क्या हालत होगी ? साथ ही जो सड़कें कृषि उपज मण्डी के माध्यम से बनायी गयी हैं, आपने कभी देखा है उनको कि कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जो सड़कें बनीं उनकी क्या हालत है ? कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जिन सड़कों का निर्माण हुआ है, उनकी दशा क्या है ? घरों के अन्दर हम मिट्टी के माध्यम से जो पुताई करते हैं वह भी साल भर टिकती है लेकिन कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जहां भी सड़कें बनी हैं, साल भर रहने के बाद सभी की उखड़ गयी हैं वहां पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से जो पैसा आता है, उसका जस्ट दुगुना पैसा आता है और न ही उन पर किसी प्रकार कोई सुपरविजन होता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बागड़ अंचल में जनजाति के नाम से जो पैसा आता है उसका सदुपयोग हो।

दूसरी जो बात मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि कई ग्राम पंचायतों में ऐसे राजस्व ग्राम भी हैं जहां पर दो हजार की आबादी है और वे आज दिन तक सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं। क्या मंत्री महोदय उन गांवों को भी सड़कों से जोड़ने की मंशा रखते है ?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने यह बात कही है कि जो सड़कें दस–दस या बीस–बीस साल पहले बनी थीं

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

उनकी मरम्मत नहीं हुई है। मैं माननीय विधायक के कथन से सहमत हूं कि सड़कें बन जरूर गयी हैं पर पिछले 9–10 साल से उनकी रिपेयर पर, उनकी मेंटिनेंस पर बहुत कम राशि लगी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई सरकार ने और माननीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट के अन्दर उचित राशि प्रदान की है कि नई सड़कों के बजाय पुरानी सड़कों जिनकी मेंटिनेंस की बहुत आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता से लेकर रिपेयर करना उचित है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो–जो सड़कें दस–दस साल पहले बनी थीं, दस सालों में जिन पर कोई रिपेयर वर्क नहीं हुआ हैं, उन सड़कों को प्रायोरिटी से इस फाइनेंशल वर्ष में लिया जाएगा।

श्री कन्हैया लाल : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों के द्वारा टी.एफ.सी. योजना में या जवाहर रोजगार योजना के तहत या अकाल राहत योजना के तहत जो सड़कें ग्रेवल बना दी गयी हैं पंचायत हैडक्वार्टर तक, क्या पंचायत हैडक्वार्टरों को आप जुड़ा हुआ मानेंगे या जुड़ा हुआ नहीं मानेंगे ? (व्यवधान) नहीं, इसी में है। जिन पंचायत हैडक्वार्टरों को जवाहर रोजगार योजना के तहत या अकाल राहत योजना के तहत... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में पूछा गया है, आप जनरल क्या बात पूछ रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : नहीं, मैं ग्रेवल रोड के बारे में पूछ रहा हूं, जो ग्रेवल रोड से जुड़ी हुई है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत बढ़िया जवाब दे दिया है। नैक्स्ट प्रश्न पुकारें।

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत बढ़िया जवाब आ गया है, जवाब में कहीं कमी नहीं हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भीमसेन चौधरी।

जिला बीकानेर के सिंचित क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था

171. **श्री भीमसेन चौधरी(लूणकरणसर)**: क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के सिंचित क्षेत्र में गैर हाइजीनिक पेयजल के इस्तेमाल से उक्त क्षेत्र में पीलिया, दस्त व अन्य बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बीमारियों के उपचार हेतु खार, बारा, तखतपुरा,आनन्दगढ़, गोकुलगढ, दांतौर मण्डी, पंचायत मुख्यालय 2 के डब्ल्यू.एच. 8 के वाई.डी. में कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र

(श्री भीमसेन चौधरी)

में चिकित्सा दल भेजकर तत्काल कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(श्री राजेन्द्र चौधरी) : (1) जी नहीं।

(2) बीमारियों के उपचार हेतु निम्नानुसार स्थिति है :–

1) खार–बारा में उपकेन्द्र स्वीकृत है।

(2) तखतपुरा में कोई उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं हैं।

3) आनन्दगढ़ में उपकेन्द्र स्वीकृत है।

4) गोकुलगढ़ में उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं हैं।

5) दांतौरमंडी, पंचायत मुख्यालय पर एडपोस्ट है, कर्मचारी कार्यरत है।

(6) 2 के डब्ल्यू.एम. के उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं हैं।

7) 8–के.वाई.डी. में उपकेन्द्र स्वीकृत है एवं कर्मचारी कार्यरत है।

क्षेत्र में कार्यरत ए.एन.एम. को चिकित्सा सुविधा देने हेतु क्षेत्र आंबटित कर रखे हैं जिसके अनुसार वे अपनी सेवाएं देती हैं। सरकार उक्त क्षेत्रों में मेडिकल टीम बनाकर कार्यवाही कर रही है।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है कि कोई बीमारियां उस क्षेत्र में नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि दिसम्बर से लेकर मार्च तक उस एरिये में पीलिया की भंयकर बीमारी थी। वहां उपचार नहीं होने के कारण से लोग पास की मंडी विजयनगर में उपचार कराने के लिए जाते हैं। मेरे इलाके में जो पंचायत मुख्यालय है उसमें आपने उप केन्द्र स्वीकृत कर रखे हैं लेकिन स्टाफ ही नहीं हैं। कहीं भी स्टाफ की व्यवस्था नहीं है, केवल उप केन्द्र स्वीकृत करने से बीमारी का इलाज थोड़े ही होता है। मंत्रीजी, आपने कहा कि टीम भेजते हैं, किस दिन टीम भेजी, कब भेजी, बताइये ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वहां बहुत भारी बीमारियां हैं, मैं आपको माह जनवरी से 20 मार्च तक की रिपोर्ट बताना चाहूंगा सिंचित क्षेत्र के बारे में कि पीलिया के 4 रोगी आये हैं और उसमें मृत्यु शून्य है। हेपेटाइटिस–बी बिलकुल शून्य है। उल्टी–दस्त के 22 केसेज दर्ज हुए हैं। इसके अलावा यदि बीकानेर जिले की भी देख लें हम तो बीकानेर जिले के अन्दर भी माह जनवरी से 20 मार्च तक स्थिति यह है कि पूरे जिले में 16 पीलिया के केसेज रजिस्टर हुए हैं, हेपेटाइटिस–बी के 3 केस रजिस्टर हुए हैं और उल्टी–दस्त के 194 केस दर्ज हुए हैं और किसी में मृत्यु नहीं हुई है।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

आपने पूछा है कि टीमें कहां–कहां गयी हैं। सितम्बर, 98 से माह की निश्चित तारीख को स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित किये जा रहे हैं और जो तारीखें हैं वे हैं, जिला स्तर पर 2.1.99 को टीम गयी, 21.1.99 को टीम गयी, 4.2.99 को टीम गयी, 6.2.99 को टीम गयी और 23.3.99 को टीम गयी, चिकित्सा दल भिजवाये गये। उन्होंने वहां पर पानी के भी नमूने लिये और उनमें कार्यवाही भी की गयी। जो उप केन्द्र हैं, एक उप केन्द्र पर स्टाफ लगा हुआ नहीं था तो मैंने उस पर नियुक्ति का आदेश दे दिया हैं, उनको लगा दिया गया है। इसके अलावा पूरे जिले की जो स्थिति है, अभी सी.एम.एच.ओ. वहां पर अपने दल के साथ में गये। मैंने उनको यह कहा था कि आप जाकर इन गांवों के अन्दर, माननीय सदस्य ने जिसके बारे में पूछा है, पूछें, पता लगाएं। उन गांवों में संजरवाला, 11 के.एल.डी., आनन्दगढ़, गोकुलगढ़, वल्लर, दांतोर, मोतीगढ़, छत्तरगढ़, 507 हैड दामोलाई, 465 हैड रानेर, खार–बारा, तखतपुरा एवं सतसागर आदि क्षेत्रों में जाकर घर–घर में सर्वे किया और लोगों से भी बात की। जैसे तखतपुरा के अन्दर उन्होंने सुगनाराम, खैराजराम, जीवनराम और 10 अन्य लोगों से बात की, उनसे पूछा। 465 आर.डी. गांव में गंगाराम, देवेन्द्र कुमार, गोपालराम व अन्य 24 जन प्रतिनिधियों से, खार–बारा गांव में मेवाराम, तोलाराम व चार अन्य व्यक्तियों से, आनंदगढ़ गांव में सरपंच श्री रूपसिंह गहलोत, आनंद सिंह इन सब लोगों से बात की। उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां पर इस तरह की कोई बीमारी नहीं है।

श्री भीमसेन चौधरी : आपका यह कहना है कि 22 व्यक्ति पी.बी.एम. हास्पिटल में भर्ती हुए थे। मेरे क्षेत्र का मैं कह रहा हूं कि पी.बी.एम. हास्पिटल में तो बहुत कम पहुंचते हैं, उस इलाके में बिजणिया में इलाज कराने जाते हैं। अकेले तखतपुरा में हेपेटाइटिस–बी से तीन–चार व्यक्तियों की दिसम्बर में मृत्यु हुई है, आप कहते हैं मृत्यु नहीं हुई।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, सिंचित क्षेत्र का जो आपका मूल प्रश्न है, मैंने यह कहा है कि उल्टी–दस्त से 22 व्यक्ति एडमिट हुए हैं। मैंने कहा है, जनवरी माह से 20 मार्च तक रजिस्टर हैं। जिले की स्थिति में मैंने यह बताया है कि पूरे बीकानेर जिले में, हालांकि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है तो भी मैंने बीकानेर जिले का पूरा लिया है, 194 उल्टी–दस्त से बीमार हुए हैं, वे रजिस्टर हुए हैं। मृत्यु की किसी की सूचना हास्पिटल के रिकार्ड में पूरे जिले में दर्ज नहीं हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : आपका कहना सही है हास्पिटल में नहीं हैं, मैं खुद ही कह रहा हूं आप से कि बिजणिया के अन्दर इलाज कराते हैं, वहां पहुंच ही नहीं पाते।

दूसरा, इस इलाके में गंदा पानी पीते हैं,

(श्री भीमसेन चौधरी)

इसके लिए आपके विभाग की ओर से कोई क्लोरीन वगैरह हो। डिग्गियों का गंदा पानी पीते हैं इस इलाके के लोग, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपका विभाग कोई क्लोरीन वगैरह की व्यवस्था करें, पंचायत मुख्यालय पर देवे तो मैं समझता हूं कि कुछ बीमारी में कमी आ सकती है। इसके लिए व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। बारबार जो टीम जा रही है वह ब्लीचिंग भी दे रही है, वहां क्लोरीनाइज़ेशन भी हो रहा है। एक्चुअली जो नान पी.एच.ई.डी. के स्रोत हैं, हमने जो पहले चैक कराया था, 27 नमूने लिये थे 17 मार्च तक, उसके अन्दर 9 नमूनों में निजी स्रोत थे। लोगों के घर मटकी थी या कोई दूसरे स्रोत थे, उसके अन्दर पोल्यूटेड वाटर आया है, उनको उसी समय ट्रीट कर दिया गया।

श्री भीमसेन चौधरी : आपने तखतपुरा का इलाज कराया क्या, जहां पंचायत मुख्यालय तखतपुरा में इतना गंदा पानी पी रहे हैं ? मैं खुद देख कर भी आया हूं, इतना खराब पानी पी रहे हैं और सबसे ज्यादा बीमारी उस एरिये में थी तखतपुरा में।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैंने बीमारों की संख्या जो जिले में रजिस्टर हुई है वह बता दी, इनके सिंचित क्षेत्र में जो रजिस्टर हुई है वह बता दी। वहां पर किसी तरह की कोई माहमारी की बात नहीं है। जहां तक ट्रीटमैंट की बात है, जो पी.एच.ई.डी. के स्रोत हैं उसमें किसी में भी बैक्टीरिया नहीं पाया गया, वह पानी बिलकुल सही था। निजी स्रोत जो खुद के हैं, उसमें था उनको ट्रीट कर दिया गया है। इसके अलावा जो कैनाल के अन्दर लोग अपनी सुविधा से पानी पी लेते हैं, उसके लिए भी उनको समझाया जा रहा है कि इस तरह से आप पानी नहीं पीयें।

डा. किरोड़ी लाल : हेपेटाइटिस–बी का मामला रिपोर्ट हुआ है, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी। श्री जगमाल सिंह यादव।

डा. किरोड़ी लाल : हेपेटाइटिस–बी के मामले रिपोर्ट हुए हैं, क्या हेपेटाइटिस–बी को प्रीवेंट करने की दृष्टि से वैक्सीनेशन करवाया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, अलग से। नैक्स्ट प्रश्न। श्री राधेश्याम गंगानगर, श्री जगमाल सिंह यादव।

जिला अलवर एवं श्री गंगानगर के गैर खातेदारों के खातेदारी प्रकरण

172. **श्री राधेश्याम गंगानगर**(श्रीगंगानगर) एवं **श्री जगमाल सिंह यादव**(तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में भू–आबंटन एवं गैर खातेदारी से खातेदारी सनद देने का काम

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कब से क्यों बन्द हैं ? सरकार अब इस प्रतिबन्ध को कब तक हटाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि छोटे–छोटे किसानों को खातेदारी नहीं दी जा रही है वे बैंक ऋण एवं दूसरी सुविधाओं से वंचित हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि गत 10 वर्षो से सरकार की वसूली भी लम्बित है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्थिति ही गंगानगर जिले में भी है ?

राजस्व मंत्री(श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित कराना चाहती हूं क्योंकि जो जवाब आया है वह मुझे उपयुक्त नहीं लग रहा है और जो विवरण मैंने इस संबंध में मांगा था कि पिछले एक वर्ष में कहां–कहां पर बैठकें हुई, कितने–कितने आबंटन हुए, कितने दस्तावेज जारी किये, इनका कोई विवरण अभी तक वापस मुझे नहीं मिला है। निजी रूप से मैं यह जानती हूं कि पिछले 9–10 वर्षो में इक्के–दुक्के जिलों को छोड़कर कहीं भी एस.डी.ओ. की अध्यक्षता वाली आबंटन कमेटी की बैठकें ही नहीं हुई हैं और लोगों में बहुत परेशानी है। न तो आबंटन हुए हैं न रेगुलराइजेशन हुए, न नदी, खातली और पेटाकाश्त रिन्यू हुए हैं। लोगों के पैनल्टी लग रही है।

श्री अध्यक्ष : जो सूचना आपको मिली है उससे आप खुद संतुष्ट नहीं हैं।

श्रीमती कमला : जी। स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगित कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आ जाएगा आप का।

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन आपने गलत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है, वह तो निश्चित तौर पर आ जाऐगा।

श्रीमती कमला : गलत सूचना नहीं दी है सिर्फ जनरल सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

उच्च प्राथमिक शिक्षा के हस्तान्तरण औचित्य

173. **श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने उच्च प्राथमिक तक की शिक्षा पंचायती राज को देने की घोषणा कर दी है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक करने का विचार है ?

(2) क्या पूर्व में उच्च प्राथमिक विद्यालय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पंचायती राज से शिक्षा विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायती राज एवं जिला परिषद् में शिक्षा पर जिस प्रकार ध्यान दिया जा रहा है उसी व्यवस्था से उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था शिक्षा के लिए हितकर होगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

पंचायती राज मंत्री(श्री सी.पी.जोशी) : (1) जी हां, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का विषय और इससे सम्बन्धित निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को 1.7.99 से हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(2) जी हां। दिनांक 14.11.88 को मात्र ग्रामीण क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित किये गये परन्तु उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाएं व विषय शिक्षा विभाग के ही पास रहे। दिनांक 15.4.91 को उच्च प्राथमिक विद्यालय वापस शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर दिये गये। ऐसा तत्कालीन राज्य सरकार ने निर्णयानुसार किया गया था।

(3) संविधान के प्रावधान के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपना हितकर होगा ताकि प्रारम्भिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विकेन्द्रीयकरण से जनसाधारण द्वारा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जा सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को 1988 में भी हमने पंचायती राज को सौंपा था और वापस इसे शिक्षा विभाग में लेने का निर्णय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे कौनसे कारण थे जिनके कारण से हम को वापस इसको पंचायती राज से निकालने की आवश्यकता महसूस हुई ? (व्यवधान) मेरे को मालूम है वह तो मैं आप से बता दूंगा लेकिन आप इसके बारे में...

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : राजनैतिक कारण थे। पंचायत समिति में प्रधान सब कांग्रेस के थे इसलिए ऐसा किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी यह एक बहुत ज्वलन्त प्रश्न है सारे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय को पंचायती राज को दिया जाए, इसमें ज्यादा किसी का कोई यह नहीं है कि दिया जाए या नहीं दिया जाए लेकिन जो सैटअप आज पंचायती राज में शिक्षा विभाग का है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज की तारीख में जो हम इतने सालों से चला रहे हैं उनको देखने के लिए एक वाइस प्रिंसिपल लेवल का आदमी सम्पूर्ण जिले के 800 प्राइमरी स्कूलों को वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(12.00 बजे)

संभालता है। मैं नहीं समझ पाया हूं कि क्या हमने इस बात की तैयारी कर ली है ? ये सारे के सारे उच्च प्राथमिक विद्यालय देने के बाद शिक्षा का सम्पूर्ण ढांचा जो आज हमारे पास है उस ढांचे में हमने क्या नीतिगत परिवर्तन किये जिसके कारण से नीचे तक के विद्यालयों को हम ठीक प्रकार से संचालित कर सकें और उनके शिक्षा के स्तर को हम ठीक प्रकार से मेन्टेन करें। यह कोई राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा का जो आधार है वह ठीक बने इसकी चिन्ता आपको और हम सबको है और प्रश्न पूछने के पीछे भावना यही है कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं उसकी पूर्व तैयारी हमारी इतनी है कि हम इस शिक्षा के सम्पूर्ण ढांचे को जो पंचायती राज को दे रहे हैं या पंचायतों को दे रहे हैं उसको वे ठीक प्रकार से संभाल सकेंगे। उसके बारे में आपने कोई विचार किया हो तो वह बताए कि किस ढंग से करेंगे।

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी इस सम्बन्ध में ज्यादा चिन्तित हैं। उनको स्वयं को याद होगा कि आज के दिन और 1988 में अन्तर यह आया है कि एलीमैंटरी एजुकेशन का डायरेक्ट्रेट अलग बन गया है। नीचे लेवल पर उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप कर दिया गया है। इस बजट में हमने यह लिखा है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से व आठवीं कक्षा का राज्य में समान पाठ्यक्रम व मूल्यांकन पद्धति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड की हम स्थापना कर रहे हैं। पुनर्गठन करने के लिए एक करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है। प्राइमरी स्कूल और मिडल स्कूल की जो बोर्ड के अन्तर्गत परीक्षाएं होंगी उसके बाद शिक्षा के गुणात्मक परिवर्तन के संबंध में जो 1988 में प्राब्लम आयी थी कि पाठ्य पुस्तक को पंचायती राज में ट्रांसफर नहीं किया, डाइट को पंचायती राज में ट्रांसफर नहीं किया वह नही होगा। एलीमेंटरी एजुकेशन के अन्तर्गत इस बार आने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों को जिसमें पाठ्य पुस्तक भी शामिल हैं, जिसमें डाइट शामिल है जिसमें टीचर को टीचिंग इमपार्ट करनी है, इन सारी गतिविधियों को 1.7.99 से पंचायती राज को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक करोड़ रुपये की हमने इसके लिए व्यवस्था की है इसलिए आपकी जो चिन्ता है उस चिन्ता से निश्चित तौर पर हम भी चिन्तित हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बार जो हम मिडल स्कूल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, संविधान की मंशा के अनुरूप उसकी क्वालिटी को मेन्टेन करते हुए उसको पूरा करने की दृष्टि से सारी तैयारियां करने के बाद

(श्री सी.पी. जोशी)

हम उसको ट्रांसफर जुलाई के महीने में कर रहे हैं। हमने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन ट्रांसफर करने के बीच में इतना गैप इसलिए रखा गया है कि शिक्षा विभाग और पंचायती राज के बीच में जितनी तैयारियां करनी हैं उन सब तैयारियों को करके हम इस काम को पूर्णनिष्ठा के साथ उसकी क्वालिटी को मेन्टेन करते हुए करना चाहते हैं जिससे दुबारा हमें वापस वह स्टैप नहीं लेना पड़े जो 1988 के बाद लेना पड़ा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और। यह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो अभी तक उच्च प्राथमिक विद्यालय देखता है, क्या वह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अब जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी देखने के लिए अधिकृत होगा ?

श्री सी.पी. जोशी : मैं समझता हूं आप स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हैं, जब एलीमेंटरी एजुकेशन डायरेक्ट्रेट पूरा पंचायती राज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं उसका उत्तर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको देखने का अधिकार उसके साथ जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रामगढ़ (अलवर) के भूजल स्तर में वृद्धि

229. **श्री ज्ञानदेव आहूजा(रामगढ़)** : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर के किन-किन स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में भू-जल उपलब्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ को डार्क जोन घोषित किया हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पूर्व में डार्क जोन घोषित क्षेत्र में अधिक वर्षा से भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों का डार्क जोन अब समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों का और कब तक ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के पोटेन्शियल जोनों में भू-जल की उपलब्धता निम्नानुसार है :-

क्र.स.	पंचायत समिति	पोटेन्शिलय जोन	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.	भू-जल उपलब्धता (एस.सी.एम)
1.	रामगढ़	ए.ओ.	568.46	10.8812
2.	रेणी	ए.ओ.	248.23	7.3118
3.	थानागाजी	एस.एल.	584.55	16.3035
4.	उमरेन	ए.ओ.	690.04	35.4682

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। नवीन मूल्यांकन प्रतिवेदन

(भू—जल मंत्री)

पर अन्तिम निर्णय के बाद विभिन्न क्षेत्रों को पुनः वर्गीकृत किया जा सकेगा।

ग्राम पंचायत बूसी (पाली) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण प्रकरण

230. श्री आत्मा राम मेघवाल(देसूरी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की पंचायत बूसी में अतिक्रमण हटाने हेतु गत तीन वर्षों से जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार पाली से मांग की जा रही है ? यदि हां, तो अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया ? क्या अतिक्रमणकारियों ने दूसरी व तीसरी बार निर्माण कर लिये है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध भू—राजस्व अधिनियम धारा 91(2) के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है और अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमणकारियों ने गोचर, तालाब की पाल व श्मसान घाट रास्ते में पक्के निर्माण कार्य कर लिये है ? यदि हां, तो सरपंच द्वारा ध्यान दिलाने पर भी तहसीलदार पाली ने 91(2) की कार्यवाही क्यों नहीं की है ? अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायत नियम, 1996 के नियम 165 के तहत गोचर भूमि व नियम 172 के तहत तालाब पंचायत की संपति है ? यदि हां, तो सरपंच द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर आज तक कार्यवाही नहीं की जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि तालाब व गोचर पर अतिक्रमण करने वालों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर तहसीलदार को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है ? यदि हां तो सरपंच द्वारा सूची देने के बाद कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या यह सही है कि मोक्षधाम (श्मशानघाट) का रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु सरपंच के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि पाली जिले की ग्राम पंचायत बूसी के सरपंच द्वारा अतिक्रमण हटाने की मांग की जा रही है। उक्त मांग के अनुसरण में 14 अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया गया, अतिक्रमियों को बेदखली के बाद उनके द्वारा बाड़े बनाये जो अस्थाई हैं, किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया है। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 91(1) के तहत कार्यवाही की गई है तथा अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91(२) के तहत कार्यवाही विचाराधीन है जिसका निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा।

(2) जी, हां। बूसी में अतिक्रमियों ने गोचर तालाब की पास पर अतिक्रमण किया है परन्तु

(राजस्व मंत्री)

श्मशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण नहीं है। सरपंच द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध हर वर्ष धारा 91(1) के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा वर्ष 1996—1997 एवं 1998 में भौतिक रूप से बेदखल भी किया गया है। पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91(2) के तहत कार्यवाही विचाराधीन है जिसका शीघ्र निस्सारण कर दिया जायेगा।

(3) राजस्थान पंचायत नियम, 1996 के नियम 165 व 172 में यह भी उल्लेखित नहीं है कि गोचर भूमि एवं तालाब ग्राम पंचायत की सम्पति होगी। गोचर भूमि एवं तालाब की भूमि का भूमिधारी राजस्थान सरकार है। राज. पंचायत नियम 1996 के नियम 165 के तहत पंचायत सार्वजनिक भूमि पर अतिचार के मामलों का पता लगाने हेतु प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई माह में चरागाह पर अतिचारों का सर्वेक्षण करने हेतु तीन पंचों की एक समिति बनायेगी एवं अतिचारों का ब्योरा सचिवों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्ट की जावेगी एवं चरागाह भूमि या तालाब तल पर पाये गये अतिचार के सभी ऐसे मामलों का लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को मामले रजिस्टर करने और अतिचारियों को बेदखली के ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ पेश की जायेगी परन्तु ग्राम पंचायत बूसी द्वारा पंचों की समिति गठित कर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संकल्प के साथ पेश नहीं की है। परन्तु पटवारी द्वारा राज. भू—राजस्व अधिनियम की धारा—91 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रही है।

(4) हां, यह सही है कि तालाब तल एवं गोचर पर अतिक्रमण करने वालों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर तहसीलदार को भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 165 के अनुसार दिया गया है परन्तु सरपंच द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण की सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राम बूसी में गोचर एवं तालाब की पाल पर किये गये अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार, पाली द्वारा वर्ष 1996, 1997 एवं 1998 में राज. भू—राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की है।

(5) घोषित श्मशान घाट का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होना शेष नहीं है।

ग्राम लदाना (जयपुर) की मंदिर माफी भूमि पर नाजायज कब्जा प्रकरण

231. श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लदाना, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित ठाकुरजी श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम मंदिर माफी की भूमि पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) ठाकुर जी श्री लक्ष्मीनाथ जी के नाम मंदिर माफी की कितनी भूमि दर्ज है ? भूमि का खसरा नम्बर एवं गांव तथा वर्तमान स्थिति के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति तिजारा के ग्राम उधनवास, कुलावट, चूहड़पुर, गोधान एवं मेव मुण्डाना, कहरांनी में क्रेशर मालिकों ने सिवाय चक (सरकारी) जमीनों पर अनधिकृत कब्जा नहीं कर रखा है।

(2) जी, नहीं। ग्राम पंचायत सिवाय चक अथवा राजस्व रेकार्ड की जमीन पर क्रेशर लगाने के लिए सीधी अनापत्ति जारी नहीं कर सकती है, किन्तु जो संपरिवर्तन के लिये आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, उनके संबंधित अधिकारी द्वारा संपरिवर्तन से पूर्व ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्राप्त की जाती है।

मूंडियारामसर (जयपुर) की भूमि का अवाप्ति प्रकरण

232. **श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम मूंडियारामसर तहसील जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन खातेदारों की भूमि इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त की गई थी उनके द्वारा खुदकाश्त के लिए भूमि आंवटित करने हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं को भूमि आंवटित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची परिशिष्ट--"क" संलग्न है।

(2) जिन खातेदारों की भूमि इस अधिनियम के तहत अवाप्त की गई है उनके द्वारा खुद-काश्त भूमि आवंटन हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) आवेदन पत्र के अभाव में भूमि आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला धौलपुर का राजस्व वसूली प्रकरण

233. **श्री जसवन्त सिंह(बाड़ी) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995 में जिला धौलपुर की चम्बल नदी के निकट स्थित बीहड़ों की भूमि को किन-किन लोगों को कितना- कितना आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या पूर्व के आवंटियों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री जसवन्त सिंह)

(2) क्या यह सही है कि बीहड़ भूमि आवंटन को गलत मानते हुए अधिकांश आवंटनों को रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक कितने आवंटन रद्द किये गये ? क्या आवंटन के बाद इस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया ?

(3) आवंटित बीहड़ भूमिधारकों में से कुछ धारकों ने उक्त अवधि में इस क्षेत्र में अपनी आय का स्रोत इस भूमि को मानकर राजस्व की चोरी की है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में वर्ष 1994 की राजस्व वसूली के बाद गत दो वर्षों में राजस्व वसूली की दर में कमी आई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 में धौलपुर जिले में चम्बल नदी के निकट स्थित बीहड़ भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

वर्ष 1984–85 में किये गये आवंटन के आवंटियों में से 18 आवंटियों को आवंटन शर्तों का उल्लघंन कर अनियमित खातेदारी दिये जाने पर रेफरेंस कार्यवाही न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर में की गई है। शेष आवंटियों को आवंटन शर्तों का पालन नहीं करने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

(2) जी, हां। बीहड़ भूमि आवंटन को गलत आवंटन मानते हुए रद्द किये गये हैं। वर्ष 84–85 में किये गये 198 आवंटनों में से समस्त में आवंटन शर्तो का पालन नहीं होने पर आवंटन खारिजों हेतु प्रकरण जिला कलक्टर न्यायालय में दर्ज कराये गये हैं। जिसमें से 184 आवंटनों को निरस्त किया जा चुका है।

(3) इस प्रश्न का संबंध केन्द्र सरकार के आयकर विभाग से है।

(4) जी, नहीं। धौलपुर जिले में वर्ष 1994 से वसूली निम्न प्रकार रही है :–

वर्ष	वसूली
1993–94	38,05,104
1994–95	36,29,310
1995–96	47,87,956
1996–97	1,45,66,103
1997–98	56,86,267

वर्ष 96–97 में 94,07,403/– रुपये की राशि आर.पी.जी. ग्रुप द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट हेतु कीमत भूमि के रूप में जमा कराई है।

ग्राम जोयड़ा बावजी (चित्तौड़गढ़) की भूमि पर अतिक्रमण

234. श्री मोहनलाल चित्तौड़िया(कपासन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जोयड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में जोयड़ा बावजी स्थान हेतु कुछ भूमि राजस्व खाते में

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

दर्ज है ? यदि हां, तो कितनी ? खसरा संख्या तथा स्थल मानचित सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो किस–किस ने और कितने–कितने रकबे पर ? खसरा संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम जोयड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ में जोयड़ा भैरूजी स्थान देह खातेदार के नाम 1.59 हैक्टेयर भूमि राजस्व खाते में दर्ज है। खसरा संख्या तथा स्थल मानचित्र सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जब उक्त भूमि पर अतिक्रमण है ही नहीं तो उसे हटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(मानचित्र एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील चौहटन के भूमिहीन काश्तकारों का भू-नियमन प्रकरण

235. श्री अब्दुल हादी(चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों से तहसील चौहटन (बाड़मेर) में कुल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे नियम 91 के तहत चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ लोगों को नियम 91 के तहत सजाएं हुई हैं ? यदि हां, तो किन–किन को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूमिहीन काश्तकारों को भी सजाएं हुई हैं ? क्या सरकार भूमिहीन काश्तकारों के कब्जे की भूमि को नियमित करने का विचार रखती हं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील चौहटन में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत गत पांच वर्षों में दर्ज प्रकरणों की स्थिति परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(2) हां, यह सही है कि 7 पश्चात्वर्ती अतिक्रमियों को धारा 91 आर.एस.आर.एक्ट के तहत सिविल कारावास की सजा दी गई है। सूची परिशिष्ट–"ख" संलग्न है।

(3) उत्तर संख्या 2 के अनुसार 7 अतिक्रमियों को सजा दी गई है, जो सभी भूमिहीन काश्तकार हैं। परिपत्र क्रमांक सं.6(9)राज.4/78 दिनांक 21.4.76 (परिशिष्ट–"ग") के अन्तर्गत एक हैक्टेयर तक के कब्जा वाले टुकड़ों को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के अन्तर्गत नियमन किया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

पंचायत समिति बांदीकुई (दौसा) के भू-नियमन प्रकरण

236. **श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति क्षेत्र बांदीकुई (दौसा) में सरकारी भूमि पर 1985 से पूर्व के कब्जे कहां–कहां हैं व उनमें से किस–किस का नियमन किया जा चुका है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त समस्त कब्जों को नियमित कर गरीब किसानों से वसूली जाने वाली पैनल्टी राशि से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र तहसील बसवा में राजकीय भूमि पर 1985 से पूर्व के कब्जे निम्नप्रकार हैं :–

किस्म जमीन	तादात प्रकरण	रकबा बीधा–बिस्वा
1. चरागाह	65	212.10
2. सिवाय चक	77	191.14
योग	142	404.04

चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जा काश्त करने वाले व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट–"अ" पर एवं सिवाय चक के अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट–"ब" पर है। इस अवधि में तहसील बसवा क्षेत्र में कोई नियमन नहीं हुआ है। राज्यादेश दिनांक 2.2.83 के अनुसार 1 जनवरी, 1970 से निरन्तर व निर्बाध रूप से चले आ रहे कब्जों को तथा सिवाय चक भूमि पर 15 जुलाई, 1984 से निरन्तर चले आ रहे कब्जों का भूमिहीन कृषकों को भू–आबंटन सलाहकार समिति के परामर्श से नियमन किये जाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत तहसील बसवा क्षेत्र पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र के चरागाह भूमि से संबंधित 65 प्रकरण रकबा 212.10 बीधा एवं सिवाय चक गैर मुमकिन से संबंधित 77 प्रकरण रकबा 191.14 बीधा के तहसीलदार बसवा द्वारा मई, 1998 के बाद जांच नियमन योग्य मानते हुए उप–खण्ड अधिकारी, बांदीकुई के यहां भू–आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्तुत कर नियमानुसार निस्तारण करने हेतु प्रेषित किये गये हैं।

(2) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा राजकीय सिवाय चक भूमि पर 15.7.84 से पूर्व के तथा चरागाह भूमि पर 1.1.70 से पूर्व के निरन्तर कब्जे चले आने व अतिक्रमी के भूमिहीन होने पर भू–आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से नियमित किये जाने का प्रावधान कर रखा है, ऐसे नियमन योग्य पाये जाने वाले प्रकरणों का नियमन किया जाता है। लम्बित प्रकरणों को शीघ्र विधान सभा सत्र के बाद होने वाली भू–आवंटन सलाहकार समिति की बैठकों में रखे जाकर परामर्श प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

प्रश्न संख्या-237

(स्थगित)

सोमनाथ मंदिर (पाली) का जीर्णोद्धार प्रकरण

238. **श्री ज्ञानचन्द पारख(पाली)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा पाली मारवाड़ के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि आवंटित की गयी और आवंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) अब शेष राशि कब तक आवंटित की जाकर कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 4(2) देव/94 दिनांक 29.12.95 के द्वारा 6 मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 1995–96 में पचास लाख रुपया व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें पाली मारवाड़ का सोमनाथ मंदिर भी सम्मिलित है।

(2) उक्त कुल स्वीकृत राशि में से मंदिर श्री सोमनाथजी पाली के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत पर 4.70 लाख रुपया आवास विकास संस्थान के माध्यम से व्यय किया गया है।

(3) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जयपुर में देवस्थान की सम्पति का रख-रखाव

239. **श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर जिले में देवस्थान विभाग की कोई सम्पत्तियां है ? यदि हां, तो कौनसी ? उक्त सम्पत्तियों का उपयोग क्या–क्या हो रहा है ? उनकी सार संभाल के लिए कौन–कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ सम्पत्ति किराये पर भी दी गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा कौन–कौन सी सम्पत्ति कब–कब कितने–कितने किराये पर किस–किस को दी गई और उनका किराया किसके द्वारा वसूल किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन सम्पतियों की मौजूदा सार–संभाल व रक्षा आदि व्यवस्था को संतोषप्रद मान रही है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधार किया जाना है जो कब तक किस प्रकार से किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है। उक्त सम्पत्तियां किराये पर दी हुई है तथा उनकी व्यवस्था सहायक आयुक्त देवस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) जी, हां। विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। उक्त संपदाओं को किराये पर देने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। किराये की वसूली सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा की जाती है।

(3) जी, हां। संतोषप्रद है। इसके लिए जयपुर में उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त के कार्यालय कार्यरत हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भटवाड़ा टापू झील उदयपुर का हस्तानान्तरण प्रकरण

240.श्री गुलाबचन्द कटारिया(बड़ीसादड़ी): क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर, उदयपुर ने भटवाड़ा टापू झील जयसमंद को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो संबंधित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त 19.91 हैक्टेयर भूमि को पुनः राजस्व विभाग ने अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की है ? यदि हां तो क्यों, व किस प्रयोजन से ?

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। उक्त आदेश के विरुद्ध मैसर्स शिल्वर शैडो एक्सपोर्ट प्रा.लि. द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील संख्या 73/98 प्रस्तुत की गयी है। इसमें अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनायी रखी जाने के निर्देश हुये हैं। इसी आदेश के विरुद्ध मैसर्स स्टेण्डर्ड मिनरल एण्ड केमिकल्स प्रा.लि. के राजस्व मंत्री महोदय के यहां रिवीजन प्रस्तुत की है जिस पर निर्णय होना अपेक्षित है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला बांसवाड़ा का वृक्षारोपण प्रकरण

241. श्री फतेह सिंह(कुशलगढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1997–98 एवं 1998–99 में जिला बांसबाड़ा में अरावली योजना (सामाजिक वानिकी द्वारा) में कहां–कहां वृक्षारोपण हेतु कितनी–कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 के वृक्षारोपण में वृक्ष व घास की पैदावार की गई ? यदि हां, तो किस–किस में कितने–कितने पौधे लगाये हैं और उस में से कितने जिन्दे हैं व कितने मृत हो चुके हैं ? वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक घास की कितनी आमदनी हुई ? सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें ?

(श्री फतेह सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा घास की आमदनी में रसीदें नहीं काट कर अनियमितताएं की गई हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में अरावली वृक्षारोपण (सामाजिक वानिकी) वन मंडल द्वारा वर्ष 1997–98, वर्ष 1998–99 के लिए कुल 2370 हैक्टेयर वृक्षारोपण हेतु राशि 250.646 लाख रुपये की स्वीकृत की गई। कार्यस्थलवार सूची संदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। वर्ष 1995 के इन वृक्षारोपणों में वृक्ष व घास की पैदावार हुई है। वर्ष 95 के वृक्षारोपण क्षेत्रों में 14 लाख 16 हजार पौधे लगाये गये जिनमें 9 लाख 32 हजार के लगभग पौधे जीवित हैं। वृक्षारोपण क्षेत्रों में वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 के मध्य 28,492.26 क्वि. घास का उत्पादन हुआ। राज्य सरकार के द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से संयुक्त वन प्रबन्ध संबंधी प्रचलित आदेश दिनांक 26.4.91 के अनुसरण में इन वृक्षारोपणों हेतु ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों की भागीदारी से किया गया था। राज्य सरकार के उल्लेखित आदेश के अनुसार समिति के सदस्यों को उत्पादित घास निःशुल्क प्राप्त होती थी। अतः घास निकासी से आय नहीं हुई है।

(3) जी, नहीं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 26 अप्रेल, 1991 के प्रावधानानुसार घास एवं अन्य लघु वन उपज को वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों को घास निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानानुसार ही घास निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। अतः किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है, और किसी अधिकारी का इसमें दोष नहीं रहा है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-242

(स्थगित)

ग्राम कोट सोलंकीयान (देसूरी) का वन भूमि प्रकरण

243. **श्री केसाराम चौधरी(खारची)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कोट सोलंकीयान, तहसील देसूरी, जिला पाली में वन विभाग की आबादी के बीच में कोई भूमि स्थित है ? यदि हां, तो यह भूमि किस कार्य में ली जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आबादी में स्थित उक्त भूमि के कारण ग्रामवासियों के जान–माल को खतरा बना हुआ है ? क्या सरकार उक्त भूमि को आबादी भूमि को परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यहां वन्य जीव अभ्यारण्य टाडगढ़ के अधीन वन रक्षक चौकी है जहां इस अभ्यारण्य के कर्मचारी निवास कर रहे हैं।

(2) जी, नहीं। उक्त भूमि के कारण ग्रामवासियों के जान–माल को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यह भूमि रियासत काल से ही वन रक्षक चौकी वन विभाग के कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहने हेतु उपयोग में ली जा रही है। वन चौकी आबादी के मध्य है एवं वहां वन्य जीव सुरक्षा के लिये पदास्थापित कर्मियों के निवास के काम में ही आ रही है, अतः पृथक से आबादी के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या-244

(स्थगित)

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग

245. डा. करण सिंह यादव(बहरोड) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में विश्व बैंक की सहायता से कोई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके तहत कितनी आर्थिक सहायता मिली तथा इनका किस–किस मद में उपयोग किया गया ? इस उपयोग के लिए क्या–क्या बिन्दु रखे गये है ?

उत्तर

जी, हां। विश्व बैंक की सहायता से राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक मिली आर्थिक सहायता का विवरण ब्यौरा एवं जिस–जिस मद में यह राशि उपभोग में ली गई है वह सूचना एनेक्चर "क" पर संलग्न है। उपयोग के बिन्दुओं का विवरण संलग्नक "क" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

सिंचित क्षेत्र में कपास की फसल का खराबा

246. डा. रामप्रताप(हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला हनुमानगढ़ एवं गंगानगर के सिंचित क्षेत्र में देशी कपास व नरमा की फसल 3–4 वर्षों से खराब हो रही है ? उक्त फसल कौन सी बीमारी से खराब होती है ? क्या उक्त फसल के खराब होने से उक्त जिले के किसानों, मजदूरों एवं व्यापारियों की स्थिति खराब हुई है ? उक्त व्यक्तियों को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(2) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश की तरह गन्ना मिलों की श्रृंखला लगाने का विचार प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के सिंचित क्षेत्रों में देशी कपास की फसल गत 3–4 वर्षों से कपास पत्ती मोडक विषाणु रोग हिलियोथिस (सूंडी) सफेद मक्खी कीट आदि से एवं वर्ष 1997 में असामयिक तथा अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुई है।

कपास की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों में से कपास का पत्ती मोडक विषाणु रोग तथा हिलियोथिस (सूंडी) कीट का प्रकोप मुख्य है जो कि मौसम की अनुकूलता के साथ महामारी का रूप धारण कर लेता है।

गत वर्ष 1997–98 में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्रों में 4,97,163 है. क्षेत्र के कपास फसल की बुवाई की गई थी। प्राथमिक अनुमान अनुसार 58678 है. क्षेत्र पत्ती मोडक विषाणु रोग से तथा 4,70,000 है. क्षेत्र हिलियोथिस सूंडी कीट से प्रभावित हुआ था। कपास फसल की पैदावार 35 से 40 प्रतिशत खराब होने पर उक्त जिलों से संबंधित किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

हिलियोथिस एवं कपास की पत्ती मोडक विषाणु रोग के द्वारा हुए नुकसान का आकलन करने हेतु राज. कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया इसके अलावा राज्य सरकार से सहायता सचिव ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राजस्व विभाग द्वारा भी हानि प्रभावित क्षेत्र की विशेष गिरदावरी करवाई गई। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए संयुक्त सचिव कृषि एवं सहकारिता, केन्द्र मंत्रालय के नेतत्व में दिनांक 11.2.98 को भारत सरकार के केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी कपास रोग प्रभावित क्षेत्रों में हानि का आकलन किया है।

कृषि विभाग द्वारा 1998–99 में कपास फसल में पत्ती मोडक विषाणु रोग के नियंत्रण हेतु एक प्रभावकारी योजना तैयार की गई है जिसके विस्तृत विवरण की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नही।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के चिकित्सालयों में रिक्त पद

247. श्री गोपाराम मेघवाल(सिवाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना (बाड़मेर) में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? उक्त केन्द्रों में कितने चिकित्सक एवं अन्य पद सृजित हैं और उनमें कितने पद रिक्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं अन्य के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं प्रयोगशाला तकनीशियन के रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जाने संभव हो सकेंगे।

कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्त होने पर भरने संभव हो सकेंगे एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर निदेशालय कोष एवं लेखा द्वारा भरे जाते हैं।

वार्ड बॉय के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

ई.एस.आई.डिस्पेंसरी करौली में कार्यरत ए.एन.एम.

248. श्री गोविन्द सिंह(नसीराबाद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती कुच्च देवी, ए.एन.एम. वर्तमान में ई.एस.आई.डिस्पेंसरी करौली में कार्यरत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ए.एन.एम. कभी निलम्बित हुई थी ? यदि हां तो कब व किन–किन करणों से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इनके द्वारा किसी अन्य का मकान बेचने के संबंध में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के चिकित्सालय

249. श्रीमती कमला बृजलाल(सपोटरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सपोटरा चिकित्सालय का नया भवन तैयर हो चुका है ? यदि हां, तो इसे कब तक उसमें स्थानान्तरित किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

(3) उक्त राजकीय चिकित्सालय की एम्बुलेंस कहां एवं क्यों है ? अब उक्त एम्बुलेंस

(श्रीमती कमला बृजलाल)

राजकीय चिकित्सालय में कब तक आ जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय की एक्स–रे मशीन कहीं अन्यत्र लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त मशीन अब वापस कब तक आ जायेगी ?

(5) उक्त क्षेत्र में उप केन्द्रों पर कितने नर्स या कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने रिक्त पड़े हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी एवं नर्स/कम्पाउण्डर मुख्यालय पर अनुपस्थित रहते हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा के मुख्य भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक निमार्ण विभाग, करौली कार्यालय से प्राप्त सूचना (दिसम्बर,1998) के अनुसार अपूर्ण है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विभाग को हस्तानान्तरण के बाद नये भवन में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन एवं सर्जरी का एक–एक पद स्वीकृत है। जो वर्तमान में रिक्त है। कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) सामुदायिक स्थास्थ्य केन्द्र, सपोटरा हेतु रोगी वाहन स्वीकृत नहीं है। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा को भी रोगी वाहन उपलब्ध करवाने पर विचार किया जाना संभव होगा।

(4) जी, नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सपोटरा को एक्स–रे मशीन स्वीकृत नहीं की गई है।

(5) सपोटरा पंचायत समिति क्षेत्र में उच्चीकृत उप केन्द्र एवं उप केन्द्रों पर स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
नर्स श्रेणी–II	3	3	–
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	54	40	14
बहुउद्देशीय स्वा. कार्यकर्ता (पुरुष)	22	19	3

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रिक्त पदों को भरने के लिये राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त स्थानों को भरा जावेगा। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के रिक्त पदों को भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव होगा।

(6) जी, नहीं।

जयपुर शहर के चिकित्सालयों के उपकरणों का मरम्मत प्रकरण

250. **श्री हरजीराम बुरड़क**(लाडनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कई चिकित्सा उपकरण/मशीनें खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो कौनसे उपकरण व मशीनरी जिनकी लागत क्या–क्या है और कब–कब से इनको ठीक कराने के क्या प्रयत्न किये तथा अब कब तक ठीक करा ली जायेगी ?

(2) उक्त सूचना जयपुर शहर के अन्य आस्पतालों के बारे में भी प्रस्तुत की जाये ?

(3) क्या सरकार उक्त व्यवस्था से संतुष्ट हैं ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो इस संबंध में सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है ?

उत्तर

(1) जी, हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में खराब उपकरण एवं मशीनों की लागत, कब से खराब है, इनको ठीक करवाने के प्रयत्न संबंधी सूचना संलग्न परिशिष्ट–एक में दर्शायी गई है।

(2) जयपुर शहर के अन्य चिकित्सालयों में खराब उपकरणों की सूचना परिशिष्ट 2,3 व 4 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। जो मशीनें ठीक कराये जाने की स्थिति में है उनको ठीक करवाये जाने के प्रयास जारी हैं तथा जो मशीनें/उपकरण तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार ठीक नहीं हो सकते उनको निस्तारण करने की कार्यवाही की जा रही है। जहां पर मशीनों को ठीक करवाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है उन मामलों में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करके कार्यवाही की जा रही है।

(सूचनाएं विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंचनपुर (करौली) का भवन निर्माण प्रकरण

251. **श्री जनार्दन गहलोत**(करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन कंचनपुर की निविदाएं राशि 29.95 एवज रेट में 21,61,840 रुपया, का अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोन कोटा ने दिनांक 21 जून, 1996 को मंजूर किया था ? क्या उक्त वर्क आर्डर अधिशासी अभियन्ता, करौली ने दिनांक 27 जुलाई, 1996 को दिया था ?

(2) क्या अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोन कोटा को कंचनपुर बिल्डिंग का कार्य शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार फुल पैनल्टी लगाकर संवेदन से कार्य वापस लेने का अधिकार है ?

(श्री जनार्दन गहलोत)

(3) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने साइट के निरीक्षण पर दिनांक 5 नवम्बर, 1997 को कार्य चालू पाया था ? उक्त रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता को दिनांक 6 नवम्बर, 1997 को भेजी थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता, करौली के आधार पर ही उक्त बिल्डिंग का कार्य संवेदक से फुल पैनल्टी लगाकर पत्र क्रमांक एस.ई/एस.एम./5371 दिनांक 26.11.97 द्वारा वापस लिया गया ? क्या उक्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ?

(5) क्या यह सही है कि कंचनपुर कार्य के उक्त संवेदक का रजिस्ट्रेशन भी तीन माह के लिये स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि कंचनपुर बिल्डिंग के कार्य निराकरण हेतु तत्कालीन एवं वर्तमान अधिशासी अभियन्ता को लिखा कि राशि 29.95 एवज रेट पर कार्य कराया जाएगा। क्या संवेदक से नाजायज कार्य छीना गया।

(7) क्या यह सही है कि कार्य वापसी वाले संवेदक में उसके द्वारा किए कार्य की व साइट पर मौजूद मैटीरियल, बजरी, खण्डा, सैण्डस्टोन की रिकार्ड एण्ट्री उसके समक्ष करके उसके हस्ताक्षर कराये गये हैं ?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त संवेदक से उक्त ठेका 29.95 प्रतिशत एवज में भी वापस ले लिया संवेदक को 55 प्रतिशत एवज में कार्य दिया गया जो अब भी चालू है ?

(9) क्या यह सही है कि उक्त कार्य वापस लेना अधीक्षण अभियन्ता के कार्यक्षेत्र से बाहर है, तो कार्य खाली मानकर ठेका समाप्त ही नहीं होता है और पुनः ठेका करना शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार गलत है ? क्या इससे सरकार का लाखों का नुकसान होगा ? क्या पूर्व ठेकेदार द्वारा किए कार्य एवं सामग्री का वर्तमान ठेकेदार को भुगतान कर अधिकारी व वर्तमान ठेकेदार ने मिलीभगत से उठा ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

(10) क्या सरकार इस प्रकरण में संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोन कोटा को शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार फुल पैनल्टी लगाकर यदि संवेदक कार्य की प्रगति संतोषजनक ढंग से नहीं करता है तो संवेदक से कार्य वापस लेने का अधिकार अनुबंध के अनुसार है।

(3) अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 5.11.97 को निरीक्षण के दौरान दासा लेवल तक चुनाई का कार्य पूर्ण था एवं सिर्फ भवन के कुछ भाग में मिट्टी भराई का कार्य चालू

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

पाया गया। शेष कार्य बन्द मिला जिसके लिये तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने इस कार्यालय के पत्र संख्या 2046–48 दिनांक 6.11.97 द्वारा संवेदक सूचित कर रिपोर्ट श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, वृत, सवाईमाधोपुर को प्रेषित की थी।

(4) हां, यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड– करौली की रिपोर्ट पर ही अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उनके पत्र संख्या 5371–72 दिनांक 26.11.97 द्वारा अनुबंध की धारा 2 एवं 3 "सी" के तहत कार्य वापस लिया। यह कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर करने के पश्चात् उसका अनुमोदन सक्षम अधिकारी अति. मुंख्य अभियन्ता द्वारा उनके पत्र 4698 दिनांक 30.11.98 को कर दिया गया।

(5) जी, हां। पी.एच.सी. बिल्डिग का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा अनुबंध के नुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उनका ठेका निरस्त करते हुए संवेदक का पंजीयन 3 माह के लिये स्थगित किया गया था।

(6) श्री अर्जुन लाल कवि "सी" श्रेणी संवेदक द्वारा कार्य बंद कर दिया गया था। चूंकि भवन की प्राप्त स्वीकृति का उपयोग करने में विलम्ब हो रहा था। इसलिये श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पुनः निविदाएं आमंत्रित कर टेण्डर की दरें श्रीमान् अति. मुख्य अभियन्ता जोन कोटा द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् ही कार्य आदेश अन्य ऐजेन्सी को दिया गया। इस संवेदक से कोई नाजायज कार्य नहीं छीना गया।

(7) संवेदक को सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि. उप खण्ड प्रथम, करौली के पत्र संख्या 1039–41 दिनांक 5.11.98 द्वारा उसके द्वारा किये गये कार्य की माप कराने लिया गया था किन्तु संवेदक उपस्थित नहीं हुआ। नाप करते समय मौके पर कोई मटीरियल मौजूद नहीं था। पेमेंट पूरे आइटम के अनुसार किया गया है।

(8) जी, हां। उपरोक्त कार्य 53.71 प्रतिशत अधिक द्वारा स्वीकृत किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

(9) अधीक्षण अभियन्ता ने कार्य वापस लेकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। पुनः ठेका करना व देना सक्षम अधिकारी के क्षेत्र में है। इससे सरकार का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अंतर राशि पूर्व ठेकेदार से वसूली योग्य है। सामग्री का वर्तमान ठेकेदार को भुगतान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता व किसी भी प्रकार की मिलीभगत नहीं थी।

(10) अनुबंध की धाराओं के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है एवं इस पर कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

जिला सीकर की सड़कों की मरम्मत

252. श्री अमराराम(धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री अमराराम)

(1) दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक राज्य में सड़क मरम्मत पर कितना व्यय किया गया ?

(2) जिला सीकर की किस–किस मार्ग की सड़क पर मरम्मत हेतु कितना–कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों का सर्वे करवाकर मरम्मत एवं डामरीकरण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 98 से फरवरी, 99 तक राज्य में सड़क मरम्मत पर रुपये 3000.27 लाख व्यय किया गया।

(2) जिला सीकर में माह अप्रेल, 98 से फरवरी, 99 तक कुल 87 सड़कों की मरम्मत की गई जिन पर कुल 172.72 लाख रुपये व्यय किये गये। सड़कवार व्यय विवरण की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सीकर जिले में कुछ सड़कें मरम्मत नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई।

जी, हां। वर्ष 1999–2000 के सड़क मरम्मत कार्यक्रम (आयोजना भिन्न मद में) के अन्तर्गत सड़कों की साधारण मरम्मत के लिये रुपये 155.00 लाख एवं 19 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण के कार्य 35.30 लाख रुपये की लागत के कार्य प्रस्तावित है। इसी प्रकार योजना मद में वर्ष 1999–2000 के सड़कों के सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 210 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण के कार्य लागत 407.0 लाख रुपये के लिये कार्य प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कें

253. श्री रामचन्द सराधना(जमवारामगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम सरदारपुरा से पुरोहितान की ढाणी (जयपुर) तक की सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में ढाणी पुरोहितान से यादवखेड़ा, खनीपुरा तक डेढ़ किलोमीटर सड़क का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम सरदारपुरा से पुरोहितान की ढाणी (जयपुर)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की नहीं हैं। इस सड़क का निर्माण कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया गया है एवं मरम्मत हेतु यह सड़क अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण नहीं की गई है।

(2) सरदारपुरा से खनीपुरा वाया पुरोहितान की ढाणी यादवखेड़ा सड़क की कुल लम्बाई 9 किमी. है, जिसमें 7.5 किमी. ग्रेवल सड़क है एवं 1.5 किमी. लम्बाई में सड़क नहीं बनी हुई है। सरदारपुरा एवं खनीपुरा ग्राम पूर्व में ही डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। सरदारपुरा एवं खनीपुरा ग्राम के मध्य ग्राम यादवखेड़ा पड़ता है, जिसकी आबादी 1991 की जनगणना पर 315 है। अतः सरदारपुरा से खनीपुरा सड़क का निर्माण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न संख्या-254

(स्थगित)

न्यायालयों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति

255. **श्री अमराराम चौधरी(पचपदरा):** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने सत्र न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय और एन.डी.पी.एस. तथा एट्रोसीटी न्यायालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी न्यायालयों के लोक अभियोजकों को नई–नई नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि हां, तो कब–कब ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वर्ष में उक्त सभी न्यायालयों में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के अभियोजकों को राज्य में नियुक्ति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सत्र न्यायालयों, अतिरिक्ति सत्र न्यायालयों, एन.डी.पी.एस. और एट्रोसिटी न्यायालयों की संख्या निम्नप्रकार हैं :–

1. सत्र न्यायालय	33
2. अतिरिक्त सत्र न्यायालय	88
3. एन.डी.पी.एस. प्रकरण न्यायालय	8
4. अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) न्यायालय	17

(2) सूची संलग्न के अनुसार लगभग सभी जिलों में नियुक्ति की गई है। जो नियुक्तियां विचाराधीन हैं, उन्हें भी संलग्न सूची के कालम संख्या 2 में रेखांकित कर दिया गया है।

(3) राजस्थान ला एण्ड ज्यूडिशियल डिपार्टमेण्ट मैन्यूअल, 1952 के अन्तर्गत लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक को नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसके अन्तर्गत की गई ऐसी नियुक्तियां, नियमित (Regular) नियुक्ति की श्रेणी में नहीं आती है अपितु लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/ विशिष्ट लोक अभियोजक को राज्य सरकार द्वारा

(विधि मंत्री)

मासिक रिटेनरशिप पर बचनबद्ध (Engagement) के आधार पर रखा जाता है, तथापि उक्त पदों पर एन.सी./एस.टी. अभिभाषकों की जो नियुक्तियां की गई हैं उन्हें संलग्न सूची के कालम संख्या–3 में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना

256. श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में मुन्सिफ कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में उक्त कोर्ट खोलने के लिये राज्य सरकार को ज्ञापन भी भिजवाये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य-सरकार की घोषित नीति के अनुसार 1700–2000 प्रकरण लम्बित होने पर नये मुंसिफ न्यायालय खोलने पर विचार किया जा सकता है। टोडाभीम क्षेत्र के करीब 1600 प्रकरण वर्तमान में सिविल न्यायाधीश, हिण्डौन के समक्ष लम्बित चल रहे हैं। नये न्यायालय खोलने की प्रक्रिया में उच्च न्यायालय के प्रस्ताव व सहमति प्राप्त करना भी आवश्यक अंग है। अतः सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले 30 नए न्यायालयों में टोडाभीम मुंसिफ न्यायालय का प्रस्ताव सम्मिलित करने हेतु उच्च न्यायालय को निवेदन करेगी।

(2) टोडाभीम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में सन् 1983 में श्री चेतराम राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं वर्ष 1986 में श्री मूलचन्द मीणा, राज्य मंत्री, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड, वर्ष 1998 में प्रधान पंचायत समिति टोडाभीम एवं वर्ष 1999 में श्री हरिचरण गोयल, उपाध्यक्ष, जिला युवा कांग्रेस, करौली के ज्ञापन एवं अनुशंसाएं भिजवाई हैं। पंचायत समिति टोडाभीम में प्रस्ताव पारित कर पंचायत समिति का हाल व दो कमरे न्यायालय के लिए तथा मुंसिफ के निवास के लिए क्वार्टर पंचायत समिति से उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव पारित कर रखा है। राज्य सरकार ने मा. उच्च न्यायालय से टिप्पणी / परामर्श शीघ्र भिजवाने हेतु निवेदन कर रखा है। उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में टोडाभीम में अलग से मुंसिफ न्यायाल खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

मा. उच्च न्यायालय में लम्बित प्रकरण

257. श्री वृद्धिचन्द जैन(बाड़मेर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में एक लाख से अधिक प्रकरण लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय न्यायाधीशों की कमी और उनके द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रकरण नहीं निपटाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक 1 जनवरी, 1999 की गणना के अनुसार 107210 प्रकरण लम्बित हैं। अधिक प्रकरण लम्बित होने का एक मुख्य कारण न्यायाधीशों के 10 पद गत एक वर्ष से रिक्त रहना रहा है।

(2) यह सही है कि माननीय न्यायाधीशों के 10 पद रिक्त रहने व इस कारण न्यायाधीशों की कमी होने से प्रकरण नहीं निपटाये जा सके हैं। उच्च न्यायालय के लिए प्रकरणों के निस्तारण हेतु कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं है। प्रत्येक बैंच अलग–अलग प्रकृति के मामलों का निस्तारण करती है जिसके लिए मानदण्डों का निर्धारण संभव भी नहीं है। माननीय न्यायाधीश प्रकरणों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। राज्य सरकार ने माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को निवेदन कर दिया है। न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की निर्धारित प्रक्रिया है जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश अन्य दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ विचार कर प्रस्ताव तैयार करते हैं व उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार के मार्फत केन्द्रीय सरकार व सर्वोच्च न्यायालय को भिजवाये जाते हैं। अतः राज्य सरकार, जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे, अपने स्तर पर त्वरित कार्यवाही करने का विचार रखती है।

विधवा महिलाओं को देय सहायता राशि

258. श्री मदन दिलावर(अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह में 5,000/– रु. सहायता देने की योजना है ? यदि हां, तो 1 दिसम्बर, 1998 से मार्च, 1999 तक कितनी विधवा महिलाओं की पुत्रियों को सहायता प्रदान की गई ? नाम व पतों सहित सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त योजना को अब बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। वांछित सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का उपयोग

259. श्रीमती रमा पायलेट(हिण्डोली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1990 से 1998 तक समाज कल्याण विभाग को केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1990 से 1998 तक समाज कल्याण विभाग को केन्द्र सरकार से विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्राप्त राशि एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय का विवरण मदवार संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली के भेड़पालकों को सहायता राशि

260. श्री केसाराम चौधरी(खारची) : क्या भेड़ एवं ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला पाली में भेड़ एवं ऊन विभाग को भेड़ों में माता एवं निमोनिया जैसी बीमारी फैलने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां तो कहां–कहां से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बीमारी से भेड़पालकों की भेड़ें भी मरी हैं ? यदि हां, तो कितनी व पशुपालकों को क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त बीमारी से बचाव हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये व किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में भेड़माता एवं निमोनिया बीमारी की महामारी फैलने की कोई सूचना नहीं है। हां, मारवाड़ जंक्शन के गादाणा क्षेत्र के भेड़पालक श्री कानाराम पुत्र श्री रामाजी की भेड़ों को माता का प्रकोप हुआ था।

(2) मारवाड़ जंक्शन के गादाणा क्षेत्र के भेड़पालक श्री कानाराम पुत्र श्री रामाजी की 8–10 भेड़ें माता रोग से मरी थीं। इनके रेवड़ में इलाज कर दिया गया था। साथ ही क्षेत्र के समस्त भेड़पालकों की भेड़ों में भी माता रोग का टीकाकरण किया जा चुका है।

(3) बीमारी से बचाव हेतु क्षेत्र की समस्त भेड़ों में टीकाकरण का कार्य कर दिया गया है।

जिला बाड़मेर-जैसलमेर के शिक्षाकर्मी विद्यालय

261. श्री अमीन खान(शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत कितनी स्कूलें चल रही हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अब राज्य में कितनी शिक्षाकर्मी स्कूलें खोलने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में क्रमशः 195 एवं 28 शिक्षाकर्मी स्कूल चल रहे हैं। पंचायत समितिवार शिक्षाकर्मी स्कूलों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नई शिक्षाकर्मी शालाएं खोलने हेतु प्राथमिक शिक्षा का संभावित कार्यक्रम बनाने के लिए योजनाओं की समीक्षा का गुणावगुण

(पंचायती राज मंत्री)

के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पंचायत समिति दूदू के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

262. **श्री कन्हैया लाल(बस्सी)** : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स रामनाथ चौधरी द्वारा गत पांच वर्षो में पंचायत समिति दूदू में निर्माण कार्य करवाये हैं यदि हां, तो कितनी–कितनी राशि के कहां–कहां एवं कब–कब ?

(2) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा करवाये गये विकास/निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच की गई थी ? यदि हां, तो कब–कब एवं किस–किस के द्वारा और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार द्वारा करवाये गये अधिकांश निर्माण/विकास कार्य घटिया सामग्री के उपयोग के कारण क्षतिग्रस्त/जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आ गए हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से एवं कहां–कहां ?

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषी ठेकेदार/अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। गत पांच वर्षों में पंचायत समिति दूदू ने मैसर्स रामनाथ चौधरी द्वारा वर्ष 97–98 में ग्राम पंचायत मौखमपुरा के अधीन नेशनल हाईवे नं. 8 में मौखमपुरा डब्ल्यू.बी.एम. सड़क के निर्माण पर रु.89,788 का मिट्टी/सामग्री ढुलाई कार्य करवाया गया।

(2) जी, हां। सूची सलंग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। कार्य में अनियमितता नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

पंचायत समिति बांदीकुई का आवास प्रकरण

263. **श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति बांदीकुई परिसर में कर्मचारियों को रहने की आवास सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो उक्त आवासों में रहने वाले कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन कर्मचारियों के नाम आवास आबंटित हैं वह उसमें रह रहे हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्होंने आवास किराये पर दे रखा है ? यदि हां, तो

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गा का बास (आमेर) द्वारा अवैध व्यावसायिक निर्माण

264. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह(आसींद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गा का बास तहसील आमेर जिला जयपुर ने आबादी भूमि को पटवारी/गिरदावर से गलत नपाकर जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आबादी भूमि थी उन्हें नाजायज रूप से परेशान कर रहा है ? क्या उक्त सरपंच ने अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों के निर्माण कार्य को एक कृषक से मिलकर जमीन हड़पने हेतु रुकवा दिया है ?

(2) क्या यह भी सही है किस उक्त सरपंच ने एक भू—माफिया गिरोह बना रखा है जिसका कार्य अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की आबादी भूमि पर कब्जा करना है ?

(3) क्या सरकार उक्त अनुसूचित जाति की आबादी भूमि पर रोके गये कार्य को पुनः चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच व माफिया गिरोह ने एक परिवार को परेशान कर उसकी आबादी भूमि पर स्वयं एवं गिरोह के व्यक्तियों ने व्यावसायिक दुकानें निर्मित कर ली हैं ? क्या सरकार उक्त भूमि को वापस उस पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को दिलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बिना कराये जा रहे पक्के निर्माण कार्य को रोकने हेतु सरपंच द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं ना कि किसी कृषक से मिलकर जमीन हड़पने हेतु रुकवाया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) सरपंच द्वारा पंचायत की बिना स्वीकृति के कराये जा रहे पक्के निर्माण कार्य को रुकवाया गया है तथा संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष मय सबूत ग्राम पंचायत में पेश करने का नोटिस दिया गया है। पक्षकारों का जवाब आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी, नहीं

(5) राज्य सरकार ने पास सरपंच के

(पंचायती राज मंत्री)

विरुद्ध कोई शिकायत, जांच विचाराधीन नहीं है इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

पंचायत समिति मांडल (भीलवाड़ा) का भू-आवंटन प्रकरण

265. **श्री हफीज मोहम्मद**(माण्डल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में पंचायत समिति माण्डल में भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि काश्तकार भूमिहीन किसान गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति माण्डल के ग्राम भगवानपुरा में आर्थिक रूप से सम्पन्न कृषकों को भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गलत आवंटनों को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त आवंटन से गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का हम मारा गया है ?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। गत पांच वर्षों में पंचायत समिति माण्डल में उपलब्ध भूमि को भूमिहीन कृषकों को निम्नप्रकार आवंटन किया गया है :–

किस्म भूमि	आवंटन का विवरण	
	संख्या	क्षेत्रफल(एकड़ में)
कमाण्ड	20	10
नान कमाण्ड	571	570
सीलिंग	697	975
योग	1288	1555

(2) यह सही है कि भूमि का आवंटन नियमानुसार भूमिहीन होने पर ही किया जा सकता है। जहां तक गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति का प्रश्न है उन्हें भी भूमिहीन होने पर आवंटन किया गया है।

(3) जी नहीं। आर्थिक रूप से सम्पन्न काश्तकारों को भूमि आवंटन का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(4) आर्थिक रूप से सम्पन्न कृषकों को भूमि आवंटन का कोई गलत मामला जानकारी में नहीं आया है।

(5) जी नहीं। क्योंकि कोई गलत आवंटन का मामला जानकारी में नहीं आया है।

(6) भाग (5) के उत्तर के अनुसार गलत आवंटन का कोई मामला जानकारी में नही आया है। अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

चाकसू (जयपुर) की औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण संयंत्र

266. **श्री कय्यूम खान**(मसूदा), **मोहम्मद माहिर आजाद**(नगर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जयपुर की तहसील चाकसू में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रखें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कुछ औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र लिए बिना कार्य कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को किसी इकाई के सन्दर्भ में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर की तहसील चाकसू में कुल दो औद्योगिक इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र प्राप्त कर रखे हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। ऐसी औद्योगिक इकाइयों ने उद्योग चलाने हेतु सम्मति प्राप्त करने के लिये मण्डल द्वारा समय–समय पर नोटिस जारी करने के पश्चात् भी आवेदन नहीं किया है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। क्योंकि यह उद्योग आबादी क्षेत्र में कार्यरत है। प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पथ परिवहन निगम का हानि प्रकरण

267. **श्री गुलाब चन्द कटारिया**(बड़ी सादडी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से 1998 तक प्रतिवर्ष राज्य पथ परिवहन निगम को कितना लाभ/हानि रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य प्रान्तों की तुलना में राज्य में निगम गत वर्षों से अधिक लाभ में रहा हैं ? यदि हां, तो कैसे ?

(3) क्या वर्ष 1998 के अप्रेल/मई माह के बाद निगम निरन्तर हानि में चल रहा है ? यदि हां, तो प्रति माह होने वाला घाटा कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जून, 1998 से निरन्तर घाटे का कारण बढ़ा हुआ किराया है ? यदि नहीं, तो अन्य क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 से 1997–98 तक परिवहन निगम को हुये लाभ/हानि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	लाभ/हानि (लाख रु. में) (+) (–)	
1	2	
1990–91	–	1010.52
1991–92	+	1208.59
1992–93	+	588.52
1993–94	+	2293.08
1994–95	+	2412.83

(यातायात मंत्री)

1	2
1995—96	+ 774.29
1996—97	+ 401.99
1997—98	+ 396.20 अन अंकेक्षित

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगम में वेतनमान संशोधन करने की ब्यूरो से स्वीकृति मई, 1998 में मिलने के कारण, बकाया (एरियर) राशि के 29.50 करोड़ रु. के भार को वर्ष 1997—98 के प्रोविजनल लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया था। निगम के लेखे महालेखाकार द्वारा अंकेक्षित किया जा रहे हैं तथा विभिन्न बिन्दुओं पर उनके अभिमत के पश्चात लेखों में आवश्यक संशोधन करते हुये लेखे फिर से संचालक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेगें उस समय इस व्यय भार के दर्शाने पर भी विचार किया जायेगा।

(2) जी, हां। लाभ में रहने के मुख्य कारण निम्न हैं :—

1. निगम की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन कर त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था करना।
2. आगार स्तर को लाभ की इकाई माना जाना।
3. आगारों के लिए प्रत्येक माह के लाभ/हानि के लक्ष्यों का निर्धारण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास।
4. कार्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन योजना जुलाई, 1991 से प्रारम्भ।
5. राज्य सरकार एवं आगार स्तर पर लक्ष्य का निष्पादंन।
6. आगारीय व्यवस्था को सुदढ़ बनाकर मुख्यालय के सीधे नियंत्रण में करना।

(3) जी, हां। माह अप्रेल/मई, 1998 के बाद से ही निरन्तर हानि में चल रहा है। प्रोविजनल लाभ/हानि खाते के अनुसार माह जून, 1998 फरवरी, 1999 तक घाटे का विवरण दर्शात हुए निम्नानुसार है :—

माह		घाटा (लाख रु. में)
जून, 1998	—	177.36
जुलाई, 1998	—	883.25
अगस्त, 1998	—	636.08
सितम्बर, 1998	—	939.63
अक्टूबर, 1998	—	391.40
नवम्बर, 1998	—	751.45
दिसम्बर, 1998	—	585.80
जनवरी, 1999	—	431.93
फरवरी, 1999	—	347.51

(4) निरन्तर घाटा बढ़ने के मुख्य कारण निम्न है :—

1. माह मई, 98 में कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान लागू करना।
2. जुलाई, 98 से कर्मचारियों को 6 प्रतिशत

(यातायात मंत्री)

अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाना।

3. दिनांक 24.5.98 से साधारण श्रेणी की सभी दरियां का किराया 31 पैसे प्रति कि.मी. से घटाकर 24 पैसे प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की जाकर दिनांक 3.12.97 से पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना।

4. चैसिस की कीमत, कल पुर्जों तथा अन्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि होना।

5. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहनों के संचालन में अत्यधिक वृद्धि होने से निगम बातें के यात्रीभार पर अधिक प्रभाव।

6. अवैध बसों द्वारा निगम के यात्री किराये से कम किराये में अवैध रूप से यात्री परिवहन करना।

मगरा (पाली) की विकास योजनाएं

268. **श्री हीरासिंह चौहान**(रायपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली की पंचायत समिति, रायपुर में मगरा विकास योजना नानणा किस वर्ष से स्वीकृति हेतु विचाराधीन है ? लम्बे समय तक योजना स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त जल ग्रहण योजना की स्वीकृति कब जारी कर दी जावेगी ?

(3) जल ग्रहण योजना की कौन कौनसी परियोजनाएं जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु विचाराधान हैं तथा उन पर कार्य करने की स्वीकृति पंचायत समिति रायपुर, वन विभाग, पाली तथा भू–संरक्षण विभाग पाली को कब तक दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला पाली में जलग्रहण योजना के अन्तर्गत कहां–कहां पर कितनी राशि का कार्य वर्ष 1996–97 से 1998–99 में अन्य एजेन्सियों द्वारा करवाया गया ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, रायपुर में मगरा विकास योजना नानणा अगस्त, 1995 से विचाराधीन है। मगरा विकास योजना, नानणा के प्रस्ताव जिस योजना में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए थे, उस योजना की मार्गदर्शिता के अनुरूप स्वीकार्य नहीं थे। अब अन्य ऐसी योजना में प्रस्ताव चाहे गये हैं जिनमें ऐसे प्रस्ताव स्वीकार्य हो। लम्बे समय तक योजना स्वीकृत नहीं होने के कारणों का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं। (परिशिष्ट–अ)

(2) पंचायत समिति रायपुर से संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाया जाना संभव हो सकेगा। स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली स्तर पर निम्न तीन जलग्रहण क्षेत्रों की विकास

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

परियोजनाएं विचाराधीन हैं :–

1.	रामपुरा मेक्रो	7/3
2.	सेन्दड़ा	11/2
3.	रायपुर	12/25

(4) इन परियोजनओं को आगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने की संभावना हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–ब)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

मेवात विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि

269. श्री अरूण सिंह(डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला भरतपुर एवं अलवर के मेवात क्षेत्र की पंचायत समितियों के विकास के लिए सरकार द्वारा गठित मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से विकास कार्य कराने हेतु वर्ष 1987 से राशि स्वीकृत की जाती रही है ? यदि हां, तो कितनी राशि कितने कार्यो के लिए स्वीकृत की गई है ? वर्तमान कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। मेवात क्षेत्र की पंचायत समितियों के विकास के लिए संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार 1766.65 लाख रुपये की राशि के 3127 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान कार्यो की जिलेवार सूची परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रखी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम मेकेरी (बीकानेर) की कब्रिस्तान की भूमि

270. श्री भीमसेन चौधरी(लूणकंरणसर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मेकेरी चक 3 एन.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 198/5 के मिशल नम्बर 1, 2, 4, 10, 11, 12, 19, 20 कुल 8 बीधा में कब्रिस्तान है ? क्या उक्त कब्रिस्तान नियमित/स्वीकृत नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को कब्रिस्तान के तौर पर स्वीकृति के लिए ग्राम पंचात मेकेरी ने प्रस्ताव पारित करके तहसीलदार (उप) पूगल के माध्यम से उपायुक्त (उप) बीकानेर को अपने पत्र क्रमांक/विरास/98/2402 दिनांक 30.10.98 द्वारा भेजा है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी ?

उत्तर

(1) मेकेरी के चक नं. 3 एन.एस.एम. नहीं होकर चक 3 एम.एस.एम. है। इसके मु. नं. 498/5 की बजाय मु. नं. 198/5 है। इसके कि. नं. 1 में 0.18, 10 में 0.18, 11 में 0.18, 20 में 0.18 की 3–12 बीधा कमाण्ड कि. नं. 2, 9, 12, 19, की 4.00 बीधा अनकमाण्ड कुल 7.12 बरूए रिकार्ड आराजीराज है एवं कब्रिस्तान के लिये प्रस्तावित है। मौके पर

(उपनिवेशन मंत्री)

कि. न. 1 में 0.10, 2 में 0.05, 10 में 0.05 कुल 1 बीघा भूमि पर कब्रिस्तान बना हुआ है, शेष भूमि खाली है। कब्रिस्तान स्वीकृत नहीं है।

(2) यह सही है कि चक 3 एम.एस.एम. के मु.नं. 198/5 के कि. न. 1 में 0.18, 10 में 0.18, 11 में 0.18, 20 में 0.18 की 3–12 बीघा कमाण्ड, कि. न. 2, 9, 12, 19 की 4.00 बीघा अनकमाण्ड कुल 7.12 बीघा भूमि कब्रिस्तान के लिये प्रस्तावित कर प्रस्ताव उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल ने अपने पत्र क्रमांक 2402 दिनांक 30.10.98 को उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को भेजा हुआ है, परन्तु स्थल का नक्शा एवं मौकानुसार पुनः परीक्षा किया जाकर तदनुसार शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अनुपस्थिति–अनुमति

श्री नाथूराम अहारी व श्री ताराचन्द, सदस्य को 31 मार्च, 98 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री नाथूराम अहारी एवं श्री ताराचन्द भगोरा, सदस्य, विधान सभा ने अपनी अस्वस्थता के कारण दिनांक 31 मार्च, 1999 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय के स्वास्थ्य के बारे में तो बता दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे ठीक हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं समाचार लेकर आया हूं वे ठीक हैं। मैं उसके अस्पताल में मिला था।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेड़लीगंज में अपहृत महिला की बरामदगी के प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने व जयपुर में महिलाओं द्वारा किये गये प्रदर्शन में महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा कथित धक्का–मुक्की की घटना के सम्बन्ध में।

खेड़ली प्रकरण में सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान की ओर से नागौर जिले के ग्राम पंचायत अलाय के कालानाड़ा के प्राथमिक विद्यालय नम्बर 4 की भूमि कुर्क करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी में प्रकरण सबजुडिस बताया गया है। विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का भी नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री यशवंत सिंह एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में जाटों को आरक्षण नहीं मिलने से उनमें व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी में यह विषय राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के विचाराधीन बताया गया है अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। मूल प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(3) श्री अरूण सिंह एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले को आबंटित यमुना का जल उपलब्ध नहीं करवाये जाने से किसानों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी में आगामी रबी से अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होने की पूरी संभावना बतायी गयी है, अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं। मूल प्रस्तावक माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रतनाराम चौधरी(रानीबाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत हमारे विधान सभा क्षेत्र की चार पंचायतों को इधर–उधर तहसील को जोड़ने के लिए बहुत आन्दोलन चल रहा है। वहां जनता में बड़ा भारी आक्रोष है। मैंने नियम 295 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था उसका जिक्र नहीं हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल बेगूं में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उउसकी जलाकर हत्या कर दी गयी। महिला उत्पीड़न का मामला है। उस नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर बलात्कारी घर पर ले गया। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की है और हालत यह है कि पूरी बेगूं तहसील में, बेगूं शहर में दहशत का वातावरण बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है।

डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : बलात्कार किया है नौ साल की बच्ची है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलवार(अटरू) : बलात्कार करके जिन्दा जला दिया गया है। ये निवेदन कर रहे हैं कि छोटी बालिका थी। बहुत गम्भीर मामला है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बहुत गम्भीर मामला है, मैंने स्लिप भी दी है इस मामले में (व्यवधान) नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

का मामला है, उसको जिन्दा जला दिया गया है। राजस्थान में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है कभी तो हिंजड़ें भाग जाते हैं, कभी किसी का लिंग काट दिया जाता है और कभी पर्चे लूट लिये जाते हैं। पूरे राजस्थान में कानून व व्यवस्था की स्थिति बड़ी गम्भीर है। अध्यक्ष महोदय, उस नाबालिग बच्ची के साथ...

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं सदन में ? क्या है ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैंने चर्चा के लिए स्लिप दी है आपको। मैंने निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्लिप पद्धति जब मैं नाम पुकारूंगा...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बहुत गम्भीर मामला है, महिला उत्पीड़न का मामला है।

श्री अध्यक्ष : यह आपने दे दिया, मुझे मालूम है। आपने स्लिप के जरिये बोलने की अनुमति चाही है लेकिन वह अभी वक्त ही नहीं आया है। उसके पहले 295 आएगा। श्री यशवन्त सिंह।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेड़ली के मामले में मेरा स्थगन प्रस्ताव था, आपने निरस्त कर दिया। पर सरकार इतनी तो जानकारी दे दे, वह लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई है, अध्यक्ष महोदय। आखिर कुछ प्रोग्रेस गृह मंत्रीजी हमें बता दें उसको बरामद करने की दिशा में।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी पूर्व में वक्तव्य दे चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल : पर अभी तक वह लड़की बरामद नहीं हुई है, बहुत समय निकल गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुई है लेकिन अपनी तरफ से वक्तव्य दे दिया है और आपको आश्वस्त किया था कि सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उसकी बरामदगी के लिए प्रयत्न चल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : लड़की की बरामदगी का मामला है, लड़की बरामद तो होनी ही चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह(गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरी डी.आई.जी., भरतपुर रेंज से आज सुबह ही बात हुई थी। इस बारे में पुलिस पूरी प्रयत्यशील है, कुछ स्थानों के ऊपर पुलिस का जाप्ता भेजा गया है। उस लड़की की तस्वीर आगरा के 'अमर उजाला' अखबार में साया की गई है, बसों के पीछे पोस्टर चिपकाये गये हैं। पुलिस पूरी तरह से प्रयत्नशील है इस मामले के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंत सिंहजी।

श्री हरिशचन्द(नावां) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की ग्राम पंचायत अलाय की जो स्कूल है उस स्कूल को बदलकर दूसरे स्थान

(श्री हरिशचन्द)

पर ले गये हैं। यद्यपि जमीन के सम्बन्ध में सबजुडिस मामला है पर जो स्कूल है। 1997 से वहां पर चल रही है। हड़ताल चल रही है वहां पर, कल से भूख हड़ताल करेंगे। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जहां स्कूल पहले चल रही थी, जमीन का मामला यहां पर है। पहले अपील आथोरिटी के पास गये थे वहां खारिज हो गया, कोर्ट में गये वहां खारिज हो गया। सबजुडिस है केवल जमीन का मामला...

श्री अध्यक्ष : आज भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, यह मामला सबजुडिस है।

श्री हरिशचन्द(नावां) : माननीय महोदय, स्कूल का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मामला सबजुडिस है।

श्री हरिशचन्द(नावां) : स्कूल का मामला सबजुडिस नहीं है, केवल जमीन के अलाटमैंट सम्बन्धी मामला सबजुडिस है। 1997 से स्कूल चल रही है उस स्कूल के जो 95 बच्चे हैं, आज वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वहां पर भूख हड़ताल चल रही है और वहां पर सारे सब लोग धरना दे रहे हैं। वहां पर तीस ढाणियां मेघवाल बस्ती की हैं और तीस ढाणियां दूसरे लोगों की हैं। वहां के जो बच्चे हैं वे बच्चे दर–दर भटक रहे हैं, आज वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल का मामला सबजुडिस नहीं है। जमीन अलाटमैंट नहीं हुई थी तब भी वहां स्कूल चल रही थी तो उसमें उसको दूर भेजने का क्या अर्थ है ?

श्री अध्यक्ष : आपने भूमि कुर्क के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था और वह मामला कोर्ट के सबजुडिस है।

श्री सांवर लाल(भिनाय) : नहीं, स्कूल से सम्बन्धित मामला सबजुडिस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : है, सबजुडिस है।

श्री हरिशचन्द(नावां) : मैं इस मामले में मुख्य मंत्री जी से मिला था, मुख्य मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह स्कूल स्थानान्तरित नहीं की जाएगी वहीं रहेगी। उसके बाद भी स्कूल स्थानान्तरित कर दी है, यह बड़ा अन्याय है वहां के लोगों के साथ।

श्री सांवर लाल : यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल नहीं चल रही है, बच्चे कहीं दूसरी जगह पढ़ने नहीं जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

श्री रमजान खान : जो आपको जानकारी दी गयी है वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे मिल लीजिए। आप मुझसे चैम्बर में मिल लीजिए, मैं उस जानकारी से आपको परिचित करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़(चूरू) : अध्यक्ष महोदय, विद्यालय तो 1997 से चल रहा है, विद्यालय में पढ़ाई भी हो रही थी, जो भूमि का आवंटन उस समय हुआ था उस भूमि के आवंटन का कोई मामला अदालत में लम्बित है। उसका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अर्थ, अध्यक्ष महोदय, सारे प्रकरण को ही अदालत में विचाराधीन मान लें ? मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको जो सूचना विभाग ने दी वह गलत है और आपकी बड़ी कृपा होगी अगर उन बालकों का भविष्य देखते हुए स्कूल संचालित करवा दें। आवंटन का फैसला होता रहेगा, 1997 का स्कूल बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : स्कूल पुराना बना होगा, पर बात यह है कि भूमि कुर्क करने के सम्बन्ध में आपने पूछा है वह मामला सबजुडिस है। स्कूल की अलग बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह है। विद्यालय चल रहा था, विद्यालय बंद कर दिया, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) विद्यालय को बन्द कर दिया।

श्री सांवर लाल : जब विद्यालय पहले से चल रहा था तो विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने का औचित्य क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय ? जब विद्यालय पहले से चल रहा था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय यशवन्त सिंह।

श्री हरिशचन्द : जब सरकार सोलह हजार केन्द्र नये खोल रही है तो वहां स्कूल स्थानान्तरण की आवश्यकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष : वह बात कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब हम जाएं कहां, अध्यक्ष महोदय ? इस राज में हजारी सुनवाई नहीं, संवेदनशीलता की बात करने वाले लोग सुनते नहीं। मुख्य मंत्रीजी के पास माननीय सदस्य चले गये, गांव के लोगों को लेकर चले गये...

श्री हरिशचन्द(नावां) : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि स्कूल...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपके पास आये हैं, अध्यक्ष महोदय और आपने यह कहकर कि वह मामला सबजुडिस है, हमें चुप करवा दिया।

श्री अध्यक्ष : जमीन का मैटर सबजुडिस है, मैंने यह कहा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना की बात है।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने चालीस छात्र मिलने पर एक स्कूल खोलने की घोषणा की है और यहां 97 बच्चे हैं तो भी बन्द किया जा रहा है स्कूल को।

श्री अध्यक्ष : माननीय कन्हैया लाल जी, आप हर वक्त क्या बात उठा रहे हैं ? आप क्यों बोल रहे हैं ? कोई प्रश्न स्कूल का आपने उठा दिया...

श्री कन्हैया लाल : आपकी आज्ञा का पालन होगा।

श्री यशवन्त सिंह(रामू)(नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना की बात है कि कांग्रेस ने 1993 और 1998 के अपने घोषणा-पत्र में जाटों को आरक्षण देने की बात कही

(श्री यशवन्त सिंह)

है लेकिन आज तक कांग्रेस ने इस बारे में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जबकि आरक्षण के सारे नियमों में जाट, मेव, बलाई सारे आते हैं। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति पर आरक्षण देने की बात कही गयी है, सामाजिक पिछड़ापन में जाट आते हैं। आर्यो की प्रथा है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह रचा लेती है। जाटों ने इस प्रथा को जीवित रखा इसके कारण पौराणिक युग में ब्राह्मणों ने जाटों को क्षत्रिय वर्ण से हटाकर शूद्र वर्ण में धकेल दिया। यानि कि जाटों को शूद्र कहा गया है। दूसरी बात आती है बाल विवाह की। जाटों में छह साल की विवाहित लड़कियों की संख्या है प्रति वर्ष 21 और लड़कियों की है 32 और खातियों में 14 और लड़कियों की है 26, कुम्हारों में 7 और 14 और गूजरों में 7 और 17, अहीरों में 3 और 3, इन सारी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है लेकिन जाटों को नहीं दिया गया है जबकि सबसे ज्यादा बाल विवाह की संख्या जाटों में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है, सारे पेपरों में और उसमें निकल रहा है कि जाटों में बड़ा भारी रोष व्याप्त है। 30 अप्रेल से आत्मदाह की चेतावनी दे दी है। सरकार इस बारे में कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है, कांग्रेस सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी आरक्षण दिलवाने की व्यवस्था करें।(व्यवधान)

श्री अरूण सिंह(डीग) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, लोगों में बहुत रोष है। जब यहां जनप्रतिनिधि आत्मदाह करेंगे तो क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज जो तीन चौथाई बहुमत मिला हुआ है उसके लिए जाट समुदाय के लोगों को और दूसरी जाति...

श्री अरूण सिंह : आप शीघ्र ही सरकार से जाटों को, मेवों को, विश्नोइयों को आरक्षण दिलवाइये।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, मेरे भी इस कागज पर दस्तखत हैं। जब चुनाव घोषण–पत्र में आपकी फोटो लगाकर जाटों को, मेवों को, कायमखानियों को, सिंधी, मुसलमानों को, फकीरों को, विश्नोइयों को, इन सब जातियों को आरक्षण देने की बात कही गयी थी तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : अध्यक्ष महोदय, बीनाजी तो आत्मदाह की घोषणा भी कर चुकी हैं कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। बीना काकजी ने 30 अप्रेल को आत्मदाह करने की...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। चार महीने से इस समुदाय ने रात और दिन एक करके यह बहुमत

(श्री सांवर लाल)

बनाकर सरकार बनायी है। उनके खिलाफ जगह–जगह पर मीटिंगें हो रही है, लोगों में बहुत भंयकर आक्रोश है। जहां पर भी मीटिंग होती है बीस–बीस, पच्चीस–पच्चीस हजार आदमी इकट्ठे होते हैं और एक ही मांग उनकी है कि हमारे से कमिटमैंट किया, बार बार किया दो चुनावों में 1993 और 1998 में जिस तरीके से हम लगे हैं और जिस बहुमत से सरकार आयी है, दूसरे कमिटमैंट उन्होंने पूरे कर दिये, महिला आयोग बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग बना दिया पर इन जातियों को, जाटों को, मेवों को, विश्नोइयों को आरक्षण देने के मामले में एक बहाना बनाते हैं कि पिछड़ा आयोग के पास में मामला विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार यह मामला उठ चुका है, सरकार कम से कम अपनी मंशा तो स्पष्ट करे।

श्री अध्यक्ष : आप पूर्व में भी ये सब बातें कह चुके हैं।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर हम जाएं कहां ?

श्री अध्यक्ष : आप पूर्व में इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं पूर्व में भी।

श्री सांवर लाल : आपके सामने अगर हम हमारी व्यथा नहीं सुनाएं आज चार महीने के अन्दर...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी गम्भीर है, तीस अप्रेल को रामरथ बेनीवाल आत्मदाह करने वाले हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, तीन महीने का टाइम दिया था, तीन महीने हो गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार ने जो घोषणा की है...(व्यवधान) सरकार अपनी मंशा तो स्पष्ट करे कि आखिर उनका इरादा क्या है। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : सरकार को कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सिंधी मुसलमानों को, फकीरों को आरक्षण दो।(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक आन्दोलन का रूप ले लिया जाएगा। (व्यवधान) स्थिति बड़ी भंयकर है। (व्यवधान)

श्री अरूण सिंह : आप मेहरवानी करके कोई न कोई निर्णय करवाओ। (व्यवधान) श्रेणी का नागरिक रहेगा यहां राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री सांवर लाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लालजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : चुनाव घोषण–पत्र में भी यही लिखा है, कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा–पत्र में भी...

श्री अध्यक्ष : श्री कृपलानी जी, बैठिये, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) सबको रिजर्वेशन दे दो। ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए बाकी सब को रिजर्वेशन दे दीजिए।

श्री सांवर लाल : कुछ तो मंतव्य बताएं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह(झुंझुनूं) : कृपया आप विराज जाएं, दो–दो मिनट हमारी बात तो सुन लें।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीन हो चुके हैं। रामरथ जी बेनीवाल तीस तारीख को आत्मदाह करेंगे, इस बारे में क्या वक्तव्य देना चाहती है यह सरकार ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप आसन ग्रहण कर लें एक बार।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब विराजे हैं कुछ तो...

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : और बीना जी ने भी 30 तारीख की कह दी है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह आरक्षण का विषय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके सम्मुख विचाराधीन बताया गया है।

श्री सांवर लाल : यह घोषणा–पत्र में है (व्यवधान) पिछड़ा वर्ग आयोग को जनता नहीं जानती है, सरकार को जानती है... (व्यवधान) जिस सरकार को जनता ने बनाया ... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय करो कब तक यह करेंगे। (व्यवधान) यह जाटों के भविष्य का सवाल है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और जब घोषणा पत्र में ले लिया तो इसके ऊपर अमल करना चाहिए।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वोटों का टाइम आता है... (व्यवधान) हर पार्टी जाटों से आरक्षण के नाम पर वोट ले लेती है।

श्री शिवनाथ सिंह : सरकार इसमें ध्यान दे। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : है। लेकिन जब सरकार में आ जाती है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता बहुत ही उद्वेलित है, इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। सरकार

(श्री सांवर लाल)

को जल्दी ही कोई कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमीन खान(शिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयोग में सदस्य और चेयरमैन जो हैं पहले रिजर्वेशन वाले लोग है और उनकी मंशा न्याय करने की नहीं है। जाट, सिंधी मुसलमान और ये विश्नोई राजाओं, महाराजाओं के वक्त में गुलामों की तरह जिन्दगी गुजारे, इनके हाथ काटे गये, पांव काटे गये। इनको रिजर्वेशन में सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार का जब तक इशारा नहीं होता, आयोग कुछ नही करता। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जाटों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, आप उस पर ध्यान दीजिए।

श्री सांवर लाल :..(व्यवधान) स्वीकार किया गया है कि कांग्रेस सरकार में इन जातियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। (व्यवधान) इनका रिजर्वेशन वाजिब है, सरकार की तरफ से पहल करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पहले 1993 के चुनावों में और उस के बाद 1998 के चुनावों में घोषणा–पत्र में स्पष्ट वायदा है उसे सरकार को निभाना चाहिए।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : आप अगर इस वायदे से मुरकना चाहते हैं तो आप में और बी.जे.पी. में क्या फर्क रहा ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार के द्वारा और माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा कोई चिन्ता नहीं प्रकट करना...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : इसका मतलब आपकी सरकार बी.जे.पी. से ज्यादा घटिया है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह मामला कई बार सदन में उठ चुका है, इस पर जवाब दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : घोषणा पत्र में करने का क्या अधिकार था इनको ? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : पिछड़ा वर्ग आयोग ...(व्यवधान) सरकार की मंशा को स्पष्ट किया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री जगमाल सिंह यादव(तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दे दिया, सरकार को यह जवाब आ गया कि आयोग के सामने विचाराधीन है। आप भी, अध्यक्ष महोदय, यह भलीभांति जानते हैं कि आयोग क्या करता हैं और किसके इशारे पर करता है। 1955 में काका कालेलकर की रिपार्ट होकर तैयार आ गयी, 1955 से लेकर 1990 तक क्या कार्यवाही हुई ? उसके बाद 1978 में वी.पी. मण्डल की रिपोर्ट आ गयी और मोरारजी सरकार ने और यहां तक कि कांग्रेस सरकार ने उसको दबाकर रखा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक राजनैतिक दबाव नहीं होगा। मैं यह मांग

(श्री जगमाल सिंह यादव)

करता हूं कि एकसा पेशा करने वाले व्यक्ति, चाहे कोई भी लड़ा हो, उनकी एक जैसी आर्थिक स्थिति हो, उनकी एक जैसी कल्चर हो, एक जैसा काम हो, वह चाहे जाट हो, चाहे बिश्नोई हो, चाहे मेव हो, चाहे कायमखानी हो, जब तक राजनैतिक प्रेसर नहीं पड़ेगा, इच्छा शक्ति नहीं होगी वह रिजर्वेशन जाटों को, मेवों को, विश्नोईयों को, कायमखानियों को सरकार नहीं दे पाएगी। यह आयोग के सामने तो 1955 से पड़ा था। 1955 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट फाइनल हो गयी थी, संसद में सुपुर्द कर दी गयी थी और मिला कब ? 1990 में। इसलिए मांग करता हूं कि जाटों का हक है, यह कायमखानियों का हक है...

एक माननीय सदस्य : सुमित्राजी, खड़ी हो जाइये, जाटों का सवाल है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप अपनी तरफ से अपने प्रभाव का उपयोग करें। यह दो मिनट का मुद्दा नहीं है जो अपने कह दिया कि स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया और दो मिनट माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर होगा। जब तक सरकार की राजैतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी आप चाहे यहां 20 घंटा रोज बहस करा लें। हम यह चाहते हैं कि सरकार यह बताएं कि आयोग से कब तक रिपोर्ट प्राप्त कर लेगी, कब तक इन कौमों को रिजर्वेशन दे देगी। अध्यक्ष महोदय, हमको फायदा है। मैं ओ.बी.सी. का हूं लेकिन यहां मैं दावे से कहता हूं जो रोज सदन में चर्चाएं होती हैं, कि आरक्षण का लाभ आज हमाको पांच फीसदी मिल रहा है। अगर जाट जैसी कौम, विश्नोई, मेव और कायमखानी जैसे कौमें अगर हमारे साथ राजस्थान में और खड़ी हो जायेंगी तो हमें पचास फ़ीसदी हक मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप मेव कह रहे, सिंधी मुसलमान।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज 28 का जरा सा अंश पढ़ना चाहता हूं, "कांग्रेस पार्टी अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिये जाने की प्रबल पक्षधर है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि प्रदेश में सीरवी, फीठल, आंजणा, जाट, विश्नोई, सिंधी, मुसलमान, कायमखानी, मेव, भोमिया, राजपूत आदि पिछड़ी जातियों को भी मण्डल आयोग की अन्य पिछड़ी हुई जातियों में शामिल किये जाने की लम्बे समय से चली आ रही मांग पर शीघ्र फैसला कर लिया जाएगा।" यह चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है। चार महीने सरकार को बने हो गये, सरकार कहती है कि हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं। इतनी सक्षम है, हम तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल यह जानना चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास मामला विचाराधीन है, कब तक आप इस पर निर्णय ले लेंगे ? कोई तो चीज सामने आनी चाहिए। या फिर आप भी यह चाहते हैं कि राजस्थान में ये जातियां आन्दोलन चलाएं, खून–खराबा हो, लोग हड़तालों पर, धरनों पर, अनशनों पर बैठे,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

और आत्मदाह करें तब सरकार कोई फैसला लेगी ? सरकार अपनी मंशा जाहिर करें।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मामला जैसा कि मैनिफैस्टो में पढ़ कर बताया गया...

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायणजी। वे काफी देर से खड़े हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई(फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अपका ध्यान 131 "ए" के 17 (9) के प्रोवीजो की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह आपने बिलकुल सही फरमाया कि सरकार का जवाब यह आया है कि आयोग के समक्ष यह मामला लम्बित है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, 131 "ए" के प्रोवीजो में यह दिया है कि :–

"Provided that the Speaker may, in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory authority, Commission or court of enquiry."

अध्यक्षय महोदय, यहां पर चर्चा की अगर आप परमिशन देते हैं तो कमीशन के सामने किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित होने वाली बात नहीं है। यह मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, आत्मदाह का नोटिसव आ चुका है। तमाम जातियां जिनको यह आश्वासन दिया गया था घोषणा–पत्र में, वे अब ज्यादा समय तक इन्तजार नहीं कर सकती इसलिए आप इस प्रोवीजो के अन्दर चर्चा की अनुमति देने की कृपा करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। यह आपका अधिकार है सरकार में कहना कि यह मामला आयोग के पास लम्बित है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा तो आपने कह दिया कि इसकी वजह...

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, सब अपने विचार व्यक्त कर सकें, आधे घंटे की चर्चा हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : यह आपके स्वविवेक और आपके निष्कर्षण पर है। इस मुद्दे की अहमियत को देखते हुए मैं आपको...

श्री अध्यक्ष : 131 में कालिंग अटैंशन प्रस्ताव आने के बाद की बात है यह।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी(ओसियां) : पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य वकील साहब जो पाइंट रेज कर रहे हैं वह पहले लिखित में आपको दे दें उसके बाद It has to come into the House. आप यह कोट थोड़े ही कर सकते हैं ? आप लिखित में दिलवाओ, पीछे It can come into discussion.

श्री सांवर लाल : यह जो विषय आ गया कि यह कमीशन के पास विचाराधीन है, तो

(श्री सांवर लाल)

कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं था कि मेनिफैस्टो में यह लेते। मैनिफैस्टो में लेकर लोगों के वोट ले लिये, सरकार बना दी और आज बहाना ले रहे हैं कि कमीशन के पास विचाराधीन है। कमीशन तो कभी फैसला नहीं करेगा, ये बात टालते रहेंगे।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इसमें ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जाटों के जीवन और मरण का सवाल है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : समाज के लोगों के आरक्षण का सवाल आने के ऊपर बार–बार बहानेबाजी करते हैं। लोगों में आक्रोष है, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे जगह–जगह पर आन्दोलन हो रहे हैं। कहीं खून–खराबा नहीं हो जाये, राजस्थान के इन समाजों के लोग आन्दोलित नहीं हो जाए...

एक माननीय सदस्य :...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति आत्मदाह तक की आ चुकी है, कृपया इस पर...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप कई दफा बोल चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने कमीशन के सामने अपनी रिकमण्डेशन्स क्या भेजी हैं ? सरकार का अभिमत क्या है ? सरकार की अभिशंसा क्या है ? इतनासा मालूम पड़ जाए, सरकार की मंशा सामने आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कमीशन के सामने रिकमण्डेशन नहीं भेजी है। कमीशन के सामने मामला पेंडिंग है, विचाराधीन है। यह सरकार ने जानकारी दी है। श्री अरूण सिंह, यमुना जल के बारे में बोलने चाहते है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इंफारमेशन देना चाह रही थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने दो मिनट का समय दिया है अगर आप बोलना चाहते हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसके बारे में नहीं, मैं एक इंफारमेशन देना चाह रही हूं आसन को भी और सदन को भी। आज सुबह हमें यह पुस्तक मिली है पब्लिक एंटरप्राइजेज प्रोफाइल, 1996–77, इसमें ये कहेंगे कि यह 1996–97 का प्रोफाइल है एंटरप्राइजेज का लेकिन चीफ मिनिस्टर की जगह तो नाम छपा हुआ है भैरोंसिंहजी का। यह भैरोंसिंहजी का नाम 1996–97 में छपा हुआ है तो सही है लेकिन चीफ सैक्रेटरी की जगह नाम छपा हुआ है अरूण कुमारजी का, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। 1996–97 में अरूण कुमारजी तो थे ही नहीं, चीफ सैक्रेटरी उस समय मीठालाल जी थे, यह कैसे लिख दिया नाम ? यदि आज पेश कर रहे हैं और अरूण कुमारजी आज चीफ सैक्रेटरी हैं, तो फिर चीफ मिनिस्टर की जगह नाम आना चाहिये था अशोकजी गहलोत का।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट क्या है ?

डा. करण सिंह यादव(बहरोड) : सरकार

(डा. करण सिंह यादव)
की ब्यूरोक्रेसी किसको मान रही है आज भी ? इससे स्पष्ट संकेत जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी किसको मानती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमको मान रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए यह जो गलत सूचना सदन को दी गयी है इसके बारे में मैं आपको सूचित कर रही हूं। मेरी उम्मीद है कि आप इसके बारे में कुछ व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह क्या एन्युअल स्टेटमैंट है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : एन्युअल रिपोर्ट है राजकीय उपक्रम की।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, यह एन्युअल रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : काहे की ?

श्री हरजीराम बुरड़क : ब्यूरो आफ स्टेट एंटरप्राइजेज की रिपोर्ट है। आपसे संबंधित है, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की यह रिपोर्ट है, इसमें यह कैसे हुआ, किसकी गलती है ?

श्री अध्यक्ष : राजकीय उपक्रम मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह(राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं से आने वाली सदस्य महोदया ने जो यहां दी ई जानकारी ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के बारे में, मैं इसकी 1996–97 की रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपके माध्यम से माननीय सदस्या को अवगत करा दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, सदन को। माननीय सदस्या को नहीं, सदन को।

श्री अध्यक्ष : हां, सदन को।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब यह मैटर सदन का हो गया है इसलिये सदन को आप अवगत कराएंगे। अब केवल झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को नहीं, सदन को आप आवगत कराएंगे। और जिसने यह गलती की है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? आपके स्तर पर हुई तो...

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब अध्यक्ष महोदय को अवगत कराऊंगा तो...

श्री अध्यक्ष : सदन को। सदन को।

डा. करण सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले कर सदन को अवगत करवाएं तब बात आएगी निकल कर कि किसने गलती की है। किस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी का नाम भूल गये ? पार्टी के ऊपर लांछन आता है, सरकार पर लांछन आता है, कौन अधिकारी है, किसकी गलती है ? इन गलतियों की सजा नहीं देंगे तब तक यह ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी, माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डा. साहब, 1996–97 की रिपोर्ट है और 97 मार्च...

डा. करण सिंह यादव : और फिर उसमें

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से बड़ी सादड़ी से बिलोट वाया कानोड़ निर्माणाधीन सड़क पर पुलिया का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रमजान खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुष्कर से फाईसागर तक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विलासी बांध से निकाली गयी नहरों के लिये अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(10) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली नगरपालिका क्षेत्र में पुनः व्यापक प्रचार कर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों का चयन करवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य,विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रतनाराम चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री रतनाराम चौधरी(रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पत्र उधर रह गया है तब तक दूसरे नम्बर को पुकार लिया जाए। मैं एक मिनट का समय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी ले आइये। श्री मोहन लाल मोदी।

न्यायालय, सहायक कलेक्टर व कार्यवाहक दण्डनायक की नीमकाथाना में स्थापना

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि नीमकाथाना उप खण्ड मुख्यालय पर सन् 1970 में सहायक कलेक्टर एवं कार्यवाहक दण्डनायक की न्यायालय राज्य सरकार के आदेश से स्थापित की गयी थी। लेकिन सन् 1978 में उक्त न्यायालय की कैम्प कोर्ट श्रीमाधोपुर में लगाने के आदेश दिये गये। यह न्यायालय वहां पर सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक नीमकानाथा कैम्प श्रीमाधोपुर के नाम से कार्यरत रही और आज सरकारी अभिलेख में इसी नाम से दर्ज है।

क्योंकि राज्य सरकार ने अलग रूप से सहायक कलेक्टर की न्यायालय श्रीमाधोपुर में स्थापित कर दी एवं अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी गयी है, वर्तमान में श्रीमाधोपुर में दो सहायक कलेक्टर की न्यायालय हैं। नीमकाथाना के लिये जो स्वीकृत है वह भी कैम्प कोर्ट के रूप में वहीं कार्यरत है।

नीमकाथाना के उपखण्ड अधिकारी

(श्री मोहन लाल मोदी)

अधिकतर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं और दौरे में बाहर रहते हैं, इस कारण इस न्यायालय में मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है इससे पक्षकार वर्ग को न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित कर मांग करता हूं कि सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक नीमकाथाना की न्यायालय पुनः नीमकाथाना स्थापित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की चार पंचायतों की भीनमाल तहसील में यथावत रखा जाना

श्री रतनाराम चौधरी(रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत दांतीया, पुनासा, फागुतरा और थौबाऊ जो भीनमाल तहसील, जिला जालौर में है, उनको अब तहसील बागोड़ा जिला जालौर में शामिल करने की कार्यवाही चल रही है। आम जनता एवं चारों पंचायतें बागोड़ा में सम्मिलित नहीं होना चाहती हैं क्योंकि बागोड़ा इन चारों पंचायतों से काफी दूरी पर है तथा रास्तें में तीन नदियां पड़ती हैं जिससे वर्षा के समय में आम रास्ता बन्द हो जाता है। भीनमाल इन चारों पंचायतों से नजदीक पड़ता है और कृषि मंडी भी भीनमाल में होने से इन चारों पंचायतों का सम्बन्ध भीनमाल से है। विद्युत विभाग का कामकाज भी अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता का कार्यालय भीनमाल में होने के कारण यहीं होता है। भीनमाल से व्यापारिक दृष्टि से भी हमारा सम्बन्ध है और पक्की सड़क परिवहन की सुविधा भी भीनमाल में उत्तम है। जबसे यह वातावरण शुरू हुआ

(12.45 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

है तब से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। आम पब्लिक एवं चारों पंचायतों के सरपंच एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा लिखित ज्ञापन रिपोर्ट वगैरह जिला कलेक्टर जालौर एवं राजस्थान सरकार में रेवेन्यू मंत्री श्रीमती कमलाजी को की गयी है। अतः कृपया राजस्थान सरकार से यह आश्वासन दिलाने की कृपा करें कि उपरोक्त पंचायतें तहसील बागोड़ा में नही मिलायी जाएंगी तथा यथावत भीनमाल तहसील में ही रखी जाएंगी जिससे आम जनता एवं चारों पंचायतों को राहत मिल सके। भौगोलिक दृष्टि से भी उपरोक्त चारों पंचायतें भीनमाल जिला जालौर में ही रखा जाना उपयुक्त है। उपरोक्त चारों पंचायतों का पंचायत समिति मुख्यालय भी भीनमाल ही है।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर जाने के लिए लूणी नदी पर इसी वर्ष पुलिया का निर्माण

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : सभापति

(श्री हीरासिंह चौहान)

महोदय, मैं अपना 295 का विशेष उल्लेख पढ़ने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि ना तो पहले वाले सत्र में जो विशेष उल्लेख दिये गये उसका कोई उत्तर आया है ना इस बार जो दे रहे हैं उसका आ रहा है। यह परम्परा रही है कि 3 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर इस 295 के विशेष मैंशन के उत्तर आने चाहिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इसके लिए आप अध्यक्ष महोदय से उनके चेम्बर में मिल लीजिएगा। आप अपना 295 पढ़िये।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन इसके लिए थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को थोड़ा निर्देश दें।

श्री सभापति : वह अध्यक्ष महोदय करेंगे। आप अपना पढ़िये।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं तो पढ़ रहा हूं लेकिन आप कुर्सी पर बैठे हैं आदेश देने में, निर्देश देने में आप सक्षम हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, रायपुर कस्बे की कठिनाई को सरल करने वाला मामला है।

सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील मुख्यालय रायपुर कस्बा व नेशनल हाई–वे नम्बर–14 के बीच लूणी नदी बहती है जिसकी चौड़ाई एक फर्लांग है। इस चौड़ाई में वर्षा ऋतु में नदी के दोनों तरफ पानी का बहाव 4 से 5 फुट होता है जिसके कारण रायपुर कस्बे की 10 हजार की आबादी में पहुंचने का रास्ता रुक जाता है। रायपुर कस्बे के अलावा दीयावास, लवाचा, मोहरा खुर्द, खीवज, कालब खुर्द, पचानपुरा इत्यादि के नेशनल हाई–वे के नम्बर 14 दिल्ली व जयपुर तथा अजमेर की तरफ से तथा अहमदाबाद, जालौर, सिरोही व जिला मुख्यालय पाली व सम्भाग जोधपुर की तरफ से आने–जाने वाली बसों का मार्ग भी इस नदी में बनी डामर रोड से ही है। लेकिन इस नदी पर पुलिया नहीं होने से वर्षा के दिनों में लोगों का आना–जाना रुक जाता है जिससे प्रति वर्ष आवागमन में गम्भीर समस्या उत्पन्न होती है।

गत वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने सितम्बर, 1998 में रायपुर पंचायत समिति सभा भवन के उद्‌घाटन अवसर पर सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सोजत व बर को आदेश दिया था कि इस नदी पर पुलिया निर्माण का तकमीना बनाकर मुख्यालय जयपुर भेजा जाए। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 40 लाख का तकमीना बनाकर स्वीकृति हेतु भेजा गया लेकिन इस पुलिया निर्माण की राशि स्वीकृति की जानकारी नहीं मिल रही है।

रायपुर तहसील मुख्यालय के साथ जुड़े सभी राजकीय कार्यालयों तथा किसानों व आम जनता को मुख्य बाजार रायपुर तक पहुंचने के लिये इस नदी को पार करके जाना पड़ता है। इस प्रकार जन सुविधा के लिये पुलिया निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि रायपुर लूणी नदी पर रायपुर कस्बे तक पहुंचने के लिये सड़क मार्ग

(श्री हीरासिंह चौहान)

पर पुलिया का निर्माण इसी बजट वर्ष में पूर्व घोषणा कर जनता को राहत पहुंचाने की शीघ्र व्यवस्था करें।

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, कोई नया मामला नहीं है, मामला कई वर्षों से चल रहा है।

श्री सभापति : प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरासिंह चौहान : सारे ही पुलिया बने हुए हैं, केवल यही गांव से कस्बे तक पहुंचने का रास्ता रुका हुआ है।

श्री सभापति : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति जी, मेरा अधिकार है मैं उनको कहूंगा। माननीय मंत्री जी बैठे हैं।

श्री सभापति : आपका अधिकार पढ़ने का है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर आप शीघ्र कार्यवाही करें।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरू खां जी।

फतेहपुर की सड़कों का डामरीकरण

श्री भंवरू खां(फतेहपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जिला सीकर की सड़कों के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में पूरा इलाका कच्चा है और जो सड़कें बनी हैं वे बहुत खराब हैं। रामगढ़ से ढाणी नीमा, ढाणी खर्रेटा 6 किलोमीटर, रुकनसर से ताकलसर 8 किलोमीटर, गंगापुरा बस स्टेण्ड से गंगापुर खरेंटा बाबला तक 12 किलोमीटर सम्पर्क सड़क, आसास स्टैण्ड से आसास गांव तक 6 मिलोमीटर, कल्याणपुरा से शेखीसर भोजवेसर तक 6 किलोमीटर, मण्डेला से चाचीवाद वाया कारेगा बीकमसरा तक 15 किलोमीटर, बीकमसरा से नयाबास तक 6 किलोमीटर, गांगियासर से हिरणा अलफसर तक 12 किलोमीटर, चलाना जोहड़ा से कांगनसर तक 10 किलोमीटर, फदनपुरा से गोरास तक 6 किलोमीटर, थेथलिया से बिरानिया तक 12 किलोमीटर दूरियां हैं। ये सभी सड़कें लगभग 100 किलोमीटर दूरी की हैं और इन पर पत्थर ही डाले हुए हैं, रोलर तक नहीं घुमाया गया है। इन सड़कों पर न तो कोई यातायात का साधन और न ही पैदल आदमी चल सकता है। इन सड़कों से रास्ते ही खराब हो रहे हैं।

अतः मैं श्रीमान् सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इन सड़कों का डामरीकरण करवा दिया जाए तो राज्य सरकार का पूर्व में आवंटित बजट भी काम आ जाएगा और 20–25 गांव भी सुगम यातायात से लाभांवित हो जाएंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जीतमल खांट।

माही बजाज सागर परियोजना के अधूरे कार्यों को पूर्ण करना

श्री जीतमल खांट(बागीदोरा) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि बहुउद्देशीय माही बजाज सागर परियोजना को आदिवासी अंचल में विकास की भागीरथी के रूप में वर्णित किया जाता रहा है लेकिन डेढ़ दशक से इस परियोजना के साथ भीतरघात में पूर्व सरकार के बाद कांग्रेस सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी है।

बांसवाड़ा जिले के आधे हिस्से को सरसब्ज बनाते हुए राजस्थान व गुजरात को बिजली मुहैया कराने वाली यह परियोजना आज वित्तीय संकट से जूझ रही है। सालाना बजट में 10 करोड़ रुपये की कटौती के बाद नहरों का रख–रखाव, अधूरे कार्यों को पूरा करने व नये कार्य शुरू करने के लिए अब न धन है, न वांछित स्टाफ। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा भी उक्त परियोजना के साथ ज्यादती होती रही है। पदों की कटौती के सरकारी आदेशों की आंधी इस परियोजना के 15 में से 8 डिवीजन ही उड़ा ले गई। पदों में कटौती व विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों व छोटे स्तर के चतुर्थ श्रेणी व बेलदार श्रेणी कर्मचारियों को राज्य के दूरस्थ जिलों में समायोजित करने की सरकारी कार्यवाही दो साल से लगातार जारी है। परियोजना में छोटे स्तर के कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वर्तमान सरकार ने वार्षिक योजना में कटौती कर माही परियोजना हेतु केवल 10 करोड़ रुपये आवंटित कर इतनी ही राशि कम कर दी है। स्वीकृत राशि से केवल कर्मचारियों के वेतन का चुकारा ही हो सकता है। इस परियोजना से 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है परन्तु रख–रखाव व नहरों की मरम्मत व 43 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधूरे पड़े निर्माण कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। राज्य सरकार का इस बहुउद्देशीय परियोजना के साथ ज्यादती जैसा व्यवहार देखने को मिलता है। नहरों के रख–रखाव, पुनः निर्माण एवं सुदूर आनन्दपुरी और डूंगरपुर क्षेत्र में माही की नहरों को पानी पहुंचाने की योजना के लिए नयी सरकार द्वारा आवंटित बजट ऊंट के मुंह में जीरा कहावत चरितार्थ कर रहा है। अतः निवेदन है कि इस बहुउद्देशीय परियोजना को अधिक बजट आवंटित कर जिले की जनता को राहत पहुंचाएं।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

बड़ी सादड़ी से बिलोट निर्माणाधीन सड़क पर पुलिया का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि बड़ी सादड़ी से कानोड़ होकर उदयपुर 110 किलोमीटर है। पिछले दो वर्ष से बड़ी सादड़ी विनायका होते हुए बिलोट वाया कानोड़ जाने वाली सड़क का निर्माण लाखों रुपये खर्च करके करवाया जा रहा है लेकिन इसके बीच में आने वाली पुलिया का निर्माण नहीं कराने से ग्रेवल सड़क बन जाने के बाद भी वर्षभर आवागमन के साधन संचालित नहीं हो पा रहे हैं। करोड़ों रुपये व्यय होने के बाद भी इस सुविधा से जनता वंचित है। साथ ही इस सड़क मार्ग के निर्माण से उदयपुर बड़ी सादड़ी वाया कानोड़ बिलोट विनायका के बीच 12 किलोमीटर की दूरी कम होगी जिससे लाखों रुपयों का डीजल व्यय बचाया जा सकता है।

श्री सभापति : माननीय श्री रमजान खान।

पुष्कर से फाईसागर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाना

श्री रमजान खान(पुष्कार) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि तीर्थराज पुष्कर में जाने के लिए पैदल एवं वाहनों का रास्ता पुष्कर की दुर्गम घाटी से होकर गुजरता है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रही हैं। इस समस्या के समाधान हेतु सन् 1991 में पुष्कर विकास मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया था कि घाटी से बचने के लिए पुष्कर से फाईसागर अजमेर वाया खरेकड़ी बाईपास सड़क का निर्माण किया जाए। इस प्रस्ताव के अनुसार इस बाईपास की सड़क बनाने की 1995 में स्वीकृति दी गई। इस सड़क को दो विभागों के माध्यम से बनाने का निर्णय लिया गया। प्रथम भाग फाईसागर अजमेर से खरेकड़ी गांव तक की सड़क का 7 किलोमीटर कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर द्वारा निर्माण कराया जाएगा तथा भाग–द्वितीय खरेकड़ी से पुष्कर तक 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि द्वितीय भाग जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया था उसका 1997 में ही निर्माण करवा दिया गया है परन्तु प्रथम भाग जिसे कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर से बनवाना था, उस पर अभी तक 22.48 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं परन्तु इतनी राशि खर्च करने के बाद भी एक इंच डामरीकरण सड़क पर नहीं करवाया गया है और न ही इस भाग में ग्रेवल सड़क ही बनवाई है।

दिनांक 11.8.98 को इस सड़क को पूर्ण करवाने हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, द्वितीय के माध्यम से 68.50 लाख रुपये का संशोधित प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति लेने हेतु निदेशालय, कृषि विपणन बोर्ड को भेजा गया है, जहां पर उसकी अभी स्वीकृति नहीं होने के कारण यह सड़क अपूर्ण पड़ी हुई है

(श्री रमजान खान)

जिसमें पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, द्वितीय भाग जिसे पी.डब्ल्यू.डी. ने पूर्ण करवा दिया है, वह भी बेकार पड़ा हुआ किसी भी उपयोग में नहीं आ रहा है।

मेरा अनुरोध है कि निदेशालय कृषि विपणन बोर्ड में लम्बित पड़े प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति तत्काल जारी करवाने का कष्ट करें ताकि यह सड़क तीर्थ यात्रियों के उपयोग में आ सके।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल जी सहरिया।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में विलासी बांध की नहरों हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

श्री हीरालाल सहरिया(किशनगंज) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज, जिला बारां के विलासी बांध से जिन काश्तकारों के खेतों से होकर नहर निकाली गई है तथा धोरे (वाटर कोर्स) निकाले गए हैं, उनका राज्य सरकार द्वारा अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके लिए किसान कोटा में आयुक्त महोदय और जयपुर में चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग के यहां कई चक्कर लगा चुके हैं। किसानों की कृषि भूमि जो खुर्द–बुर्द हो गई है, उसका अभी तक मुआवजा नहीं मिलने से उनमें काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि बारां जिले के किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान करवाने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली नगरपालिका क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों का चयन

श्री ज्ञानचन्द पारख(पाली) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि पाली नगर परिषद क्षेत्र में सरकार द्वारा परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग एवं नगर परिषद के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे परिवारों का चयनित कर सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की गई। पाली शहर की आबादी करीब 1100 परिवार ही है जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है।

जिस समय इन परिवारों का सर्वे कराया गया एवं वार्डों में शिविर लगाए गए उस समय अधिकांश गरीब परिवारों को इसकी जानकारी न होने व परिवारों के मुखियाओं के मजदूरी पर चले जाने के कारण उनका नाम चयनित परिवार सूची में नहीं जुड़ पाया जिससे वे परिवार सरकार द्वारा इनके उत्थान के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लाभ से वंचित रह गए।

अतः निवेदन है कि सरकार पाली नगर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

परिषद् क्षेत्र में पुनः व्यापक प्रचार कर गहन सर्वे करवाए ताकि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होने के बावजूद चयनित परिवार सूची में आने से वंचित रह गए हैं उनके नाम इस सूची में जुड़ सकें और वे भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ से लाभांवित हो सके।

(13.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की गम्भीर समस्या

श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधान सभा में व्याप्त पानी की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में पिछले दिनों पीने के पानी की गम्भीर समस्या की वजह से त्राहि—त्राहि मची हुई है। यदि शीघ्र ही समाधान नहीं किया गया तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मान्यवर, निम्बाहेड़ा शहर की 1991 की जनसंख्या 41,921 है और वर्तमान में 50 हजार से ऊपर जनसंख्या है। मापदण्ड के अनुसार 50 लाख लीटर पानी प्रतिदिन सप्लाई होना चाहिए जबकि वर्तमान में सिर्फ 18 लाख लीटर पानी प्रतिदिन सप्लाई हो रहा है व मई, जून तक 12-15 लाख लीटर सप्लाई रह जाएगी। उसी तरह छोटी सादड़ी में 1991 में 14,621 जनसंख्या थी वर्तमान में 17 हजार से अधिक जनसंख्या है। मापदण्ड के अनुसार 17 लाख लीटर पानी सप्लाई प्रतिदिन होना चाहिए जबकि 2 लाख लीटर पानी सप्लाई हो रहा है।

मान्यवर निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी के ग्रामीण इलाकों में भी पानी की विकट स्थिति है। निम्बाहेड़ा में 170 व छोटी सादड़ी में 151 राजस्व गांव हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें पानी सप्लाई होता है। निम्बाहेड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में 836 हैण्डपम्प में से 360 सूख गये हैं तथा 170 आंशिक रूप से चालू हैं, जो कभी भी सूख सकते है तथा छोटी सादड़ी में 638 हैण्डपम्प में से 124 सूखे तथा 145 आशिंक चालू हैं, बाकी हैण्डपम्प नाकारा हैं। गांवों में 2—3 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं। निम्बाहेड़ा में कनेरा, कोचवा, बढ़ाबली, सांपलिया, साकरिया, टीलाखेड़ा,शाहबाद, चरलिया तथा छोटी सादड़ी, करजू, गोमाना, खेड़ा केसुन्दा, चाण्डोली, केसुन्दा, स्वरूपगंज, गायरिवास, चौहानखेड़ा आदि सैकड़ों गांवों में पानी की भीषण समस्या है, त्राहि—त्राहि मची हुई है, उनमें सरकार व्यवस्था कराएं।

महोदय, गावों में अपना गांव अपना काम में पेयजल में स्वीकृत अधिकतर योजनाएं कहीं मोटर के अभाव में, कहीं पाइप लाइन तो कहीं बिजली कनेक्शन के अभाव में बंद पड़ी हैं। उसमें भी राज्य सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। 1500 से कम आबादी के गांवों

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

में भी पेयजल योजनाएं जो किसी भी स्कीम में बनी हैं उन्हें जनता जल योजना का लाभ देना चाहिए।

मान्यवर, निम्बाहेड़ा शहर में विभाग द्वारा प्रस्तावित कंटिंजेंसी प्लान जो करीब 16 लाख रुपये का है को शीघ्र स्वीकृत कराएं। गम्भीरी बांध या चम्पामाता से निम्बाहेड़ा शहर को पानी की योजना स्वीकृत कर स्थायी समाधान कराया जाए। छोटी सादड़ी में वर्तमान में नये ट्यूबवैल लगाकर तथा नगरपालिका को, जो वर्तमान में टैंकर से पानी सप्लाई कर रही है, अतिरिक्त राशि की व्यवस्था कराएं ताकि गर्मियों में पानी की समस्या का समाधान हो सके। बाड़ी बांध से छोटी सादड़ी को पानी सप्लाई कर दिया गया है किन्तु पानी नहीं के बराबर पहुंच रहा है, उसकी भी व्यवस्था सही की जाएं

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करवाएं ताकि निम्बाहेड़ा व छोटी सादड़ी विधान सभा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के इलाकों में राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मेरे यहां बहुत ज्यादा गम्भीर स्थिति है। मैं 295 तो मजबूरी में पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर इसका शीघ्र समाधान नहीं किया तो कानून–व्यवस्था की स्थिति गम्भीर हो जाएगी।

श्री सभापति : पढ़ा हुआ ही माना जाएगा, इससे अधिक नहीं शून्यकाल में बोलने के संबंध में। माननीय श्री मदन लाल दिलावर।

श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना) : ये लाल कैसे हो गये ? मदन दिलावर से मदन लाल कैसे हो गए ?

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री मदन दिलावर(अटरू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय ने 3 मार्च को एक पत्र लिखा है लोक अभियोजक को कि जो बलात्कार के आरोपी हैं उनके ऊपर से कैस वापस लेने चाहिए। ऐसी राय मांगी गई है। माननीय सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कितना गम्भीर अपराधी, जिसकी इन्होंने नामजद रिपोर्ट मांगी है, के. के. सिंह, जिसके ऊपर बलात्कार के कई आरोप हैं।

अब मैं विशिष्ट लोक अभियोजक ने जो पत्र लिखा है उसको थोड़ा–सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं :–

"प्रकरण संख्या 85/98 सरकार बनाम के. के. न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (सती निवारण) जयपुर को न्यायालय के वापस लेने के संबंध में। संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक पं. 19/7/गृह 10/99 दिनांक 3 मार्च, 1999। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सरकार बनाम के. के. सिंह केस नं. 107/96 अन्तर्गत धारा 456, 376/511 आई.पी.सी. विशिष्ट न्यायालय (सती निवारण) जयपुर में विचाराधीन है। इस मुकदमे में महत्वपूर्ण साक्ष्य

(श्री मदन दिलावर)

हो चुकी है जिनमें से कुछ गवाहों से मुल्जिम वकील को जिरह करना शेष है एवं इसके बाद अनुसंधानकर्ता के बयान होने हैं।

उपरोक्त मुकदमा ठोस तथ्यों पर आधारित है एवं कंविक्शन के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। उपरोक्त मुल्जिम के. के. सिंह आदतन अपराधी है तथा इसी प्रकार का एक मुकदमा इसी न्यायालय में थाना झोटवाड़ा का और भी विचाराधीन है जो कि उपरोक्त मुकदमे जैसा ही है। वह धारा 292, 354, 366, 376/511, 383, 506,456 आई.पी.सी. के अन्तर्गत, मैं उस महिला का नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा जो लिखा है, निवासी झोटवाड़ा, जयपुर उम्र 28 वर्ष ने दिनांक 2.3.95 को झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

दोनों पत्रावलियों को देखने से लगता है कि उपरोक्त मुकदमे के अतिरिक्ति के. के. सिंह के विरुद्ध एक प्रथम सूचना धारा 354 आई.पी.सी. की धारा 1984–85 में भी दर्ज हुई थी। इसके अतिरिक्त अखबारों में भी इस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे तथ्य पढ़ने को मिले हैं जिससे ऐसा लगता है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अन्य प्रथम सूचना एवं प्रकरण थानों एवं न्यायालयों में लम्बित हैं। इसमें से कुछ की प्रथम इत्तिला संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ने भी अशोक नगर थाने में के. के. सिंह के विरुद्ध धारा 420 467, 471 का मुकदमा दिनांक 9.9.96 को दर्ज करवाया था जो कि अभी न्यायालय में ही विचाराधीन है। साथ ही मोहल्ले में लड़ाई, झगड़े बन्दूक चलाने इत्यादि के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जो कि धारा 323, 451, 504 (नरपत चौधरी ने झोटवाड़ा में दर्ज करवाया, दिनांक 14.8.96) आई.पी.सी. दिनांक 19.8.98 को बिरदी चन्द नामक प्रेमनगर, झोटवाड़ा के निवासी ने थाना झोटवाड़ा में के. के. सिंह के विरुद्ध धारा 323, 452, 307 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके अतिरिक्त कई मुकदमे इस व्यक्ति के विरुद्ध है।

माननीय सभापति महोदय, अब आगे आप टिप्पणी सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे।... समस्त पर मेरी विनम्र विनती है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पढ़ रहे हैं। इस शून्यकाल में आपको बोलने का अधिकार है, कोई इतना लम्बा–चौड़ा पढ़ने का अधिकार नहीं है।

श्री मदन दिलावर : हां, अब मैं नहीं पढ़ता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राय यह दी है कि इस प्रकार के गम्भीर आरोपी से सरकार का क्या लेना–देना है। उन्होंने कहा कि सरकार का इस प्रकार के आदतन अपराधी से संबंध कैसे हो गया है। यह मेरा भी आरोप है। माननीय सभापति महोदय, जो बलात्कार के केसेज में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर कई गम्भीर बलात्कारों के मुकदमे चले रहे हैं, गृह

(श्री मदन दिलावर)

मंत्री जी, गृह मंत्रालय से इस प्रकार का पत्र वहां जाता है और सम्माननीय सदन के मंत्री इस केस को वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय को लिखते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के व्यक्ति के जाल में यह सरकार फंस गई है और यह सरकार फंस कर ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देना चाहती है। आपको ध्यान होगा, माननीय सभापति महोदय, सैकड़ों केसेज बलात्कार के, महिलाओं पर अत्याचार के होते जा रहे हैं और इससे लगता है कि सारे के सारे केसों में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें सरकार उनको बचाना चाहती है। इस गम्भीर आरोपी को बचाने से सीधा–सीधा साबित हो रहा है कि यह बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, मेरा यह आरोप है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, जो कुछ मामला इन्होंने रखा है वह गम्भीर किस्म का मामला है। इस प्रकार के अपराधी को बचाने के लिए गृह मंत्रालय अपनी अनुशंसा भेजे कि इसके केस को विथड्रा करने के लिए आप इस फाइल को बनाकर भेजो, मैं समझता हूं इससे तो इस सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। अगर इस प्रकार के अपराधी बचा लिए गए तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी और फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे कहने के लिए और बोलने के लिए। मैं सोचता हूं सरकार को बहुत गम्भीरतापूर्वक इस बात को लेना चाहिए जिसने भी अभी ऐसे अपराधी को बचाने का पत्र लिखकर केस विथड्रा करने के लिए कहा है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए। मैं सत्तारूढ़ दल से विनम्र निवेदन, प्रार्थना करता हूं, अगर यह मैसेज चला गया कि ऐसे भयंकर अपराधी को बचाने के लिए यह पार्टी आती है तो फिर कानून व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री रामगोपाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ज्ञानचन्द पारख। माननीय श्री जीतमल।

श्री ज्ञानचन्द पारख(पाली) : मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा के जो गांव हैं वहां पेयजल का भारी संकट उत्पन्न हो गया है और हालात, यहां तक बन गए हैं कि दो गांव वालों ने नहरों को तोड़ डाला है और जबरन पानी ले लिया है। कई गांव वालों ने धमकी दी है कि यदि पानी नहीं पहुंचाया तो इन नहरों को तोड़ देंगे, पानी ले लेंगे। मैंने माननीय मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन किया था कि यह बहुत गम्भीर समस्या है और आने वाली इन गर्मियों में यदि आपने उचित कार्यवाही नहीं की, अतिरिक्ति संसाधन नहीं दिए और जो योजनाएं स्वीकृति की हैं राज्य सरकार द्वारा उन्होंने तत्काल लागू नहीं किया

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गया तो ये दो महीने पाली क्षेत्र के लिए बहुत घातक होंगे। वहां निरन्तर पशु मर रहे हैं पानी की कमी से और लोगों को भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, पाली भी पधारे थे मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी, यह समस्या ऐसी है मैं चाहूंगा कि आप तत्काल कुछ करें और मुझे भी कुछ बताएं कि मैं यह कहने जा रहा हूं ताकि मैं वहां के लोगों को यह बता सकूं कि सरकार इस मामले में गम्भीर है और शीघ्र ही पानी पहुंचा देगी।

(13.12 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पानी की समस्या के बारे में बता रहा था। माननीय मंत्री जी यहां विराजे हैं उनको पूरी जानकारी है, मेरे पड़ौसी भी हैं, पड़ौस के क्षेत्र के हैं, उनको पूरी जानकारी है, ये कुछ कहना भी चाहते हैं। मुझे विधान सभा में आपने आश्वासन दिया था कि पानी की कमी नहीं आएगी लेकिन लगातार कमी बनी हुई है और वह ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। काफी योजनाएं स्वीकृत हैं लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगर योजनाएं तत्काल लागू कर दी जाएं तो काफी राहत मिल सकती है माननीय मंत्री महोदय कुछ तो बोलें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं आप इन्हें अनुमति दें।

श्री रामसिंह विश्नोई(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचायत समिति रोहट के गांवों में पानी के संकट के बारे में जो बात कही है, मैंने खुद ने आपके साथ काफी गांवों का दौरा भी किया था और आपको यह भी मालूम है कि जवांई बांध के अंदर पानी कम है इसलिए अल्टरनेट डेज के अंदर पाली के रोहट के गांव जो उससे जुड़े हुए हैं उनमें पानी देने की व्यवस्था की हुई है जहां पर पानी उपलब्ध हो सकता है वहां टयूबवैल बनाने का भी मैंने आदेश दिया है। आप ऐसे कुछ गांवों को जहां पर पानी की किल्लत है, मुझे बताएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन गांवों में सुचारू रूप से व्यवस्था कर दी जाएगी। वहां व्यवस्था नहीं हो सकेगी तो पानी के टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख : इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बात आपने कही है कि एकांतरा पानी पहुंच रहा है, मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि आपके अधिकारी आपको गलत बता रहे हैं, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, सात से दस दिनों में एक बार पानी पहुंचता है। कई गांवों में ऐसा पानी पहुंचाया जा रहा है जो पीने के योग्य नहीं है, उससे बीमारी फैल रही है। आप अधिकारियों के भरोसे ज्यादा नहीं रहे। आप खुद या जो ये आपके कार्यकर्ता हैं या जो जनप्रतिनिध हैं,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चाहे मैं या और भी, उनसे सही बात का पता लगाएं कि वाकई में पानी कितने दिनों में पहुंच रहा है और ऐसी नौबत क्यों आई कि लोगों ने नहर को तोड़ दिया। दो जगह नहरें तोड़ी जा चुकी हैं इन तीन दिनों में, और कई गांव वालों ने धमकी दी है कि अगर पानी नहीं पहुंचा तो नहरें तोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की बहुत ही विकट समस्या है। पीने को पानी नहीं है, लोगों की आंखों में पानी आ रहा है वहां पर, हालत यहां तक हो गई है कि सरकार को भी शर्मिन्दा होना पड़ेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं कि रोहट के गांवों के अंदर पानी की भारी किल्लत है, किसी भी गांव के अंदर अण्डर ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध है ही नहीं, रोहट के कुछ गांवों के अंदर पानी के जो टैंकर हैं, हौदें हैं वहां पानी भरकर पूरे गावं के अंदर या जो उससे संबंधित हैं वहां पानी सप्लाई किया जा रहा है। आपको मैंने कह दिया, पानी की कमी के कारण एकांतरा पानी देने की व्यवस्था की हुई है। अब चूंकि बीच में कोई तोड़ देते हैं, ऐसे कई गांवों की बात आप मुझे बताएंगे तो मैंने आपको कह दिया है कि मैं उस गांव की स्पेशल व्यवस्था करने के लिए मेरे अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा। और जहां हम पानी नहीं पहुंचा सकते हैं वहां पर टैंकरों के द्वारा पानी की व्यवस्था करने का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : एक सुझाव और है, आप कुछ और टैंकर क़िराये पर ले लें गर्मी तक दो महीनों के लिए। अभी आपके पास मात्र 6 टैंकर हैं जिससे रोहट के गांव में पानी सप्लाई हो रहा है। दो महीने के लिए टैंकर किराये पर ले लें, जहां से शिकायत आये उनको निर्देश दें कि शिकायत आते ही टैंकर रवाना कर दें। बहुत मामूली काम है, बड़ा काम भी नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय, यह रोहट आपके विधान सभा क्षेत्र लूणी से जुड़ा हुआ है, आप भली भांति इस समस्या को जानते हैं, कोई परमानेंट इलाज कीजिए। प्रति वर्ष यहां लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन पानी की समस्या पिछले 50 सालों में हल नहीं हुई है। कोई इस प्रकार का सोच ढूढ कर इसको हल करने की कोशिश कीजिए, आपसे आशा करते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, पक्का इंतजाम तो कर दिया परमानेंट। हमारे लिए दो महीने का मामला है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पक्का इंतजाम तो माननीय सदस्य को मालूम है, मैंने प्रयास कर दिए हैं और मेरे ख्याल से 5–6 महीने के बाद पक्की व्यवस्था हो जाएगी। जवांई बांध से लगकर रोहट तक पाइप लाइन से पानी की योजना बनाई जा चुकी है उसमें

(श्री रामसिंह विश्नोई)

टाइम लगेगा, लेकिन ये जो दो महीने हैं जिनके लिए बात चल रही है उसके लिए मैंने कहा कि पानी की उस बांध के अन्दर कमी है, अगर पूरा पानी एक साथ दे दिया जाए तो जून का महीना वैसे ही निकल जाएगा। इसलिए इसकी व्यवस्था इस तरह की गई है ताकि गर्मी तक पूरे समय लोगों को पानी मिलता रहे, अब इसमें कोई कमी है, अड़चन है, पानी नहीं पहुंच रहा है या आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो वहां पर टैंकर की व्यवस्था करके पानी की व्यवस्था कर देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय मंत्री महोदय, एक निवेदन और है। पिछली बार भी आग्रह किया था कि पाली से जैतपुर वाया रूपावास जलप्रदाय योजना जो आपके विचाराधीन है, जहां तक मेरी जानकारी है उसकी कमेटी की बैठक कल और आज थी, इसमें इस योजना के बारे में स्वीकृति हेतु चर्चा की जाएगी। आपको भी इस पूरी व्यवस्था की जानकारी है, वह लगभग स्वीकृति के स्तर पर है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आज मीटिंग है यह मंजूर हो जाएगा और काम कल शुरू हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार करने से पहले पर्ची पद्धति से विचार बोलने का...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा बाद में बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : आपकी स्वीकृति बाद में आयी है, आपसे पहले चार बोलने वाले थे। उसमें से दो उपस्थित थे, दो अनुपस्थित थे, आज भी अगर आप आयेंगे तो बहुत से लोग हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : बेगूं वाले मामले में आपने कहा था बाद में बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम नहीं था कि आपकी पर्ची कब आयी। पर्ची देते समय यहां प्रस्तुत होती है उसी आदमी को रखता हूं आपने पर्ची का कह दिया लेकिन यह नहीं बताया कि पर्ची कब दी। आपसे पहले कई जनों ने पर्ची दी हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सबसे पहले मैंने दी है।

श्री अध्यक्ष : दी क्या है, टाइम लिखा हुआ होता है उसमें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मसला है। बेगूं में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गयी है। उसको बहला–फुसलाकर ले गये, ले जाकर उसके साथ बलात्कार करके उसको जला दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे बेगूं में इस पर दहशत का वातावरण बना हुआ है...

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्ची आ गयी है, आपको समय मिलेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कब, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्ची कौनसे नम्बर पर है ?

श्री अमराराम(धोद) : अध्यक्ष महोदय, आज जो पर्ची दी है, आज नहीं देंगे तो कल उन पर...

श्री अध्यक्ष : कल का मैं नहीं कह सकता। आज जिन्होंने पर्ची दी है वे आज नहीं बोल पाते हैं तो उसी आर्डर में रखता हूं कि पर्ची पहले किसकी आयी। कल चाहे कोई भी पर्ची आये लेकिन आज पर्चियां ज्यादा आयी हुई हैं इनको पहले अवसर दिया जाएगा।

श्री अमराराम(धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो पर्ची है उसमें मेरा आर्डर चौथा ही था।

श्री अध्यक्ष : आपका तो है लेकिन कल वाले जो पर्ची पर बोल नहीं सके थे उन चार आदमियों को बोलने की मैंने अनुमति दी है। उनमें से दो उपस्थित थे और दो उपस्थित नहीं थे। कल उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कि आपकी पर्ची कहां पर है।

प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिनके नाम विभिन्न दलों के माननीय सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती प्रस्ताव में व्यवस्था कुछ समय से चल रही है इसमें कोई ऐतराज वाली बात नहीं है लेकिन जो कटौती प्रस्ताव नहीं बोलते हुए भी हमने दिये हैं उनके जवाब हमको हमेशा मिलते रहे हैं और आज की व्यवस्था में भी ऐसा नहीं है कि कोई कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे लेकिन वापस विदड्रा नहीं हुए उन कटौती प्रस्तावों का जवाब हमको विभाग जरूर दे, यह व्यवस्था रहे। हमेशा ऐसा कभी नहीं होता था कि जो नहीं बोलते हैं उनके कटौती प्रस्ताव खतम नहीं हो जाते हैं। नहीं तो फिर कटौती प्रस्ताव दिया तो हम उस पर बोलेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला(शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव आये हैं उनके जवाब भिजवा दिये जाएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जवाब भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष : जो भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं, अगर वे माननीय सदस्य बोलेंगे तो मंत्रीजी उत्तर देंगे और सब का उत्तर नहीं दे सकते हैं उनका लिखित उत्तर भेज दिया जाएगा। जो नहीं बोलेंगे उनका भी लिखित उत्तर भेजा जाएगा।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। **श्री बुलाकीदास** कल्ला, शिक्षा मंत्री अनुदान की मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री बुलाकीदास कल्ला(शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29 अरब 73 करोड़ 22 लाख 10 हजार तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती बीना काक, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री अनुदान की मांग संख्या 47–पर्यटन विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

मांग संख्या-47 पर्यटन की प्रस्तुति

श्रीमती बीना काक(राज्य मंत्री,पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22 करोड़ 86 लाख 27 हजार तक राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कटौती

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों के जरिये अपने विचार रखेंगे, चर्चा करेंगे। श्री शिवनाथ सिंह।

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री अमीन खान(शिव)

1. सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जैसलमेर में अध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर)

2. पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर के प्राथमिक विद्यालय, सीरमा, रामगढ़ तेडोनान, कालबखुर्द, बड़ीपोल, सोडपुरा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. बालिका माध्यमिक विद्यालय, रायपुर (पाली) को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. तहसील मुख्यालय रायपुर में संस्कृत विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुर (पाली) के भवन मरम्मत हेतु बजट आवंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. पाली जिले के माध्यमिक विद्यालय, गिरी, बीजागुड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर(गंगानगर)

7. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. श्री गंगानगर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. श्री गंगानगर जिले में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर में भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों सहित एम.एससी. की कक्षाएं प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह कस्वां(सादुलपुर)

12. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू के माध्यमिक विद्यालय नूहन्द की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू के

श्री रामसिंह कस्वां(सादुलपुर)

प्राथमिक विद्यालय उदावास, रघ्राऊटीया, रखूड़ी, टिमाऊबड़ी, बासकिरसान को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुरा, जिला चूरू राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सांखू कालरी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू के माध्यमिक विद्यालय कालरी के चार कमरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. पंचायत समिति राजगढ़ जिला चूरू के उच्च प्राथमिक विद्यालय कान्दराण, लम्बोरबड़ी, रामलराताल, देजवा, गान्डूवास, खेरनबड़ी, महलाना, उतराढ़ा लसेड़ी व राजगढ़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई)

17. कला एवं संस्कृति की योजना जन कल्याणकारी एवं जन सहभागिता से बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. वर्तमान में शिक्षा सत्र को नियमित करने एवं शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

19. गत वर्ष नव क्रमोन्नत स्कूलों में सम्पूर्ण स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

20. शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. कला एवं संस्कृति को अक्षुण्य रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. झुंझुनूं जिले के ग्राम बुड़ानिया एवं उदावास में सैकण्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. झुंझुनूं जिले में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम(धोद)

24. ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त रहने एवं स्थाई शिक्षकों के पदस्थापन नहीं होने के उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. उच्च प्राथमिक शिक्षा को पंचायती राज को देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. मूण्डवाडा, धोद बालि का, लोसन बालि का माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. धोद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किरडोली, बाजोर, जाचास, भढाढर के प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत

मांग संख्या-47 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री भीमसेन चौधरी(लूणकरणसर)

1. बीकानेर जिले के पर्यटन स्थलों का विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर)

2. पीपलेश्वर महादेव मंदिर कालबकलां तहसील रायपुर जिला पाली को उपखण्ड अधिकारी जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. पाली जिले के कानूजा ग्राम पंचायत क्षेत्र के प्रसिद्ध भैरूनाथ स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. रामदेव बाबा प्राचीनतम धार्मिक मंदिर को जनभावनानुसार पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. अजमेर जिले में ब्यावर उप खण्ड के ग्राम पंचायत क्षेत्र नादूकला व काबरा बीच स्थित उदयगढ़ घूणी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. पाली जिले की रणस्थली गिरी शेरशाह सूरी के युद्धोपरान्त बलिदान स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर(गंगानगर)

7. श्री गंगानगर शहर में पर्यटन केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह(झुंझुनूं)

8. लोहार्गल (जिला झुंझुनू) जैसे पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. झुंझुनूं जिले के पर्यटन स्थलों के पुनरूद्धार एवं रख–रखाव पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम(धोद)

10. धोद विधान सभा क्षेत्र के हर्ष पर्वत पर्यटक स्थल के विकास कार्यों में बरती जा रही शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव(मण्डावर)

11. अलवर में पर्यटन विकास की अनदेखी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह(उनियारा)

12. राज्य में पर्यटन की विपुल सम्पदा का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री केसाराम चौधरी)

(पाली) को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. राजकीय प्राथमिक पाठशाला आगदोष (पाली) को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. राजकीय बाढ़डी प्राथमिक विद्यालय मारवार जंक्शन (पाली) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वणदार तहसील देसूरी जिला–पाली को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राजकीय प्राथमिक विद्यालय नोदावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला–पाली के भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह(कुशलगढ़)

93. कुशलगढ़ क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ लमोदिया को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के छोटी सरवा के उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. कुशलगढ़ क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

96. कुशलगढ़ क्षेत्र के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा)

97. राजस्थान विश्वविद्यालय के गिरते हुए शैक्षणिक स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा(रामगढ़)

98. प्राथमिक विद्यालय मंगलेशपुर, रामगढ़ (अलवर) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सैकण्डरी स्कूल बाम्बोली तहसील रामगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. उच्च प्राथमिक विद्यालय धनेदा तहसील रामगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्राथमिक विद्यालय बान्धोली तहसील रामगढ़(अलवर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. उच्च प्राथमिक विद्यालय पाटा तहसील रामगढ़ (अलवर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री यशवन्त सिंह(रामू))

74. भई (नदबई भरतपुर) के उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. मदीरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. भरतपुर के नदबई वजारा में प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर)

77. ग्राम उड़की, दल्ला के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. राजकीय माध्यमिक बिद्यालय गुलपाड़ा को उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मूण्डिया को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. ग्राम रायपुर के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. राजकीय माध्यमिक विद्यालय पापड़ा को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिशचन्द(नावां)

82. राजकीय सुरजी देवी काबरा बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय कुचामनसिटी में जीव विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. राजकीय माध्यमिक विद्यालय पांचवा व श्यामगढ़ को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. राजकीय प्राथमिक विद्यालय उत्तरी खारिया, प्रेमपुरा, नावां (वार्ड 13 में स्थित है) व गांधी ग्राम (घाटवा) को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पांचोता को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भांवता तहसील नावां को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा(सिरोही)

87. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी(खारची)

88. राजकीय माध्यमिक पाठशाला जोजावर

(श्री अमराराम)

58. प्राथमिक विद्यालय ढाणा वाग लोप, पंचायत समिति बालोतरा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, असाडा पंचायत समिति बालोतरा को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गिड़ा (उप. तहसील) पंचायत समिति बायतु को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, झुण्ड पंचायत समिति बायतु को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह(नसीराबाद)

62. अजमेर जिले में गत पांच वर्ष से कार्यरत शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं हेतु, एक फर्म विशेष से कागज क्रय करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में उप कुलपति द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. अजमेर जिले में शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण के मामलों में की गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. नसीराबाद राजकीय कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला बृजलाल(सपोटरा)

67. सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र की सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. के.सी. चौधरी(ब्यावर)

69. ब्यावर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में विधि की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. किशनगढ़ स्कूल आफ आर्ट्स को अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालयों की मरम्मत एवं चारदिवारी निर्माण हेतु बजट आवंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह(रामू)(नदबई)

72. नदबई कस्बे में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. लालचाह नदबई भरतपुर में विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दिग्विजय सिंह)

13. राज्य में पर्यटन विभाग के स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. राज्य के पर्यटन निगम का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा)

15. राज्य के पर्यटन व कला मेलों के आयोजनों पर हो रहे भ्रष्टाचार–अपव्यय तथा प्रशासनिक स्तर पर आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. पर्यटन विकास के नाम पर पुराने गढ़ो, किलो, हवेलियों आदि के मालिकों को दी जा रही भारी आर्थिक मदद व सहूलियतों की उपयोगिता के संबंध में चर्चा के लिये।

17. राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कार्य–कलापों पर चर्चा के लिये।

18. पर्यटन विकास के नाम पर हो रहे अपव्यय तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. झुंझुनूं जिले में लोहागर्ल – शाकम्भरी किरोड़ी–मंशादेवी आदि पर्यटन स्थलों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह(नसीराबाद)

20. पर्यटन विकास निगम में ग्रामीण क्षेत्रों को महत्व दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. अजमेर व पुष्कर को उसकी ऐतिहासिक व पर्यटनीय महत्व के अनुरूप विकास हेतु आवश्यक धन राशि आवंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. राजस्थान में पर्यटकों को गाइड व दुकानदारों द्वारा मिलकर शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. पर्यटन विभाग द्वारा अजमेर को राजस्थान के पर्यटन मानचित्र में उचित स्थान दिलाने में विफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. यात्रिकाओं के निर्माण की अनुपयुक्तता व उन पर किये जा रहे व्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. के.सी. चौधरी(ब्यावर)

25. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में टाटगढ़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर)

26. कस्बा नगर में पर्यटन केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता-पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा(सिरोही)

27. माउन्ट आबू में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी(खारची)

28. आचार्य भिक्षुस्थल सिरोचारी को पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. वायड का भैरू बोरीमाद तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली पर्यटन स्थल घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जाडण तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली में मिडवे होटल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह(कुशलगढ़)

31. बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुदरी व वेणेश्वर धाम को पर्यटन स्थल विकसित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

32. भावगढ़ क्षेत्र धाम जिला बांसवाड़ा पर्यटन स्थल को विकसित करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

33. बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में पर्यटन स्थलों का सर्वे कराकर उन्हें विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं)

34. पर्यटन विकास निगम के होटलों में वेस्टेज के नाम पर खाद्य व पेय पदार्थों का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. पर्यटन विकास निगम द्वारा अजमेर में ट्यूरिस्ट बंगले में कमरों के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों को किये गये गलत भुगतान की राशि वसूल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विदेशी पर्यटकों को फर्जी गाइडों एवं लपकों द्वारा ठगे जाने व उनके साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के मामलों में प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. पर्यटन विभाग में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में भेदभाव बरतने व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

38. पर्यटन विभाग द्वारा विज्ञापन देने के मामलों में मनमानी व भेदभाव बरतने व राशि का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास(मालपुरा)

39. राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के बढ़ते हुए घाटे पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा(रामगढ़)

40. रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अलवर) में विभिन्न स्थानों को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. मंशा माता मंदिर ग्राम पंचायत पाटा तहसील रामगढ़ (अलवर) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल(जैतारण)

42. मीरा की जन्मस्थली ग्राम बुड़की तहसील जेसारण पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 एवं 47 पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज मांग संख्या 24 और 47 जो विचारार्थ प्रस्तुत है, मैं आपकी आज्ञा से दोनों ही मांगों पर अपने विचार एक साथ प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में शिक्षा के सम्बन्ध में हमेशा ही चिन्ता व्यक्त की जाती रही है। ऐसा कोई अवसर नहीं जब शिक्षा के बारे में कोई न कोई विचार शिक्षा में सुधार लाने के लिए माननीय सदस्यों की ओर से पेश नहीं किये जाते रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, इस साल के बजट में शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों पर बहुत अच्छी राशि राज्य सरकार ने रखी है। हमें आशा है कि इस बढ़ी हुई राशि से शिक्षा में सुधार आएगा। जहां तक नये स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात है, पिछले कुछ समय से इसमें अवरोध आ गया था और स्कूलों को क्रमोन्नत करने में कठिनाई थी। पिछली सरकार ने कुछ प्रयत्न किये लेकिन व जनता के ऊपर भारी वजन डालकर किये गये थे। स्कूल क्रमोन्नत की गयी लेकिन बदले में पैसा लिया गया। नये स्कूल बहुत कम खोले गये। लेकिन इस साल हमारे बजट में अच्छे प्रावधान किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 200 माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा, 400 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जाएगा और एक हजार उच्च प्राथमिक शालाएं प्राथमिक शालाओं से क्रमोन्नत की जाएगी।

(13.30 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

एक बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार ने उठाया है और यह एक सराहनीय कदम है जिससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होगा, विस्तार के हिसाब से सुधार होगा। हम आशा करके चलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान जो पिछड़ा हुआ था, उसमें गति आएगी और राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में इन प्रयत्नों के माध्यम से होगा।

माननीय सभापतिजी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में सभी सदस्य और साधारण आम जनता भी चिन्तित है। हमारी सरकार ने स्कूलें खोलने की व्यवस्था की है वह बधाई की पात्र है लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था भी उसी मानसिकता से की जाए तभी वह इसका सही फायदा लोगों को मिल पाएगा और शिक्षा में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की वनिस्पत आज भी असमानता है। शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उनके पास है, अच्छे स्कूल उनके पास हैं लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्कूल शिक्षा तक की सुविधा से वंचित है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले सालों में प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया, आठ कक्षाएं उनमें हैं लेकिन अध्यापक तीन हैं। माननीय सभापति जी, आप सोचिये कि किस प्रकार से तीन अध्यापक आठ कक्षाओं की पढाई का करा पाएंगे, करते होंगे और वे विद्यार्थी वहां से क्या सीखकर जाएंगे ? मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो अध्यापकों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसकी पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। जब तक स्कूल में पूरी संख्या में अध्यापक नहीं होंगे, स्कूल खोलने का, स्कूल को क्रमोन्नत करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ट्रेंड टीचर वहां हों और प्रचुर मात्रा में वहां आध्यापकों के पद सृजित किये जाएं। आज कहा यह जा रहा है कि स्कूल में जितने पद सृजित हैं, उतनी उनकी पूर्ति कर दी। सृजित तो करने वाले आप ही है, आठ कक्षाओं में तीन अध्यापक सृजित किये, यह कहां का न्याय है ? देहाती क्षेत्रों के साथ में यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूल खोलने की जो संख्या आपने बढ़ाई है, उसमें आप कमी कर सकते हैं लेकिन अध्यापकों की पूर्ति तो हो, वे पूरी संख्या में हों ताकि हमारा छात्र शिक्षा प्राप्त कर पाए।

माननीय सभापति जी, आज जो व्यवस्था की जा रही है और नये 16000 शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं, उसके लिए मेरे मन में पीड़ा है, सदन के अधिकांश सदस्यों के मन में पीड़ा है और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी बहुत ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस साल कोई भी प्राथमिक शाला ग्रामीण क्षेत्र में नहीं खोलेंगे। ये जो शिक्षा केन्द्र आपने बनाये हैं, बनाने की योजना है, 1200 रुपये का अध्यापक आप देंगे, वह दो–तीन घंटे, या अपनी इच्छानुसार लड़कों की हाजिरी लेगा। वह विद्यार्थी जो उस केन्द्र से शिक्षा प्राप्त करेगा, उच्च शिक्षा में कैसे जाएगा ? (व्यवधान) अब तक व्यवस्था थी कि प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जाता था इन केन्द्रों को आप उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत कर पाएंगे ? नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह जो प्रक्रिया होनी चाहिए प्राथमिक शालाओं में, वह वहां नहीं होगी और उसका विद्यार्थी मारा मारा फिरेगा। इसलिए, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेहरवानी करके 16000 की जगह 1600 खोल दीजिये आप लेकिन इस व्यवस्था को बिगाड़िये मत और प्राथमिक शालाओं का जो रूप आज चला आ रहा है उस प्राथमिक शाला के स्वरूप को कायम रखिये। जब तक प्राथमिक शाला नहीं होगी हमारे विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। कल माननीय वित्त मंत्रीजी कह रहे थे कि हमने यह व्यवस्था इसलिए की है कि प्राथमिक शालाओं में, उच्च प्राथमिक शालाओं में जो अध्यापक लगे हुए होते हैं वे वहां रहते नहीं है, काम नहीं हैं, लड़कों को पढ़ाते नहीं हैं, उस कमी को दूर करने के लिए इस प्रकार के केन्द्र खोले जा

(श्री शिवनाथ सिंह)

रहे हैं। माननीय सभापति जी, किसी के भी समझ में आने वाली बात नहीं है। वहां अव्यवस्था है, पंचायत समिति का नियंत्रण सही नहीं है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं लेकिन उस व्यवस्था को सुधारना सरकार का काम है। वहां अध्यापक नहीं जाते हैं उसका दण्ड ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मत दीजिये। आज वहां आठवीं कक्षा का लड़का जो दिन में मजदूरी करता है, भवन निर्माण में पत्थर ढोता है, गारे की परात ढोता है वह दो घंटे के लिए कुछ लोगों की हाजिरी लगा लेगा और मास्टरजी कहलाएगा। आज हो सकता है राजस्थान के भिन्न–भिन्न भागों की भिन्न– भिन्न परिस्थितियां हों लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का उत्तरी भाग बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनूं, सीकर, चूरू और जयपुर, यहां पढ़े लिखे लड़कों की संख्या बहुत अधिक है, बी.एड. आपको मिलेंगे, एस.टी.सी. आपको मिलेंगे। तो क्या आप उस आठवीं कक्षा के विद्यार्थी से जो मजदूर है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय बनाना चाहते है ? यह कभी भी ग्रामीण जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन दूर कर लें इस योजना के अन्तर्गत जो क्वालिफिकेशन है, वह आठवीं क्लास है मिनीमम लेकिन जिसका अपाइंटमैंट होगा उससे प्राथमिकता इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि यदि इस पंचायत का बी.ए., बी.एड. पास लड़का अवेलेबल है तो सबसे पहले उसी की नौकरी लगेगी, उसके बाद हायर सैकण्डरी या एस.टी.सी. पास है तो उसकी लगेगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादडी) : अगर आपने कहीं भलमनसाहत में बी.ए., बी.एड. को 1200 रुपये में लगा दिया ना तो जैसे हैण्डपम्प मिस्त्रियों को हमको आठ साल बाद पेमैंट करके करोड़ों रुपये देना पड़ा एक साथ, हम फिर कोर्ट में केस हारेंगे और हमको यह सारा पेमैंट आज नहीं तो पांच साल बाद में रैगुलराइज करके उनको देना पड़ेगा इसलिए आप बी.ए., बी.एड. के चक्कर में मत फंसो। अगर आपको इस 1200 रुपये में जाना है तो नीचे चलो।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय कटारिया साहब, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि शिक्षाकर्मी योजना से अन्तर्गत जो टर्म्स एण्ड कंडीशन है, हाई कोर्ट ने आज दिन तक उसको अपहैल्ड किया है, उसी पैटर्न पर हम एक एग्रीमैंट प्रपोज कर रहे हैं। उस एग्रीमैंट में जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वह आठवीं है, पर इसमें कोई राइडर नहीं है कि बी.ए., बी.एड. या हायर सैकण्डरी आदमी को नहीं लिया जाए। Don't confuse in this issue.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसमें हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्वयं बोर्ड हैं इसलिए हम सब केस जीते हैं हमने बोर्ड का ही गठन कर रखा है जो सरकार नहीं है इसलिए हम सब केस उसमें जीत गये, सब मुकदमे जीत गये हैं। अगर सेम पैटर्न अपनाओगे जो शिक्षाकर्मी का पैटर्न है तब तो हम केस में नहीं हारेंगे लेकिन अगर वह नहीं अपनाएंगे तो हम निश्चित रूप से हारेंगे।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय कटारिया जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं ये सब पंचायत के एम्प्लाई होंगे, पंचायत समिति के नहीं होंगे, न ही सरकार के एम्पलाई होंगे। There will be an agreement between Panchayat and... जो करने वाले हैं उनके बीच में। शिक्षाकर्मी के पैटर्न की तरह ही पंचायत के एम्पलाई होंगे इसलिए आपका जो एप्रिहैंशन है उस एप्रिहैंशन को पूरा ध्यान में रखा है कि आगे चलकर यह प्राब्लम नहीं आए। और नम्बर दो, ये बी.ए., बी.एड. टीचर्स यदि लम्बे समय तक काम करेंगे तो राज्य सरकार इनको स्थाई टीचर बनाने के सम्बन्ध में भी नियम और कानून बनाकर व्यवस्था करेंगी। इसलिए हम इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, हम यह नहीं कर रहे हैं कि पढ़ा कर इनको बाहर रख देंगे। इन लोगों ने यदि 3–4 साल, अभी सरकार विचार कर रही है कि तीन साल तक हम तरह से उसने पढ़ाई का काम पंचायत के माध्यम से किया है तो उनको रैगुलर टीचार बनाने पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करके उसको करेगी, इसलिए आप उसको कंफ्यूज नहीं करें बिलकुल।

श्री सभापति : आप तो, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, डाइरेक्शन्स अच्छे दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार(पिलानी) : माननीय मंत्रीजी आज जो स्कीम बता रहे हैं ऐसे तो आंगनबाड़ी चल रही हैं गांवों के अन्दर। ये छोटी–छोटी स्कीम के अलावा आंगनबाड़ी चल रही हैं जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, आर्डर प्लीज। कोई व्यवस्था दे देंगे। अब कोई हरेक सवाल थोड़े की पूछेगा। वे जब आपका उत्तर देंगे तब आप पूछ लीजिये। आपने तो व्यवस्था का उत्तर दिया है। इसकी कोई व्यवस्था थोड़े ही होगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : राजस्थान के अन्दर आंगनबाड़ी चल रहे हैं। ये जो बता रहे हैं अच्छी स्कीम, आठ–आठ हजार में टाट पट्टी देंगे, गांवों में मकान होंगे नहीं, कोई झोपड़ियों में रख देंगे वह छोरे उठा ले जाएंगे यह स्कीम पास होने वाली नहीं है।

श्री सी.पी.जोशी : चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्कीम आइसोलेशन में नहीं है। राजस्थान में जितनी अलग–अलग शिक्षा की योजना चल रही है। उनको पूरा

(श्री सी.पी.जोशी)

इंटीग्रेट करके, उनका पूरा उपयोग लेकर काम करेंगे इसलिए एक्सक्लूसिव जो आप बात कह रहे हैं वह नहीं है। वह भी एक उसका इंग्रेडिएंट पार्ट है। अगर हमको स्ट्रेंथन करने के लिए स्कूल भवन बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सब उसके साथ जुड़ा हुआ है आप केवल मात्र 16000 के सम्बन्ध में ही सोच रहे हैं और हम टोटल राजस्थान की सारी स्कीम्स के संबंध में सोच कर कह रहे हैं कि यह स्थिति नहीं बनेगी जिसका आपका एप्रिहैंशन है।

श्री सभापति : अब विराजिये। उत्तर दे दिया ना।

श्री आर.पी. शर्मा(भरतपुर) : माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट फैसला किया है कि 240 दिन लगातार कोई सर्विस करता है तो उस को कन्फर्म किया जाएगा तो क्या इनको...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : यह नहीं लागू हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप रोकिये इन्हें।

श्री सभापति : शिवनाथ सिंहजी, चालू कीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने अब स्पष्टीकरण देकर जो मामला था उसको और भी कंफ्यूज कर दिया। उनका बहुत आदर करता हूं और वे शिक्षा के सुधार के लिए प्रयत्नशील भी हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी, क्या आप इस योजना के बाद जो रैगुलर प्राइमरी स्कूल खुलते आ रहे थे उनको खोलेंगे। यदि रेगुलर प्राइमरी स्कूल जो हमेशा से खुलते आ रहे थे वे नहीं खोलेंगे तो एक गैप लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद उच्च प्राथमिक शाला नाम की तो आपके पास स्कूलें रहेंगी लेकिन प्राथमिक शाला नहीं है तो क्रमोन्नत कांहे में होगी या उच्च प्राथमिक शाला शुरू से नयी खोली जाएगी ? इसलिए, माननीय सभापतिजी...

श्री सी.पी.जोशी : शिवनाथ सिंहजी, एक मिनट। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 15 तारीख को डिबेट है, मैं पूर्ण आपकी बात को बता दूंगा, आपका जो एप्रिहैंशन है ऐसा एप्रिहैंशन नहीं रहेगा। प्राइमरी स्कूल जो खुलने की व्यवस्था है वह भी जारी रहेगी और यह व्यवस्था भी जारी रहेगी। आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अब ठीक है।

श्री सभापति : अब उस समय बोल जाइये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शिक्षा पर बोलिये। पंचायत की अलग आ जाएंगी उस समय बोलिये आप। आज तो शिक्षा मंत्रीजी की मांग है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं शिक्षा पर बोल रहा हूं, माननीय सभापतिजी। मैं ग्रामीण शिक्षा पर बोल रहा हूं और वह भी शिक्षा से संबंधित है।

श्री रामनारायण चौधरी : पंचायत मंत्री शिक्षा में हैं।

श्री सभापति : है, है, निश्चित है, लेकिन ग्रामीण की भी मांग रखी हुई है।

श्री शिवनाथ सिंह : बात ग्रामीण की कह रहा हूं न। ग्रामीण क्षेत्र के साथ में अन्याय नहीं हो, इसी ओर तो मैं इंगित कर रहा हूं। माननीय सभापतिजी, मेरी शंका थी और आज भी शंका है क्योंकि आपने बजट में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तो दे दी लेकिन प्राइमरी स्कूलों की संख्या तो हमेशा आती है, इस बजट में कहीं भी प्राइमरी शालाएं खोलने की संख्या नहीं दी गई है। और मेरी आशंका सही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापतिजी, कि इस प्रकार का भेदभाव है। जब प्राइमरी स्कूल नहीं होगी तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हमारे लड़के नहीं जा पाएंगे। जैसा आपने अभी बतलाया है कि वहां मिडल पास को रखना जरूरी नहीं हैं, माननीय सभापतिजी, आश्चर्य की बात है, आज डेली वेजेज साठ रुपये करने जा रहे हैं और एक ट्रेंड ग्रेजुएट आप बारह सौ रुपये में सोचना चाहते हैं। यह असम्भव है और इसी दुर्व्यवस्था के कारण आज गांवों में प्राइवेट स्कूलें खुल रही हैं, उनकी बाढ़ आ रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी और पंचायती राज मंत्रीजी दोनों ही इस विषय पर सोचे। जैसा आपने कहा है कि हम प्राथमिक शालाएं भी हमेशा की तरह से खोलेंगे, यदि खुलती हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे।

माननीय सभापति जी, हमारे यहां विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, शिक्षा में कई योजनाएं चल रही हैं। आपकी कम्पलसरी एजुकेशन हमारे जिले में शुरू हो रही है, इसके बाद डी.पी.ई.पी. हमारे यहां चल रही है, अनौपचारिक शिक्षा हमारे यहां चल रही है, शिक्षाकर्मी योजना हमारे यहां चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों में रुपये का अपव्यय हो रहा है, फिजूलखर्ची हो रही है और भ्रष्टाचार है। जो आपके अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं वे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। आप दो सौ रुपये मानदेय देते हो, सौ रुपये बिजली–पानी का अलाउंस भी देते हो, लेकिन एक भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आज नहीं चल रहा है। मैं अपने यहां की कहता हूं, अपने क्षेत्र की बात कहता हूं, हमारे वहां सौ केन्द्र स्वीकृत हैं, एक भी नहीं चल रहा है और एक भी लड़के ने वहां सही लिखना–पढ़ना नहीं सीखा है। यह घोर अन्याय हो रहा है और रुपये का गबन हो रहा है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय पंचायती राज मंत्री से निवेदन करना

(श्री शिवनाथ सिंह)

चाहूंगा, इन सब योजनाओं को आप इकजाई कीजिये और रुपये का अपव्यय रोकिये। इन सब कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ कर फिर जहां जो कार्यक्रम चलता हो उसको करने की चेष्टा कीजिये। इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा पिछली सरकार में चाहे वह सरकार कैसी भी रही हो, एक अच्छे काम की शुरूआत हुई थी। जिन स्कूलों का रिजल्ट जीरो प्रतिशत था उसके स्टाफ को बदलने की व्यवस्था थी, यह अच्छी शुरूआत थी। कल वित्त मंत्रीजी कह रहे थे अध्यापक रहते नहीं हैं, उनके लिए एक दिशा–निर्देश था कि तुम्हारी स्कूल पर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें इसके लिए दण्डित किया जा सकता है। उसमें कुछ सुधार कर लीजिये, मुझे उसमें एतराज नहीं है, लेकिन अध्यापक जो स्कूल में लगे हुए हैं, उनके सामने यह होना चाहिए कि तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें दण्डित किया जा सकता है। ट्रांसफर से बड़ा दण्ड और कोई दे नहीं सकते आप। इसलिए इस पर भी आप विचार कीजिये, संशोधित रूप में लागू कीजिये, लेकिन अध्यापकों के ऊपर अपना अंकुश होना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय समापतिजी, शिक्षा में गिरावट आई है यह हमारी सब की चिंता है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सुविधाओं में जो असमानता है उसको दूर कीजिये। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अस्सी प्रतिशत हमारे प्रांत की बसती है, उनके बच्चे आज उस असमानता में पढ़ते हुए शहरी क्षेत्र में बच्चों के बराबर काम्पीटीशन में नहीं आ सकते, इसलिए आप पंचायत समिति स्तर पर समझिये, जिला स्तर पर समझिये, कि इस प्रकार के प्रतिशत केन्द्र रखिये कि जो प्रोमिसिंग लड़के हैं वे वहां ट्रेनिंग लें। उनको कोचिंग दी जाए सरकारी स्तर पर और वे काम्पीटीशन के लायक बनें, इस प्रकार की योजना आपको चालू करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि ग्रामीण क्षेत्र की सब स्कूलों में आप एक दिन में सुधार ला दोगे लेकिन दूसरे तरीके से आप उनको कम्पीटीशन के लायक बना सकते हैं, उनको बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, जो प्रावेट स्कूलों का एक जाल फैल रहा है और उससे हमारी सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गिरावट आ रही है उसकी तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं उन पर कोई न कोई नियंत्रण आपका होना चाहिए। वहां जाने का लड़कों में एक चार्म होता है उसकी वजह से मां–बाप के धन का प्राइवेट स्कूल चलाने वाले बहुत शोषण करते हैं और हमारे सरकारी स्कूल जो हैं वे खाली पड़े रहते हैं। इसलिए उन प्राइवेट स्कूलों पर किसी प्रकार का आप नियंत्रण स्थापित कर पाएं, वह करें। मैं प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं हूं लेकिन उनके

(श्री शिवनाथ सिंह)

अध्यापकों को पूरा वेतन मिले और पूरी तरह से सरकारी अध्यापकों के बराबर सुविधा मिले इस प्रकार की यदि सुविधा देने की आप वहां पाबंदी कर देते हैं तो पाबंदी के बाद मेरे ख्याल में इसमें सुधार आएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं, मान्यवर।

श्री सभापति : यह घंटी तो संकेत देती है, कभी माननीय सदस्य अपना भाषण पूरा करना चाहे तो उसको भी सहयोग देती है।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, ठीक है। मुझे सहयोग मिला इसमें।

माननीय सभापतिजी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान एक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंचायती राज की व्यवस्था बनी उस वक्त जिला परिषदें नहीं बनी थीं और स्कूलों में वहां के विकास अधिकारी ने एडहाक अपाइंटमैंट अध्यापकों के कर दियें। बाद में जिला परिषदों के माध्यम से उनका स्क्रीनिंग किया गया और स्क्रीनिंग करने के बाद उनको परमानेंट कर दिया गयां उस तारीख से जिस तारीख से उनको एडहाक अपाइंटमैंट मिला था। उसी तारीख से उनकी सर्विस काउंट होती है, उसी तारीख से उनको यह जी.पी.एफ. वगैरह क्या मिलते हैं, सब मिलने हैं, उसी तारीख से उसकी पैंशन मिलेगी, लेकिन यह जो विशेष आपने दिया है वेतनमान का और स्क्रीनिंग कमेटी में सफल होने के बाद की जो तारीख मानी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को एग्जामिन करवाइये। जिन अध्यापकों का पंचायत समितियों में एडहाक अपाइंटमैंट हुआ था और जो स्क्रीनिंग कमेटी में से निकल कर परमानेंट बन गये, उनके सब फायदे के लिए वो ही तारीख मानी जानी चाहिए।

माननीय सभापतिजी, कम्पलसरी एजुकेशन, डी.पी.ए.पी. और अनौपचारिक शिक्षा इन पर भी आप ध्यान दीजिये। इनमें व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आपस में इनका सामंजस्य होकर लड़कों को फायदा मिले। ये जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र आप बनाने जा रहे हैं, आपने पंचायत को उसका अधिकार दिया है कि पंचायत ही उसका चयन करेगी और पंचायत का ही उस पर अधिकार रहेगा। माननीय सभापति जी, बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है इसलिए इसके लिए या तो जिला स्तर पर या पंचायत समिति स्तर पर कोई बाडी बनाइये ताकि वह उन शिक्षकों का चयन करें और चयन करने के बाद उसका सुपरविजन हो उन अध्यापकों पर जिनको शिक्षण केन्द्र में आपसे लगाया है नियंत्रण किसका होगा ? विकास अधिकारी का नहीं होगा, जिला परिषद का नहीं होगा ? विकास अधिकारी का नहीं होगा, जिला परिषद का नहीं होगा, ग्राम पंचायत का होगा। उस ग्राम पंचायत में किसका होगा ? ग्राम पंचायत के जिस रूप को आज आप देखते हैं वे पंचायतें सही रूप में शिक्षा का आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएगी, इसमें मुझे शंका है।

माननीय सभापति जी, इसी संदर्भ में मैं

(श्री शिवनाथ सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है उस पर आक्रमण हो रहा है, मीडिया के माध्यम से भयंकर रूप से आक्रमण हो रहा है। ऐसे–ऐसे सीरियल्स, ऐसे–ऐसे एपीसोड दिखाये जा रहे हैं जो बच्चों को क्रिमिनल बनाते हैं, महिलाओं में अन्य प्रकार की भावनाएं पैदा करते हैं। और बाप और बेटा, मां और बेटा एक साथ बैठ कर कोई भी सीरियल नहीं देख पाते। मैं संकेत मात्र में निवेदन करना चाहूंगा कि वह जो हमारी संस्कृति पर बाहर से आक्रमण हो रहा है इस आक्रमण को भी आप रोकने की चेष्टा कीजिये।

माननीय सभापति जी, मैं चाहता तो और भी कहना था लेकिन उच्च शिक्षा का कह कर आप मुझे रोक देंगे कि उच्च शिक्षा का विषय इसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को रोकिये। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, वहां के छात्रावासों में जिस प्रकार से घृणित घटनाएं हो रही हैं उनमें भी सरकार नियंत्रण रखे और सुधार करने की चेष्ट करे। मैं सभापति जी, निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिला ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जिला है जिसमें कोई भी सरकारी कालेज आज नहीं है। आज मेरे पास लिस्ट आयी है कि राजस्थान का कोई भी ऐसा जिला मुख्यालय नहीं है जिस पर सरकारी कालेज नहीं है और कई पर तो दो–दो, तीन–तीन कालेज हैं। एक झुंझुनूं जिला मुख्यालय है ज़िस पर कोई भी सरकारी कालेज नहीं है। जवाब दिया जाएगा, मैं जानता हूं। जवाब यह दिया जाएगा कि आपके यहां खेतड़ी में इस साल हम खोल रहे हैं। माननीय सभापति जी, खेतड़ी का जो कालेज है वह किस व्यवस्था में है, मुझे पता नहीं है लेकिन वह तो अलग व्यवस्था है। जैसे तारानगर को गर्व है राजस्थान को वित्त मंत्री देने का वैसे ही खेतड़ी का भी गर्व है राजस्थान को उच्च शिक्षा मंत्री देने का, वह तो उस कोटे में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं की इस पीड़ा को समझिये और राज्य सरकार इसी सत्र में घोषणा करे कि झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर कालेज खोला जाएगा और वहां के लोगों की पीड़ा को मिटाया जाएगा। मैं संकेत करना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, छात्रों में आज असंतोष है, छात्र पीड़ित हैं और आंदोलन करने के रास्ते पर आ गये हैं। उनको विश्वास इतना ही है कि विधान सभा का सत्र चल रहा है, हमारे प्रतिनिधि, हमारे विधायक इस आवाज को उठाएंगे और हमारे को न्याय मिलेगा। माननीय सभापति जी, मैं बहुत स्पष्ट-निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में एक जिले को इस तरह से छांट कर रखा जा रहा है यह शर्मनाक बात है, दुःख की बात है, पीड़ाजनक है। उस पीड़ा को मिटाने के लिए हम विधान सभा में सक्षम नहीं होंगे तो हमारे विद्यार्थी आंदोलन करेंगे और वह वश का नहीं रहेगा, सरकार के वश का भी वह नहीं रहेगा क्योंकि इतना भेदभाव वहां हो गया है। आज हमें पीड़ा है क्योंकि पिछली सरकार ने एक जिले को

(श्री शिवनाथ सिंह)

दंडित किया। पिछली सरकार ने हमको दण्ड दिया उनका दण्ड देना वाजिब था क्योंकि झुंझुनूं जिले ने एक भी सदस्य विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी का चुन कर नहीं भेजा। लेकिन इस बार तो सरकार हमारी है। पिछली बार सातों के सातों विधायक कांग्रेस के या कांग्रेस के समर्थक थे, इस लाल भी सातों विधायकों में एक भी विधायक बी.जे.पी. का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार किस पाप का दण्ड हमको दे रही है ? सरकार को यह घोषणा करनी पड़ेगी कि झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर इस साल से कालेज खोल दिया जाएगा और नहीं खोला जाएगा तो सरकार को इसके लिए तैयार होना चाहिए, वहां के विद्यार्थियों के आंदोलन को आप सहन नहीं कर पाएंगे।

माननीय सभापति जी, सदन में अभी 14 कालेज की घोषणा की गई है, मैं सबका स्वागत करता हूं, बहुत–बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं लेकिन वे तो कैबिनेट के साथियों ने आपस में बांट लिये। वे भी हमारे साथी हैं उनको बांटना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था लेकिन हम जो बाहर रह गये, जिनको कैबिनेट में पदार्पण का सौभाग्य नहीं मिल पाया उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा ? इन्होंने तो आपस में बैठकर +++ कर ली। इसलिए इस झुंझुनूं जिले की...

श्री परसादी लाल : बाहर वालों को भी मिला है, साहब। देखो शिवगंज में, फलौदी में। शिवगंज में नहीं मिला ? नीमकाथाना में नहीं मिला ? नीमकाथाना में मिनिस्टर है क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : मिला उनको मैं बधाई देता हूं।

श्री सभापति : कृपया आपस में बातें नही करें, प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : जो मिला उसका स्वागत करता हूं, बिलकुल स्वागत करता हूं लेकिन हमारी तरफ भी ध्यान दें। आप कैबिनेट में बैठे हो इसलिए झुंझुनूं जिले की पीड़ा को समझें और समझकर इसका निराकरण करें। माननीय सभापति जी, मैं दूसरी जो मांग है...

श्री मोहन लाल मोदी : इसका मतलब यह है आपको कैबिनेट में ले लें तब बात बनेगी आगे। फिर तो वही अपने–आप पहुंच जाए हां, आपको कैबिनेट में ले लिया जाय तो मैं समझता हूं कि आप भी वहां बैठकर झुंझुनूं जिले के कालेज की बात कर लेंगे।

एक माननीय सदस्य : हां, वहां जाएंगे तब तो कर ही लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी घंटी को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में एक–दो मिनट में दूसरी मांग पर अपनी बात कहना चाहूंगा। पर्यटन के नाम पर लाखों–करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

यह योजना लागू की गई है। पुराने गढ़, हवेली उनके जीर्णोद्धार के नाम पर, पर्यटन के विकास के नाम पर धन का अपव्यय हुआ है सब्सिडी के माध्यम से और ऋण पर कम ब्याज रख कर। जो कुछ हो गया सो हो गया, गढ़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़ सकते हैं लेकिन आइन्दा आगे से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत प्रगतिशील विचारों की हमको दिखती हैं, आप इस पुरानी परम्परा को तोड़कर पर्यटन के लिए उन स्थानों का विकास कीजिये जो भौगोलिक दृष्टि से अच्छे हों, धार्मिक दृष्टि से अच्छे हों, पहाड़ी क्षेत्र हों। मैं अपनें इलाके की बात कहता हूं, पांच–सात ऐसे स्थान हैं जिनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए तो बहुत बड़ा काम वहां हो सकता हैं। आपने कुछ काम किया भी है। शांकम्भरी है, लोहार्गल है कई स्थानों पर आपने वहां रुपया दिया है लेकिन वह बहुत कम है पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, पुराने मंदिर हैं ऐसे स्थानों को आप विकसित कीजिये। पुराने गढ़ों को तो लोगों ने बहुत विकसित कर दिया, अब वह हो चुका, अब उस सिलसिले को आप बंद कीजिये और ये जो आपका निगम बना हुआ है उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये। यह तब होता है निगम के माध्यम से, उस निगम पर नियंत्रण कीजिये।

मैं कोई स्पेसिफिक एलीगेशन नहीं लगाना चाहता लेकिन वहां कार्य जनता की भलाई के लिए नहीं हो रहा है। इस बात का मैं इतना–सा संकेत करना चाहूंगा।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति जी, पिछले दिनों राजस्थान में पर्यटन मेले आयोजित करने की होड़ लगी। हमारे यहां भी सीकर में, झुंझुनूं में, चूरू में पर्यटन मेले लगाये गये और कालबेलिया नृत्य करवाया गया और उसके नाम पर जनता से लाखों रुपया इकट्ठा किया गया। कोई भी हिसाब उसका रखा नहीं गया। जब सवाल पूछा तो उसका जवाब मिला, सरकारी खजाने से रुपया नहीं गया। सरकारी खजाने से रुपया नहीं गया तो फिर रुपया आया कहां से ? जब सरकारी अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, ऊंचे से ऊंचे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी बांध दी गई थी कि आपको 50 हजार रुपया लाना है, आपको 20 हजार, आपको 60 हजार रुपया लाना है, वो रुपया आया कहां से ? सरकार के प्रभाव से आया और लोगों की जेब काटी गई। उसका कोई हिसाब–किताब नहीं है। मंत्री महोदय, यदि आप इस मामले में देखना चाहें तो जितने भी आयोजन हुए हैं खास तौर से सीकर, झुंझुनूं और चूरू में, उसका हिसाब मंगवाइए कि कहां से रुपया आया, किसने खर्च किया, किसने उसका हिसाब रखा। आपको इतनी बड़ी गफलत उसमें मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैं निवेदन कर रहा था ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों

(श्री शिवनाथ सिंह)

के बारे में। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी, पुरानी परिपाटी को छोड़िए और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये जितने भी आप सुधार कर सकें उनको करने की चेष्टा कीजिए। बजट में आपने जो नई स्कूलों के लिये प्रावधान किये उसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. रतन लाल।

डा. रतन लाल(सहाड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपने विचार प्रकट करने के लिये सदन में खड़ा हुआ हूं। जहां तक शिक्षा का सवाल है, प्राचीन भारत में ऋषि–मुनियों के आश्रम में, मठों में और मुगल काल में भी मदरसे में गुरु–शिष्य की परम्परा हमेशा हमारे यहां पर रही है और यह भारतीय शिक्षा की एक प्रकार से विशेषता रही है। भारतवर्ष जगत् गुरु के नाम से जाना जाता रहा है और उसी नाते हमारे यहां पर माना जाता था कि "सा विद्या या विमुक्त ये"। यहां गुरु शिष्य का जो एक पवित्र, और पुनीत रिश्ता था, धीरे–धीरे वह रिश्ता शिक्षा क्षेत्र में नहीं रहा है। शिक्षा को वास्तव में जो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, कहीं प्राइमरी स्कूल का अध्यापक भी आज मिल जाए तो चाहे कितने ही ऊंचे पद पर वह व्यक्ति बैठा हो लेकिन निश्चित रूप से उनके पैर छुएगा। लेकिन धीरे–धीरे गुरु–शिष्य के रिलेशन में वास्तव में ह्रास हुआ है। सार्वजनिक शिक्षा या शिक्षा का सार्वजनीकरण प्राचीन भारत में वास्तव में नहीं था। कुछ संभ्रान्त परिवारों और कुछ शासकों के बच्चों को ही पढ़ने का मौका मिलता था और बहुजन समाज के लोग शिक्षा से निश्चित रूप से वंचित रहते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में हमारे यहां जो शिक्षा पद्धति चलाई गई, जिसको मैकाले की शिक्षा पद्धति के नाम से जाना जाता है, दुर्भाग्य है कि इस शिक्षा पद्धति ने इस देश की शिक्षा और संस्कृति को खास तौर से विखंडित किया है, दूषित किया है।

जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वाधीनता के बाद लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सोच था कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ–साथ शिक्षा भी निश्चित रूप से मिलगी, उसकी व्यवस्था होगी। सौभाग्य की बात है कि भारतीय संविधान जो 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, उस संविधान के अर्टिकल 39 और 45 में इस प्रकार की एक व्यवस्था की गई थी नीति निर्देशक तत्वों के तहत कि राज्य सरकार 14 साल तक के बालक व बालिकाओं के लिये फ्री और कम्प्लसरी एजुकेशन की व्यवस्था करेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षो। के बाद भी उन नीति निर्देशक तत्वों के तहत किसी प्रकार की फ्री और कम्प्लसरी एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। राज्य सरकार के पिछले कुछ वर्षो से शिक्षा में संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण से सुधार हो, इसके प्रयत्न किये हैं। राजस्थान राज्य वास्तव में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से

(डा. रतन लाल)

काफी पिछड़ा हुआ है। 1991 की जनसंख्या के आधार पर जो साक्षरता का प्रतिशत हमारे राजस्थान प्रदेश का है वह 38.55 और महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत तो इससे भी कम 20.44। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रतिशत है उसका अंतर अगर हम देखें तो स्थिति वास्तव में और भी ज्यादा दयनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शहरी क्षेत्र का साक्षरता का प्रतिशत 65.33 है और ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता का प्रतिशत 30.37 है, एक बड़ी दयनीय स्थिति साक्षरता के प्रतिशत के हिसाब से है। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े उस नाते सरकार ने प्रत्यन किये हैं। अन्य राज्यों की तुलना में नीचे से हमारा दूसरा स्थान है। जो सरकारी प्रयत्न समय–समय पर शिक्षा को आगे बढ़ाने का, साक्षरता को आगे बढ़ाने का हुआ है और जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन आंकड़ों को बताकर यह निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि 1994 के बाद 1998 तक शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाओं के मार्फत उल्लेखनीय उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी निश्चित रूप से हासिल हुई हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमने शिक्षा जगत में बहुत ज्यादा उपलब्धियां कर ली हों, लेकिन जो प्रयास किये गये हैं वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं और यह बात इस चीज से साबित होती है कि सबसे पहले बजट में सरकार के द्वारा वृद्धि की गई। 1990 में जो शिक्षा का बजट था वह 663 करोड़ रुपये और उसी बजट को 1998 में सरकार ने 2645 करोड़ रुपये कर दिया। काफी वृद्धि पिछली सरकार ने शिक्षा के बजट में की है। दुर्भाग्य यह है कि जितना शिक्षा का बजट है उसमें से 97 प्रतिशत बजट तो हमारे शिक्षक साथियों की तनख्वाह पर खर्च हो जाता है। मात्र 3 प्रतिशत बचा पैसा, वह चाहे स्कूल भवन को ठीक करने में लगा दें, चाहे दरी–पट्टी पर कर दें, चाहे ब्लैक बोर्ड में लगा दें, किसी में भी लगा दे, एक नगण्य–सी राशि उसमें उपलब्ध रहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1994 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत और शिक्षा मंत्री जी ने बजट शिक्षा को समर्पित किया और पहली बार में ही 136 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 272 करोड़ रुपये का दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा शिक्षा पर खर्च किया गया उसका चार गुना पैसा आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार के द्वारा खर्च किया गया। उसी की बदौलत सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर होने वाला खर्च नवीं पंचवर्षीय योजना तक दस गुना बढ़ा दिया गया था। तो निश्चित रूप से बजट में पिछली सरकार के द्वारा शैक्षिक जगत में बढ़ोतरी की गई थी।

दूसरा सरकार के द्वारा प्रयत्न किये गये थे विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के नाते। वर्ष 1994–95 से 1998–99 तक 5,004 प्राइमरी स्कूल क्रमोन्नत हुए, मिडल स्कूल क्रमोन्नत हुए 3,212, सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए

(डा. रतन लाल)

758 और सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए 560. माननीय सभापति महोदय, जहां तक सीनियर सैकण्डरी स्कूल का सवाल है, 76 प्रतिशत स्कूल 10 + 2 के 1994–98 तक राजस्थान में खोले गये हैं। तो स्कूलों की संख्या की दृष्टि से भी पिछली सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की थी। ढाई सौ तक की आबादी के जहां रेवेन्यू विलेज हैं वहां प्राइमरी स्कूल खोले गये और जो हमारे मरु और जनजाति क्षेत्र के राजस्व गांव हैं उनमें डेढ़ सौ तक में प्राइमरी स्कूल खोले गये। प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर मिडल स्कूल खोलने की सरकार ने व्यवस्था की। यही नहीं, जहां तक अध्यापकों की संख्या की बात है, पिछली सरकार ने अध्यापकों की संख्या में भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि की थी। उस संख्या को अगर देखें तो 1994–98 तक जितनी भरती की गयी थी पिछली सरकार के द्वारा वे थे 40 हजार, चार सालों में 40 हजार और, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन 40 हजार में से भी 67 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी मिली हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कट मोशन पर बोल रहे हो आप, आप इस बजट के कट–मोशन पर वहां उपलब्धियां गिना रहे हो पिछली सरकार की ? कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं ?

डा. रतन लाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट पर वर्तमान बजट की बात करेंगे और डिमाण्ड की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पिछली सरकार की शिक्षा की उपलब्धियां और आंकड़े बताने पड़ेंगे।

श्री सभापति : ये तुलनात्मक तालिका बताएंगे।

डा. रतन लाल : आपको तुलनात्मक बता रहा हूं। जहां पर सरकार की योजनाओं की बात करते है...

श्री सभापति : कैसे रोका जाए उनको ?

डा. रतन लाल : जैसा मैंने आपको निवेदन किया, जितनी भरती की गयी थी उसमें से भी 67 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी मिली है। बालिका शिक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिया था और लगभग एक करोड़ रुपये के सोर्सेज फण्ड क्रीएट करके बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना की गयी थी ताकि निरक्षरता का कलंक दूर हो और खास तौर से बालिका शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही साथ आठवीं तक की जो हमारी बालिकाएं स्कूल में जाती हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवायी गयीं। इसके साथ ही साथ यह भी किया गया कि पंचायत समिति स्तर पर नवीं से दसवीं तक जो बालिका सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करती हैं उसको एक हजार रुपये नाइंथ क्लास में दिये जाएंगे और वही एक हजार रुपये टैंथ क्लास में दिये जाएंगे। सैकण्डरी स्कूल में जो बच्चियां 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करती हैं या उससे अधिक प्राप्त करती हैं

(डा. रतन लाल)

उन बच्चियों को दसवीं और ग्यारहवीं में भी एक हजार रुपये की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गयी है। छोटी–मोटी रकम नहीं, सरकार के द्वारा इस पर 52.27 लाख रुपये खर्च करके 5,027 छात्राओं को ये छात्रवृत्तियां प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा एक योजना चलायी गयी थी सरस्वती योजना कि गांव की कोई पढ़ी–लिखी महिला या लड़की अपने घर पर बालकों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाए और जब भी उनको समय मिले 2–3 घंटे का समय व्यतीत करें। ऐसे कम से कम 17 सौ सरस्वती विद्यालय साढ़े चार हजार रुपये देकर राजस्थान में चलाये जा रहे हैं। एक और योजना सरकार के द्वारा चलायी गयी थी शिक्षा क्षेत्र में दत्तक ज्ञान योजना। कोई व्यक्ति सक्षम है और बालिका को मदद करना चाहता है, वह पांच सौ रुपये उसके खाते में जमा करा दे, पहली से आठवीं तक की बच्ची की शिक्षा के बारे में अगर वह मदद करना चाहता है। इसी दत्तक ज्ञान योजना के तहत नवीं से बारहवीं तक की बालिका के भी खाते में एक हजार रुपये जमा करा दे ताकि शिक्षा में उसको किसी और से सहायता नहीं लेनी पड़े, यह सुचारू रूप से अपनी शिक्षा को चला सके।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि बालिका शिक्षा पर सार्वाधिक ध्यान दिया गया था, उसी के तहत हमारी बालिकाएं जब भी कभी आगे पढ़ने जाएं तो सम्भागीय स्तर पर 50–50 लाख रुपये खर्च करके बालिका छात्रावासों का निर्माण किया गया। 25 जिलों में इस प्रकार की विभिन्न स्वीकृतियां जारी करके बालिका छात्रावासों की व्यवस्था की गयी। जहां तक स्कूलों में बच्चों के नामांकन का सवाल है, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और खास तौर से पिछले तीन सालों में प्रवेशोत्सव आयोजित किये गये। जब यह शुरू किया गया था, कई लोगों ने इसकी आयोचना भी की थी कि इसके माध्यम से क्या होगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में नामांकन को बढ़ाने की दृष्टि से जगह–जगह पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो प्रवेशोत्सव आयोजित किये गये थे, 19 लाख बच्चों का राजस्थान के शैक्षिक जगत में नामांकन हुआ है। एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि नामांकन की दृष्टि से राजस्थान में हुई है।

सभापति महोदय, न केवल बालिकाओं को बल्कि बालकों को भी पांचवीं तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गयीं, आठवीं तक की बालिकाओं को दी गयी। दोनों को जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गयी, सरकार का 53 करोड़ रुपया, उसमें 1994 से 98 तक लगा। उसके पीछे एक मात्र उद्देश्य यह था, हालांकि पैरेंट्स केवल निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिले इस पर ही आधारित नहीं हैं आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन कई बार पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी, दूर–दूर जाना पड़ता

(डा. रतन लाल)

था, बच्चों को जाकर लानी पड़ती थी, पैरेंट्स को जाना पड़ता था, कभी एक विषय मिल गया तो दूसरे विषय की नहीं मिली, यह सबसे बड़ी कठिनाई होती थी। वह इसके माध्यम से दूर हुई कि स्कूल खुलते ही पांचवीं तक के बच्चों को और आठवीं तक की बालिकाओं को सरकार ने कम से कम 53 करोड़ रुपये की निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें वितरित की। शिक्षाकर्मी योजना जो सरकार द्वारा चलायी गयी है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह योजना राजस्थान में 50 लाख रुपये से शुरू की गयी थी और आज लगभग 27 सौ स्कूलों में यह शिक्षाकर्मी योजना काफी सफलता से चल रही है। एक स्कूल पर इस योजना में 10 हजार रुपये खर्च होता है एक साल का। एक सरकारी स्कूल में एक महीने के लिए अध्यापकों की तनख्वाह मात्र ही 10 हजार रुपये हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है लेकिन इस योजना में एक साल का खर्चा 10 हजार रुपये देकर लगभग 27 सौ स्कूल चलाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थान सरकार के शिक्षाकर्मी योजना के माध्यम से की है।

सरकार के द्वारा लोक जुम्बिश योजना शुरू की गयी, इसमें सीडा की सहायता से 83 प्रतिशत खर्चा उनके द्वारा दिया जायेगा और 17 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। लगभग 13 जिलों में इस योजना को काफी सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है और जो बाकी 19 जिले बचे हैं उनमें डी.पी.ए.पी. के कार्यक्रम के तहत शिक्षा आगे बढ़े उसके नाते प्रयत्न किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी साक्षरता और सफल शिक्षा की बात आती है और साक्षरता के समय–समय पर जो आंकड़े दिये जाते हैं उससे कई माननीय सदस्यों के मन में एक बहुत बड़ी बात आती है कि यह साक्षरता के झूठे आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। मस्टर रोल पर आदमी अकाल राहत पर काम करते हैं, वहां अंगूठा निशनी लगाकर अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं, अपने व्यक्तिगत काम से कोई प्रार्थना पत्र देगा उसमें अंगूठा निशानी लगाए, जिनको हमने साक्षर घोषित कर रखा है। लेकिन मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो साक्षरता कार्यक्रम सरकार ने अपने हाथ में लिया। 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को इस सरकार ने आइडेंटिफाई किया था 94 से 98 के पीरियड में। 91 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर करने के दृष्टिकोण से आइडेंटिफाई किया। उन 91 लाख में से केवल 32 लाख लोगों को आज दिन तक साक्षर किया जा चुका है। आपको जानकर, माननीय सभापति महोदय, प्रसन्नता होगी कि इन 32 लाख लोगों को साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से जो साक्षर किया गया है उसमें 20 लाख महिलाएं हैं। इसलिए कई बार हमारा यह सोचना कि जहां साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है वहां सम्पूर्ण जिला साक्षर हो गया, कोई निरक्षरता नहीं रही, यह कंसैप्ट बिलकुल गलत है।

(डा. रतन लाल)

माननीय सभापति महोदय, सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बीमा योजना चलायी गयी थी, उस बीमा योजना में लगभग 80 लाख बच्चों का 1994 से 98 के बीच में राज्य सरकार द्वारा बीमा कराया गया। 25 लाख रुपये की राशि इस सरकार द्वारा इस में भी जमा करायी गयी। मुझे खुशी है कि सरकार ने वर्तमान में भी इस योजना को बराबर लागू रखा है।

सभापति महोदय, समय–समय पर स्थानान्तरण नीति की बात होती है। मैं पूर्व मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के पिछली सरकार में स्थानान्तरण किये थे। एक बहुत बड़ी फौज हमारे अध्यापकों की है और परिस्थितियों से आप और हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि तबादलों के दिनों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठ पाते, वे छुट्टी लेकर भाग जाते हैं। लेकिन पहली बार पिछली सरकार ने यह प्रयत्न किया, स्थानान्तरण नीति बनाई। उस नीति के तहत ही बगैर भेदभाव के...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सभापति महोदय, मैं डाक्टर साहब को थाड़ा संशोधित करना चाहता हूं अभी जो विधान सभा के चुनाव हुए, इन चुनावों में मतदाताओं ने मतदान किया, मतपत्र की जो दो प्रतियां होती हैं उसमें से काउण्टर प्रति पर कितने लोगों ने अंगूठा लगाया है, इसी से साबित हो जाता है कि साक्षरता का कितना प्रचार किया गया है।

श्री सभापति : यह सूचना प्राप्त करेंगे। (व्यवधान)

डा. रतन लाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के स्थानान्तरण नीति के आधार पर तबादले किये गये थे। उसमें खास तौर से जिन अध्यापकों के परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत या उससे ऊपर थे उनको उनके इच्छित स्थानों पर लगाया गया था बगैर किसी भेदभाव के इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य था कि शिक्षा किस तरह से गुणात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़े। अभी अच्छे परिणामों के आधार पर इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की बात मैंने कही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन–जिन स्कूलों में जीरो प्रतिशत रिजल्ट्स रहे थे और उन अध्यापकों को जिले के बाहर स्थानान्तरण किया गया था, उन अध्यापकों को वर्तमान सरकार के द्वारा पुनः उन्हीं जिलों में लगाया जा रहा हैं यह एक खेदजनक बात है। हमारे गरीब काश्तकारों के बच्चे जिनको वे पढ़ाते नहीं थे उनकी शिकायतें थी, जीरो प्रतिशत रिजल्ट रहा, उसके आधार पर उनका अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया। अब पुनः उनको पुरस्कृत करने के लिये उन्हीं जिलों में लगाया जा रहा है।

जहां तक बोर्ड के परीक्षा परिणाम का सवाल है, समय–समय पर परीक्षा परिणाम साइंस, आर्ट्स और कामर्स, सभी फैक्ल्टीज में निश्चिंत रूप से पिछली सरकार के समय

(डा. रतन लाल)

1994–98 तक बढ़े हैं। मैं प्रतिशत के आंकड़े नहीं बताना चहाता हूं, उत्तरोत्तर निरन्तर निश्चित रूप से प्रगति हुई है।

सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, भामाशाह योजना के नाम से शिक्षा जगत में प्रारम्भ की गयी थी। भामाशाह की जयन्ती पर 28 जून को जो व्यक्ति शैक्षिक जगत में सहयोग के नाते 1 लाख रुपया प्रदान करता था उनको राज्य स्तर पर, 50 हजार रूपये देने वाले भामाशाह को सम्भाग स्तर पर और 25 हजार रुपये देने वाले व्यक्ति को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाता। निश्चित रूप से यह एक अच्छा कार्यक्रम है और उसके तहत काफी अच्छा पैसा शैक्षिक जगत में आगे पढ़ने के लिये सरकार को मिला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 28 करोड़ रुपया भामाशाह योजना के तहत मिला है।

सभापति महोदय, संस्था प्रधानों को भी समय–समय पर प्रोत्साहित किया गया। उसके पीछे एक मात्र उद्देश्य था कि शिक्षा गुणात्मक दृष्टिकोण से अच्छी तरह से उस स्कूल में चले और सुधार हो। इस नाते विवेकानन्द जयन्ती पर 12 जनवरी को ऐसा विद्यालय जो राजस्थान में प्रथम आया हो, 50 हजार रुपये उस संस्था प्रधान और संस्था को दिये जाते हैं। जो संस्था जिला स्तर पर प्रथम आयी है उसको सरकार के द्वारा 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाते हैं। इसके द्वारा भी निश्चित रूप से शैक्षणिक जगत में कम्पीटीशन की भावना स्कूलों में पैदा हुई है और शिक्षा में अच्छा सुधार निश्चित रूप से हुआ है।

जहां तक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का सवाल है, उनमें भी 1993–98 के बीच काफी वृद्धि हुई है और वह वृद्धि भी कम नहीं, 64 प्रतिशत वृद्धि वर्तमान गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की संख्या की दृष्टि से इन वर्षों में हुई है। जो 98 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं उनमें तो वृद्धि बहुत ही ज्यादा, लगभग 252 प्रतिशत हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान बजट 1999–2000 के लिये पेश किया गया है, इस बजट में जो चीज अच्छी की गयी है, वित्त मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी निश्चित रूप से इसके लिये बधाई के पात्र हैं। इस साल के बजट में 2675 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। पहली बार ऐसी रुचि शिक्षा जगत में इन्होंने दिखाई है। एक हजार मिडल स्कूल खोलेंगे, लगभग 400 के आसपास मिडल स्कूल सैकण्डरी में क्रमोन्नत किये जाएंगे और इसके साथ ही साथ 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूल होंगे, इस नाते काफी महत्वपूर्ण बजट शिक्षा मद में रखा गया है।

लेकिन जो 16 हजार स्कूलों की बात की गयी है कि प्राथमिक शिक्षा केन्द्र चलाये जाएंगे, उसके बारे में अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी भी अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे और कल माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी इस

(डा. रतन लाल)

बात को स्वीकार किया था कि 1200 रुपये जो उनको दिये जा रहे हैं, निश्चित रूप से कम हैं। आज एक मजदूर की मजदूरी बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं, 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक को जहां काफी अच्छा वेतन मिल रहा है, वहां पर हम किसी व्यक्ति से, किसी बालक से, बालिका से यह उम्मीद करें कि वह केवल 1200 रुपये में अच्छी तरह से, व्यापक दृष्टिकोण से पढ़ा पाएगा, मैं सोचता हूं कि यह उपयुक्त नहीं रहेगा।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात है, पिछले 2–3 दिनों में जो डकैती, चोरी और पर्चे आउट होने वाली बात हुई वह खेदजनक बात है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने परसों अपने स्टेटमैंट में स्पष्ट तौर से आगे प्रभावी कदम लेने की बात कही है, मैं शिक्षा मंत्रीजी को फिर आगाह करना चाहूंगा कि जो फैसले उन्होंने लिये हैं, जो हाउस में आपने बात कही है उन कदमों को सख्ती से उठाएं ताकि भविष्य में माध्यमिक शिक्षा कोई राजस्थान जिसका हमारे देश में नाम रहा है, वह कलंकित न हो और इसके लिये आप बराबर प्रयत्नशील रहें।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से कुछ सुझाव निवेदन करना चाहूंगा। उसमें पहली बात, पिछली सरकार ने भी प्रयत्न किया था लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित नहीं हो पाई, वह है व्याख्याताओं के रिक्त पद, हम जहां स्कूलों में जाते थे हर जगह वह मांग होती थी कि टीचर्स और व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। सरकार ने भरने के लिये प्रयत्न किये हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि नहीं कर पाये। 50 प्रतिशत पद आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भरे जाते हैं और 50 प्रतिशत पद प्रमोशन के रेगुलर प्रोसीजर के आधार पर भरे जाते हैं। पिछली बार सरकार ने प्रत्यन किया था कि व्याख्याताओं के जो रिक्त पद पड़े हैं वे तुरन्त भर दिये जाएं और इमरजेंसी रिक्रूटमैंट के लिये उन्होंने एक प्लान बनाकर आर.पी.एस.सी. को भेजा था। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिये पिछली सरकार ने जो एक इमरजेंसी प्लान टीचर्स के, व्याख्याताओं के रिक्रूटमैंट के लिये बनाया था उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार करके हमारे जो पद रिक्त हैं वे शीघ्र भर दिये जाएं वह एक बहुत अच्छी उपलब्धि इस क्षेत्र में होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई जगह तृतीय श्रेणी टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। उसमें किस स्तर पर किस को रिक्रूट किया जाए ? जैसे अभी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र पर 1200 रुपये में किसी अध्यापक को लेने की बात चल रही है तो यह भी विचार आया कि 240 दिन होने के बाद वह व्यक्ति कोर्ट में चला जाएगा और पिछले हमारे कुछ कटु अनुभव रहे हैं, उस आधार पर वह अपनी नौकरी को स्थाई करने की बात करेगा। इसलिए जो पद रिक्त पड़े हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी

(डा. रतन लाल)

कोई व्यवस्था तुरन्त की जाए और जिला शिक्षा अधिकारियों को या किसी उच्च अधिकारी को इस बारे में अधिकृत किया जाए कि कम से कम 3 महीने के लिये कुछ नार्म्स बना दिये जाएं, एक क्राइटेरिया बना दिया जाएं, वह अधिकारी तुरन्त उस खाली पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति अध्यापक के रूप में करे। समय केवल 3 महीने का होगा, 3 महीने के बाद स्वतः ही उसका पद खाली हो जाएगा। इसलिये न तो 240 दिन की बात होगी और न किसी तरह से हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करने की बात होगी। इससे हमारे खाली पदों पर निश्चित रूप से एक टैम्परेरी व्यवस्था की जा सकती है।

मैं एक सुझाव के माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि समय–समय पर हमारे टीचर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि रिफैशर कोर्सेज जब कभी भी कोई भी आयोजित हुए हैं उसमें 15 परसेंट, 20 परसेंट, 25 परसेंट से ज्यादा अध्यापक प्रशिक्षण में नहीं जाते हैं। इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि शिक्षा जगत में कई प्रकार के चेंजेज किये जाते हैं, उसके अनुकूल उन अध्यापकों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सकें, प्रशिक्षण मिल सकें, उस नाते उनको बाध्य किया जाए कि जब तक कोई विशेष कारण नहीं हो, वे प्रशिक्षण शिविर में और रिफैशर कोर्सेज में कम्पलसरिली भाग लें।

स्कूलों में जहां तक थर्ड ग्रेड टीचर्स का

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सवाल है, इस पर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। अब थर्ड ग्रेड टीचर्स की ज्यादा आवश्यकता नहीं रही है, सैकण्ड ग्रेड टीसर्स और ज्यादा से ज्यादा सब्जैक्ट टीचर्स स्कूलों में सब्जेक्ट टीचर्स की मांग होती है इसलिए सब्जैक्ट अगर दिये जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने अध्यापकों को अच्छे परिणाम के नाते प्रोत्साहन देने की जो योजना चलायी थी उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे अपना सहयोग पूर्ण रूप से प्रदान कर सकें। मिडल स्कूल को जहां तक जिला परिषद को देने की बात है, अभी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीजी ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के जवाब में बताया था। निश्चित रूप से मैं स्वयं भी और हमारे कई साथी विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हैं, उसके विरोध में नहीं हैं लेकिन एक शिकायत थी कि पिछली सरकार के द्वारा 1988 में प्राइमरी स्कूलें जो जिला–परिषदों को दे दी गयी थीं, तीन सालों में उनको वापस विथड्रा करना पड़ा। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा कि एलीमैंट्री एजुकेशन के लिए अलग से एक डाइरेक्टर की व्यवस्था कर दी गयी है, मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में गुणात्मक दृष्टिकोण से सुधार हो इस नाते एस.डी.आई. लेवल से लगाकर डाइरेक्ट्रेट

(डा. रतन लाल जाट)-

लेवल तक इसमें नीतिगत परिवर्तन किया जाए तो जो पिछली बार हमें मिडल स्कूल वापस लेने पड़े थे वे मिडल स्कूल वापस नहीं लेने पड़ें। एक करोड़ की व्यवस्था की जो इस सैक्टर में बात की गयी है, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कदम है।

मैं इन्हीं सुझावों के साथ, माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बात बताना चाहूंगा। उच्च शिक्षा की जहां तक बात आती है, राजस्थान में वर्तमान में सात यूनिवर्सिटीज कार्यरत हैं, चार डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमारे यहां पर कार्यरत हैं और 257 कालेज जिसमें 99 कालेज गवर्नमैंट के और 150 प्राइवेट हमारे यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं।

जहां तक हायर एजुकेशन में महिला शिक्षा का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य की बात रही है कि महिला शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी इस राजस्थान राज्य में बहुत ही कम रही है। मैं आपको फिगर्स देना चाहूंगा कि वर्तमान में किस प्रकार से महिला शिक्षा में दुर्गति हो रही है, महिलाओं का पूरा भाग नहीं रहा है।

श्री सभापति : माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, सुनिये, आपकी बात हो रही है।

डा. रतन लाल जाट : महिला शिक्षा में मैं जनसंख्या की दृष्टि से आंकड़े बता रहा हूं कि किस प्रकार से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। उसका आंकड़ा आप, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, सुनेंगे तो वह बड़ा दयनीय है कि राज्य की जनसंख्या की मात्र 0.75 परसेंट महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए जाती हैं, उससे लाभान्वित होती हैं। इसलिए महिला शिक्षा की स्थिति काफी गम्भीर है, दयनीय है और निश्चित रूप से इसको सुधारना चाहिए। मैं सोचता हूं कि यह संवेदनशील सरकार तभी मानी जाएगी जब खास तौर से महिला शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में 0.75 परसेंट लाभान्वित होने का आंकड़ा है वह आंकड़ा तभी सुधर सकेगा जब इस दृष्टिकोण से हम प्रयत्न करेंगे। गर्ल्स कालेज की राजस्थान में जो स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर कुल 29 गवर्नमैंट गर्ल्स कालेज हैं, गैर–सरकारी 31 हैं और एफिलिएटेड मिलाकर 113 की संख्या है, ज्यादा नहीं है। इस संख्या को भी निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि 1980 से 90 के दस वर्षों में गवर्नमैंट कालेज खोले गये केवल चार और 1990 से 1998 तक आठ वर्षों में 32 कालेज खोले गये। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुई है, महाविद्यालय खोलकर की गयी है। जहां तक प्राइवेट कालेज का सवाल है वह भी, सभापति महोदय, आंकड़ा आपसे निवेदन कर दूं। 1980 से 1990 तक जो प्राइवेट कालेज खोले वे थे 39 और 1990 से 1998 के बीच खोले हैं 58, एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राइवेट कालेज के रूप में भी राजस्थान में हुई है।

श्री हरिसिंह(महुवा)(सरकारी मुख्य सचेतक) : थोड़ा इंटरप्शन कर दूं आपको। आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि क्वांटिटी वर्क तो काफी हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सदन में आप क्वालिटी सुधारने के लिए कुछ अपने सुझाव देंगे तो सदन भी लाभान्वित होगा और राजस्थान भी लाभान्वित होगा।

श्री माधव सिंह दीवान : ये तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सुझाव नहीं दे सकते।

डा. रतन लाल जाट : मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़े बता रहा हूं कि उच्च शिक्षा में महिलाएं कितनी लाभान्वित हो रही हैं। यह आंकड़ों की बात है, किसी प्रकार से क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, 0.75 परसेंट महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, हमें निश्चित रूप से इसको बढ़ाना चाहिए चाहे प्राइवेट कालेज खोलकर और नये कालेज खोलकर, उनको हम बराबर छात्रावास की सुविधाएं भी प्रदान करेंगे तो यह आंकड़ा हमारा निश्चित रूप से सुधर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1994 से 1998 तक पिछली सरकार में उच्च शिक्षा की दृष्टि से जो प्रयत्न हुए हैं, ऐसा कोई भी जिला नहीं जिसमें कोई पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं हो। निश्चित रूप से है और उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। हमारे एस.डी.एम. हैडक्वार्टर्स 68 हैं, उसमें केवल 22 को छोड़ कर सभी एस.डी.एम. हैडक्वार्टर्स पर आज कालेज विद्यमान हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी वे कह रहे थे कि गुणात्मक दृष्टिकोण से या और दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा कैसे आगे बढ़े, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने एस.डी.एम. हैडक्वार्टर्स बाकी रह गये हैं उन पर भी विचार करके बगैर किसी राजनैतिक भेदभाव के खोलें, जहां पर भी आप उपयुक्त समझते हैं। यह तो एक क्राइटेरिया है कि एक हैडक्वार्टर कवर हो गया एस.डी.एम., तो बाकी बचे हुए में भी निश्चित रूप से खोलने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र में जहां तक उच्च शिक्षा की बात आती है, वह दुर्भाग्य है कि पिछले चालीस वर्षों में केवल तीन महाविद्यालय खोले गये थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीन महाविद्यालय ट्राइबल के चालीस वर्षों में। लेकिन जनजाति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आठ वर्षों में पांच नये महाविद्यालय खोले गये हैं, सागवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर गर्ल्स, बांसवाड़ा गर्ल्स और कुशलगढ़। यानी चालीस वर्षों में चार महाविद्यालय और आठ वर्षों में पांच महाविद्यालय की उपलब्धि रही है। यह मैं आंकड़ों की दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि यह आंकड़ों की बात है, जो खोले हैं, वे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। नये सैक्शन भी समय–समय पर खोले गये हैं

(डा. रतन लाल जाट)

छात्रों की अधिकता को देखते हुए और कई बार तो एडमिशन का प्रैशर ज्यादा होने से 80–80 छात्रों को एक सैक्शन में बैठाने की बात आती है। उन छात्रों को...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा कीजिए।

डा. रतन लाल जाट : उन छात्रों की सैक्शन की संख्या 60 करके सभी कालेजेज में लगभग 281 नये सैक्शन पिछली सरकार के द्वारा खोले गये थे। शिक्षा सत्र का नियमितीकरण किया गया, उपस्थिति की अनिवार्यता को लागू करने का प्रयत्न किया गया और शिक्षकों की काफी अच्छी संख्या में भर्ती की गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। वर्तमान बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोधपुर में लॉ यूनिवर्सिटी दी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। काफी लम्बे समय से उसकी मांग थी और वास्तव में राजस्थान में कोई लॉ यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, उस कारण से भी लॉ यूनिवर्सिटी दी है। एक करोड़ रुपये की उसमें स्वीकृति आयी है। मुख्य मंत्रीजी का क्षेत्र है, जोधपुर पर उनकी विशेष निगाह है, निश्चित रूप से उन्होंने दी, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री माधव सिंह दीवान : विधि मंत्री भी वहीं के हैं।

डा. रतन लाल जाट : विधि मंत्रीजी भी वहीं के हैं इसलिए उन्होंने वहां इसके बारे में रुचि ली।

श्री सभापति : वे तो खेल मंत्रीजी हैं।

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, यह यूनिवर्सिटी मिली है, मैंने बधाई दी है, धन्यवाद दिया है। मैंने कोई विरोध नहीं किया है आज, न किसी प्रकार का विरोध करना चाहूंगा। राजस्थान में पहली बार कोई विधि यूनिवर्सिटी बनी है, उसके लिए सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में 1960 से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल रही थी लेकिन 1987 में उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उदयपुर से बन्द कर बीकानेर ले जाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैंने बधाई दी है सरकार को कि उन्होंने पहली बार जोधपुर में लॉ यूनिवर्सिटी खोली है, लेकिन एक बहुत ज्वलंत समस्या है पश्चिमी राजस्थान की, पिछड़े हुए क्षेत्र की। 1960 से उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली हुई थी लेकिन 1987 में उस यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कर बीकानेर ले जाया गया। बीकानेर ले जाया गया, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी 1987 में ट्रांसफर कर दी गयी थी, 1960 से

(डा. रतन लाल जाट)

सफलता से चल रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। वहां भूमि उपलब्ध है, वहां बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पांच फैकल्टीज आवश्यक होती हैं, उन पांच फैकल्टीज में से आज की तारीख में चार फैकल्टीज उदयपुर में एग्रीकल्चर की साउथ विंग में चल रही हैं। वहां भूमि उपलब्ध है, भवन उपलब्ध है, सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मौजूद है, आज की तारीख में कोई खर्चा नहीं करना है। इधर तो एक करोड़ रुपया भी देना पड़ा लेकिन उदयपुर में वापस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिये एक मात्र वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की जरूरत है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मैं सोचता हूं कि इस हाउस में और इसहाउस के बाहर भी पश्चिमी राजस्थान से जो–जो विधायक जुड़े हुए हैं, समय–समय पर जब–जब भी मौका आया है...

श्री सभापति : पश्चिमी राजस्थान नहीं, दक्षिणी राजस्थान बोलिये। दक्षिणी राजस्थान।

डा. रतन लाल जाट : दक्षिणी राजस्थान में जो हमारा ट्राइबल बैल्ट है उदयपुर संभाग, उस उदयपुर संभाग के जनप्रतिनिधियों ने जब कभी मौका मिला है, सार्वजनिक रूप से भी और इस हाउस में भी इस बात को उठाया है, बहुत वाजिब मांग है कि उदयपुर में निश्चित रूप से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पुनः शुरू की जानी चाहिये। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि वहां न केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जाए बल्कि महाराणा प्रताप के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को भी बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी कई बार हाउस में इस बात को कहा है...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह वास्तव में उचित मांग है। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : बहुत–बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। 1987 में यह यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हुई थी तब से यह मांग बराबर चली आ रही है। न केवल आठ साल से, मैं तो कह रहा हूं 11–12 साल से, जब से यूनिवर्सिटी बंद हुई है तब से मांग चल रही है। आप भी उसका समर्थन करते हैं, हम भी उसकी पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा(उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सदस्य को होश तो आया है लेकिन बहुत देर से आया है, इसलिए अफसोस है।

श्री हरिसिंह(मंहुवा) : आप मंत्री भी रहे हैं इस दरम्यान में, आपने उस समय क्यों नहीं पहल की ? क्या बाध्यताएं थीं आपके सामने ?

श्री सभापति : एक साल का ही समय मिला था।

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सचेतक महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि मैं

(डा. रतन लाल जाट)

हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहा था, लेकिन यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिनिस्टर के अण्डर में आता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कैबिनेट में तो थे।

डा. रतन लाल जाट : मैं केबिनेट में था, मैंने मांग की है। मैं यह कह रहा हूं पिछले 11–12 सालों से हम मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया(बड़ी सादड़ी) : पिछले बजट में पिछली सरकार ने घोषणा कर दी थी। कोटा यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी थी, बीकानेर यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी थी और उदयपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की घोषणा करके उसके लिये कमेटी बनाकर एक करोड़ रुपया भी बजट में दिया था। पिछली सरकार घोषणा कर चुकी थी फिर भी इस सरकार ने उसको नहीं किया, यह मेरा आरोप है।

डा. रतन लाल जाट : इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। समय देने के लिये आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद, डाक्टर साहब। माननीय श्री शैलेन्द्र जी जोशी। क्या कहना चाहते हैं डाक्टर साहब ?

डा. राम प्रताप(हनुमानगढ़) : पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव प्रतिपक्ष के तो आते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के अगर कटौती प्रस्ताव आ रहे हैं, that means they are assailing their own budget proposals. झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने जब कहा कि कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या है, तो मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा। सत्ता पक्ष के कटौती प्रस्ताव का मतलब, they are assailing their own budget proposals. इस पर आसन से व्यवस्था चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर साहब, यह हाउस की परम्परा रही है।

श्री हरिसिंह(महुवा)(सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं कोट कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां, आप बता दीजिये।

श्री हरिसिंह(महुवा)(सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं अनुरोध कर रहा हूं यह पूर्व में निर्धारित है। अपने यहां संकलन है इसके पेज 177 पर, अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव की सूचना देने का अधिकार सभी सदस्यों को हैं। इसलिए कोई आपका...(व्यवधान)

डा. राम प्रताप मैं यह नहीं कर रहा हूं कि अधिकार नहीं है। अधिकार के बारे में नहीं कह रहा हूं।

डा. हरिसिंह(महुवा)(मुख्य सचेतक) : अधिकार है तो देंगे।

श्री सभापति : आप सरकार और विधायिका को अलग–अलग नहीं समझ रहे है

(श्री सभापति)

क्या ? विधायिका में तो सब विधायकों का एक ही राइट है, गवर्नमैंट एक अलग बाडी है यह तो अपनी परम्परा चली आ रही है।

डा. राम प्रताप : परम्परा की बात नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था की बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सत्ता पक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव लगा सकते हैं ?

श्री सभापति : लगाते रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, बताइये, लगाते हों तो बताइये आप। स्थगन प्रस्ताव नहीं लगा सकते। माननीय सभापति महोदय, आपने जो सबके सिमिलर पावर उनको बताये हैं...(व्यवधान)

डा. राम प्रताप : इसके ऊपर जरा सोचकर व्यवस्था दें अपनी।

श्री राजेन्द्र पारीक(सीकर) : एक परम्परा है कि लगाते नहीं हैं। लगा क्यों नहीं सकते ? एक परम्परा बनी है कि लगा नहीं सकते।

श्री सभापति : परम्परा बनी हुई है। परम्परा है, लेकिन लगा नहीं सकते। यह बात तो है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह परम्परा है कि नहीं लगाते।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिरह की बात कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : हां, तो हाउस परम्पराओं से चलता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले तो आप अपनी सीट से बोले।

श्री सभापति : माननीय शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री सभापति : क्या कह रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : एक व्यवस्था मैं आपसे चाहूंगा।

श्री सभापति : पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल(स्वायत्त शासन मंत्री) : तो इन्हें ही बोल लेने दो आप।

श्री सभापति : नहीं, आप बोलिये न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बोलने ही नहीं देना चाहते।

श्री सभापति : हां, आप बोलिये। वे बैठ गये, आप बोलिए।

डा. चन्द्रभान(ऊर्जा मंत्री) : मंत्रीजी पहले खड़े हुए हैं।

श्री सभापति : अब फरमाइये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं–नहीं, ये बोलना चाह रहे थे पहले। दिग्विजय सिंहजी पहले साथ रहे हैं इसलिए पहले उनको समय दे रहे हो। पहले धारीवाल जी कहना चाहते हैं, हम इनकी आवाज सुनना चाहते है।

श्री सभापति : माननीय धारीवाल साहब, आप बोलिये। बोलना चाहते हो तो बोलिये।

(श्री सभापति)

आप बैठें, धारीवाल साहब बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी बात के धनी हैं, एक बार बैठ गये तो फिर नहीं उठेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी डाक्टर रामप्रताप जी ने जो यह बात उठायी कि सत्ता पक्ष के लोग कटौती प्रस्ताव नहीं दे सकते...

डा. राम प्रताप : यह नहीं कहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यही कहा है।

श्री सभापति : इसका तो उत्तर पूर्ण व्यवस्था के अनुसार माननीय मुख्य सचेतक जी दे चुके हैं न।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर आसन सन्तुष्ट हो गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो और ही ज्ञान दे रहे थे।

श्री सभापति : नहीं, दे चुके वे उत्तर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जब प्रतिपक्ष सक्षम नहीं होता है तो सत्ता पक्ष की भी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह सरकार को आगाह करें, चाहे वह कटौती प्रस्ताव के जरिये करे या किसी भी अन्य प्रस्ताव के जरिये करें। इस अक्षमता के कारण ही सत्ता पक्ष को लाचार होकर इस प्रकार के प्रस्ताव देने पड़ते हैं।

डा. राम प्रताप : मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका ज्ञानवर्धन बहुत तगड़ा है। भला करे भगवान और आपको सद्‌बुद्धि दे, आपस में ही भिड़ते रहो। (व्यवधान)

डा. राम प्रताप : विरोधी सक्षम है कि नहीं, मुद्दा यह नहीं है। कटौती प्रस्ताव का मतलब समझते हुए मैं आसन से यह व्यवस्था मांग रहा हूं। इसका मतलब तो यह हो गया कि बजट को आप असैल कर रहे हैं। मैं यह पूछ रहा हूं और कुछ नहीं पूछा मैंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके यहां ही जयललिता ने वहां पर कटौती प्रस्ताव लगा रखा हैं।

डा. राम प्रताप : इसको आप हल्के—फुल्के तरीके से नहीं सोचे।

श्री मदन दिलावर : बहुत ही हल्के तरीके से ले रहे हैं कटौती प्रस्ताव का, माननीय मंत्री महोदय बहुत ही हल्के तरीके से ले रहे हैं कट मोशंस को।

श्री सभापति : माननीय दिग्विजय सिंहजी। हां, इनका पाइंट आफ आर्डर है। माननीय दिग्विजय सिंहजी, बोलिये। (व्यवधान) नोंक—झोंक मत करिये, प्लीज। हां, माननीय दिग्विजय सिंह जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका क्या होगा मदन दिलावर ?

श्री दिग्विजय सिंह(उनियारा) : माननीय

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग कट मोशन दे सकते हैं या नहीं। इसके संबंध में नियमों के अंदर साफ है और लिखा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग अनुमोदन करते हुए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने शायद पढ़ा नहीं हो। आपने पढ़ा नहीं है, यह लिखा हुआ है। एक रुपये की कटौती करते हुए हम इस बजटीय प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। इसलिए कट मोशंस कोई सत्ता पक्ष के देने की बात नहीं है ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है, अनुमोदन नहीं दे सकते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब लोगों ने 100 रुपये का फार्म भरा है।

श्री सभापति : यह परम्परा रही है। माननीय शैलेन्द्र जी। अब आप सन्तुष्ट नहीं हैं, उसका कोई कारण नहीं बनता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक रुपये वाला फार्म नहीं भरा, सो रुपये वाला भरा है।

श्री सभापति : वह कैसा ही भरा हो। माननीय शैलेन्द्र जी। (व्यवधान) हां, आप क्या कह रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी बात पूरी कर लेने दें। सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, वे मंत्री भी रहे हैं और इधर जब सत्ता में थे, आपकी तरफ से भी कई प्रकार के कट मोशन आए हैं और माननीय भैरोंसिंह जी...(व्यवधान) और अन्त में आपसे व्यवस्था और चाहूंगा कलेरिफिकेशन के हिसाब से। सभापति महोदय, कट मोशंस कोई भी माननीय सदस्य हों, देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उस स्पेसिफिक पाइंट पर कट मोशन का जिक्र करेंगे या उनको एक वाइड बजट की डिबेट के रूप में स्वीकार कर अलाउ करेंगे। यानी उसका तो कोई अंत ही नहीं होगा, कोई 45 मिनट तक, कोई एक घंटे तक बोले जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक को पाइंट आउट रेज करते हुए कट मोशन देंगे और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। अब अगर उसके अन्दर हम प्रक्रिया में लग जाए और 45 मिनट में बजट के हिसाब से चलें तो सामान्य बजट–विवाद ही हो जाएगा। अगर सामान्य वाद–विवाद करना है तो एप्रोप्रिएशन बिल आए उस वक्त कर लें।

श्री सभापति : उस समय कर लें। माननीय शैलेन्द्रजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या–24, शिक्षा, कला और संस्कृति एवं मांग संख्या–22 पर्यटन पर रखे गये कटौती प्रस्ताव के अन्तर्गत बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए 23 करोड़ 3 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसी बजट में ओसियां मंदिर, जोधपुर के विकास कार्य हेतु 20 लाख रुपये रखे गये हैं। नाथद्वारा, पुष्कर और धार्मिक स्थान सालासर व विराटनगर के लिए भी 20–20 लाख रुपये

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वह वहीं किया जाए, इसका जयपुरीकरण, जोधपुरीकरण, उदयपुरीकरण नहीं किया जाए। जो कला जहां की है उसको वहीं पर महिमामंडित किया जाए जिससे कलाकारों को बढ़ावा मिले।

कलाकारों के समूहों में यदि शिक्षा का, चिकित्सा का अभाव है तो वह सुविधा उनको रैंडर की जाए कला संस्कृति विभाग द्वारा, यह भी मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, मेरा यह भी कहना है कि राजस्थान जो कि पर्यटन की स्थिति से एक बहुत ही व्यापक प्रसार का कार्यक्रम रखता था, उसमें अब कटौती आ रही है। आज राजस्थान में बहुत कम पर्यटक आने लगे हैं, इसकी कई वजह हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि राजस्थान में टूयूरिस्ट की अराइवल में बहुत ही कमी आ रही है। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में आर.टी.डी.सी. का मतलब राजस्थान टूयूरिज्म डवलपमैंट कारपोरेशन नहीं था बल्कि राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन था। जितनी भी पुराने जमाने की सामंतों की हवेली थी, जो कि जनता की गाढ़े खून की कमाई से चूस–चूस कर बनायी गयी थीं उन सब को हैरिटेज होटल में बदल दिया गया। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बड़ी–बड़ी इमारतों के आज जो भू–स्वामी हैं क्या उन्हीं की खून की कमाई की बदौलत हैं ? वे सब जनता के पैसे की बनीं। जहां–जहां ऐसी हैरिटेज होटल हैं उस गांव के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन की, होस्पिटल की सुविधाएं देनी

(15.00 बजे)

चाहिए और जन सहभागिता योजना में ऐसे होटलों से जो आय होती है, जहां हवेली है उस गांव के लोगों को, वहां की पंचायत को इसकी एक निश्चित हिस्सा राशि दी जानी चाहिए, यह मेरा राज्य सरकार को सुझाव है। राजा–महाराजाओं ने शोषण से सम्पत्ति बना ली लेकिन आज भारत आजाद है न कि अफ्रीकन स्टेट है। उसके बाद भी उनका एक मात्र समूचा लाभ उन्हीं लोगों को मिले और गरीब टुकर–टुकर करके देखें, मैं समझता हूं कि यह अपने आप में समाजवादी व्यवस्था पर घोर अभिशाप है। समाजवादी व्यवस्था में यह पूंजीवादी व्यवस्था और मोनोपोली का जो सिस्टम है उसको ब्रेक होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि इनके पास तोप है, तोप देखने के लिए आते हैं लोग, आलीशान मकान देखने के लिए आते हैं लेकिन उस गरीब को क्या मिलता है ? उस गांव के गरीब को कुछ नहीं मिलता। उसके यहां पानी भरता है, बगल में हैण्ड पम्प नहीं है लेकिन टूयूरिस्ट आते हैं। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमैंट में सोची समझी चाल का एक अंश है। और इस षड्यंत्र को माननीय मंत्री महोदया, आप समाप्त करें, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री हरिसिंह(महुवा) : माननीय सदस्य, इनका पुरातात्विक महत्व है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पुरातात्विक महत्व यह है कि हमारे पूर्वजों का खून चूसकर ये

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इमारतें बनायी गयी थीं। यह जरूर पुरातात्विक महत्व की है। हमारी मैन पावर वेस्ट हुई थी, अब जन सहभागिता के हिसाब से उनको कंट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए। वहां की प्रोसपेरिटी की जानी चाहिए जियोग्राफिकली।

एक माननीय सदस्य : वी.पी. सिंहजी नाराज हो गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नाराजगी की बात नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप जाकर मना लें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मेरे यहां पर बदनोर के अन्दर बहुत बड़ा गढ़ है। वह सरकारी है, मेरा नहीं है। सरकार होटल बना सकती है, चला नहीं सकती है। वह गिर रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर आप लीजिए, उसको बनाइये। जो है वह तो बना नहीं सकते। नजूल प्रोपर्टी के अन्दर कितने ही गढ़ पड़े हुए हैं जो सरकार के हैं। न तो आप किसी को बनाने दें और न ही उनको सरकार बना सकती है। आप यहां ००० ऐसी छोटी बात नहीं करें।

श्री हरिसिंह(महुवा) : यह व्यक्तिगत बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके व्यक्तिगत जो भी विचार हैं...

श्री सभापति : ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : व्यक्तिगत स्वार्थवश आपने जो बात कही है उसको सीमित रखते हुए मैं मर्यादित रहूंगा और आप की तरह +++ शब्द का प्रयोग नहीं करके मैं मेरी स्वस्थ विचारधारा कायम रखूंगा। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए...

श्री सभापति : आपके मुख्य सचेतकजी कुछ बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह(महुवा) : मैं आसन से अनुरोध करूंगा कि इस +++ शब्द को कार्यवाही से निकाल दें। यह ठीक है कि असंसदीय नहीं है लेकिन इनडीसेंट जरूर है।

श्री सभापति : ये शब्द तो बोले जाते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा शब्द मैं वापस लेता हूं। ऐसी छोटी बात नहीं करें।

श्री सभापति : हां, यह ठीक है। छोटी बात ही लिखिए उसमें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह मेरी व्यापक सोच का नतीजा है इसलिए इसको छोटी बात नहीं कहें।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जयपुर में पर्यटन की सुविधाएं और विकसित करने के लिए राज्य सरकार को इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहिए। आज जो भी ट्रैफिक आता है, बाई रोड आता है या बाई ट्रेन आता है। बाई एयर आता है तो बोम्बे से, देहली से और बैंगलौर से भी फ्लाइट चेंज करके आना

००० शब्द प्रतिस्थापित किया गया।
+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

के प्रावधान किये गये हैं। इसके अतिरिक्ति ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार व संरक्षण हेतु 2 करोड़ 31 लाख का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को बहुत–बहुत बधाई देता हूं। साथ ही जयपुर स्थित अल्बर्ट हाल के संरक्षण और रख–रखाव, एवं नवीनीकरण के लिए जो एक लाख रुपये निश्चित किये गये हैं, उसके लिए भी राज्य सरकार को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, गयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी प्रोत्साहन दिया और कला एवं संस्कृति विभाग का सरकारीकरण कर दिया। आज की स्थिति यह है कि रवीन्द्र मंच जो कि कलाकारों की कला स्थली है, उस कला स्थल में मैनेजर आर.ए.एस. अधिकारी हैं, जवाहर कला केन्द्र के अधिकारी आई.ए.एस. हैं और एक आर.ए.एस. अधिकारी हैं। संगीत नाटक अकादमी के इन्चार्ज आर.ए.एस. अधिकारी हैं और जोनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के अधिकारी आई.ए. एस. हैं। इस तरीके से राजस्थान में कला एवं संस्कृति विभाग का नौकरीशाही द्वारा सरकारीकरण कर दिया गया है। राजस्थान के जितने भी चुने हुए कलाविद हैं, कलाकार हैं, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन में जिनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनको जानबूझकर अलग किया गया था गयी सरकार द्वारा और इस सरकार के द्वारा भी अभी तक कोई ऐसी आशा की किरण नहीं जगायी गयी जिसके द्वारा यह सिद्ध हो कि कोई नयी पहल की जाने वाली है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ने जनवरी के माह में जवाहर कला केन्द्र को स्वायत्तशासी बनाने की घोषणा की थी किन्तु माननीय मंत्री महोदया ने अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया है, यह एक विचारणीय मुद्दा है, मैं समझता हूं वे अपना जवाब दें।

इसके अतिरिक्त बी.जे.पी. सरकार ने कला को हिन्दुत्व व खाकी नेकर का जामा पहना कर उसमें कलाकार व अन्य लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी और उसका सरकारीकरण कर दिया था। यहां तक सभापति महोदय, संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन का देहान्त हुए लगभग एक वर्ष हो गया है किन्तु संगीत नाटक अकादमी के चेयरमैन का स्थान आज तक भी खाली है और उसकी जगह कोई भी रिप्लेस नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त ललित कला अकादमी का पुनर्गठन नहीं हुआ है और गये तीन महीने से ललित कला अकादमी पुनर्गठन के अभाव में फंक्शनलैस है। यह हमारी वर्तमान राज्य सरकार की कला एवं संस्कृति की स्थिति है। सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में पूरे भारत को सात कल्चरल जोन में बांटा गया था और उसमें राजस्थान क्षेत्रीयता के आधार पर तीन जोन में आता था। इन तीन जोन का जो रिप्रजेंटेशन है, गिने–चुने लोग ही चमचागीरी, चापलूसी व चुगलखोरी के आधार पर रोटेशन के माध्यम से इनके रिप्रजेंटेटिव होते रहे हैं और जो कला विशेषज्ञ हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है जिससे कि वास्तव में प्रतिनिधित्व की कमी हो रही है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही राजस्थान में कल्चरल माफिया क्रिएट हो गया है। यह जो कल्चरल माफिया है यह कल्चरल माफिया चाटुकारिता के वर्चस्व को कायम रख रहा है और इसी के कारण राजस्थान में नये कलाकार नहीं पनप पा रहे हैं। सभापति महोदय, और तो और, रवीन्द्र मंच जैसी संस्थाओं का प्रबन्धन तुरन्त कलाकारों को सौंपा जाना चाहिए। एक आई.ए.एस. अधिकारी, आर.ए. एस. अधिकारी को किसी तरह की स्पेशल नोलेज नहीं है, वे स्पेशली स्किल्ड नहीं हैं फिर भी उनको वहां पर अपाइंट कर इन्चार्ज बना कर कलाकारों का एक तरह से डिवैल्युएशन किया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि रवीन्द्र मंच सोसाइटी में इसका प्रावधान भी है कि इसका प्रबन्धन यहीं के कलाकारों को सौंप देना चाहिए। काफी लम्बे समय से यह मांग चल रही है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में और आज भी इसको कोई तवज्जोह नहीं दी गयी है।

इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक अनुदानों की जांच सही समय पर नहीं हो रही है जिसकी वजह से अंधा बांटे रेवड़ी फिर–फिर अपनों को दे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लाखों रुपये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर ऐसे लोगों को दे दिये गये जिनको कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ए.बी.सी. की भी जानकारी नहीं थी। मेरा तो यही निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदया इस सम्बन्ध में जागरूक रहें और कला और संस्कृति विभाग पर अपनी पकड़ बनाते हुए इसको इफैक्टिव करें। रवीन्द्र मंच के रिनोवेशन पर एक करोड़ रुपया खर्च हो रहा है किन्तु आज कलाकारों के लिए कोई पैसा नहीं है। रवीन्द्र मंच का किराया बढ़ा कर अनाउंस कर दिया। कलाकार वैसे ही पैसे की तंगी में रहते हैं, रवीन्द्र मंच का किराया बढ़ा देने से वे कलाकार जो कम पूंजी में अपना शो करना चाहते हैं अपना कार्यक्रम सम्पन्न नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं यह कलाकार को बढ़ावा देना नहीं हुआ बल्कि धक्का देने की शुरूआत हुई है।

श्री नन्दलाल मीणा : यह किसके राज में हुई है ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आपके राज में हुई है जिसको हम खतम करने जा रहे हैं संकल्पबद्धता के कारण, प्रतिबद्धता के कारण। (व्यवधान) मैं आपसे पूछ कर तो बोलूंगा नहीं।

सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि लोक कला व संस्कृति का विकास हो लेकिन जो जहां हो उसका विकास वहीं किया जाए। यदि लालसोट में हेला दंगल होता है तो उसको रामनिवास बाग में नहीं करवाया जाए क्योंकि रामनिवास बाग में उसको 100 आदमी भी देखने नहीं आएंगें। जैसा कि बी.जे.पी. की सरकार ने भूल की थी, लालसोट का दंगल रामनिवास बाग में करवा लिया, 100 आदमी भी देखने नहीं आये। जो जहां है

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

पड़ता है। इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के अभाव में वह यहां सीधा नहीं आ सकता और यह भी अपने आप में एक ब्रेक करता है कि ट्यूरिस्ट कम आए। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इन्टरनेशनल एयरपोर्ट कायम करें। इन्टरनेशनल फ्लाइट तभी आ सकती हैं जबकि यहां पर एयरपोर्ट हो। उसकी कुछ बातचीत चल रही है किन्तु उसको द्रुत गति से क्रियान्वित किया जाए। मेरा यह भी कहना है कि एयर कनैक्टिविटी बढ़े और अजमेर और पुष्कर जो कि धार्मिक स्थल है, इन दोनों के लिए रैगुलर एयर फ्लाइट होनी चाहिए ताकि हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इको–ट्यूरिज्म को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। आजकल ट्यूरिज्म की मल्टी डाइमेंशनल एक्टिविटी डवलप हुई हैं, जबकि हम ट्रेडीशनल एप्रोच से ट्यूरिज्म को डवलप कर रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो नये मैथड आ गये हैं वह सारी मल्टी डाइमेंशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए ट्यूरिज्म में, तभी जाकर ट्यूरिज्म से हमको रेवेन्यू हो सकेगी। इसके लिए इको–ट्यूरिज्म किया जाए जैसे कि नैचर, ट्यूरिज्म, जिसमें मगरमच्छ के पार्क हैं जैसा, कि पाली में बनाया गया है। एक अभी–अभी राज्य सरकार द्वारा पतंग की अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिता करवायी गयी। वह भी अपने आप में एक नया डाइमेंशन है ट्यूरिज्म को डवलप करने का। इन सबके लिए मैं माननीय मंत्री महोदया को अभिशंसित और प्रशंसित करता हूं इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने से ही हमारा पर्यटन बढ़ सकेगा।

इसके साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज ट्यूरिज्म के आर्गेनाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है लेकिन रूरल ट्यूरिज्म की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जिससे कि जो वाइलेंटर होगा जैसा कि कोई कुम्हार है वह पोट मेकिंग करता है तो विदेशी पर्यटक के लिए वह बहुत आकर्षक रहता है। कुम्हार जो 100–200 कलाकृतियां बनाता है, आप उसको वहां तक ले जाइये और दिखाइये तो वहां पर भी एक तरह से जोब जनरेट होगा और हैण्डीक्रफट भी डवलप होगा। इसी तरह से दरियां, गलीचे हैं हाथकर्घा के इसको बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस तरह के काम किये जाने चाहिए।

(15.05 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, एडवेंचर ट्यूरिज्म की भी बात हैं, चम्बल नदी के अन्दर नाव का चलाना या पर्वतारोहरण जैसी एक्टिविटीज आप बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ट्यूरिज्म से अधिक कमाई होने की आशा होगी। आज हॉर्स और कैमिल सरकारी का भी आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोटैक्टेड मोन्युमैंट्स हैं, प्राइवेट सैक्टर उनके संरक्षण के लिए आगे आए इसके लिए

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भी कोई योजना बनायी जानी चाहिए। आज राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है माननीय सभापति महोदय, कि पुरातात्विक महत्व की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मोन्युमैंटस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके टाइमली। इसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में कनक वृन्दावन नाम की एक जगह पर पुराना मन्दिर था, उस मन्दिर को लोग लगभग भूल गये थे लेकिन एक ट्रस्ट ने उसको लिया, उसको बनाया और आज जयपुर का पहले नम्बर का यदि कोई बाग–बगीचा है जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं तो वह गोविन्द देवजी का पुराना मन्दिर कनक वृन्दावन है। ठीक इसी तर्ज पर इन संस्थाओं को यह काम दिया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिले।

एक हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं उनके लिए प्रोपर गाइड नहीं मिलता। और तो और उनकी उपभोक्ताओं की जो सर्विस है उसमें भी हमको इम्प्रूवमैंट करना चाहिए। सभापति महोदय, आज पर्यटकों की जो स्थिति है, जयपुर शहर में लपका ग्रुप बढ़ रहे हैं और आये दिन विदेशी ट्यूरिस्टों के साथ कोई चोरी की, डकैती की, बलात्कार की, झूठ–कपट की, जालसाजी करके उनका सामान चुरा ले जाने की, उनके साथ मिस हैण्डलिंग की, मिसबिहेव की घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो असंवेदनशील थी उसने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कांग्रेस की सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह निश्चित तौर पर कोई ट्यूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था करें, ताकि जयपुर शहर में कम से कम विदेशी पर्यटकों के साथ अपराध घटित नहीं हो, जन्तर–मन्तर, हवामहल और आमेर इनमें ट्यूरिज्म की पुलिस चौकी कायम की जाए ताकि विदेशी पर्यटकों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हो। हमारी जो सामान्य पुलिस है वह पुलिस उन विदेशियों की भाषा नहीं समझ सकती। उनके साथ कोई अपराध हो तो कम से कम दो घंटे तक कोई बता नहीं सकता। वे सही समय पर पहुंचते नहीं हैं और अपराधी अपराध घटित करके चला जाता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया को मेरा यह सुझाव है कि ट्यूरिज्म पुलिस कायम की जाए।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि सिटी पैलेस और अल्बर्ट हाल में कस्टमर की जो सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जाए। आजकल पर्यटकों की जो संख्या घटती जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर होटल इण्डस्ट्री इतनी मंहगी हो गयी है कि यहां की होटलों में रहकर पर्यटन करना लगभग असंभव हो गया। इसके बजाय विदेशी पर्यटक जापान और हांगकांग जाना चाहेंगे क्योंकि इनके होटल की जो टैरिफ है वह इण्डिया के होटल की टैरिफ से कुछ कम ही है न कि ज्यादा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को चाहिए कि

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उसके लिए भी उचित प्रबन्धन करे। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्यूरिस्ट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्ति एक आफ सीजन ट्यूरिज्म की भी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि आफ सीजन ट्यूरिज्म के लिए सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा इसको बढ़ावा मिल सके। मेरा निवेदन करना यह है कि पुष्कर, जैसलमेर आदि 12 फेस्टीवल जो हम करते हैं इनके माध्यम से ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिला हैं, इसके अतिरिक्त और भी जगहें ढूंढकर नये–नये आयाम करने चाहिए ताकि हम ट्यूरिज्म को बढावा दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बाद शिक्षा की मांग संख्या 24 पर बोलना चाहता हूं। उसमें मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान के अन्दर 1952 से लेकर 1999 तक आज तक किसी भी वर्ष में इतने ज्यादा स्कूलों का खुलना संभव नहीं हुआ जितना इस वर्ष हुआ है। एक हजार प्राइमरी स्कूलों को मिडल में कन्वर्ट किया जाएगा, चार सौ मिडल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में और दो सौ माध्यमिक स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, प्राइमरी स्कूल यदि कहीं खुलती है तो सबसे पहले पहली कक्षा खुलती हैं इस बजट में सोलह हजार बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे जिसमें कि प्रत्येक शिक्षक को 1200 रुपये दिये जाने की व्यवस्था है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो पारिश्रमिक है यह कम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सोलह हजार बस्तियों में छोटे–छोटे स्कूलों में छोटी–छोटी जगह जहां पर कि ढाणियां हैं, 40–50–60 बच्चे हैं वहां पर वहीं के लोग जो कि आठवीं पास है। 1200 रुपये महीने में अध्यापन कराएं, इससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है। भारत आजाद होने के बाद यह पहला वर्ष है जिसमें कि इतना ज्यादा शिक्षा का प्रसार किया गया है। शिक्षा की सामाजिक सेवाओं का विस्तार जितना अबके किया गया है उतना कभी भी नहीं किया गया। सर्वाधिक विस्तार किया गया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय तीनों ही बधाई के पात्र हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने पढ़ लिया ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने पढ़ लिया लेकिन समझा नहीं है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप समझा ही नहीं पा रहे हो। इसमें यह नहीं आता है जो आप कह रहे हो।

श्री मोहन लाल मोदी : प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास और इनकी पहली क्लास अलग–अलग है, आप इसको कन्फ्यूज मत

(श्री मोहन लाल मोदी)

करिये। प्राइमरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इसमें।

श्री जगत सिंह दायमा : आप क्या इनकी बड़ाई कर रहे थे ?

श्री मोहन लाल मोदी : बड़ाई करने लायक तो है बजट। आप इस बात की काहे को चिन्ता करते हैं ? बजट में तो बहुत बड़ी बड़ाई का काम है सारा का सारा। (व्यवधान) कालेज खोल दी, सीकर को इतना बड़ा लाभ दे दिया। सीकर के अन्दर कितने मरीज़ आते हैं ? वहां सांवली के अन्दर कितना रुपया दिया है चन्दनमल जी ने उसके लिए, आप इस बात को भूल गये ? बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है जो सीकर में इतना रुपया दिया। तीस हजार रुपये साल का एक बैड का कर दिया, बैड बढ़ा दिये। आप, अमराराम जी, उसको अन्यथा कैसे ले रहे हैं ?

श्री अमराराम(धोद) : मोदी जी, बैद जी को श्री कल्याण हास्पिटल नहीं दिखा, जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल है और टी.बी. हास्पिटल दिख रहा है।

श्री मोहन लाल मोदी : तो टी.बी. हास्पिटल सारे हिन्दुस्तान का हैं, कोई राजस्थान का हैं ? हिन्दुस्तान से लोग आते हैं, अमराराम जी, आप इस बात को भूल रहे हैं।

श्री अमराराम(धोद) : मैं कहना नहीं चाहता कि बैद जी ने क्या किया है, मोदी जी कहलवाना ही चाहें तो कहना ही पड़ेगा।

श्री मोहन लाल मोदी : सारे हिन्दुस्तान के लोग आते हैं और उसकी तारीफ सबसे बड़ी यह है कि 99 प्रतिशत मरीज ठीक होकर जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चालू रखिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आ रे म्हारा संपट पाट मैं तने चाटूं तू मने चाट। इस बजट का क्या करेंगे इसके अलावा ? कुछ नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयी हमारी सरकार ने सबसे पहले तीन हजार शिक्षकों को रोजगार दिया, जबकि- भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान की स्कूलें शिक्षकविहीन थी, खाली पड़ी रहती थीं। कोई पढ़ाई नहीं होती थी। हमारी सरकार ने सबसे पहले तीन हजार शिक्षकों को रोजगार दिलाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि एक भी व्यक्ति ने हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाकर इन नियुक्तियों के खिलाफ कोई स्टे नहीं लिया। इसका मतलब कितने साफ तरीके से ये नियुक्तियां की गयीं। यह अपने आप में प्रथम दृष्ट्या इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार के मंसूबे बहुत ही स्पष्ट हैं।

(15.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हैण्ड पम्प मस्ट है और ड्रिंकिंग वाटर की फैसेलिटी निश्चित तौर पर दी जाएगी। इसके लिए माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय ने हर डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर मानीटरिंग की और उनकी प्राथमिकता है कि पहले प्राइमरी स्कूल को फिर मिडल स्कूल को ड्रिंकिंग वाटर के लिए हैण्ड पम्प या अन्य कोई सोर्स, टंकी वगैरह उपलब्ध करवाया जाए। यह निश्चित तौर पर मानवता की सच्ची सेवा करना है। मैं समझता हूं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है पुरुषार्थ की प्राप्ति करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह एक सारगर्भित कदम है। इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण शौचालयों का निर्माण जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देने की बात पहली बार किसी ने फोकस की है। अन्यथा स्कूल बढ़ा दी जाती हैं लेकिन कमरे हैं कि नहीं। शिक्षक हैं या नहीं है इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में केवल संख्या बढ़ती गयी और गुणवत्ता गिरती गयी, लेकिन अब के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी पहली बार प्रयास किया गया।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। फलौदी, लालसोट, नीमकाथाना, खेतड़ी, आमेर, शिवगंज और तारानगर में डिग्री कालेज खोलने की जो घोषणा की गयी है वह इस बात का प्रतीक है कि उच्च शिक्षा के लिए भी राज्य सरकार कटिबद्ध है। साथ ही साइंस फैकल्टी और 100 नये सैक्शन खोलेंगे जिससे कि छात्रों के प्रवेश के समय जो उच्चांक पहुंच जाता है वह नार्मलाइज हो जाएगा। 50 प्रतिशत या 45 प्रतिशत जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं एडमिशन के लिए उस पर एडमिशन मिल जाए, इसके लिए नये सैक्शन का खोलना अनिवार्य है। इसकी घोषणा निश्चित तौर से राजस्थान में छात्रों के प्रवेश के लिए एक अच्छा सूचक है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में हाई कोर्ट जोधपुर में है, ऐसी स्थिति में लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में करके एक करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा गया है यह बहुत ही अच्छी बात है। एलएल.बी. कालेज के जो हमारे विधि स्नातक हैं उनकी स्नातक की डिग्री में इससे क्वालिटेटिव इम्प्रूवमैंट होगा। बहुत लम्बे समय से मांग थी कि यहां लॉ यूनिवर्सिटी हो। लॉ यूनिवर्सिटी का खोला जाना निश्चित तौर पर हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से स्कूलों का विकास किया गया है उस तरीके से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी पूरी की पूरी स्पीच आज माननीय बीना काक को ही समर्पित है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप उनके करीब हैं, यह आप जाने और माननीय मंत्री महोदय

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जाने। पास--पास बैठे हैं तो उनको मालूम है कि...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसी स्थिति में राजस्थान में शिक्षा का बजट सर्वाधिक रखा गया है, यह अपने--आप में अनुशंसनीय, प्रशंसनीय है और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप इस बात का ध्यान रखें, गये दिन राजस्थान में जो पेपर आउट होने की घटना एक के बाद एक हुई है मेरी निश्चित मान्यता है कि यह राज्य सरकार के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र का ही बढ़ता हुआ कदम है। जिस तरीके से बजाज नगर में शिक्षा जगत को कलंकित करने के लिए, राज्य सरकार को कलंकित करने के लिए एक नुमाइशी तौर पर चोरी हुई। जिस मैनर, पैशन डिजाइन और स्टाइल में चोरी हुई वह इस बात को प्राइमाफेसी इंगित करती है कि यह चोरी केवल शिक्षा जगत में हलचल मचाने के लिए तथा जो सत्ताधारी सरकार है उसके खिलाफ राजस्थानव्यापी जनाक्रोश में अभिवृद्धि करने के लिए की गयी है, यह उन्हीं लोगों के द्वारा की गयी है जो समाज के कंटक लोग हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता में आयी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तब तब हिन्दू--मुस्लिम झगड़े यहां हुए। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटती रही तब तब यह पेपर आउट करने की घटना बढ़ती रही। ऐसी स्थिति में इसके लिए जांच की जानी चाहिए जिससे दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत--बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि करीब 20 सदस्य बोलेंगे, समय का ध्यान रखें। श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई(फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के विषय में मांग संख्या 24 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि फलौदी जैसे पिछड़े क्षेत्र के अन्दर लम्बे अर्से से वहां के नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। इसके साथ--साथ मैं वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जोधपुर जो कि राजस्थान की जुडीशियल कैपीटल माना जाता है और राजस्थान की एकीकृत हाई कोर्ट जहां पर थी वहां पर विधि विश्वविद्यालय की घोषण तो पूर्ववर्ती सरकार ने की लेकिन माननीय वित्त मंत्रीजी ने उस घोषणा को लागू करने का काम किया। मैं इस बात का विरोध करूंगा कि केवल मात्र एक करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में कोई अच्छा काम नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय के लिए वहां के एक

(श्री रामनारायण विश्नोई)

एडवोकेट भण्डावत साहब ने सवा करोड़ रुपये की राशि तो अपनी तरफ से पहले ही दे दी। ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान की सरकार वहां 4–5 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम करती तो यह बहुत अच्छा होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो 16 हजार प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर खोलने की घोषणा की हैं उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। राजस्थान के अन्दर प्राथमिक शिक्षा का जो जमा–जमाया ढांचा है, ग्रामों, ढाणियों के अन्दर 200–400–500 की आबादी के आधार पर प्राथमिक पाठशालाएं खोली जाकर शिक्षा का प्रचार किया जा रहा था। उस प्रचार को बिलकुल समाप्त करने की नीति के हिसाब से आज एक ऐसी नई नीति की घोषणा की गयी है केवल मात्र वाहवाही लेने के लिए कि 16 हजार प्राथमिक विद्यालय राजस्थान के अन्दर खोले जाएंगे। उन प्राथमिक विद्यालयों का क्या स्वरूप है ? उन प्राथमिक विद्यालयों का स्वरूप यह है कि गांव के अन्दर रहने वाले, 8वीं कक्षा तक के जो वहां पर अवेलेबल शिक्षक होंगे, उन शिक्षकों के मार्फत शिक्षा दिलाई जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं होगा कि आज ग्रामीण व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था को देख कर माननीय सदस्य भी इस बात से चिन्तित हैं कि शिक्षा का स्तर दिनों–दिन गिरता जा रहा है। शिक्षा का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि स्थानीय अध्यापक ही प्राथमिक पाठशालाओं के अन्दर नियुक्त किये हुए हैं। सिवाय राजनीति करने के, घर का काम करने के, बच्चों की शिक्षा की तरफ स्थानीय अध्यापकों का कतई ध्यान नहीं हैं। उस बात को सुधारने के बजाय वहीं के स्थानीय लोगों को जो अशिक्षित हैं यह काम सौंपा जा रहा है। प्राथमिक पाठशालाओं के अन्दर कम से कम एस.टी.सी. और बी.एड. किये गये अध्यापक तो लगाये जाते थे। उनको तजुर्बा भी था, पढ़ाने के अन्दर दिलचस्पी लेकर कुछ तो पढ़ाया करते थे। यह सारा प्राथमिक आधार जो शिक्षा का बना हुआ था, उस आधार को खतम करने के लिए वह 16 हजार की संख्या देकर शिक्षा के अन्दर कोई राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा परन्तु इसी सदन के बहुत–से सदस्य जब आपस में बैठ कर एक दूसरे से विचार करते हैं तो सबकी, दोनों तरफ के सदस्यों की, यही राय हो कि पुरानी प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की जो नीति थी अगर उसको हटा कर यह 16 हजार पाठशालाओं वाली नीति अपनायी जाएगी तो शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर हम पिछड़ जाएंगे और जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर शिक्षा का स्तर गिरेगा, ग्रामीणों के बच्चे काम्पीटिशन के हिसाब से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा सकेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा यह

(श्री रामनारायण विश्नोई)

निवेदन है कि 16,000 की जगह चाहे 2,000 या 4,000 प्राथमिक पाठशालाएं ही सरकार खोलने की घोषणा करती, मगर पुरानी तरह से ही जहां पर आवश्यकता थी, जहां पर 500–400–250, घरों की आबादी थी, जहां पर 40 बच्चे उपलब्ध थे वहां पर ट्रेण्ड शिक्षक लगा कर प्राथमिक शालाएं खोलने का कार्य किया जाता तो बेहतर होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सदस्यों की जो भावना है अभी पूर्व में सदस्य बोले हैं, गुढ़ा से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने भी कहा है कि शिक्षा का स्तर दिनों–दिन गिरता जा रहा है इसलिये हमको शिक्षा के अन्दर विद्यालय निरीक्षण की नीति पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विद्यालयों के अन्दर किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार से अध्यापकगण अपना कर्तव्य पूरा निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं इसके लिये जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिये कि वे दो–तीन महीने के अन्दर जो कुछ भी पाठशालाएं उनके अण्डर में दी जाए, उनका निरीक्षण करके उनकी पढ़ाई का स्तर देखते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आजकल प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को जोर बढ़ता जा रहा है प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के अन्दर बच्चों को शुरुआत में एडमिशन देने के लिये अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा की जा रही हैं, तरह तरह के टैस्ट लिये जा रहे हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के मां–बाप पढ़े हुए नहीं है, वहां पर इतना कोई स्तर है नहीं। इंगलिश के स्तर के हिसाब से के.जी. और प्रेप के टैस्ट लेकर उनको एडमिशन से वंचित किया जा रहा है, उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि विद्यालयों के अन्दर रिक्त पद काफी लम्बे अरसे से चले आ रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने आवश्यकता के अनुसार अध्यापक नहीं लगाये तो उससे शिक्षा का नुकसान हुआ है। अभी मौजूदा सरकार को कम से कम इस ओर ध्यान देना चाहिये कि व्याख्याताओं के 2600 पद आज की तारीख मे खाली पड़े हैं और उनमें से 25 प्रतिशत पद तो केवल शहरी क्षेत्र के अन्दर खाली हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर तो जहां चार व्याख्याताओं की आवश्यकता है वहां पर एक भी लगा हुआ नहीं है और लोग चाहे डेपुटेशन के आधार पर, चाहे किसी और भी आधार पर शहरी क्षेत्रों में लगकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसन्द नहीं करते। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक के पद 7 और 1 के अनुपात में होने चाहिये, वहां पर शिक्षकों की बहुत भारी कमी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले कुछ सालों से राजस्थान के अन्दर यह देखने में आया है कि बाहर के विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां बहुत ज्यादा प्राप्त करके लोग यहां

(श्री रामनारायण विश्नोई)

पर नौकरियों में अपना स्थान पा रहे हैं। यहां जो अच्छे ट्रेण्ड ट्रेनिंग के कालेज हैं वहां पर 50–60–70 प्रतिशत मार्क्स भी बच्चे बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं पर बाहर के विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्री प्राप्त करके 80–90 प्रतिशत अंक प्राप्त करके यहां पर यह लोग नौकरियां के अन्दर जगह पा रहे हैं उनके लिये भी सरकार को विशेष तौर से जांच करके ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षा का स्तर राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान के अन्दर भी गिरता जा रहा है। शारीरिक शिक्षक जो हमारी पाठशालाओं के अन्दर लगे हुए हैं वे कभी शारीरिक शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते और जैसा मैंने निवेदन किया, वे भी अपने घर के काम–धंधों में और राजनीति में लगे हुए हैं। शारीरिक शिक्षकों के पदों पर विशेष तौर से निगरानी रखी जाकर उनको भी पढ़ाई के लिये बराबर पाबंद किया जाना चाहिये। शारीरिक शिक्षा में भी इनका रिजल्ट देखा जाना चाहिये कि बच्चों में शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से प्रदान कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का आपके माध्यम से विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि लोक जुम्बिश योजना राजस्थान के अन्दर 15–16 जिलों के अन्दर पिछले दो–तीन साल से लागू हुई है और विशेष तौर से मैंने पिछले समय में फलौदी क्षेत्र के अन्दर लोक जुम्बिश योजना का कार्य देखा है। लोक जुम्बिश योजना गुणवत्ता के आधार पर काम कर रही है, लोक जुम्बिश योजना सहभागिता के आधार पर काम कर रही है। लोक जुम्बिश योजना ने गांवों में उन बच्चों के अन्दर शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा किया है जो बच्चे स्कूल जाने की आपनी आयु पूरी कर चुके थे। 7–8 साल के बच्चे जो अपने टाइम में स्कूल नहीं जा सके उन बच्चों को मोटिवेट करके लोक जुम्बिश योजना के अधिकारी लोक जुम्बिश संस्थाओं के अन्दर लाये हैं और वहां पढ़ाई के लिये उन्होंने जो वातावरण बनाया हे वह लोक जुम्बिश की योजना राजस्थान के अन्दर चालू रखी जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी और खींचन गांव के अन्दर बालिका शिक्षा के लिये लोक जुम्बिश योजना की तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। एक होस्टल में 7 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को भर्ती करके एक साल के अन्दर चार साल की पढ़ाई करवायी जा रही है। एक साल के अन्दर चार साल की पढ़ाई करके दूसरे प्राथमिक स्कलों के बच्चों के साथ इम्तिहान में अच्छी मैरिट से वे पास करने की स्थिति के अन्दर आयी हैं। इसी प्रकार से बाप के अन्दर भी 100–125 ग्रामीण बच्चियां होस्टल में रहकर एक साल के अन्दर चार साल की पढ़ाई कर रही है। यह पढ़ाई जिस लोक जुम्बिश योजना के मुताबिक करायी जा रही है, उस लोक जुम्बिश की योजना को मेरा निवेदन यह है कि सरकार की तरफ से चालू रखा जाए और एक बहुत अच्छे आधार पर यह योजना काम कर रही है। उस योजना को समाप्त करके अगर हम नया एक्सपेरिमैंट

(श्री रामनारायण विश्नोई)

करना चाहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन करना यही है कोई...(व्यवधान) 200 करोड़ रुपये आप ठोके होंगे। वहां पर कोई ठोकने वाला पोल नहीं है। कोई पोल नहीं है कहीं पर भी। बहुत अच्छी तरह से यह व्यवस्था चल रही है । आप कभी जाकर के देखोगे तो जहां कैम्प चल रहे हैं, उन्होंने स्कूलों के अन्दर मैटीरियल प्रोवाइड कराये हैं, भवन बनाकर के दिये हैं और सामान जो स्कूलों के अन्दर आज तक मिल नहीं रहा था पढ़ाई के लिये, वह व्यवस्था ठीक कर रखी है। इस प्रकार के व्यवस्था के अन्दर अगर सीडा ने कोई सहायता देना बंद करने की घोषणा की भी है तो न्यूजीलैंड की संस्था इसके लिये सहायता देने के लिये तैयार है तो मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि लोक जुम्बिश योजना को चालू रखा जाए और इस जमी–जमायी हुई व्यवस्था को बंद करके नयी व्यवस्था का प्रशिक्षण नहीं किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान(शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24–शिक्षा के अन्दर कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान की जिस नाजुक हालत में कार्य भार संभाला उसको देखते हुए बहुत अच्छा और काबिले तारीफ बजट दिया, शिक्षा के ऊपर विशेष करके गरीब और ग्रामीण ढाणी वाले लोगों के लिये प्रावधान किया, वास्तव में शिक्षा मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ पढ़े–लिखे साथियों ने इसमें भी नुक्ताचीनी बतायी कि आठवीं पास एक आदमी गांव में जाकर पढ़ाएगा उससे शिक्षा का स्तर गिर जाएगा और शहर में अच्छे और बड़े–बड़े लोगों के मुकाबले वे बच्चे न के बराबर शिक्षा में रह जाएंगे, यह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि आज एम.ए. पास करते हैं, डबल एम.ए. पास है, फिर एम.एड. और बी. एड. करते हैं, वे लड़के चाहे ग्रामीण हों, चाहे शहरी हों, उनके दिलो–दिमाग में कुछ पढ़ाई और डिग्री का फरख भी आ जाता हैं। इस फरख के कारण किसी धोरे पर या ढाणी में बैठकर 30 या 40 बच्चों के बीच में पढ़ाना अपना अपमान समझता है और वह पढ़ाता भी नहीं है। ऐसे आध्यापक ज्यादातर मैंने देखा है तफरीह में ही घूमते रहते हैं। उनको एक तारीख को तनख्वाह जरूर मिल जाती है। इस कारण गांवों में इतनी बड़ी संख्या में स्कूलें खोलने के उपरान्त भी आज सारे हिन्दुस्तान में बाड़मेर जिला शिक्षा के स्तर से सबसे नीचा है। ऐसी बात नहीं है कि वहां आज तक स्कूलें नहीं खुलीं। जब तक बेरोजगार आदमी नहीं लगता है तब तक गरीबों को शिक्षा में भाग लेने का, शिक्षा में हिस्सेदारी का हक नहीं मिलता है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कटारिया जी ने जो एक काम किया उसके तो मैं पक्ष में हूं। जो मास्टर नहीं पढ़ाता था उसको जिलों से बाहर हटाया। उसमें इनकी नीयत सही थी कि ये मुफ्त के पैसे न उठाएं, मेहनत करके पैसे उठाएं। परन्तु इन्होंने एक

(श्री अमीन खान)

काम हमारे लिये बहुत बुरा किया, वह यह कि पहले जिला परिषदें अपने स्तर पर थर्ड ग्रेड टीचरों का अपाइंटमैंट करती थीं। उससे क्या होता था कि स्थानीय गांव के लोग वहीं लग जाते थे और वे स्कूलों में मौजूद रहते। इन्होंने सारे राजस्थान की एक मैरिट बना दी, उस मैरिट में हक किसको मिला ? उस मैरिट में हक मिला फर्जी डिग्री वालों को। उनके 90 परसेंट आंकड़ें हैं और असली मेहनत करने वालों का 60–62 आता है तो वे असलियत वाले मारे गये और जिन्होंने बी.एड. कालेज की शक्ल नहीं देखी, जिन्होंने पढ़ने में मेहनत आठ घंटा ही कभी नहीं की वे 95 परसेंट के नम्बर की डिग्री लाकर वहां मास्टर बन गये। मास्टर बनने के बाद में अन्याय क्या हुआ कि ज्यों ही साल–डेढ़ साल लगा उन्होंने अपनी सिफारिशें कराके तबादला करा लिया, भरतपुर आ गये, अलवर आ गये, जयपुर आ गये या सवाईमाधोपुर आ गये और बाड़मेर, जैसलमेर जिले में वह की वह हालत है। आज आप मानोगे नहीं, राजस्थान में कटारिया जी के वक्त के थर्ड ग्रेड टीचर के सैक्शंड पद करीब 1300–1400 हैं, उनमें से 1100 पद केवल बाड़मेर, जैसलमेर में खाली पड़े हैं। इस हिसाब से आप और हम सबको सोचना पड़ेगा। एक तो इसमें फर्जी डिग्री वाले, मास्टर घुस गये, वे लग गये। लगने के बाद में जो फर्जी डिग्रियां लेकर लगते है वे हर तरह से काबिल हैं, चाहे सरकार हमारी आती है तो हमारे से भी मदद ले लेते हैं चाहे उधर बैठने वालों की सरकार बनती है तो किसी न किसी माध्यम से उनसे भी मदद लेकर वे वापस अपने ठिकाने चले जाते हैं। जहां आपकी बुरी हालत है वह स्थिति वैसी की वैसी बुरी पड़ी है। चन्दनमल जी बैद ने यह काम अच्छा किया। आठवीं पास वाले के लिए ये कहते हैं पढ़ा ही नहीं सकता। मैं तो तीसरी क्लास पास के मास्टर से पढ़ा हुआ हूं और उस जमाने में तीसरी वाल मास्टर ने जो हमको पढ़ाया था वह तो मैं मानता हूं आपके ये एम.ए. वाले पढ़ा ही नहीं सकते। तो कहने का अर्थ है कि आदमी...

श्री रामनारायण विश्नोई : इसी कारण से, अमीन खान जी, पीछे रह गये, नहीं तो आप मिनिस्टर बनते।

श्री अमीन खान : मिनिस्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं। मिनिस्टर तो 153 हम आदमी हैं, सारे हकदार बराबर हैं, सारे तो बन नहीं सकते। मिनिस्टर तो मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार है।

श्री अमराराम(धोद) : आप भी रिकार्ड तोड़ दें 93 वाला।

श्री अमीन खान : पर मेरे कहने का अर्थ है कि जिसको पीड़ा होती है वहीं आदमी पीड़ा को समझता है और ऊपर वाली जो होशियारी, काबिलयत और योग्यताएं हैं ये गरीबों के काम में नहीं आती हैं। विश्नोई जी, आपका भी लड़का अच्छा पढ़ा–लिखा होगा तो फलौदी के किसी गांव में नहीं बैठेगा। आप कह देंगे तो आपकी भी नहीं मानेगा। वह कहेगा जयपुर

(श्री अमीन खान)

जाऊं, दिल्ली रहेगा। यह हकीकत है।

ये 1200 रुपये जो रखे हैं शिक्षा मंत्री जी, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं, 1200 रुपये मेहरबानी करके मत रखो। मिनिमम लेबर भी हम 60 रुपये करने जा रहे हैं तो इतनी तो कम से कम होनी चाहिए कि 40 बच्चों को पढ़ाने वाला आदमी कम से कम 1500 रुपया ले। कुछ टाइम वह घर पर धंधा करके और 1500 रुपये से अपना लूण, मिर्च का खर्चा चलाए तो बात वाजिब होगी।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जब तक शिक्षा को आप कम्पलसरी नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का स्तर जो आज खराब से खराब जहां है इसको बढ़ाना आसान नहीं हैं। कम से कम पांचवीं क्लास तक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। कोई बच्ची और बच्चा 5 से 14 साल का अनपढ़ न रहे, यह कानून में सख्ती से पाबंदी की जाए तो यकीनन सारे बच्चे और बच्चियां कम से कम पांचवीं तो पास हो जाएंगे। निरक्षर नहीं रहेंगे। इसके बिना यह निरक्षरता रहेगी।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्री जी, मैं अल्पसंख्यक हूं, अल्पसंख्यकों की तरफ से अल्पसंख्यकों की बात किसी ने कही नहीं है। रमजान भाई ने कल कही थी। भारत सरकार ने 1992–93 और 1993–94 में 9 ब्लाक में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कुछ अधिक है और शिक्षा सबसे कम है वहां शिक्षा के लिए विशेष रियायत देने की स्वीकृति राज्य सरकार को दी है लेकिन पूर्व की सरकार ने उस स्वीकृति के इम्प्लीमैंटेशन में रोड़े डाले। अब कल्ला जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के पोकरण जैसलमैर, बाड़मेर जिले के चौहटन और शिव, 2 ब्लाक अलवर जिले के हैं और एक ब्लाक सीकर जिले का फतेहपुर, इन अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों में भारत सरकार की नीति को आप तुरन्त और सख्ती से लागू करें। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप अलपसंख्यकों की लड़कियों के पढ़ने के लिए इन विकास खण्डों में नवोदय विद्यालय टाइप एक–एक स्कूल का निर्माण कराए, एक–एक हॉस्टल का निर्माण करायें और जहां बच्चे पढ़ते हैं उस जगह विशेष तौर से मिडल स्कूलों का और प्राइमरी स्कूलों का ज्यादा इंतजाम कराइये। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में झुंझुनूं जिला शिक्षा में सबसे एडवांस है। आप स्कूलें खोले इस हिसाब से कि एक विधान सभा क्षेत्र में एक सैकण्डरी खोली जाएगी, एक हायर सैकण्डरी खोली जाऐगी, एक हायर सैकण्डरी खोली जाएगी, यह न्याय नहीं है। यह तो हकीकत में अंधेरे का निवास है। स्कूलें वहां ज्यादा खोलें जिस जगह शिक्षा से लोग अब तक वंचित रह गये हैं जहां शिक्षा अच्छी है और 80 परसेंट लोग पढ़े–लिखे हो गये हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि उस जगह शिक्षा का काम बंद होना चाहिए। उस जगह भी होना चाहिए

(श्री अमीन खान)

लेकिन जहां शिक्षा बहुत नीची चली गयी है उनको बराबर लाने के लिए यह एक—एक, दो—दो का मेहरबानी करके क्राइटेरिया न रखें, यह हमारी इस सदन में आपसे अपील है। जहां जरूरत है, जहां पीड़ा है वहां इंजेक्शन लगाना चाहिए, बगैर पीड़ा कोई इंजेक्शन लगाए तो फालतू के पैसे खर्च करेंगे। इसके अलावा मदरसे हैं। मदरसों में हिन्दी पढ़ाने वाला, गणित पढ़ाने वाला, राज्य या देश का भूगोल या इतिहास या अंग्रेजी पढ़ाने वाला जहां टीचर रखा हुआ है, उनकी शिक्षा विभाग से आप जांच कराएं। यह बहुत बड़ा वजन नहीं होगा। मदरसों में ऐसे हिन्दी, अंग्रेजी, गणित पढ़ाने वाले टीचर को आप 1200 रुपए एक माह की सरकार की तरफ से मदद करेंगे तो भी अल्पसंख्यक यह महसूस करेंगे कि वास्तव में हम जो पिछड़े और कमजोर हैं, सरकार की मंशा हमको आगे बढ़ाने की है। कुछ लोग तो मदरसों को बहुत खिलाफत की नजर से देखते हैं। मदरसों में हकीकत में पहले कुरान पढ़ाई जाती है जो अरबी भाषा में है और कुरान के बाद उर्दू पढ़ाई जाती है। हिन्दी और गणित भी पांचवीं कक्षा तक पढ़ाते हैं। गांवों में जो छोटे मदरसे हैं, मैं उनकी बात करता हूं। यहां शहरों में तो बड़े मदरसे होंगे, उनमें अरबी की, उर्दू की बड़ी डिग्रियां होंगी। जैसलमेर जिले के लिए पूर्व में इन्तजाम किया हुआ है, अजमेर में एस.टी.सी. के तहत उर्दू टीचर की कुछ सीटें रखी हुई हैं। हमारा बाड़मेर जिला जो सीमावर्ती और बैकवर्ड जिला है, उसके लिए भी इसी प्रकार एस.टी.सी. ट्रेनिंग स्कूल में कुछ वेकेंसी रखें ताकि कुछ लोग उर्दू के मास्टर बनकर रोजी हासिल कर सकें। हालांकि ऐसी कोई पाबन्दी तो नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक ही पढ़ेंगे, उसमें गैर अल्पसंख्यक भी पढ़ेंगे तो पढ़ जाएंगे।

श्री रमजान खान(पुष्कर) : एक मिनट, माननीय सदस्य। उर्दू के लिए राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने बजट में सिर्फ दो सौ पद सृजित किए हैं जबकि सात सौ—आठ सौ उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। इस बारे में कुछ बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला(शिक्षा मंत्री) : सात—आठ सौ पद रिक्त नहीं हैं, ये तो नए पद हैं। जो रिक्त पद हैं उनको अलग से भरा जाएगा।

श्री रमजान खान : दो सौ पदों से क्या होता है, माननीय मंत्री महोदय ? पूरे विधान सभा क्षेत्रों में एक—एक उर्दू का टीचर ?

श्री अमीन खान : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही कहा था और मेरी भी यही चिंता है कि गांवों की सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूलों में 2300 लैक्चरर्स के पद खाली हैं। यदि यही हालत रही तो ये सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल कोई काम के नहीं हैं। मैं एक दिन रास्ते में पड़ने वाले हरसानी के एक स्कूल में गया, वहां 5 अध्यापकों के पद खाली हैं। अब एक सैकण्डरी स्कूल में 5 टीचर नहीं हैं तो न के बराबर होंगे।

(श्री अमीन खान)

मैं हमेशा ज्यादा नहीं बोलता, खास मुद्दे की बात तक ही जाता हूं। कल्लाजी, मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि प्रत्येक मदरसे में जहां हिन्दी, गणित और अंग्रेजी के प्राइमरी को पढ़ाने वाले टीचर हों, आप उसको प्राइमरी शिक्षा केन्द्र के रूप में मानकर 1200 रुपए वाला एक टीचर लगाने की व्यवस्था करें और उर्दू में बाड़मेर जिले के लिए एस.टी.सी. ट्रेनिंग में कम से कम 15 आदमियों की वेकेंसी रखें। उर्दू टीचर जहां हैं वहां उनकी पद पूर्ति करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए। इसमें मुझे एक बात और कहनी है कि आपकी व्यवस्था है कि कम्पलसरी तौर से कम से कम इतने बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हों तो उर्दू टीचर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके मास्टर और एस.डी.आई. भी कुछ सही दिमाग के नहीं होते हैं। वे चाहते हुए भी रिपोर्ट भेज देते हैं कि यहां कोई उर्दू पढ़ने वाला नहीं हैं। इसलिए सरकार की जो नीति है और आदेश हैं उन पर ईमानदारी से अमल– दरामद हो इसकी आपकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर में मैं वित्त मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देता हूं। आठवीं वाले मास्टरों का करीब–करीब सबने विरोध किया। मैं कहता हूं कि आठवीं वाला मास्टर गरीबों के 40–40 बच्चों को तहेदिल से पढ़ाएगा। आपके बी.ए.,एम.ए. पास की बराबरी तो वे नहीं करा सकते लेकिन छठी क्लास में जिस दिन भर्ती के लिए जाएगा, उस दिन आप सारी मिडल स्कूलों से रिपोर्ट मंगा लेना, लोग कहेंगे कि ये बच्चे छठी में होशियार हैं और पहले वाले गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले काफी बच्चे उस परीक्षा में फेल होंगे। क्योंकि इस जमाने में जब अपनी जगह पक्की हो जाती है तो आदमी निर्भय हो जाता है। नौकरी करने वाले को जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक कहता है कि हमें काले पानी उतार दो, हम चले जाएंगे लेकिन जिस दिन कन्फर्म हो जाता है, उस दिन अपनी ढाणी से दूसरी ढाणी भी नहीं जाना चाहता। कहता है कि मेरी मां बूढ़ी है, पिता टी.बी. का बीमार है, लड़के को खांसी हो रही है, डाक्टरों के 3–4 सर्टिफिकेट लगा देता है, 5–6 एम.एल.एज. की डिजायर लगा देता है। मंत्री कोई भी होता है, मजबूर होता है कि भाई इसको हटाओ। इसलिए यह बहुत अच्छी योजना है। ये 16000 प्राइमरी शिक्षा केन्द्र खुलने चाहिए और गरीब आठवीं पास वालों को रोजी लगाना चाहिए, इसमें गरीबों के बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। स्कूल आप खोलेंगे तो मेहरबानी करके जहां शिक्षा की कमी है वहां स्कूल खोलें चाहे एक विधान सभा क्षेत्र में पांच आते हैं तो पांच देने चाहिए और जरूरत की पूर्ति करनी चाहिए। इतनी बात कहकर मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. करण सिंह यादव। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैडम बोल रही हैं कि आप पर्यटन की मांग पर नहीं बोल रहे हैं ? मैं समझता हूं कि पर्यटन महत्वपूर्ण है लेकिन

(डा. करण सिंह यादव)

इस मुल्क में गरीब आदमी का पर्यटन तब होता है जब वह मामा या चाचा या ताऊ के घर शादी में कहीं जाता है इसलिए मैं जमीन से जुड़े हुए शिक्षा के मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहता हूं। जब मैं शिक्षा के वर्तमान हालात को देखता हूं...(व्यवधान) शुरू करूं मैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : A learned man like you, पूरी हिस्ट्री की हिस्ट्री आपने छोड़ दी और शिक्षा पर पधार गए, अमेजिंग।

डा. करण सिंह यादव : कहां से शुरू करूं, विश्वविद्यालयों से ? राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत के बारे में अगर मैं यह कहूं तो आपमें से बहुत सारे माननीय सदस्यों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि पिछली दस साल में राजस्थान विश्वविद्यालय में पास करने वाले टोपर– जिसने पहले दर्जे में पहली पोजीशन लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे छात्र को राजस्थान विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिली। पिछले आठ साल में कोई एडवरटाइजमैंट नहीं किया गया। भर्ती पिछले रास्ते से एडहॉक अपाइन्टमैंट करके कर दी गई, उसी का नतीजा है। पिछले दिनों मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक सवाल किया था कि पिछले सात–आठ साल में राजस्थान विश्वविद्यालय में कितनी नियुक्तियां की गई ? उत्तर में उन्होंने बताया कि सारी नियुक्तियां एडहॉक की गई जिनमें कोई आवेदन पत्र नहीं मांगा गया, कोई इन्टरव्यू नहीं हुआ। कहीं पद खाली हुआ, अपने भाई–भतीजे, रिश्तेदारों को पिछले रास्ते से ले आए। ऐसे 304 जो अपाइंटमैंट हुए हैं, उनमें आप देखिए कि देश की संविधान का कितना पालन होता है। उसका नतीजा क्या था ? उन 304 पदों में मात्र 7 पद आरक्षित वर्ग के थे, बाकी सारे के सारे जिनको हम कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग कहते हैं, उनके थे। यह था राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर।

(16.00 बजे)

आप देख रहे हैं किस तरह से घोटाले होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मेडिकल शिक्षा जैसी शिक्षा की जो परीक्षा ली गई थी उसमें पहले के जो 20 विद्यार्थी थे उनके रिजल्ट को जब दूसरे लोगों ने देखा तो कहा कि ये लड़के जिंदगी में कभी पहले या दूसरे नम्बर पर नहीं आये तो फिर पहली से लेकर बीसवीं पोजीशन तक कैसे आ गए। खुसर–पुसर चालू हुई तो बड़ा भारी घोटाला सामने निकलकर आया। पता चला कि इन सब लोगों ने एक–एक लाख रुपया देकर परीक्षा में अपना नम्बर पास करवाया है। आज भी वह मामला विचाराधीन है। ऐसा हमारी शीर्षस्थ शिक्षण संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय का हाल है।

श्री हरिसिंह(महुवा) : यह सब हुआ आपके राज में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच भी हमारे राज में हुई और दोषियों को दण्ड भी हमारे राज में दिया।

डा. करण सिंह यादव : और बारम्बार इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है कि वे लोग...

श्री शांतिकुमार धारीवाल(स्वायत शासन मंत्री) : किसे दण्डित किया आपने ? आपने दण्डित नहीं, पुरस्कृत किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप बिना जानकारी के बोल रहे हैं। कितना शानदार भाषण हो रहा है, कितने विद्वान व्यक्ति बोल रहे हैं और बिना जानकारी के आप सब्जैक्ट को डाइवर्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बात कह रहे हैं इस तरह की बात राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई थी, लेकिन उसके बाद, आपको याद होगा, अपन सब लोगों ने मिलकर, आप भी तो एक हिस्सा थे, इस पूरी बात को उठाया। सारी जांच हुई, परीक्षाएं रद्द हुई, मामला उच्च न्यायालय में चला गया और दोषी अधिकारी–कर्मचारी के विरूद्ध कारगर कार्यवाही हुई थी।

श्री बुलाकी दास कल्ला : कुछ नहीं हुई थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोई कार्यवाही नहीं हुई, आपने सब लीपा–पोती कर दी उसकी।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने आपको पुरस्कृत कर दिया और इनको दण्डित कर दिया, यह तो सही फैसला हुआ।

डा. करण सिंह यादव : जिन 304 शिक्षकों को नियुक्ति दी गई...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह भी सही हुआ कि डा. साहब ने अपनी विद्वता का परिचय दिया, इन्होंने आपके डिपार्टमैंट का साथ छोड़ दिया और हमारे साथ आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो इनके मन से पूछो। ये मन के डाक्टर हैं, दिल के डाक्टर हैं, इनसे पूछो क्या हालत कर दी आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमको जाइन करने का फैसला इन्होंने दिल से ही किया है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मंत्री बना दो जल्दी से, जल्दी मंत्री बनाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको याद है आपको मंत्री तब बनाया गया था जब जहाज डूबने वाला था। (व्यवधान) जब आपका जहाज डूब रहा था तब आपको मंत्री पद दिया गया था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इनके साथ भी यही करोगे क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे वो वक्त भी याद है जब मुख्य मंत्रीजी ने आपको मंत्री पद देने के लिए कहा और मैं आपसे उस वक्त मिला तब आपने मेरे कंधे पर यों मुंह रखा और आपके आंसू छलक रहे थे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अब यह हालत इनकी करोगे क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 4 साल 9 महीने तक भैरोंसिंह जी ने मेरा शोषण किया,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आपके ये शब्द थे उस वक्त।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो जितने भी हैड थे वे उच्च जाति के किये और सारे घोटाले उसमें हुए। बताओ, वाइस चांसलर कौन था ?

एक माननीय सदस्य : आर. एन. सिंह।

श्री जगत सिंह दायमा : आर.एन. सिंह कहां हैं ? कितने दिन छिपा रहा, वो क्यों छिपा रहा, क्या हुआ ? जब उनकी यह हालत है तो यूनिवर्सिटी की हालत यह होनी चाहिए थी, किसको पुरस्कृत कर रहे हैं आप ?

डा. करण सिंह यादव : मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह के चयन हुए...

श्री जगत सिंह दायमा : क्या नहीं हुआ उस समय, बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री जगत सिंह दायमा : होस्टलों में इस तरह की बातें होती थीं महिलाओं के साथ। आर.एस.एस. के अड्डे बने और वहां पर जो नहीं होना चाहिए था वह होता था। इसलिए आप विपक्ष में बैठे हैं। आपने सिर्फ मनुवादियों को ही आगे बढ़ाया, और कहीं कुछ नहीं किया। बताओ कहां हैं आर.एन. सिंह आज ?

डा. करण सिंह यादव : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो 304 नियम विरूद्ध चयन हुए, पिछली राजस्थान सरकार ने जाते–जाते इस बात की कोशिश की कि ऑर्डिनेंस लाकर उनको किस तरह से नियुक्ति दे दी जाए। देखिए, योग्यतम छात्र तो एक नहीं आया, सैकण्ड डिवीजनर जो पिछले दरवाजे से घुसे, वे किसी चयन प्रक्रिया का सामना नहीं करना चाहते थे, किसी कोर्ट–कचहरी के आदेशों की सहायता से इस तरह का वातावरण बनाकर कि इनको काम करते हुए तीन साल हो गये, चार साल हो गये, पांच हो गये, छह साल हो गये, पिछली सरकार और पिछली सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जी ने इस बात का प्रयास किया, जबकि उन्हीं की सरकार का जो शिक्षा विभाग था उसने बराबर लिखकर दिया, श्री अनिल वैश्य की एक गुप्त रिपोर्ट मैंने पढ़ी कि सारे सलैक्शन गलत हुए हैं, अवैध हुए हैं, इनमें आरक्षण के नियमों की पालना नहीं हुई है, इसमें कोई एडवरटाइजमैंट नहीं हुआ, योग्य लोगों को छोड़ दिया गया। यह हालत है हमारे राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज कोई हालत सुधर गई है इसके अंदर। इस सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। आज सरकार बने हुए चार महीने होने के बावजूद वही परम्परा चल रही है। हम चार महीने के अंदर नया वाइस चांसलर नियुक्त नहीं कर पाये हैं। अजमेर विश्वविद्यालय की अनेक शिकायतों के पुलिन्दे आज सरकार के पास विचाराधीन हैं, उनके बारे में हम कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं। आज उदयपुर के अंदर

(डा. करण सिंह यादव)

एडहॉक वाइस चांसलर बैठा हुआ है। उदयपुर के अंदर वाइस चांसलर का कार्यकाल कल–परसों पूरा होने जा रहा है। जब प्रतिपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह जी शेखावत बोल रहे थे तो सरकार से पूछ रहे थे, आप बताएं कि 31 तारीख को इतने लोग रिटायर हो गये, क्या आपने लोगों को पदोन्नति दे दी ? मैं बताना चाहता हूं कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर चार–चार, छह–छह महीने, साल–साल, दो–दो साल, आर.एन. सिंह जी को गये हुए दो साल हो गए, उसके बाद में एक ब्यूरोक्रेट को लगाया गया, उनको अपना कार्यकाल छोड़कर आधी रात को जाना पड़ा क्योंकि रिजल्ट नहीं निकल रहे थे, छात्रों को जलकर मरना पड़ा और उसका नतीजा है कि उनको जाना पड़ा। उसके बाद एक और एडहॉक अपाइंटमैंट। मैं आज इस माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर हम शिक्षा में सुधार चाहते है तो हमें नीचे भी ध्यान देना होगा और ऊपर भी ध्यान देना होगा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को मजबूत करना होगा ताकि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं के अंदर पूरा रिप्रजेंटेशन मिले, एजुकेशन में रिप्रजेंटेशन मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, जब वी.पी.सिंह जी साहब ने मण्डल आयोग की बात कही थी तो सारे देश के लोग जल–जल कर मर रहे थे, कह रहे थे कि इन वर्गों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो संभ्रान्त लोग थे वे कहते थे आरक्षण मत दीजिए, इनको पहले आप पढ़ाएं–लिखाएं, योग्य बनाइए। इनको इंजीनियर बनाइए, इनको डाक्टर बनाइए, इनको मेडिकल एजुकेशन दीजिए, इनको नर्स बनाइए। राजस्थान के अंदर पांच साल हो गए पिछली सरकार को लागू किए। हम लोग सड़कों पर चीख–चीख कर यह कहते रहे, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है सारे उत्तर भारत में, जहां पर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नहीं है। आज यू.पी. का ओ.बी.सी. का लड़का मेडिकल कालेज के अंदर जाता है उसको आरक्षण मिलता है। मध्य प्रदेश के लड़के को आरक्षण मिलता है, दिल्ली के लड़के को आरक्षण मिलता है, दक्षिण के सारे स्टेट्स के अंदर एजुकेशन में आरक्षण है। आप यहां मेडिकल में नहीं दे रहे, आज यहां इंजीनियरिंग में नहीं दे रहे, आप यहां पोलीटैक्निक में नहीं दे रहे, आप यहां नर्सिंग में नहीं दे रहे, आप यहां फिजियोथेरेपिस्ट में नहीं दे रहे, आप यहां टैक्नीशियन में नहीं दे रहे। किस तरह से आप इन वर्गों को आगे लेकर आएंगे ? अनुसूचित जाति और जनजाति की बात सुबह हाउस में चल रही थी तब आपने देखा होगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी और सरकार के जो नुमाइंदे यहां बैठे हैं उनका मैं इस महत्वपूर्ण मसले की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा राजस्थान की यह सरकार जिसको पिछड़ों और दलितों के वोटों से जीत कर आयी हुई सरकार कहते हैं, सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको मैं यह कहना चाहूंगा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दें। इस बात को लेकर माननीय

(डा. करण सिंह यादव)

उच्च शिक्षा मंत्री जी और माननीय कल्ला साहब से मैं निवेदन करूंगा, टैक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी यहां पर बैठे हुए थे, चिकित्सा मंत्री जी यहां बैठे हुए थे, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है।

श्री जगत सिंह दायमा : डाक्टर साहब, आप भाषण देते हैं...

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, डाइल्यूट न करें।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं डाइल्यूट नहीं कर रहा, कन्संट्रेट कर रहा हूं इस मुद्दे को। यह ओ. बी. सी. का मामला है, आप क्यों बोलते हो मूंछों को फड़काते हुए, आपको तो इसमें सहयोग देना चाहिए।

श्री हरिसिंह(मुख्य सचेतक) : दे रहे हैं ना डॉक्टर साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : इन्हीं को मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। मैं क्या डाइल्यूट कर रहा हूं ?

श्री हरिसिंह(मुख्य सचेतक) : आपकी बारी आए तब कहना।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो यह कह रहा हूं, जब बाहर जाते हैं तब तो बोलते हैं कि हम ओ.बी.सी. को, एस.सी. को, एस.टी. को यह कर रहे हैं, हाउस में आपके, मेरे भाई जगमाल सिंह के अलावा और कोई बोल रहा हो तो मुझे बताओ।

डा. करण सिंह यादव : आप मुझे कुछ और बोलने दें।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय हरिसिंह जी को मुख्य सचेतक बना दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार(पिलानी) : ओ.बी.सी. वालों को ओ.बी.सी. का आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। वह भी नहीं दिला रहे हैं आप। ओ. बी.सी. वालों को तो ओ.बी.सी. का फायदा मिल गया क्या ? यादव साहब, आपको ओ. बी.सी. मिल गई ? जाट तो ओ.बी.सी. की सीमा में आना चाहते थे, वह भी नहीं दे रहे हैं आप। पहले वो तो दिलाओ।

डा. करण सिंह यादव : मैं यूनिवर्सिटीज से निकलकर शिक्षा पर आता हूं। निश्चित रूप से कल्ला साहब को इस बात के लिए दोष नहीं दिया जा सकता लेकिन आज हजारों पद व्याख्याताओं के, हजारों पद तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पड़े हुए हैं और उसके कारण आज गांवों के स्कूलों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमें इस बात की ओर देखना होगा कि कहां तो शहर के एक एक स्कूल में 40–40, 50–50 अध्यापक डैपुटेशन लेकर बैठे हुए हैं और कहां गांव के स्कूलों में एक या दो अध्यापक भी नहीं हैं इन अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज करना होगा। इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्री को ध्यान दिलाया गया। आपके पास 31 तारीख की वरीयता लिस्ट है आप तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के लिए तो उसे वरीयता लिस्ट मान रहे हैं लेकिन द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों

(डा. करण सिंह यादव)

के मामले भी बहुत सारे लम्बित पड़े हुए हैं। वे लोग जो क्वालिफाइड हैं, जिनके नाम मैरिट में आए हुए हैं, जब तक आप नई प्रक्रिया चालू नहीं करें उन लोगों को आप नियुक्तियां दें, मैं इस ओर फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका।

शिक्षा मंत्रालय में, वैसे तो सभी मंत्रालयों में हो रहा है और मैंने पहले भी सदन में इस बात को उजागर किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को एस.टी., एस.सी. वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन के मामले में एक बिलकुल नई नीति डी.ओ.पी. ने लेकर रख दी 100 पाइण्ट का रोस्टर। लड़का 90 प्रतिशत है उसको ओ.बी.सी. की पहली सीट दे दी। संविधान में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव हैं, उसके आर्डिनेंस में कहा गया है कि जो लड़का अपनी सामान्य योग्यता से मैरिट में आता है उसको रिजर्वेशन के कोटा में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे यह बात बार–बार सदन में कहनी पड़ रही है। माननीय मंत्रीजी ने पिछले दिनों आश्वासन भी दिया था कि जो लड़का नार्मल मैरिट में आएगा, शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों के चयन में, उसको ओ.बी.सी. में नहीं गिना जाएगा। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि यह बात आज तक क्रियान्वित नहीं हुई है। इस बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं गांव की प्राइमरी स्कूल की मेरे एक बात समझ में नहीं आती, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूं या सौभाग्य कहूं, कवेंशनल पोलिटिशियन नहीं हूं इसलिए कुछ बातें मुझे खुद मन में महसूस होती हैं। जब हम 200 आदमी में से 198, अमीन साहब को छोड़ देते हैं, 197 लोग बात करते हैं तो नतीजा निकलता है कि 1200 में मास्टर नहीं चलेगा। हमने कितनी योजनाएं गावों में बना कर देख लीं– हमने राजकीय पाठशालाएं चलाकर, ब्लैक बोर्ड चलाकर, शिक्षाकर्मी चलाकर, अनौपचारिक शिक्षाओं के माध्यम से चलाकर देख ली। होता यही है कि सरपंच साहब का रिश्तेदार था ऐसे ही किसी को अपाइंटमैंट गांव में छुपा छुपी दे देते हैं, वह क्लास लेता है या नहीं लेता। हर बार हम क्या एक्सपैरिमैंट करना चाहते हैं ? जब सारे लोगों का, आम आदमी का मत है कि आप 16000 स्कूल मत खोलिए, एक हजार खोल दीजिए, दो हजार खोल दीजिए तो क्यों गांव के बच्चों को उसी तरह की, अनार टाइप की शिक्षा देना चाहते हैं ? क्यों नहीं उसके लिए अच्छी स्कूल खोल सकते। आप मत खोलिए 16000, आप खोलिए एक हजार, दो हजार लेकिन जहां खोलें वहां ऐसा तो लगे कि यह स्कूल है और जो पढ़ाने वाला हो उसे ऐसा तो महसूस हो कि मैं टीचर हूं। एक हजार और बारह सौ वाले आदमी, यह जो साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मुझे बात याद आ रही है हरियाणा लोक कमीशन की। डाक्टर्स का इन्टरव्यू था, एक लड़का जो इन्टरव्यू देने के लिए आया उसको कहा, तूने एम.बी.बी.एस. कैसे किया ? मैंने फस्ट क्लास डिवीजन किया।

(डा. करण सिंह यादव)

उन्होंने कहा रिजैक्ट। खान साहब जैसे बुजुर्ग बैठे हुए थे। एक लड़का आया, उन्होंने कहा कि तूने कौन सी डिवीजन में पास की उसने कहा, मैं तीन बार फेल हुआ एम.बी.बी.एस. में, कहा गया इसको ले लो, यह गांव के स्कूल में ठहर जाएगा, पहले वाला तो चला जाएगा फर्स्ट डिवीजन वाला। तो आपकी बात का कहीं कहीं हो सकता हैं कि कोई औचित्य हो लेकिन अगर हम शिक्षा में वाकई में काम करना चाहते हैं तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में बहुत गहनता से सोचना पड़ेगा। हो सकता है, आपकी 1200 रुपए वाले शिक्षा कर्मी की योजना जो आप लेकर आ रहे है, ऐसी योजनाएं हिन्दुस्तान के किसी एरिया के अंदर पापुलर हो और उसने रिजल्ट दिए हों। कहने को तो लालू यादव ने कह दिया कि हमने चरागाह स्कूल चालू किये हैं बड़ी अच्छी पब्लिसिटी मिली, लेकिन उसकी उपयोगिता वाकई में कहीं सावित होकर आई है तब तो हम इस योजना को लागू करें। अन्यथा यह इतना भारी पैसा आपका, मेरा नहीं है टैक्स पेयर है। कोई विदेशी खैरात बांटने के लिए दी जा रही है तो जरूर बांटिए लेकिन अगर हम इस पैसे को सही रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस बारे में निश्चित रूप से सोचिए। आप कम स्कूल खोल लीजिए, लेकिन जो खोलें उसमें गुणवत्ता हो, उसमें पढ़ाई हो, गांव का लड़का पढ़कर आ सके। देखिए, आज गांव के कमजोर से कमजोर आदमी को एजुकेशन का महत्व महसूस होने लगा है, लेकिन जो अधकचरी एजुकेशन है उसमें बच्चे को इन्टरेस्ट नहीं होता और वह स्कूल से ड्राप आउट होगा। आप अच्छी शिक्षण संस्थाएं देंगे, अच्छे टीचर्स देंगे तभी निश्चित रूप से गांव का गरीब आदमी भी पढ़ेगा। आप शहर में नहीं देख रहे हैं क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव(तिजारा) : जो 16000 प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे उनको धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, धीरे धीरे ये प्राइमरी स्कूल कायम हो जाएंगे। इनसे यह पूछ लो कि 16000 भर्ती करेंगे चाहे बी.ए. मिले चाहे एम.ए. मिले, उनमें आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। ये प्राइमरी स्कूल बनेगें धीरे–धीरे और यह जो आप कह रहे हैं... (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : आपने जो नये स्कूल खोले हैं, मुझे लगता है कि मैं जब कांस्टीट्यूएंसी में जाऊंगा तो मुझे बड़ा अच्छा होगा। मैं कहूंगा देखिये भाई, मैं आपके लिए एक सीनियर सैकण्डरी ले आया हूं, दो सैकण्डरी लेकर आ गया हूं और 4 या 5 मिडल स्कूल प्रमोट करवा लूंगा। लेकिन मेरे जैसा इलाका जो हरियाणा से जुड़ा हुआ है जहां पास के गांवों के अंदर आई.टी.आई., पोलीटैक्नीक, नवोदय विद्यालय खुले हुए हैं वे कहेंगे, आप क्या लेकर आये हो ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह कह रहा हूं बुरी से बुरी व्यवस्था कायम कर दें लेकिन ये परमानेंट होंगे जैसे प्रोफेसर एडहाक बेस पर हो गये। तो आपकी सरकार है, कल्ला साहब से पूछ लें, इनमें रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव : मेरा निवेदन यह है कि स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिये, आजकल गांव में लड़की के अन्दर पढ़ने की बड़ी भारी, ...आपने मुझे एक स्कूल दी है वो लड़कों को दूं या लड़कियों को दूं ? किस गांव को दूं ? इसलिए मैं फिर अनकन्वेंशन हो रहा हूं अपनी बात कहते हुए कि कोई बुराई नहीं थी पैसे लेकर स्कूल खोलने के अंदर, गांव के लोग यह समझते हैं। एक गांव के अंदर एक आदमी ऐसा बैठा है जो अपने बाप के नाम पर 5 लाख रुपया देकर कहता हैं कि अपने गांव की 8वीं की स्कूल में 10 लाख रुपया लगाना चाहता हूं और एक गरीब गांव हैं जो सरकार के ऊपर आधारित है। सब बातों को सिर्फ यह कहकर नहीं त्याग दिया जाए कि पिछली गवर्नमैंट की सारी बातें गलत थीं। मुझे ध्यान है, यहां पर कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ सदस्य विराजे हुए हैं, मुझे गांव में जानकारी दी गई है कि किसी जमाने में 10 हजार और 20 हजार रुपये लेकर मिडल स्कूल खुलते थे कांग्रेस के टाइम में भी पंचायती राज में या किसी में धन जमा कराया करते थे। यह कोई...(व्यवधान) झुंझुनूं का इलाका है, सब सेठों ने स्कूलें खोल रखी हैं. उसमें क्या बुराई है, मुझे बताएं। मैं इस प्रोविजन से जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, चाहता हूं कि मेरे इलाके के अंदर लड़कियों का कालेज खुले। मेरे इलाके के लोग लड़कियों के कालेज के लिए जमीन देना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाकर देना चाहते है। और अगर आप कहेंगे तो साल 6 महीने के लिए, प्रोफेसर, टीचर्स की जो सैलेरी है वह भी वे देना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर स्कूल नहीं मिल सकता, कालेज नहीं मिल सकता तो उसका क्या दोष कि मैं बहरोड से आया हूं, मैं तारानगर से नहीं आया, मैं फलां क्षेत्र से नहीं आया या मैं उस जगह से नहीं आया जहां पर लोग–बाग दे सकते हैं पैसा।

श्री संयम लोढ़ा : 1980 में शिवगंज में जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था हमने एक लाख रुपया जमा करवाया था, और हायर सैकण्डरी खुलवाई थी। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : ठीक कह रहे हैं, क्या दिक्कत हैं ? जब माननीय मंत्रीजी ने कहा, यह भी साथ में जारी रहनी चाहिए। यही मेरे कहने का मतलब था कि जो आपने किया वह बहुत अच्छा किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, वह अपने आप में रिकार्ड है कि राजस्थान में एजुकेशन में एक नया रिवोल्यूशन, आएगा, लेकिन साथ में यह भी जरूरी है कि नये स्कूलों के लिए कहीं से लोग आते हैं तो उसको भी चालू रखा जाए, सिर्फ यह कहकर डिस्चार्ज नहीं किया जा सके।

(16.18 बजे)

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सभापति, पदासीन)

एक और मैं थोड़ी–सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह लोक जुम्बिश वाली बात काफी आज विचारधारा पर है, मैं मानता हूं कि आज जो वातावरण हैं, लगता है कि लोक जुम्बिश के खिलाफ होगा। मैं ज्यादा

(डा. करण सिंह यादव)

नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि खुद के गांव के अंदर जब मैं जाकर देखता हूं तो आसपास के 15 किलोमीटर की दूरी के गांवों की वे बच्चियां जो गोबर थापती रहीं, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और फसल के बाद में, छोटी–मोटी खेती के सीजन के बाद में 4–6 महीने गांव के अंदर आकर रहती हैं आस पास के गांव की उनमें कान्ट्रीब्यूशन लोक जुम्बिश से ज्यादा मेरे गुरू वहां रहे हुए हैं हैडमास्टर साहब, उनका है। वे बैठकर उन स्कूलों को संभालते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में उन बच्चियों की शक्ल बदल जाती है। उनको नहाना आ जाता है, धोना आ जाता है उनके चेहरे चमक जाते हैं, उनमें अक्षरज्ञान आ जाता है और वे 5वीं क्लास तक की पढ़ाई करके जाती हैं। समाज की सहभागिता से उनको अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, स्वेटर, जूते मिलते हैं। जब अपने गांव में जाते हैं तो अगर कोई योजना, कोई संस्था किसी जगह अच्छा काम करती है तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उस मूल्याकंन के बाद भी हम लोगों को लगे कि इसके अंदर कोई घोटाला है, यह रिजल्ट नहीं दे रहे तब हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी संस्था को छोड़ना चाहे या कोई नया ऑफर हमारे सामने आए तो हम उसको पकड़ लें। एक जो टैस्टेड चीज हैं उसके अंदर कोई गुण–दोष है तो उसको सुधारें। शिक्षा के क्षेत्र में मैं, शिक्षा मंत्रीजी, यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी जितनी भी एकेडमीज हैं वे सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं या उनमें वे लोग बैठे हुए हैं जो आज इस परिप्रेक्ष्य में नहीं होने चाहिए। चार महीने बीत चुके हैं, हमें सम्भवतया इन मुद्दों पर जल्दी ध्यान देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए अन्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं, कुछ राजनीति से ऊपर उठकर कही हैं, उनको सही परिप्रेक्ष्य में लेंगे और शिक्षा के उत्थान के लिए राजस्थान की वर्तमान सरकार एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति जी, मेरा नाम भी दिया हुआ है।

श्री सभापति : जो सीक्वैंस मुझे दी है उस के अनुसार चलूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी पार्टी तो बहुत बड़ी है, बाद में आएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : 1990 में आपकी यही स्थिति थी, 1990 मे आप भी तीसरे स्थान पर चले गये थे। तब हम जनता दल के 55 थे और आपके 49 रह गये थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह(झुंझुनूं) : अब 1999 चल रहा है और आप 1990 की बात ही करते रहेंगे ? मुझे बोलने दीजिये।

श्री सभापति : विराजिये। प्लीज स्टार्ट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र की सफलता शिक्षा पर निर्भर करती है और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति भी शिक्षा पर ही निर्भर है। हमें अतीत की, वर्तमान की, भूत की, भविष्य की, पल–पल की और जिसे कहना चाहिए फूलों की, बमों की, गमों की, खुशी की, सबकी बात यह शिक्षा ही बताती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : No talks please.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शिक्षा के ऊपर कितने ही प्रयोग भारत सरकार के स्तर पर हुए, कई आयोग बिठाये गये और कई तरह की शिक्षा आज भी राजस्थान में और शायद भारत के अन्य प्रान्तों में भी होगी। राजस्थान की शिक्षा की ही मैं चर्चा करूं तो आप देखिये, जहां तक प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, शिक्षाकर्मी योजना है, अनौपचारिक शिक्षा है, लोक जुम्बिश परियोजना है, सरस्वती शाला योजना है, गुरुमित्र योजना है, आपरेशन ब्लैक बोर्ड है, लेकिन इतनी सारी योजनाओं के बाद भी नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला है कि जहां 1951 में हमारी साक्षरता की दर 8 प्रतिशत थी वह बढ़कर आज 38.55 प्रतिशत हुई है और भारत का जो औसत स्तर है वह 55.10 प्रतिशत है, मतलब अभी भी हम इतने पीछे हैं। महिलाओं की शिक्षा जहां पहले तीन प्रतिशत थी, अब वह बढ़कर 20.44 तो हो गयी है, लेकिन आज भी बाड़मेर जिले का औसत यदि देखें तो शायद तीन प्रतिशत से भी नीचे होगा। कुछ दिनों पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि अभी भी बाड़मेर के अंदर शिक्षा का प्रतिशत तीन प्रतिशत से नीचे है। महिला शिक्षा की बात मैं कह रही हूं तो मैं यह कह रही हूं कि इतनी योजनाओं के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला।

शिक्षा मंत्रीजी ने जो 29 अरब 23 करोड़ 22 लाख 10 हजार रुपये की मांग रखी है, इसमें मैं इन शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत कर रही हूं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे तो हैं ही, लेकिन पिछली सरकार ने जिस तरह दुकान में व्यापारी हर चीज की कीमत तय करके उसे बेचता है उसी तरह से स्कूलें बेचीं। गांव वालों ने अपने पैसे देकर 5 लाख देकर, तीन लाख देकर स्कूलें खरीदीं। झुंझुनूं जिले में इस प्रकार की कोई बीसों स्कूलें क्रमोनत हुई कि जिनको पांच लाख रुपये देकर सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी या तीन लाख रुपये देकर मिडल से सैकण्डरी स्कूल बनवाय। लेकिन नतीजा क्या निकला? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो हमें रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में आज भी अकेले सीनियर सैकण्डरी में 2408 पद रिक्त हैं। तो मुझे आप यह बताइये कि ऐसे इन स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मतलब क्या है, यदि आप वहां पर अध्यापक भेज नहीं सकते, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। पांच लाख रुपये ले लिये, सैकण्डरी को सीनियर सैकण्डरी बना दिया और अध्यापक एक भेजा नहीं। मेरे यहां पर एक स्कूल है किशोरपुरा, उसमें गांव वालों ने पांच लाख रुपया देकर सीनियर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सैकण्डरी बनवायी और केवल मात्र एक अध्यापक वहां पर मौजूद है। अब बच्चे कैसे परीक्षा देंगे ? तो हालत तो वो खराब कर गये लेकिन मुझे उम्मीद आपसे भी नहीं है कि कोई आप उस हालत को सुधारोगे। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि आपके आंकड़ों में ही हेराफेरी हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलेंगे और माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप जो हमको यह निष्पादन आय–व्ययक दे रहे हो 1999–2000 का, इसमें आपने प्रोविजन किया है 10 हजार का और उसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं वित्त मंत्री जी की बात को सही मानूं या आपके इस निष्पादन आय–व्ययक को सही मानूं। मैं चाहूंगी कि आप स्पष्टीकरण करें, क्या वित्त मंत्रीजी ने हमको गलत बयानी की है, हमको गुमराह किया है और बजट में प्रविजन केवल 10 हजार का ही हैं। मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोग देखते क्यों नहीं हो जो कुछ हमें यहां पर देते हो ? आपके आंकड़ें इतने अलग–अलग रहते हैं अलग– अलग मंत्रियों के कि यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इसलिएं मुझे कोई ज्यादा उम्मीद आपसे भी नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रही हूं...

डा. चन्द्रभान : 16 हजार ढाणियों तक बोला था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 16 हजार ढाणी वाणी की बात नहीं हैं। जब आपका बजट प्रोविजन ही 25 करोड़ है और जब आप ग्रामीण शिक्षा केन्द्र दे ही 10 हजार रहें हो तो इसे सही मानेंगे। बजट का तो उन्होंने केवल भाषण दिया है। बजट भाषण में 16 हजार है लेकिन यह 10 हजार है। यह आप हमें 10 हजार दे रहे हो इसलिए सही कौन सा है यह तो आप बताएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि ये इतनी योजनाएं चल रही हैं, यह बात सही है कि इनमें से कुछ योजनाएं सीडा की ओर से या भारत सरकार की ओर से साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए है क्योंकि राजस्थान आज भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे से दूसरे नम्बर पर हैं। इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी कहां तक कर पाएंगे यह बात मेरी समझ में कुछ कम आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा के निरन्तर गिरते स्तर पर भी हमें सोचना, विचार करना चाहिए। आज जो 10 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने जा रहे हैं, नाम बदल दिया आपने। पहले तो प्राथमिक विद्यालय कहते थे अब प्राथमिक शिक्षा केन्द्र इनका नाम कर दिया। आठवीं पास इनका अध्यापक होगा जिसने 5–6–7 साल पहले आठवीं पास करके छोड़ी होगी और फिर सरपंच की मर्जी पर होगा। और वहां कौन करेगा ? सरपंच कहेगा कि अपने नजदीक का आदमी है, अपनी पार्टी का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आदमी है, 1200 रुपये का फायदा इसको दिलाओ। बंटाधार कर दोगे आप ग्रामीण शिक्षा का, यह आपका सुनियोजित षड्यंत्र नजर आता है। इस बात में आप शहरों और गांवों में एक तरह का अंतर पैदा कर दोगे जैसा मैं अपने बजट भाषण में भी कह रही थी कि ये शहरों में रहने वाले अभिजात्य वर्ग के लोग तो पढ़ेंगे पब्लिक स्कूलों में और ये गांव के बच्चे पढ़ेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर। विद्यालय नहीं केन्द्रों पर, जहां पर 1200 रुपये आप दोगे और आठवीं पास अधकचरे ज्ञान वाला अध्यापक होगा और वह भी सरपंच की मर्जी का होगा। वह सरपंच की हाजिरी देगा या आपके बच्चों को पढ़ाएगा, मेरे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है इसलिए आप पुनर्विचार करें। ये प्राथमिक शिक्षा केन्द्र 10 हजार के बजाय पांच हजार ही करो लेकिन विद्यालय खोलो। नहीं तो यह योजना गांवों में लागू करके गांवों की इस प्राथमिक स्तर की शिक्षा को आप बिलकुल नीचे गिरा दोगे और जिसे कहना चाहिए, बिलकुल उसका कूड़ा बना दोगे।

माननीय सभापति महोदय, झुंझुनूं जिले के अन्दर तीन गांव ऐसे हैं जहां 35–35 साल से मिडल स्कूल चल रहे हैं। बड़े गांव हैं, और पंचायत के मुख्यालय भी हैं लेकिन किसी तरह का पोलिटिकल संरक्षण नहीं होने की वजह से 35 साल से आज भी वहां पर मिडल स्कूल यों की यों यथावत हैं। बुडानियां गांव हैं जिसकी आबादी होगी कम से कम 4000, वहां पर मिडल स्कूल है और शायद सन् 1965 से है। 1977 में उस स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया था लेकिन सरकार बदली। कांग्रेस ने क्रमोन्नत किया, उसके बाद जब सरकार बदली तो उसे काटकर दूसरी जगह कर दिया गया। 1977 से लेकर 22 वर्षों में आज उसकी स्थिति वैसी की वैसी है, 1965 में बना हुआ, जिसे 34 साल हो गये है। पर्याप्त संख्या, अच्छा भवन, बड़ा गांव लेकिन यह सब होते हुए भी अभी तक सैकण्डरी स्कूल वहां नहीं बन पाई हैं। यही हालत उदावास की है, यही हालत भुकाणा की है। तीनों पंचायत मुख्यालय हैं, पंचायत मुख्यालय के साथ साथ बड़े–बड़े गांव हैं तीनों और तीनों गांव के अन्दर 1965 से पूर्व के मिडल स्कूल हैं लेकिन अभी तक सैकण्डरी स्कूल नहीं बन पाई है इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दें।

अब मैं आती हूं झुंझुनूं आज भी कुल 32 जिलों में से केवल अकेला झुंझुनूं ही ऐसा बदनसीब जिला मुख्यालय है जहां पर सरकारी कालेज नहीं है और हम राजस्थान की स्थापना की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना रहे हैं। क्या इतना–सा उपहार जिला मुख्यालय को नहीं दे सकते थे ? आपने 14 कालेज खोले हैं, क्या एक भी झुंझुनूं के हिस्से में नहीं आता ? झुंझुनूं के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक भी विधायक नहीं दिया है, सारे के सारे आपको दिये हैं।

डा. चन्द्रभान : खेतड़ी में खोल दिया ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, खेतड़ी बिलकुल कोने पर है और जैसा कि गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यदि तारानगर को गौरव प्राप्त है कि उन्होंने राजस्थान को वित्त मंत्री दिया है तो खेतड़ी को भी गौरव प्राप्त है कि उन्होंने भी उच्च शिक्षा मंत्री दिया है। इसलिए वह तो ठीक है, +++ कर ली, लेकिन मैं फिर कर रही हूं आपसे...(व्यवधान) भी मैं कह रही हूं कि ये तेरा, ये मेरा, मामा का ब्याव, मां उसमें परोसेगी ही परोसेगी, इसलिए सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से वहां पर कालेज खोल दिये। लेकिन क्या किसी को यह ध्यान नहीं आया कि 32 जिलों में एक जिला ऐसा भी है कि जहां मुख्यालय पर कोई सरकारी कालेज नहीं है ? मैं आपसे कहती हूं ये जो बजट लेकर आये हैं और हमसे पास करवाना चाहते हैं 29 अरब से भी अधिक का बजट, एक जिला मुख्यालय बचा है, सदाशयता होगी आपकी। आप बात नहीं करें, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे ही निवेदन कर रही हूं। माननीय सभापति महोदय, इनका ध्यान तो दिलाइये। मैं आपसे ही निवेदन कर रही हूं कि 29 अरब से अधिक का आप शिक्षा का बजट लेकर आये हैं, आप 14 कालेज खोलने जा रहे हैं, 32 जिलों में से एक मात्र जिला मुख्यालय झुंझुनूं जहां पर सरकारी कालेज नहीं है वहां क्या एक अतिरिक्त महाविद्यालय नहीं दे सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : प्राइवेट में है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्राइवेट होने से आपका क्या अहसान है, है तो है ? जिन लोगों ने खोल रखा है, खोल रखा है। प्राइवेट में कोई आपका अहसान नहीं हैं। मैं आपसे कहती हूं कि यह सरकार का कर्तव्य है। सरकार एक जिले को क्यों महरूम रख रही है इस बात से जब 31 जिले में आपके राजकीय महाविद्यालय खुले हुए हैं ?

श्री सभापति : कृपया इन्हें डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कटारिया जी से भी तो कहो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने तो नहीं खोला, तभी तो बंटाधार उनका हुआ, तभी तो 33 की संख्या में बैठे हैं, लेकिन अब तो आप हैं। मैं भूत की बात नहीं किया करती हूं मैं केवल वर्तमान की बात करती हूं और भविष्य की बात करती हूं और आपसे भी निवेदन करती हूं कि आप केवल वर्तमान की बात करिये और भविष्य की बात करिये, आप भूत की बात को छोड़ दीजिये। भूत केवल विस्मृत करने के लिए होता है, वह बार–बार याद करने के लिए नहीं हुआ करता हैं क्योंकि वह गौरवमय नहीं था। जब आप उसे कुशासन कहते हैं तो आप उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं, उसकी चर्चा ही उठाते हैं ? मैं आपसे निवेदन कर रही थी, सभापति महोदय, यह इस जिले के साथ बहुत बड़ा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अन्याय है कि 32 जिलों में अकेला जिला मुख्यालय है जहां पर सरकारी कालेज नहीं है। आप 14 कालेज खोलने जा रहे है, 15वां खोलकर यह यश भी लूट लीजिये, वरना मुझे तो इस सदन के अन्दर धरने पर बैठना पड़ेगा, मैं आपको यह भी चेतावनी देती हूं। बैठना पड़ेगा, क्या करूंगी ? नहीं, बैठना पड़ेगा यह तो मुझे। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मुझे कुछ पर्यटन मंत्रीजी से भी निवेदन करना है। पर्यटन मंत्री जी, लोहार्गल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। झुंझुनूं में लोहार्गल एक पवित्र स्थान है, यह वह लोहार्गल है जहां पांडवों की बेड़ियां गल गई थीं। वे 13 साल के वनवास में एक साल अज्ञातवास में और 12 साल वनवास में जब सब जगह फिर लिये थे और आखिर में वहां आये थे इसलिए तीर्थराज कहा जाता है इसको, सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है जहां पांडवों की बेड़ियां आखिर गल गई थीं। उस लोहार्गल का ऐसे पवित्र स्थल को पर्यटन की दृष्टिकोण से आप पुनरुद्धार करिये। वहां सड़क पहुंचती है उस उस सड़क को ठीक करिये, ऐसी हालत करिये जहां पर लोग–बाग जा सके, देख सके, यह बड़ा पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल के अन्दर जहां पांडवों की बेड़ियां गली थीं...

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय कमला जी तो कहती हैं कि 13वां साल विराटनगर में कटा है और आप कहती हैं...

श्री सभापति : आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, टेक योर सीट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कटने की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो बेड़ियां गलने की बात कह रही हूं। लोहार्गल गये थे और वहां उनकी बेड़ियां गल गई थीं, मैं यह कहती हूं।

इसके साथ–साथ कई लोगों को बात तो बहुत बुरी लगेगी लेकिन राजस्थान का जो इन्कम टैक्स पेयर है आखिर यह पैसा आता कहां से है ? यह उस गरीब, मेहनतकश, सर्वहारा किसान और मजदूर की जेबों से आता है जो अपना पेट मसोसकर आपके खजाने के अंदर पैसा देता है, बल्कि उसे कहना चाहिए कि सरकार को इनके रख–रखाव के लिए, इनको अच्छा पर्यटन स्थल बनाने के लिए काफी कुछ अपनी तरफ से दिया। 50 करोड़ रुपये से अधिक रुपये दे दिये। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि झुंझुनूं जिले में कला, संस्कृति ने पग–पग पर अपनी पहचान बनायी हुई है। मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको धन्यवाद भी देती हूं, पर्यटन मंत्री जी, कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर पढ़ी थी कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रीजी वहां पर आये थे और वे मंडावा गये थे। मैं समझती हूं वहां उन्होने काफी कुछ देखा होगा क्योंकि झुंझुनूं जिला तो सतियों का, सूरमाओं का और संतों का जिला है। वहां की तो हवेलियां भी आप देखिये तो उनको देखने वाला पर्यटक दंग रह जाता है। जिस तरह की कला, जिस तरह की प्राचीन संस्कृति की वह गवाह है, उसके लिए मैं चाहूंगी कि झुंझुनूं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को आप अपने पर्यटन के मैप के ऊपर प्राथमिक तौर पर स्थान दें, उसके लिए पैसा दें और उसको अच्छा डवलप करें।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां बस कर रही हूं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ, मैं शिक्षा के संबंध में और पर्यटन, कला और संस्कृति के संबंध में अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर रही हूं।

श्री सभापति : माननीय वी.पी. सिंह जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह(आसींद) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे समय दिया...

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : कुछ भारत की भी हो और कुछ विदेश को भी हो।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिलकुल, आपको मैं निराश नहीं करूंगा। बजट पर मुझे समय नहीं मिला था इसलिए इस मांग संख्या 24 और 47 शिक्षा और पर्यटन पर आने से पहले कुछ बातें बजट पर कह दूं दो मिनट, उनसे रिलेट करके शिक्षा पर मैं अंत में आ जाता हूं। मेरा निवेदन है इस बजट के अन्दर एक विजन की कमी है।

श्री सभापति : वह आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें तो बेहतर रहेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं। I am relating it to fix time.

श्री सभापति : You have got your limited time.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : I am relating it. आप पांच मिनट दें मुझे। अब मेरा टाइम तो, सभापति महोदय, बोलने दें।

श्री सभापति : You have got your limited time. आपके सीमित समय में आप जो भी बोलना चाहें बोल लीजिये विषय के सम्बन्ध में।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हां, ठीक है, थैंक यू। मैं रिलेट करना चाह रहा था कि विजन की कमी है एक मौका मिला था कांग्रेस (आई) को, नौ साल के बाद में बजट पेश किया है, अच्छा होता कि वित्त मंत्री दूसरे को बुरा बताने की जगह पचास वर्ष और यह मिलेनियम जो खतम हो रहा है, नैक्स्ट मिलेनियम में अपन प्रवेश कर रहे हैं, कुछ आइडैंटिफाई करते कि इन–इन कारणों से राजस्थान अभी तक पिछड़ा हुआ है। उस विजन, दूरदर्शिता की कमी मुझे नजर आ रही है। इसमें जो आइडैंटिफाई करना चाहिए था, पहला–पापुलेशन प्राब्लम, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। आज जितना भी विकास किया, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने भी कोई कम विकास नहीं किया और नौ साल में हमने भी कोई कम विकास नहीं किया, कम्पेयर करने की भी जरूरत नहीं, आइडैंटिफाई करते तो सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आता वह है पापुलेशन प्राब्लम और उसी से विकास नहीं हो पा रहा है। आप बिजली कितनी भी प्रोड्यूस करें, पापुलेशन की मांग बढ़ती जा रही है, उसकी पूर्ति नहीं होती। कहीं पर भी ले लें आप, वह नहीं

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

किया। शिक्षा पर आ जाता हूं, लिट्रेसी की...

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इस पर कोई अन्तरराष्ट्रीय सुझाव दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : लिट्रेसी बढ़ी है 38 प्रतिशत और अब कह रहे हैं कि अगले वर्ष जो सैंसस होगा, 60 प्रतिशत पर हम पहुंच जाएंगे लेकिन इस पापुलेशन प्राब्लम का अगर निराकरण हम कर लेतें है तो इससे बहुत बड़ी हमें उपलब्धि हासिल हो सकती है।

अब सीधा मैं पर्यटन पर आ जाता हूं विज़न की जो बात मैंने कही है, जो कमियां नजर आती है, आज दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आएगी वह है एम्प्लायमैंट की। आज गांव में चले जाएं, कहीं भी चले जाए, मांग जो सब जगह हो रही है, यही हो रही है कि हमें ट्रीचर की पोस्ट, एल.डी.सी. की पोस्ट, गवर्नमैंट की नौकरी चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी स्कूल खोलें, एक नई फौज आप तैयार कर रहे हैं अनएम्प्लायज की, उसके लिए विचार करें। यह जो सोच है कि सरकारी नौकरी ही हमें मिले, वही दिया हमें देखें उसके लिए एक कैरियर कौंसिलिंग की जरूरत है। यह आप नोट कर लें कि कैरियर कौंसिलिंग जब तक नहीं होगी, लोगों को दूसरा विचार नहीं देंगे। आज दुनिया के अन्दर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सरवाइव करते हैं ट्यूरिज्म पर, ट्यूरिज्म पर ही उनकी पूरी इकोनोमी है। कितने ही देश हैं। अभी कह रहे थे कि हैरिटेज प्रोपर्टी के अन्दर इनको लाभ हो रहा है, उनको लाभ हो रहा है। यह छोटी बात नहीं करते। अमेरिका आप चले जाओ, हैरिटेज की जो बात है, वहां तो इतिहास है ही नहीं, दो सौ–ढाई सौ वर्ष का ही इतिहास है, वहां पर जो काउबायज थे, ऐसी–ऐसी सिटीज हैं कि वहां हैरिटेज के नाम पर दो सौ वर्ष का पूरा हैरिटेज का ही पूरा विलेज बना रखा है और ऐसा लगता है कि दो सौ वर्ष पीछे चले गये हम। वही घोड़े पुराने, वही बंदूक चलाते हैं, प्लैंक चलाते हैं, वही का वही। ऐसा दृश्य कि हम दो सौ वर्ष पीछे चले गये। यही कसैंप्ट यहां पर लाने की कोशिश की जाए। आज काम्पीटिशन भी ट्यूरिज्म में बहुत बढ़ गया है। राजस्थान को अगर आप टूरिस्ट स्टेट बना दें और विलेज को हैरिटेज गांव तो उसके अन्दर खाली एक किले का मतलब नहीं है, वहां पर शिक्षा, कालेज Everything will be looked after by the heritage village and city. यह कंसेप्ट आना चाहिए। सर्विस ओरिएन्टेड इण्डस्ट्रीज हैं, स्मोकलैस इण्डस्ट्रीज हैं, यह सोच अपन आगे बढ़ाएं। आज तो राजस्थान के अन्दर यह सोच ही नहीं हैं ट्यूरिज्म को इतना डाउनग्रेड कर रखा है कि कभी यहां कैबिनेट मंत्री भी नही रहा ट्यूरिज्म का। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं कि मंत्री महोदया ने तीन–चार महीने के अन्दर पर्यटन नीति बनाने की जो...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वी.पी.सिंह साहब, मेरी पोजीशन डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं ? मैं कभी ट्यूरिज्म मिनिस्टर भी रहा था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कैबिनेट थे आप ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, कैबिनेट।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह :-मेरी गलती हो गई।

एक माननीय सदस्य : कमलाजी भी थीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आज भी होना चाहिए न तो। आज भी तो बनाया जाए। आज आप नेपाल को ले लें, छोटा–सा देश, चारों तरफ से घिरा हुआ, ट्यूरिज्म पर ही निर्भर कर रहा हैं और कहां से कहां पहुंच गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : कुछ स्विटजरलैंड के बारे में भी बताएं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं इटली के बारे में भी बता देता हूं जो सोनिया गांधी का देश है।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरे सदन का ज्ञान बढ़ेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सोनिया गांधी जी का जो देश है इटली, मैं लीनिंग टावर आफ पीसा...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह(मुख्य सचेतक) : सोनिया गांधी का देश भारत है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पुराना देश, पुराना देश। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : पुराना देश नहीं, जन्मभूमि, यह कहें, श्रीमन्।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जन्मभूमि। मैं जानकर इटली गया, वेनिस गया। लीनिंग टावर आफ पीसा देखा, मिलानो गया।

श्रीमती बीना काक : इटली ज्यादा क्यों जा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : पीजा खाया या नहीं आपने वहां ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पूरा देश ट्यूरिज्म पर निर्भर करता है। वेनिस के लिए तो कहते हैं कि See Venice and die.

श्री राजेन्द्र पारीक : और वहां का पीजा आपने नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मतलब उनकी पूरी इकोनोमी ट्यूरिज्म पर निर्भर करती है। आज राजस्थान की जो कमियां हैं, मैं कुछ सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप पुनः जाओ सब जगह।

श्री सभापति : प्लीज डोंट डिस्टर्ब।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय वी.पी. सिंह साहब, आप अलवर भी गये या नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप ले जाना मेरे को।

श्री जगत सिंह दायमा : राजस्थान में टॉप मोस्ट पर्यटन स्थल है वहां।

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अभी–अभी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं भी दस साल से यह मांग उठा रहा हूं कि इन्टरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर के अन्दर आ जाए क्योंकि आज राजस्थान के अन्दर बोटलनैक है ट्यूरिज्म का। ट्यूरिज्म आता है बोम्बे से, बोम्बे के अन्दर वह लैण्ड करें, बोम्बे के अंदर होटल नहीं मिलता तो वह राजस्थान आना चाहता है। लेकिन सीधी बोम्बे या देहली ही आएगा और वहां पर होटल इतने महंगे हैं, दो सौ डालर वहां खर्च कर देगा, जो दो सौ डालर आपके राजस्थान में खर्च होने चाहिए। फिर आपके एयरलाइन्स की टिकट नहीं मिलती और सड़क से आता है तो बहुत लम्बा, सड़क भी खराब। इतने कन्स्ट्रेंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की बात आगे बढ़ाए।

दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपके यहां पर फूड क्राफ्ट एक सर्विस इण्डस्ट्री है। यहां पर दो होटल मैनेजमैंट के इंस्टीट्यूट हैं। सैंटल गवर्नमेंट के और राजस्थान के तीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट आज आप अखबार पढ़े तो अखबार के अन्दर सब जगह मंदी, आपकी इण्डस्ट्रीज बंद हो रही हैं, पर आप अखबार खोलें तो वांटेड ए शेयर, वांटेड फर्म मैनेजर। तो अभी ट्यूरिज्म के अन्दर लोग आना चाहते हैं और सर्विस इण्डस्ट्री होने के नाते आप इसको थोड़ा बढ़ाए। अभी इसमें हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, इसमें बिल्डिंग नहीं है ये आप करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छोटे–छोटे शहर जैसे अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर हैलीकोप्टर सर्विस के लिए, छोटे प्लेन्स के लिए एयरपोर्ट्स आप बनाएं। ईको ट्यूरिज्म डवलप करें, एडवेंचर ट्यूरिज्म डवलप करें।

अभी बात हो रही थी कि खाली किला देखने के लिए जाते हैं नहीं। अभी झुंझुनूं और मण्डावा की भी बात रखी गई। वह एक सक्सेस स्टोरी है। मण्डावा किले के पीछे आज आप मण्डावा जाएं तो पूरा जो छोटा सा गांव था वह पनप गया है। एक दिन अमेरिका में मैंने टी.वी. आन किया और वहां पर मैंने देखा कि मण्डावा का दृश्य टी.वी. पर है। और वहां पर क्या कि वे बता रहे थे कि गट्टे कैसे बनाते हैं। अमेरिका के अन्दर उसका एक दृश्य आता कि गट्टे का साग कैसे बानाते हैं। अमेरिका के अंदर उसका एक दृश्य आया कि गट्टे का साग कैसे बनाते हैं, उसमें भी इन्टरेस्ट है।

श्री जगत सिंह दायमा : आपके अलावा किसी और ने भी खोला क्या उसे ? कोई और नहीं होगा ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप चलते तो आप भी देख लेतें।

आज नजूल प्रोपर्टीज जितनी भी हैं, किले और जितनी भी छोटी–छोटी हवेलियां हैं सरकार के पास, फोर्ट्रसेज, इनकी एक लिस्ट बना लें और उसको अच्छी तरह से फोटोग्राफ करके फिर इन्टरनेशनल बिल्डिंग करें, कितना पैसा आपके पास आ जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत है आपको ट्यूरिस्ट बंग्लोज चलाने की, क्या जरूरत है आपको होटल्स चलाने की ? प्राइवेट सैक्टर में क्यों

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

नहीं दे देते उससे भी आपको कितना पैसा मिल जाएगा। वित्त मंत्रीजी और हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत सारी बात कहते हैं और बजट में भी एक बात आयी है कि मध्य प्रदेश के अन्दर जो होता है वह हम रास्ता अपना रहे हैं। क्या आपको खबर हैं मंत्री महोदया, कि खजुराहो, मध्य प्रदेश के अन्दर और गोवा के अंदर केसिनो खोलने के लिए तैयारी हो रही हैं ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे तक बढ़ाया गया। प्लीज कंटीन्यू।

मांग संख्या 24 एवं 47 पर विचार

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, आज हम लाटरी बंद करने जा रहे हैं। गैम्बलिग के हम भी अगेंस्ट हैं पर आज नेपाल के अन्दर जितने भी केसिनोज खुले हैं वे लोकल आदमी के लिए नहीं हैं। कोई नेपाली वहां पर केसिनो में जाना चाहे तो नहीं जा सकता। क्या आप भी विचार करेंगे जैसा मध्य प्रदेश में खजुराहो हो में केसिनोज आना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने मांग की हैं और शायद परमिशन मिल रही है। अगर यहां पर आ जाए तो जो समस्या 460 करोड़ की बता रहे हैं, एक केसिनो आने से मतलब काफी केसिनोज आ जाएंगे, उससे ही आपकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा भी सोच है क्या ? एक इस सोच को विकसित करने की जरूरत है। आज जो कमियां हैं...

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड। कन्क्लूड कीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह आपके पब्लिसिटी के अन्दर कमी है। आज सब जगह कहते हैं कि यह तो गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का काम है, राजस्थान गवर्नमैंट को नहीं करना चाहिए और नहीं करते हैं। आपने बड़ी–बड़ी किताबें छाप दी तीन–तीन, चार–चार हजार रुपये की, वो कोई लेता नहीं। इससे अच्छा आप इन्टरनेशनल मैग्जीन्स के अन्दर पब्लिसिटी करें। राजस्थान की ये किलों की करें, हैरीटेज प्रोपर्टीज की करें। हैरिटेज के साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जो नेपाल के अंदर उन्होंने किया है। वहां जो छोटे–छोटे गांव हैं, उन्होंने एडवेंचर ट्यूरिज्म के नाम पर छोटे–छोटे गांवों का रूट बनाया, एक घोड़े पर और दूसरा पैदल। एक जगह ब्रेकफास्ट मिलता है छोटे–से गांव के अन्दर, दूसरी जगह उनका लंच का इंतजाम होता है। तो जरूरी नहीं कि किले और महल ही देखने के लिए लोग जाएंगे, ढाणी में भी चले जाएगे। छोटे–छोटे गांवों में रहने के लिए वे चले

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जाएंगे। उनको खाली नीट एण्ड क्लीन व्यवस्था चाहिए खाने की।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात की है जमैका की...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जरा जोर से बोलें साहब।

श्री दिग्विजय सिंह : छोटे–छोटे गांवों के अंदर संस्कृति आपने चालू की थी चोखी ढाणी की करके, मेरे ख्याल से वैसा कार्यक्रम कर लेते तो अच्छा था आपके टाइम में।

श्री जगत सिंह दायमा: जब आप होम मिनिस्टर थे...

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड कीजिये।

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : आप बंदर नचाते रहे चोखी ढाणी में बैठकर। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। कन्क्लूड कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मुझे दुःख होता है यहां पर कहते हुए, मैं कहना भी नहीं चाहता। मंत्री महोदया जर्मनी के सबसे बड़े ट्यूरिज्म फेयर के अन्दर जा रही थी। मुख्य मंत्रीजी ने क्लियर कर दिया फाइल को, पर मितव्ययता के नाम पर हमारे वित्त मंत्री ने उनको रोक दिया, छोटे–सी रकम पांच लाख रुपये के लिए, पांच लाख रुपये अगर दे देते और मंत्रीजी वहां चली जाती तो कितने ट्यूरिस्ट आ जाते। एक करोड़ क्या, कितने ही करोड़ का अपने को लाभ हो सकता था। यह सोच है हमारे वित्त मंत्री जी का। मैं तो आपको कहता हूं कि यहां पर आपको ट्यूरिस्ट डिपार्टमैंट के लिए कैटलिस्ट का काम करना चाहिए, एक वियाग्रा की जरूरत है इसके अंदर। वियाग्रा की जरूरत वित्त मंत्री जी को हो या न हो पर इस डिपार्टमैंट को जरूर है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरा सदन स्विट–जरलैण्ड से सीधा नादोती पर आ जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, इनका माइक बंद करवा दें, वैसे ही अच्छा बोलते हैं।

श्री सभापति : आज विराजिये। हां, भीणा साहब, प्रारम्भ कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जो यहां विराजमान हैं, सबसे पहले उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपका यह ट्यूरिज्म डिपार्टमैंट, अब से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको अपने घर का डिपार्टमैंट बना रखा था। जितने भी पुराने किले थे, राजा–महाराजाओं के टाइम की जितनी भी इमारतें थीं, उन सबको इन लोगों ने अपनी सात पीढ़ी के लिए विकसित करवाया और उनके लिए

(श्री रामस्वरूप मीणा)

एक धन्धा उन्होंने दिया। ये किले राजा–महाराजाओं ने लोगों के खून चूस–चूस करके बनाये थे, लोगों को उस समय एक नया पैसा नहीं दिया जाता था, उस समय बनाये गये किले जो अब गिर गये थे...

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : यह कहीं लिखा हुआ है क्या ?

(17.00 बजे)

श्री रामस्वरूप मीणा : कृपया आप सुन लीजिये। मैं वर्तमान की बात नहीं करता, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। इतिहास साक्षी है इस बात का।

तो उस समय जो किले बनाये गये थे वे गिर गये थे। मेरे क्षेत्र के अंदर भी इसी प्रकार का एक किला था जो बिलकुल जर्जर हो चुका था। वहां पर जो ठाकुर साहब थे वे स्वयं उसको छोड़कर चले गये थे। भारतीय जनता पार्टी के राज में 20 लाख रुपया दिया गया और उस किले को ठीक करवाया गया। आज तक वह किला आम जनता या व्यक्ति के काम में नहीं आ रहा है। उसमें कोई विदेशी लोग भी नहीं आते हैं, लेकिन वे लोग यह कहते है कि हमने तो इसको ट्यूरिज्म के लिये ठीक करवाया है, विदेशी लोग इसमें आएंगे और इससे हमारे देश में विदेशी पूंजी आएंगी। मैं तो कहता हूं आज तक कोई विदेशी उसमें आया नहीं और 20 लाख रुपया उसमें लगा दिया गवर्नमैंट ने, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आर.टी.डी.सी. है वह वास्तव में राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन है। यह भैरोंसिंह जी के नाम से थी और अपने लोगों को फायदा देने के लिये थी। उसमें कांग्रेसियों को कोई स्थान नहीं दिया। बहुत–से पुराने राजपूत जागीरदार हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के हैं, जिनकी आज प्रतिष्ठा है, उन्होंने किलों को बहुत अच्छा भी बना रखा हैं, लेकिन उनको स्थान नहीं दिया इन्होंने। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन लोगों को इन्होंने महत्ता दी, चाहे, उनके किले किसी भी काम में नहीं आ रहे थे, उनका इन्होंने विकास करवाया। इसीलिए इसका नाम राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन रखा। माननीय सभापति महोदय, यह देश का पैसा जो इस प्रकार इस विभाग के नाम से खर्च किया जा रहा है इसको आप मेहरबानी करके समाप्त ही कर दें। और जो इन्होंने विकास करवाया है पुराने किलों के नाम से, पुरानी इमारतों के नाम से या पुरानी हवेलियों के नाम से, इसकी आप जांच करवाइए। इसमें जितना पैसा लगाया है वह वास्तव में और सही तौर से नहीं लगाया गया है। उस पैसे की बड़े लोग जिनकी बहुत सारी सम्पत्ति है, वैसे ही डकार गये है। आप जांच करवाएंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि वास्तव में हमारे देश का इसमें...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कंटीन्यू कीजिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए सभापति महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि इसकी जांच करवाइए। जांच से हमको पता लगे कि कितना इसमें सरकारी पैसा लगाया गया है। कुछ लोगों का इसमें हिस्सा भी होता था। लेकिन आज जितने भी बने हुए हैं उनमें से कइयों ने खुद ने पैसा नहीं लगाया, उसी पैसे को गोल–मोल करके उन्होंने अपना सारा काम चला लिया। इसलिए मेहरबानी करके आप इसकी जांच करवाइएं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे बहुत–से पर्यटन स्थल हैं जिनको आज तक आपने पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया। मैंने पिछली सरकार के सामने भी यह निवेदन किया था। हमारे यहां सबसे बड़ा मेहंदीपुर बालाजी स्थान है जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में आता है, सारे हिन्दुस्तान से ही नहीं, वर्ल्ड के लोग वहां पर आते हैं और आकर दर्शन करते हैं, ठहरते भी हैं, वहां के प्राकृतिक सौदर्य का लाभ भी उठाते हैं। आप मेहरबानी करके मेहंदीपुर बालाजी को जो कि तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करें। दूसरा स्थान गढ़मोरा जो राजा मोरध्वज की नगरी है, जहां आज भी बड़े–बड़े गर्म पानी के कुण्ड, ठण्डे पानी के कुण्ड बने हुए है जो हमेशा चलते रहते है, सर्दी, गर्मी, बरसात सब मौसम में लाखों लोग वहां आते हैं और स्नान करते हैं और सबकी यह आस्था है कि यह वह स्थान है जहां पर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को अपनी सत्यता आधारित करने के लिए चीर दिया था और स्वयं भगवान वहां प्रकट हुए थे। वह स्थान आज वहां पर मौजूद है। वहीं पर वह स्थान भी मौजूद है जहां पांडव कुछ समय के लिये रहे थे। अभी भूतपूर्व मंत्री महोदया कह रही थीं, उसी बात को मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गढमोरा के अंदर वह भी स्थान है जहां पांडवों ने अपना कुछ समय बिताया था। आज भी वहां उनके रहने के स्थान बने हुए हैं। वे बड़े गुप्त हैं, गुफाएं वहां बनी हुई हैं, जो बहुत सुंदर हैं प्राकृतिक दृष्टि से। लोग वहां आते रहते है। इस स्थान को आप अगर डवलप कर दें तो हमारे यहां ही नहीं, विश्वभर में हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा और आपको भी विदेशी मुद्रा मिलेगी। गढ़मोरा नादौती से 20 किलोमीटर उल्ली तरफ है। भांडारेज से रोड गढ़मोरा के लिये गया है, वह रोड भी अभी पूरी नहीं हुई है। अगर इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दें तो हमारी सड़कों का भी विकास हो जाएगा। करौली जिले में नादौती तहसील है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की है और उसी में यह गढ़मोरा स्थान है।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जितने भी तीर्थ स्थान हैं, केलादेवी हैं, श्री महावीर जी हैं, ये सारे स्थान ऐसे हैं जो कि हमारे जिले की शान हैं। जिस प्रकार रणथम्भौर का सवाईमाधोपुर जिले में स्थान हैं उसी प्रकार हमारे जिले करौली में केलादेवी जी का स्थान, श्री महावीरजी का स्थान और मेहंदीपुर बालाजी का स्थान हैं। ये तीनों स्थान बिलकुल

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जुड़े हुए हैं, यात्री वहां पर आते है तो यहां पर भी आते हैं। जो यात्री कैलादेवी जी आएगा वह मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके जाता है। इसलिए अगर तीनों स्थानों को आप जोड़ दें तो इनका विकास तो होगा ही, साथ ही वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात बिलकुल सत्य है कि न केवल तीर्थ स्थान का ही विकास होता है, बल्कि उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमारे यहां हजारों आदमी रोजाना आते हैं और मेहंदीपुर बालाजी में कितने ही आदमी ठहरते भी हैं, इससे वहां आस–पास के लोगों को पूरा धंधा मिलता है। इसको आप केवल विदेशियों के आधार पर ही नहीं सोचें कि यहां विदेशी लोग ही आते हैं। ऐसी जगहों पर लोकल लोग भी आते हैं, वे लोग आकर यहां पर ठहरते हैं जिससे लोकल लोगों का रोजगार मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनका विकास करें।

आपने जो ये मिड–वे बनाये हैं वास्तव में इनको सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा हैं, इनमें बड़ा घोटाला हैं आप इसकी जांच करवाइए कि मिड–वे में कितना घोटाला हो रहा है। मेरे क्षेत्र के पास में जो पाटोली है इसके रास्ते में और महुवा के रास्ते में चार मिड–वे बन चुके हैं चारों का एक ही मालिक है।

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : वे तो प्राइवेट हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले भी थे वो।

श्री सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए, सचेतक महोदय को नहीं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, वे प्राइवेट बने हुए हैं। मेरा तो यह निवेदन है कि जब प्राइवेट इतने चल सकते हैं तो सरकारी क्यों नहीं बनाये जाएं। इसमें वास्तव में सरकार की बहुत बड़ी नीति काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के टाइम में ये सारे बने। इन्होंने अपने चहेतों के द्वारा बनवाये हैं। क्यों नहीं इनको सरकार ही बनाए ? इन्होंने जो मिड–वे बनाये हैं वे घटिया किस्म के बनाये हैं इसलिए उनकी तुलना में वहां कोई ठहरना पसंद नहीं करता है। इसलिए आप मेहरबानी करके जितने भी मिड–वे बनवाएं आप उनकी क्वालिटी का भी ध्यान रखें। इनमें आपने पुरानी टैक्निक काम में ली है, आज डवलपमैंट हो चुका है। नये जितने भी प्राइवेट बन रहे हैं इनका इतना अच्छा वातावरण है, इतने अच्छे ढंग से उनको बनाया गया है, सजाया गया है कि हर आदमी उसमें जाना पसंद करता है और इनके हमेशा सूने पड़े रहते है। आप इनकी स्थिति को सुधारें ताकि उनके काम्पीटिशन में ये आगे बढ़ सकें। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि हमारे यहां राजस्थान पर्यटन विभाग ने अब तक जो कुछ किया है वो वास्तव में भेदभाव की दृष्टि से किया है। मेरे क्षेत्र के ऐसे स्थान जिनको अब तक

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पर्यटन स्थल घोषित हो जाना चाहिये था, उनको आप मेहरबानी करके घोषित करें।

दूसरा बिन्दु शिक्षा का है। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में शिक्षा ने हमारे देश में विकास किया है। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलायी थी और आजादी दिलाने के बाद इस कांग्रेस ने देश में सबसे ज्यादा कोई विकास किया तो वह स्कूलों का किया। गांवों में कभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं होती थी, लोग पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा अध्ययन करते थे और उसमें भी कुछ वर्ग के लोग ही पढ़ते थे बाकी लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन चालीस साल की कांग्रेस सरकार ने, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा अगर लोकप्रियता का काम किया तो वह किया शिक्षा का काम। गांव–गांव में शिक्षा का विकास किया। आज उसी की देन है कि गांव के लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस. अच्छे–अच्छे अफसर बनकर सारे हिन्दुस्तान में बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के कारण विकास हुआ है, लोग आगे बढ़े हैं लेकिन इसके साथ–साथ सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि जिस प्रकार हमारी शिक्षा एक ओर डिग्री की ओर बढ़ रही है, तो दूसरी ओर हमारी शिक्षा नैतिकता के आधार पर नीचे गिर रही है। हमारे देश में एक वह समय था जब शिक्षित व्यक्ति का चरित्र अलग ही होता था। अलग ही दिखता था कि यह पढ़ा–लिखा आदमी है। लेकिन आज पढ़े–लिखे भी ऐसे हो गये हैं जो सब प्रकार के अपराध करने लग गये हैं। इसका कारण है कि हमारी नैतिक शिक्षा खतम हो चुकी है। मेरा आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, विनम्र निवेदन है कि इस सदन से एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि हमारी जो शिक्षा है उसके साथ–साथ नैतिक शिक्षा को भी जोड़ा जाए, उसको अनिवार्य कर दिया जाए। सारा वातावरण शिक्षा का खराब हो चुका है। आज राजस्थान के विश्वविद्यालय देख लो, चाहे अन्य विद्यालय देख लो, सारे विद्यालयों के अंदर क्या स्थिति हो गयी है ? गुण्डागर्दी, बदमाशी, मैं तो यहां तक कहता हूं बलात्कार भी जब विश्वविद्यालय में हो जाते हैं तो इससे बुरी बात और क्या होगी ?

श्री जगत सिंह दायमा : किसके राज में हुआ है, साहब, यह ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मुझे राज से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब है। माननीय सभापति महोदय, यद्यपि हम कहते हैं शिक्षा आगे बढ़ी है लेकिन मैं तो कहता हूं शिक्षा हमारी उल्टी पीछे गयी है। पहले के गुरुकुल अच्छे हुआ करते थे, गुरुकुल में पढ़ा हुआ आदमी सारी दुनिया भर में आपना नाम रोशन करता था। गुरुकुल के अंदर ही कृष्ण भगवान पढ़े थे और गुरुकुल के अंदर ही सुदामा पढ़े थे, दोनों एक ही गुरुकुल से निकले हुए थे जिनको आज भी सारे हिन्दुस्तान के लोग देवता के रूप में पूजते हैं, उनकी कथाएं आज भी कही जाती हैं। लेकिन आजकल के गुरुकुल

(श्री रामस्वरूप मीणा)

आजकल के ये जो शिक्षा के स्थान हैं...

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय रामस्वरूप जी डबल बात कर रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि पेड़ों के नीचे शिक्षा देते थे और कुछ भी नहीं होता था, अब कह रहे हैं कि साहब गुरुकुल की बहुत अच्छी होती है, तो कौन सी बात ठीक है ?

श्री सभापति : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : पेड़ों वाली या आज की कांग्रेस की ?

श्री सभापति : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : एक बार तो उसकी बुराई कर दी, दुबारा उसकी बुराई कर दी।

श्री सभापति : आपका समय आएगा तब कह दीजिएगा, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय सभापति महोदय कि यह नैतिकता जो खतम हुई है यह वास्तव में हमारी शिक्षा में आनी चाहिए। बच्चों में शुरु से ही भाव पैदा होना चाहिए गुरुओं के प्रति उस समय कहते थे :-

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवोमहेश्वरः।
गुरुसांक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेः नमः।।

यह हमारे शास्त्रों का वाक्य था, गुरुजी महाराज को ब्रह्मा के रूप में पूजा जाता था। वह स्थान जो गुरु का था, वह वास्तव में अब घट गया है। आज गुरु को बच्चे क्या कहते है ? जो-जो बुरे शब्द होते हैं, सब कहते हैं। परीक्षा में तो, मैं तो कहता हूं गुरु के छुरी तक अड़ा देते हैं।

श्री सभापति : संक्षिप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए यह जो स्तर घटा है, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करें। प्राथमिक स्तर से ही इसको जोड़ा जाए ताकि यह उच्च लेवल शिक्षा तक चले। इसका वातावरण खराब किसने किया, माननीय सभापति महोदय ?

श्री जगत सिंह दायमा : कांग्रेस ने।

श्री रामस्वरूप मीणा : जितने भी टेलीविजन वगैरह पर प्रोग्राम दिखाये जाते हैं, सारे प्रोग्रामों के अंदर नैतिकता को बिलकुल नष्ट कर दिया गया है। गाना गाया जाता है पंडित जी मेरे मरने के बाद थोड़ी सी शराब पिला देना। अब बोलो, ऐसे-ऐसे गाने बना देते हैं आजकल।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, अब रामस्वरूप जी संस्कृत में बोलेंगे।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसी-ऐसी बातें इसके अंदर जोड़ी जाती है जिसको सब देखते हैं। वहां बहन बैठी रहती है, वहीं पिताजी बैठे रहते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह व्यवस्था खराब है जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : वहीं बेटा बैठा रहता है, वहीं बेटी बैठी रहती है और उनके सामने इस प्रकार के गाने गाये जाते हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारी शिक्षा पर इसका असर पड़ता है। आज जितने भी अपराध बढ़े हैं, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सब टेलीविजन की देन हैं जिसके अन्दर ज्यादातर ये ही सारी चीजें दिखायी जाती हैं। किस प्रकार से चोरी की जाती है, किस प्रकार से प्रश्न–पत्र चोरी किये जाते हैं, ये सब विधाएं इसके द्वारा बनी हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह व्यवस्था की गलती है।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसी का परिणाम है कि हमारी शिक्षा का स्तर गिरता हुआ चला जा रहा है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी करता हूं। स्कूली व्याख्याताओं को 1988 में, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने सैकण्डरी प्रधानाध्यापकों के समान 2000 वाला वेतन दिया था, आपके ही टाइम की बात है, परन्तु कटारिया जी ने स्कूल व्याख्याताओं को 6500 वाला वेतन एवं प्रधानाध्यापक, सैकण्डरी विद्यालय को 7500 वाला वेतन दिया है। कृपया दोनों को 7500 को वेतन वापस दिलाए। यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है क्योंकि आपके द्वारा ही दिया हुआ था।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ...

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी शिक्षा के बारे में जो सरकार की नीति है, उस नीति में परिवर्तन किया जाए और शिक्षा में पुनः इस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए जिसके अंदर बच्चों में आदर्श की शिक्षा दी जाए। माननीय कटारिया जी ने एक ओर परिवर्तन किया था, माननीय शिक्षा मंत्री जी। इन्होंने ड्रैस में परिवर्तन कर दिया। पुरानी ड्रैस सफेद कमीज, खाकी नेकर या खाकी पेंट थी इन्होने बदलकर उसको नीली कमीज कर दिया।

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, खाकी पैंट इनकी कहां है ?

श्री सभापति : प्लीज कन्क्लूड, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं आखिरी निवेदन करूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, खाकी पैंट आपकी कहां है ?

श्री सभापति : हां, ठीक है। आप विराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : खाकी पैंट तो इनकी है।

श्री सभापति : जी हां, ठीक है, विराजिये। माननीय रामस्वरूप जी, प्लीज कन्क्लूड।

श्री राजेन्द्र पारीक : बडी मुश्किल से खाकी नेकर से पीछा छूटा है फिर कहां पहनाओगे, किसको पहनाओगे ?

श्री सभापति : पारीक साहब, प्लीज डोंट डिस्टर्व। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप चौथी बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज, आप विराजें।

श्री जगत सिंह दायमा : कोई असर नहीं होता है।

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : गुरुओं का असर क्यों नहीं होता हैं ?

श्री सभापति : आप बैठिये, आपका समय आएगा उस वक्त आप कहिएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : इसलिए नहीं होता कि वह ट्रांसफर के लिए गिड़गिड़ाता है।

श्री सभापति : देखिये, आप विराजिये। कन्क्लूड कीजिये, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा :माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय पूर्व मंत्री महोदय, जो यहां पर विराजमान हैं कटारिया जी, उन्होंने ड्रैस में परिवर्तन करके सफेद कमीज और खाकी पैंट की जगह नीली कमीज और खाकी पेंट कर दिया। मेरा तो यह निवेदन हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, पुनः आप इसको बदलें। वास्तव में नीले रंग का तो वैसे भी निषेध है, शिक्षा में इस रंग को नहीं ले सकते। इन्होंने तो उस समय कोई रंग वाले से कांटैक्ट कर लिया।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्योंकि यह रंग विकता ही नहीं था इसलिए इन्होंने...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उस रंग वाले से समझौता करके इसको लागू कर दिया। आप पुनः सफेद कमीज ही उसके स्थान पर लावें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : हां, बैठिये। धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय, एक बात और अन्त में कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां बहुत सारे आज भी स्कूल ऐसे हैं जिनमें मास्टरों की कमी हैं। पूर्व में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से व्यक्तिगत भी मिला था और यहां भी निवेदन किया था कि स्कूलों के अंदर स्थान खाली पड़े हैं। आप मेहरबानी करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल्दी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

से जल्दी उन स्थानों को भरवाने की कृपा करें। आखिर मैं आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, कि सब जगह आपने कालेजों की घोषणा की है, सब कुछ किया है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अंदर एक महाविद्यालय होना बहुत जरूरी था जो आसपास में कहीं नहीं है। मेहरबानी करके आप मेरे यहां महाविद्यालय की इस सत्र में घोषणा करें ताकि वहां की जनता...

श्री सभापति : बैठें। माननीय सदस्य राधेश्याम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बात के लिए मांग कर रही हैं, निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। पुनः आपको धन्यवाद देता हुआ निवेदन करूंगा कि...

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं कुछ नही कहना चाहता, विवादित विषय हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि खाकी नेकर हमारी और कटारिया साहब कहते हैं कि हम छोड़ ही नहीं सकते, खाकी नेकर हमारी है। किनकी है, आप बताएं ? रामस्वरूप जी कर रहे हैं आपकी है। आपकी है क्या खाकी नेकर ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य के पास जो पुरानी खाकी नेकर पड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हैं ये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, यह खाकी पैंट है। उसके बारे में मैने निवेदन किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य राधेश्याम जी।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, मुझे एक शब्द निकलवाना है। यह नीला रंग निषिद्ध क्यों हैं ? पहले भी एक बार विधान सभा में यह बात आयी थी यह गम्भीर बात है हमारे लिए नीला रंग निषेध है, नही कहना चाहिए।

श्री सभापति : No , It is irrelevant. Please sit down.

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, साहब, यह हमारी पार्टी का झंडा है, नीला रंग निषिद्ध कैसे हो जाएगा ?

श्री सभापति : बैठिये, प्लीज बैठिये। माननीय राधेश्याम जी।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं इसको बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं। पिछली बार भी यही कहा गया तो कार्यवाही से निकाला गया था इस शब्द को। सभापति महोदय, आप दिखवा लीजिये।

श्री सभापति : हां, विराजें। दिखवा लेंगे। माननीय राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर(गंगानगर) : मांग संख्या 24 और मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के लिये बहुत बड़े–बड़े गांव हैं एक कस्बे की आबादी के बराबर, 10–10, 8–8, 7–7, 6–6, 5–5 हजार की आबादी वाले गांव हैं। उनके अंदर बच्चियों का हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। बड़ी–बड़ी जवान बच्चियों 16–18 साल की, मां–बाप उनको दूर नहीं भेजते हैं तो वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वक्त जो भी आप दें उसमें खासकर बच्चियों के लिये प्लस टू के हायर सैकण्डरी हमारे गांवों में, जो भी गांव मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, उनमें आप जरुर दें।

उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि गंगानगर राजस्थान का सिरमौर जिला है, एग्रीकल्चर बेस जिला है और सबसे ज्यादा आमदनी राजस्थान सरकार को गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से होती है कम से कम 1500 करोड़ रुपये हर साल राजस्थान के खजाने में ये दोनों जिले देते हैं। लेकिन आपने कोई कालेज नहीं दिया वहां, जो कालेज पहले हैं, वे तो हैं। बड़ा इलाका है, सूरतगढ़ कांस्टीट्यूएंसी जिसको कहते हैं उस कांस्टीट्यूएंसी में करीब 4 लाख तो मतदाता हैं और 7 लाख के करीब आबादी है। उसमें श्री विजयनगर एक जगह है जहां के लोग जगह भी खुद देना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि आप श्री विजयनगर में एक कालेज जरूर खोलें, इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। श्री विजयनगर श्रीगंगानगर जिले के अन्दर है।

इस तरह हमारी जो यूनिवर्सिटी है, आपने हमें अजमेर के साथ अटैच कर रखा है। हमें जयपुर आसान है, बहुत सुविधा है। हमें यहां से डेढ़ सौ किलोमीटर और दूर जाना पड़ता है। पिछली बार उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि अगली बार आपकी यूनिवर्सिटी जयपुर होगी, आपके सब कॉलेज यूनिवर्सिटी जयपुर से एफिलिएटेड होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप जवाब दें, इस बात का जरुर जिक्र करें।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर में भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान विषय सहित एम.एससी. की कक्षाएं प्रारम्भ करने की कृपा करें। यह गवनमैंट कालेज तो है लेकिन इसमें ये विषय नहीं हैं तो बच्चें कहां जाएं? मारे–मारे दूर–दराज में? गरीब हरिजनों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको सिवाय गवर्नमैंट कालेज के उतनी सुविधा नहीं होती दूसरी जगह फ़ीस ज्यादा लगती है। मैंने आपको पहले लिखकर भी दिया हुआ है। मेरे खयाल से जब आप रिप्लाई देंगे तो इस बात की घोषणा जरूर करेंगे और जो मैंने आपके सामने रखें, ये डिमाण्ड आप जरुर पूरी करेंगे।

इसके साथ–साथ, हमारी माननीय मंत्री महोदया पधार गयी हैं, उनको मैंने बहुत पहले लिखकर दिया था कि श्रीगंगानगर जिले

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

में कालीबंगा बहुत बड़ा स्थल है। गंगानगर और हनुमानगढ दोनों जिलों में कहीं भी पर्यटन स्थल नहीं है, बड़ी देर से हम डिमाण्ड कर रहे है। राजस्थान के नक्शे मे श्रीगंगानगर सबसे ऊपर है लेकिन आप वाले महकमे में 8 साल से तो रो रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। आपने बचन दिया था कि अगर मैं बन गयी तो सबसे पहले, और कुदरती संयोग बना कि हमारे मुख्य मंत्री ने आपको वही महकमा दे दिया जिसके लिये आपने मेरे से बचन किया था। आपको ध्यान होना चाहिए, इंदिरा गांधी नहर जो सारे वर्ल्ड के अंदर पहले नम्बर की कैनाल है। उसके अंदर आप पर्यटन स्थल बनाएं। वहां नरमा कपास खरीदने के लिये जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस के लोग आते हैं। बहुत ज्यादा अंग्रेज वहां आकर पड़ाव डालते हैं। लेकिन आपने उस साइट पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। पड़ौस में पंजाब है, हरियाणा है और कई बार पाकिस्तान की मीटिंग करने के लिये आर्मी के कई बहुत बड़े अधिकारी भी आते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां ऐसे स्थल होने चाहिए। इर्रिगेशन के 4–4 सिस्टम हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। गंग कैनाल अपने आप में एक सिस्टम है, वर्ल्ड में इस तरह का सिस्टम नहीं हैं। सारी दुनिया की एक सर्वे टीम आई थी इर्रिगेशन की, उसने सारे इर्रिगेशन सिस्टम को देखा तो उन्होंने यह बात स्वीकार की कि अगर दुनिया में कोई सिस्टम है तो महाराजा गंगासिंहजी ने उस वक्त जो बनाया था वह है। ऐसा सिस्टम कहीं नहीं हैं। उसको देखने के लिए अमरीका और इंगलैंड तक के लोग आते हैं। माननीय मंत्री महोदया, मैंने आपको रिटन में लिखकर भी दिया था, आपने उसके ऊपर आर्डर बड़े प्यारे किये थे लेकिन वह कहां है, उसका क्या हुआ ? जब आप जवाब देंगे तो बताने का कष्ट करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो अभी बोला ही नहीं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, बोलिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : नहीं, अपन तो संतुष्ट हैं परन्तु आप यह...

श्री सभापति : नहीं, घंटी बहुत छोटी–सी थी इसलिए थोड़ा और बोल लीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं मंत्री महोदया से यह निवेदन करूंगा कि वहां पर इस बात की बहुत जरूरत है। पंजाब और हरियाणा का जिक्र कर रहा था, वहां से जो भी लोग आते हैं उनको सही मायने में राजस्थान की झलक नहीं दिखती। हमारे यहां पर्यटन स्थल बने क्योंकि वह पंजाब और हरियाणा से मिलता हुआ जिला है और राजस्थान के इतिहास की कोई चीज वहां पर दिखाई नहीं देती। जैसा अभी हमारी विधान सभा बन रही है, राजस्थान का नक्शा जब सारे लोग देखेंगे तो वर्ल्ड में पिंक सिटी का नाम होगा। उसी तरह गंगानगर के अंदर भी आप ऐसा पर्यटन स्थल बनाएं

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जिससे यह झलक आए कि गंगानगर जिला भी राजस्थान का अंग है। अभी वह राजस्थान का अंग नहीं लगता। इसलिए आपको यह बात मेरी जरूर माननी चाहिए। इससे राजस्थान का विकास होगा, पर्यटन का विकास होगा। साथ ही साथ जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि...

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य की भावना का समर्थन कर रही हूं कि जहां पर राजस्थान मैन केनाल खतम हुई है मोहनगढ़ के पास, वहां पर हम बढ़िया ट्यूरिस्ट सैंटर कायम करें। हमने भी कल्पना की थी और सोचा था यहां पर बनाएंगे, लेकिन बन नहीं पाया।

श्री राधेश्याम गंगानगर : बिलकुल करें। कमलाजी, आप बिलकुल सही फरमा रही हैं। आपकी तरफ तो इन्होंने हाथ का इशारा कर दिया कि कर देंगे, इधर भी कर दो न। (व्यवधान)

एक खास और बात, सभापति महोदय, मैं एक ही बात कहकर आपकी बात समाप्त करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जयपुर का जो एरोड्रम है यह वास्तव में अगर इण्टरनेशनल एरोड्रम हो जाए तो इस बात से राजस्थान को बहुत भारी फायदा होगा और पर्यटक जब आएंगे सीधे यहां पर आएंगे। वास्तव में भारत के नक्शे में अकेला राजस्थान ऐसा है जिसके साथ विदेशी पर्यटक और भारतीय लोग अटैचमैंट रखते हैं। यहां पर देखने की हजारों चीजें हैं, आदमी का दिल नहीं भरता। राजस्थान एक खजाना है और इसको देखने के लिए सारी दुनिया के लोग लालायित रहते हैं। पैलेस आन व्हील ट्रेन चलती है, पर्यटक लोग उस बात का आनंद उठाते हैं। आप भारत सरकार को लिखिये कि राजस्थान को इंडिया में फर्स्ट नम्बर का पर्यटन स्थल घोषित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएं और खासकर इण्टरनेशनल एरोड्रम के लिए पूरा जोर दीजिए ताकि हमारा प्रान्त तरक्की करें और यह मैप पर सबसे ऊपर आए, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री भीमसेन चौधरी : सभापति महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : दो के बाद ही है आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़(चूरू) : सभापति महोदय, सदन में मांग संख्या 47 पर चर्चा हो रही हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ सीमित समय में ही अपनी बात कहूंगा।

सभापति महोदय, पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि अगर राजस्थान के लिए गर्व करने लायक कोई चीज है तो राजस्थान का शानदार इतिहास और राजस्थान की जानदार लोक संस्कृति है। सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर पिछले वर्षों में जितने पर्यटक देश और विदेश से आये हैं, मैं समझता हूं कि पर्यटन विभाग के प्रयास तो हैं ही परन्तु हमें यह भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे राजस्थान के कण–कण में छिपा हुआ त्याग, तपस्या, मान–मर्यादा, आन–बान का इतिहास है। अभी यहां पर कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि राजस्थान के अंदर पिछले वर्षों में गढ़ और हवेलियों पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च हुआ और एक ही समुदाय को इस पैसे से लाभ पहुंचाया गया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में भी प्रचार किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी सरकार का उत्तर है, तारांकित प्रश्न संख्या 151 का। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सवाल करते हैं कि गत पांच वर्षों में हैरिटेज होटल के लिए कुछ कितनी राशि, कितने ब्याज पर, किन–किन व्यक्तियों को दी गयी, सूची सदन की मेज पर रखें। सभापति महोदय, सूची सदन की मेज पर आती है। पांच वर्षों में 12 लोगों ने वित्त निगम से लोन लिया है और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा राशि का लोन है शिव दीप होटल प्राइवेट लिमिटेड, भरतपुर केसर भवन पैलेस, माउण्ट आबू और एक है हैजर्ट होटल रिसोर्ट माउण्ट आबू, श्री जैणु खान, फिरोज खान, विजय अग्रवाल और दूसरे लोग। सभापति महोदय, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम क्या अपनी ऐतिहासिक विरासत को भूल जाएं या कलंकित करने की कोशिश करें ? आप आज चित्तौड़ के महत्व को भूल सकते हैं ? आप राणा प्रताप की जन्म स्थली को भूल सकते हैं ? आप आज मीरा की भक्ति की स्थली को भूल सकते हैं ? राजस्थान के अंदर लोग देखने आते हैं हमारी इन ऐतिहासिक विरासतों को। इन ऐतिहासिक विरासताओं के नाम पर ही हमारी लोक संस्कृति जिन्दा है। इस लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रचार बहुत हो गया। कइयों ने तो कह दिया कि यह राजस्थान ठाकुर डवलपमैंट कारपोरेशन है जबकि आपकी सरकार का उत्तर है कि पांच वर्षों में लाभान्वित होते हैं 12 और दो, चौदह आदमी। यह भी सभापति महोदय, यह लोन है, किसी ने 19 परसेंट पर लिया है, किसी ने 18 परसेंट पर लिया हैं। रीको ने 16.5 परसेंट पर दिया है और यहां पर यह कहकर कि...

श्री रामस्वरूप मीणा : यह जवाब आपने ही दिया है। उस समय सही बात इसमें दी ही नहीं।

श्रीमती बीना काक : यह मेरा जवाब है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : या यह कहें कि राजस्थान में गढ़ों के लिए एक ही समुदाय के लोगों को पैसा दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पर्यटन मंत्रीजी, आपसे बहुत उम्मीद है। आपको मालूम है कि राजस्थान के अंदर पर्यटन की विपुल सम्भावना है। राजस्थान के अन्दर पचास से साठ लाख देशी पर्यटक और पांच छह लाख के मध्य विदेशी पर्यटक आते हैं। अब विदेशी पर्यटक आएगा तो वह यहां पर रहने के लिए और दूसरी चीजों के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए खर्चा भी करेगा और खर्चा करेगा तो विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी। आपको ध्यान है कि पर्यटन विभाग ने पिछले वर्षो में राजस्थान पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण जयन्ती अवार्ड भी जीता है। यहां सन् 2000 तक 2000 करोड़ निवेश करने का मास्टर प्लान आपके पास तैयार पड़ा है और उसके अंदर 900 करोड़ निजी क्षेत्र से आप आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पर्यटन के सुहाने रास्ते की तरफ राजस्थान जा रहा है, उसमें कृपया भगवान के लिए राजनीति मत लाओ, खुले मन से उसे सीधे रास्ते पर ले जाओ। सरकारें आती और जाती रहेंगी परन्तु राजस्थान के अंदर सबसे बड़े उद्योग के रूप में पर्यटन स्थल हम विकसित कर सकते हैं। अगर उसे हमने डाइवर्ट करने की कोशिश की तो, मंत्री महोदय, मैं समझूंगा और लोग कहेंगे कि राजस्थान के अंदर राजनीतिक उथल—पुथल के साथ वह सारी सम्भावना कि राजस्थान की धरती पर विदेशी मुद्रा आती, उस सम्भावना को हम खो देंगे। आपको मालूम है कि यहां पर दस सर्किट विकसित करने की एक योजना आपके पास प्रस्तावित है और वह लगभग दो अरब की योजना है। मैं चाहूंगा कि आप उत्तर देते हुए हमें बताएं कि इन सर्किटों का आप क्या कर रहे हैं ? मरू—त्रिकोण का क्या कर रहे हैं ?

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पिछले दिनों मरू मेलों के नाम पर, उत्सव के नाम पर एक नई संस्कृति पैदा हुई। अभी चूरू में चूरू उत्सव हुआ। सभापति महोदय, हुआ क्या कि सरकारी अमले ने इकट्ठा होकर कुछ पैसा चंदे के नाम पर ले लिया। चंदे के नाम पर पैसा लेकर हम किस तरह की लोक—संस्कृति दिखाना चाहते हैं ? कालबेलिया नृत्य कराकर हम सोचें कि हमने राजस्थान की लोक संस्कृति का दिग्दर्शन करा दिया तो मैं इसको उचित नहीं मानता। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू उत्सव के अंदर जिस तरह खुले आम हथियारों की स्टाल लगी, बैन्ड हथियार एक—दो नहीं, हजारों की संख्या में विके, आप कृपया इसकी भी जांच कराएं कि वह स्टाल लगी कैसे। स्टाल लग गयी तो उसमें लाइसेंस्ड आर्म्स बिके, अनलाइसेंस्ड आर्म्स बिके ? जिस तरह का संवेदनशील क्षेत्र वह है, लोगों ने हथियार खरीदने की होड़ के अंदर बाद में उन स्टालों को लूट लिया। मेरा तो आपको सुझाव है कि जितने भी मेले चाहे राजस्थान के किसी भी हिस्से में आयोजित हो, आप क्यों नहीं निजी लोगों को कह दें कि वे मेले आयोजित करें। आप उसका एक कैलेण्डर बनाइये। कैलेण्डर बनाकर के देश और विदेश में उसका प्रचार—प्रसार करिये। आज हो क्या रहा है ? आपका विभाग मात्र होटल चलाने वाला विभाग हो गया या राजस्थान के अंदर बीयर ही बीयर बेचने वाला विभाग बनकर रह गया। सभापति महोदय, जो हमने किया, उसकी सजा हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भुगत रहे हैं। इसलिए उसकी चिन्ता करने की क्या बात है ? परन्तु आप तो कुछ नया करके बताएं, आप तो कुछ दया करके बताएं। इसमें मेरा सुझाव है आपको कि कम से कम...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल(स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, यह सुझाव तो अच्छा है कि मेले निजी आयोजकों के द्वारा आयोजित किये जाने चाहिये। मैं मंत्री महोदया से तो यह निवेदन करूंगा कि मेले आप आयोजित नहीं करें क्योंकि मेला अगर आपने आयोजित किया तो सब आपको देखेंगे, मेलों को कौन देखेगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्री महोदया ने तो वहां मेला आयोजित कर लिया। अभी पिछले दिनों सोनिया जी आयी थी। (व्यवधान) आप अपना ध्यान रखना, इन्होंने तो वह मेला आयोजित कर लिया। पिछले दिनों आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा के सामने उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया, अब अपना ध्यान रखना...(व्यवधान)

श्री सभापति : Please address the Chair. इस तरफ मुखातिब हो जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सोनिया जी ने आपका पूरा इंतजाम कर दिया, आप चिन्ता ही मत करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक–दो रोज में जाने वाली है आपकी सेंट्रल की सरकार अब।

श्री सभापति : बैठिये, माननीय मीणा साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, आपने बड़े–जोर से पिछली विधान सभा में कहा था कि पर्यटन नीति लेकर आ रहे हैं। बहुत इंतजार हो गया। शायद आप पर्यटन नीति लायी होंगी, परन्तु कम से कम वित्त मंत्रीजी से निवेदन करते, रिक्वैस्ट करते, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते, मात्र सात करोड़ की बढ़ोतरी ? प्लान साइज बढ़ गया उसके अनुसार जितना प्रतिशत पर्यटन को पैसा मिलना चाहिये उतना ही तो बढा। आप जैसी ऊर्जावान मंत्री आयी हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा राशि होती तो और ज्यादा फायदा होता।

इसके अलावा एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे–धीरे लुप्त होती जा रही हैं। मंत्री महोदय, आज भित्ति चित्र जो चूरू की हवेलियों पर हैं, उसका महत्व विदेशी पर्यटक आकर देखता है। परन्तु उस घर का मालिक जब मरम्मत कराने लगता है तो उसको पोत देता है। उसको पता नहीं है कि यह संग्रहित करने की चीज है। किस तरह इन भित्ति चित्रों की तरफ हम पर्यटकों को आकर्षित करें, इसके लिये भी आपको योजना बनानी चाहिये।

इसके अलावा, मंत्री महोदय, इसमें कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

शक नहीं है कि पर्यटक आता है पर्यटक यहां राजस्थान के इतिहास को भी देखने आता है और इसलिए भी आता है कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से जीरो पोल्यूशन है, यहां पर खुली आबोहवा है। पर उसके साथ–साथ पर्यटक ज्यों ही वह रेलवे स्टेशन से उतरता है या एयरपोर्ट से उतरता है, उसको टैक्सी लेने से लेकर होटल तक जाने तक बीच में बिचौलियों का शिकार बनना पड़ता है। प्री–पेंड टैक्सी की सर्विस आप क्यों नहीं चालू करवाते ? क्यों नहीं आप इस तरह की व्यवस्था करते कि जो ट्यूरिस्ट आए उन ट्यूरिस्टों के लिये अलग से अच्छी टैक्सियां हो। अलग से उनका रंग कर दीजिये ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति उस टैक्सी पर चाहे दो पैसे ज्यादा दे परन्तु उसको सुख–सुविधा मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था निश्चित तौर पर आपको करनी चाहिये।

श्री सभापति : कन्क्लूड कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं ज्यादा समय नहीं चाहूंगा, सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा हमारे संग्रहालय, हमारी चीजें जिसके पीछे हमारी लोक संस्कृति झलकती है, वे लुप्त होती जा रही हैं। उनको प्रोटैक्ट करने की तो बात करो। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पर्यटन के नाम पर उन जिलों में कुछ नहीं है। आज हनुमानगढ़ के भटनेर का किला शानदार है, भव्य है, कलात्मक है, वह किला आपने आपमें इतिहास समेटे हुए है। परन्तु उस पर हो क्या रहा है ? आपके किले, कुएं, बावड़ियां, ये धीरे–धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा जिन किलों के अंदर स्थान मिला, सभापति महोदय, वहां विद्यालय खुलने शुरू हो गये। विद्यालय तो और कहीं भी खोले जा सकते हैं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं परन्तु आज हम जिस चीज को बहुत कम आंकते हैं, उसके नष्ट होने पर, उसके समाप्त होने के पश्चात् उसको लोग याद करेंगे। तब लोग कहेंगे, इन्होंने अपने इतिहास को अच्छी तरह से रखा नहीं है। चूरू के अंदर सेठानी जी का जोहड़ा है, आज एक बार जाकर देखें। (व्यवधान) सामंत शाही के प्रतीक नहीं, त्याग–तपस्या के प्रतीक भी हैं। यह कहकर राणा प्रताप...(व्यवधान) ठेस पहुंचाना चाहते हैं।

श्री सभापति : प्लीज प्रोवोक मत होइये। माननीय राठौड़ साहब, इधर एड्रैस कीजिए। Please, address the Chair.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं चूरू का सेठानी जी का जोहड़ा, मालजी का कमरा, उनके बारे में भी आप समझें और समझकर इनको किस तरह संग्रहित किया जा सकता है इसके बारे में विचार करें।

श्री सभापति : कन्क्लूड कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन करके मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। यहां शिक्षा के बारे में बहुत चर्चा हुई। शिक्षा के अंदर संख्यात्मक दृष्टि से हम काफी आगे हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परन्तु गुणात्मक दृष्टि से बावजूद बहुत प्रयास के आज सभापति महोदय, हो क्या रहा है ? आज गांवों के अंदर कोई भी अध्यापक नहीं जाना चाहता चाहे हमारी सरकार का समय हो चाहे इस सरकार का समय हो। चार महीने इस सरकार को भी हो गये। आज गांवों के अंदर जो अध्यापक हैं वे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करो कि गांवों के अंदर कोई समिति बन जाए, कुछ व्यवस्था बन जाए और वहां अध्यापक की उपस्थिति किसी तरह वैरीफाई हो जाए।

इसी तरह एक बात यहां कही, इन लोगों ने उस बात की आलोचना भी की है। गुणात्मक दृष्टि से पिछली सरकार ने शिक्षा और शिक्षक के सम्बन्ध में, परीक्षा के रिज़ल्ट को छोड़कर जिस तरह की नीति बनायी थी कृपया उस नीति पर अवश्य चलें। ये शिक्षा के केन्द्र हमारे समाज के उत्थान के प्रतीक हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पिछली सरकार ने निर्णय लिया था कि हम इसमें राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर जो मापदण्ड बनाएंगे उन मापदण्डों के आधार पर शिक्षा के केन्द्र खोलेंगे। मैं सोचता हूं कि आप बड़े संवेदनशील और अच्छे व्यक्ति हैं, आप उस नीति को अपनाएंगे।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 16 हजार शिक्षा केन्द्र खोलने की बात बड़े जोर–शोर से कही गयी। पर आपकी कलई खोल दी झुंझुनूं से आने वाली माननीय ने कि बजट में प्रावधान 10 हजार का और 16 हजार की वाहवाही। सभापति महोदय, षड़यंत्र है। षड़यंत्र इस बात का है कि गांवों के अंदर शिक्षा का...(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद(वित्त मंत्री) : बजट में प्रावधान 25 हजार का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, वह 10 हजार लिखा है। ये आंकड़े सारी किताबों से जुटाए हैं इन्होंने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह षड़यंत्र है। षड़यंत्र इस बात का है कि कांग्रेस की सरकार पर शहरी संस्कृति हावी है, कि गांव में शिक्षा के पूरे काम को इतना छोटा कर दो, रद्दी कर दो कि गांव का आदमी, किसान भी सोचे कि मैं मेरे बेटों को भेजूंगा तो पांचवीं पास, सातवीं पास मेरे बच्चों को पढ़ाएगा इसलिए सारे गांवों के बच्चे भी शहरों में जाए और शहर के अंदर जाकर वहां शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। इस तरह का षड़यंत्र यह सरकार कर रही है। मेरा निवेदन है, वित्त मंत्रीजी, आप भी हमारे पुराने बुजुर्ग नेताओं में हो, कृपया शिक्षा के नाम पर यह राजनीति बंद करो और खड़े होकर कह दो कि हम 16 हजार की जगह 2 हजार विद्यालय खोलेंगे, तब भी हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद। (व्यवधान) थोड़ा–सा तीसरी शक्ति को भी दें। संक्षेप में प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं बोलें ?

श्री सभापति : 6 बजे माननीय मंत्रीगण रिप्लाई देंगे और काफी इधर से भी बोलना है। मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं आपसे।

मोहम्मद माहिर आजाद(नगर) : मैंने तो सुबह से निवेदन किया था। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण

(17.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष पदासीन)

मुद्दा है। खास तौर से तब जब आज दुनिया में हमारा मुल्क हिन्दुस्तान तालीमी हिसाब से सबसे पिछड़े हुए मुल्कों में आता है और हमारा सूबा राजस्थान, हिन्दुस्तान के सूबों में तालीमी एतबार से सबसे पिछड़े हुए सूबों की गिनती में आता है और उसमें भी खासकर मैं जिस समाज से आता हूं अल्पसंख्यक समुदाय, वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें भी बालिका शिक्षा की स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय और खराब है। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने भी तालीम की इम्पोर्टेंस और महत्ता को समझते हुए यह बात उस वक्त कही थी कि अगर तालीम हासिल करने के लिये चीन जाना पड़े तो भी जाना चाहिये। मुझे कहते हुए यह खुशी है कि पिछले दिनों मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग में पंचायती राज मंत्रीजी ने यह स्पष्ट बात कही थी कि हम राजस्थान में शिक्षा के नये केन्द्र खोलने और तालीमीइदारे खोलने के लिये जो मापदण्ड तय करेंगे, उसमें अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। यानि आप दूसरी जगह यह तय करें कि 500 की आबादी वाले गांव में शिक्षा केन्द्र खोला जाएगा या प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा तो माइनोरिटीज के इलाकों में खास कर मेवात के इलाकों में जो क्षेत्र तालीम के हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है, आपके मापदण्ड में कुछ रिलेक्सेशन देंगे, ऐसी बात कही थी। शिक्षा मंत्रीजी माननीय बी.डी.कल्ला यहां तशरीफ फरमा रहे हैं, ये पिछले दिनों राजस्थान मिल्ली कौंसिल के इजलास में मुस्लिम मुसाफिरखाने में जब तशरीफ लाये थे, इन्होंने भी इस बात को महसूस किया था कि राजस्थान के अकल्लीयत के लोगों को, माइनोरिटीज के लोगों को, चाहे वे सीमांवर्ती बाड़मेर और जैसलमेर में रहते हों, चाहे वे मेवात के अलवर और भरतपुर में रहते हों, चाहे वे शेखावाटी के सीकर, झुंझुनूं, चूरू, नागौर और बीकानेर में रहते हों, चाहे और दूसरे क्षेत्रों में रहते हो, उनको प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनमें जो अशिक्षा है, जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसको हम दूर करने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निहायत अदब के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम कायदे–कानून बना लें, हम संविधान में संशोधन कर लें, हम नियम बना लें, हमने नियम बना रखा है कि जहां कहीं भी 10 बच्चे उर्दू तालीम हासिल करना चाहेंगे, उनके अभिभावक लिख कर दे देंगे तो वहां उर्दू अध्यापक और उर्दू तालीम का माकूल इंतजाम किया जाएगा, लेकिन

(मोहम्मद माहिर आजाद)

व्यावहारिक रूप से इसको लागू नहीं किया। पिछले आठ वर्षों में तो इतनी खराब स्थिति रही, जैसा अभी आपको बताया जा रहा था कि 700–800 उर्दू अध्यापकों के पद खाली हैं। उर्दू अध्यापकों के पद होते हैं पहले उनको प्लान में जिला शिक्षा अधिकारीजी को आप दे देंते हैं, वे उसको उर्दू भाषा के रखते हैं। लेकिन जब प्लान खतम होता है और नान प्लान में जाते हैं तो उनको सामान्य अध्यापकों की श्रेणी में ले लिया जाता है। सामान्य अध्यापकों की नियुक्ति हो जाती है और रिजल्ट यह निकलता है कि उर्दू के अध्यापकों के पद वैसे के वैसे रिक्त रह जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस नीति और कार्यक्रम के बारे में एक शायर ने एक शेर कहा था,

"मस्जिद तो बना दी पलभर में ईमां की हरारत वालों ने और मन जो पुराना पापी था वर्षों में नमाजी हो ना सका।"...(व्यवधान)

आप बीच में टोका मत करिये। मै आप से ज्यादा उर्दू जानता हूं। आप जब बोलती हैं तब कोई नहीं बोलता। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं उर्दू के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी सदस्या हैं, जब ये बोलती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, दूसरा जब बोलता है उनको शिक्षा देने की जिम्मेदारी इनकी हैं, मैंने सही कहा।

एक माननीय सदस्य : करैक्ट किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, करैक्ट नहीं किया है, मैंने सही कहा है। मैं जो कह रहा हूं वही करैक्ट है। "मस्जिद तो बना दी पलभर में ईमां की हरारत वालों ने और मन जो पुराना पापी था वर्षों में नमाजी हो न सका।" कहने का मतलब यह है कि आप अधिकारियों को अपनी योजनाएं बना कर दे दें लेकिन वे उनको सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह के लोगों को जिम्मेदारी दी गयी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नीतियों के साथ–साथ आपकी नीयत भी साफ है, आप इनको सही तरीके से अमलीजामा पहनाएंगे, आप इनको क्रियान्वित करायेंगे ताकि समाज के पिछड़े, दबे–कुचले और शोषित लोगों को इसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने मेवात क्षेत्र की स्थिति रखना चाहता हूं। 1986 में संसद द्वारा पारित शिक्षा पॉलिसी के निर्धारण में नव बौद्धों के साथ मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा तबका करार दिया गया था। कालांतर में नव बौद्ध के शैक्षणिक उत्थान के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गयी, परन्तु दुर्भाग्यवश मुस्लिम समाज के लिए केवल 15 सूत्री कार्यक्रम का झुंझुना ही बजता रहा जिससे न कोई दिशा मिली और न कोई बजट का प्रावधान मिला। 1993 में केन्द्रीय सरकार ने मदरसा शिक्षा की आधुनिकीकरण योजना शुरू की जिसके तहत मदरसा तालीम में हिन्दी, साइंस आदि विषयों की भी शिक्षा के प्रबन्ध के लिए बजट में प्रावधान किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेवात

(मोहम्मद माहिर आजाद)

क्षेत्र की कामां तहसील के अंदर 1991 की जनगणना के अनुसार 70 प्रतिशत आबादी मेवों की है और यह विकास खंड शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कुल साक्षरता दर लगभग 29 प्रतिशत और इसमें भी महिला साक्षरता की दर तो केवल मात्र 9 प्रतिशत है। मेवों में साक्षरता दर सब से कम 19 प्रतिशत और इसमें महिला साक्षरता तो बिलकुल नगण्य है। वहां लोक जुम्बिश योजना के तहत शिक्षा के केन्द्र खोले गये और उसका परिणाम भी आया कि जहां 1995 में मेव क्षेत्र में 42.19 प्रतिशत बालक और 58.47 प्रतिशत कामन साक्षरता थी और बालिकाओं की साक्षरता 11.05 प्रतिशत थी, वह 1998 में बढ़ कर 82.21 और बालिकाओं की 57 प्रतिशत हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिली है कि आप लोक जुम्बिश योजना को बंद करने जा रहे हैं। मेवाता क्षे में इसका लाभ मिला है, आप इसको क्यों बंद करने जा रहे हैं ? स्वीडन से आपको पैसा मिलता था और वह पैसा भी आपको तीन, दो और एक के अनुपात में मिलता था। तीन हिस्सा स्वीडिश गवर्नमैंट देती थी, दो हिस्सा भारत सरकार का और एक हिस्सा राजस्थान सरकार का होता था। आपने पोकरण में परमाणु विस्पोट किया उस परमाणु विस्फोट के कारण स्वीडिश सरकार नाराज हो गयी और इस योजना के लिए जो पैसा दिया जाता था उसने वह बंद कर दिया या इस पैसे में कुछ कमी कर दी। अगर कमी की है तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इसको पूरे प्रदेश में भले ही नहीं चलाएं लेकिन कम से कम मेवात में कामां तहसील के अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में भी आप इसको चलाएं ताकि वहां के लोगों का शैक्षणिक स्तर और शिक्षा का प्रतिशत बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। आपने 16 हजार शिक्षा केन्द्र खोलने की बात की या चाहे आप 10 हजार खोल रहे हैं, अगर आप उसमें भी बालिकाओं को प्राथमिकता देने का काम करें तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश पर आपका बहुत बड़ा अहसान होगा। क्योंकि बालक पढ़ता है तो एक इंडिविजुअल पढ़ता है लेकिन अगर एक बालिका पढ़ती है तो एक पूरा खानदान पढ़ता है, एक परिवार पढ़ता है। यह आज तक देखने में आया है कि जो बालिका पढ़ी–लिखी होती है वह अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देती है। आपकी फैमिली प्लानिंग की प्राब्लम है।

उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन का अर्थ आप जाति और मजहब के साथ लगाते हैं कि मुसलमान परिवार नियोजन के विरोधी हैं। मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको यह बात कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज के भी जो पढ़े–लिखे लोग है, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे नफीस अहमद थे, चाहे जुबेर खान हैं, चाहे दूसरे लोग हैं आपको इनके यहां एक–एक और दो–दो बच्चे मिलेंगे। जो अनपढ़ है उनका बड़ा परिवार मिलेगा।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

परिवार नियोजन और खानदानी मंसूबा बंदी का ताल्लुक मजहब से नहीं होकर तालीम से है, इसलिए अगर आप बालिकाओं की तालीम पर ध्यान देंगे तो आपका एक और अहम महला जो खानदानी मंसूबा बंदी का और परिवार नियोजन का है, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मिल्ली कौंसिल की मीटिंग में आप गये थे और मदरसा बोर्ड और मिल्ली कौंसिल की तरफ से भी आपको एक ज्ञापन दिया गया था। यह सही है कि आप तालीम देना चाहते हैं, लोगों को साक्षर करना चाहते हैं। स्कूल जाकर पढ़े तो सबसे अच्छी बात है कि स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए जो स्कूल में जाकर नहीं पढ़े, मदरसे में पढ़े और अगर अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहते है तो आपका शिक्षा का प्रतिशत तो बढ़ रहा है। आज भी अल्पसंख्यक समाज के मैजोरिटी स्टूडैंट्स मदरसों में पढ़ रहे हैं, मक्तूबों में पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में पढ़ रहे हैं। जिन स्कूलों ने मान्यता हासिल कर ली है, उनको प्राइमरी स्कूल मानते हुए आपको उनको मान्यता देनी चाहिए। उनके रख–रखाव के लिए, पुस्तकों के लिए भारत सरकार की सहायता से वक्फ बोर्ड के जरिए आपने पिछले दिनों पुस्तकें, कापियां देने का काम किया है, अगर आप उनको और माली इमदाद उपलब्ध कराएं तो मैं समझता हूं कि इस समाज में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है वह दूर होगा और आपको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य, मैं आपको कल भी कह चुका हूं, आज फिर निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे जितने भी मदरसे हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं, उनको हर को दो टीचर और आठ हजार रुपया साज–संभाल के लिए हमने देने का निर्णय किया है और बजट में है यह।

(18.00 बजे)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने छह सौ कुछ का किया है जबकि अकेले जयपुर में ही 780 मदरसे प्राइमरी और मिडल स्कूल के रूप में काम कर रहे हैं। ये अकेले जयपुर जिले के अन्दर हैं।

श्री चन्दन मल बैद : आपके प्रतिनिधि मुझसे मिले थे उन्होंने मुझे बताया कि 629 हैं, वह मैंने कर दिये। अगर आप कहेंगे कि और रिकाग्नाइज्ड हैं तो उनको भी कर देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत–बहुत धन्यवाद आपको।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो प्राइवेट स्कूल्स की दुकानें चल रही हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, उन पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। मनमानी फीस वसूल करते हैं जबकि आपसे अनुदान ले रहे हैं 90–90 प्रतिशत, चाहे वह सेन्ट सोल्जर स्कूल हो, चाहे और दूसरे स्कूल चल रहे हों। सेन्ट सोल्जर स्कूल की स्थिति यह है कि

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उसकी प्राचार्य को उसकी मैनेजमैंट कमेटी ने चार्जशीट दे दी कि आपने बिना हमसे पूछे दुगुनी–तिगुनी फीस कैसे ले ली, आपने डोनेशन कैसे ले लिया। उसके बावजूद बच्चों के भविष्य उसके ऊपर है। तो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की जो लूट चल रही है, आप इन पर नियंत्रण करने के लिए कोई नियम और कायदे कानून बनाए। आपसे जब अनुदान ले रहे हैं तो आपकी पालिसी को फोलो करें। इन सारे स्कूल्स में, मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि कुछ प्रतिशत गरीब, पिछड़े तबके के, अल्पसंख्यक तबके के, ओ.वी.सी. के और एस.सी. और एस.टी. के बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित करवाएं क्योंकि वे इनके कम्पटीशन के अन्दर नहीं आ पाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो शिक्षा ही पूरी नहीं हुई, प्राइमरी एजुकेशन, मदरसे पर बोला है। सैकण्डरी एजुकेशन, कालेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की खराब स्थिति और बची है। मैं आपसे कुछ समय और चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालेज एजुकेशन ओर यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में कुछ सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में उर्दू ऑप्शनल सब्जैक्ट है, जहां से बच्चा उर्दू सब्जैक्ट पढ़कर निकलता है। लेकिन फिर कालेज में आकर उसको उर्दू विषय नहीं मिलता है तो कितनी बड़ी दुविधा के अंदर वह फंस जाता है, चाहे वह सीकर हो, चाहे झुंझुनूं हो, चाहे नागौर हो या और कोई जगह हो। उर्दू पढ़ने के लिए राजस्थान में सिर्फ तीन कालेज हैं राजस्थान कालेज, जयपुर, गवर्नमैंट कालेज, टौंक और एक सवाईमाधोपुर। मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सीनियर सैकण्डरी में वह सब्जैक्ट पढ़कर आ रहा है तो कालेज में कहां पढ़ने जाएगा ? आप अगर सारे जिलों में नहीं करें तो कम से कम जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स में उर्दू आप्शनल है उन दो–दो जिलों में से एक जगह भी आप उर्दू विषय खोल दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और उन स्टूडैंट्स को उर्दू पढ़ने के लिए मिल जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति पिछले दिनों बद से बदतर कर दी गयी। शैक्षणिक वातावरण बिलकुल धूमिल हो गया और सिवाय नियुक्ति देने के और कोई काम नहीं किया गया। एक छोटा–सा विभाग जिसमें छह लैक्चरर और प्रोफेसर्स हैं, वहां पर 12–12 अशैक्षणिक एल.डी.सी. और यू.डी.सी. कर्मचारियों को बड़ी रकम ले–लेकर भरने का काम उन्होंने किया हैं। तत्कालीन वाइस चांसलर महोदय श्री आर.एन.सिंह के खिलाफ आपने जांच कमेटी भी बैठा रखी है, आज आपको चार महीने राज में आये हो गये हैं उस जांच की क्या प्रगति है ? कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी ? क्या कार्यवाही आप करेंगे ? कोई स्वीकृत पद

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं थे उन पर नियुक्तियां दे दी गयी, अब उनको हटाया जा रहा है, उनका क्या दोष है ? उनकी क्या स्थिति होगी ? इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि उच्च शिक्षा मंत्री जब जवाब दें तो कुछ बताएं।

मैं दो मिनट और लूंगा, माननीय कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री से कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आमेर एक ऐतिहासिक स्थान है, जयपुर की पुरानी राजधानी और जयपुर के बिलकुल पास में। आमेर एक अकबरी मस्जिद थी। शंहन्शाह अकबर धर्मनिरपेक्षता और कौमी एक्जाइती के प्रतीक थे जब वे उधर से गुजरे तो उनके लिए राजा मानसिंह ने जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए दो दिन में एक मस्जिद बनवायी। पहले पर्यटक आते थे तो उस मस्जिद को भी देखने के लिए जाते थे। वह आपके पुरातत्व विभाग में आती है। लेकिन पिछले 20 सालों में उसमें एक करनी भी नहीं लगी, उसकी मरम्मत का जरा–सा भी काम नहीं किया गया। अब उसकी स्थिति जर्जर हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी संभालिये, उसको भी कीजिए। एक आमेर में पन्ने मियां का कुण्ड है, बहुत ऐतिहासिक कुण्ड है, खूब बड़ा सारा है। उसको भी जरा आप संभालिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर का जो मेवात क्षेत्र है वहां के लोगों की कला और संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : तैयब साहब बैठे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : तैयब साहब भी बैठे हैं लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) एक ही मिनट में निवेदन कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

आप कला एवं संस्कृति पर ध्यान दें। जयपुर में जो पर्यटक आते हैं, माननीय वित्त मंत्रीजी ने विलासिता कर को छह प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत किया है। अगर आप फाइव स्टार होटल पर इसको बढ़ाकर 15 प्रतिशत भी कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वनस्थली मार्ग पर और दूसरी जगहों पर जो छोटी–छोटी होटल्स खोल रखे हैं जिनमें मध्यवर्गीय ट्यूरिस्ट आकर ठहरते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। आपको इस कर से जरूर थोड़ी–सी रकम मिल जाऐगी लेकिन इससे जो सहायक धंधे हैं–जो रिक्शा चलाकर कमाता था, जो आटो रिक्शा वाला कमाता था, जो रेस्टोरेंट वाला कमाता था, होटल वाला कमाता था और जो आपकी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लोगों को, कुटीर उद्योगों को कमाई होती थी उस पर फर्क पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको साढ़े सात के बजाय छह प्रतिशत ही रखा जाए। अगर आप यह चाहते हैं कि ट्यूरिस्ट आएं और यहां की आय बढ़े, विलासिता कर आपको बढ़ाना है तो फाइव स्टार पर बढ़ा दीजिए। एक बार मैं पुनः इस आशा और विश्वास के साथ कि शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजना बनाकर उनके शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर को उन्नत करने में योगदान देंगे आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा सम्बन्धी मांग के संबंध में मैं अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र लूणकरणसर तहसील में 47 मिडल स्कूल हैं लेकिन उनमें से 30 मिडल स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी। इसी तरह से जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं है। मैने खाजूवाला में 1100 छात्र–छात्राएं हैं वहां बाइस चांसलर की पोस्ट क्रीएट करने के लिए भी कहा था लेकिन वह नहीं हुई। वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आठ लैक्चरर्स के पद रिक्त पड़े हैं कई वर्षों से। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां शिक्षा की क्या व्यवस्था होगी ? इसी तरह से लूणकरणसर में कालेज की मांग थी। लूणकरणसर तीस हजार की जनसंख्या का है और बीकानेर से लेकर सूरतगढ़ के बीच के इतने बड़े क्षेत्र में कोई कालेज शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। लूणकरणसर प्रापर में उच्च माध्यमिक विद्यालय और दो माध्यमिक विद्यालय हैं, इसलिए छात्रों की वहां डिमाण्ड है। इसी तरह से हमारे यहां पर बीकानेर में जो गांव के बच्चे आते हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी। पहले उस हॉस्टल को कई वर्षों तक बीकानेर में रखा है लेकिन बाद में बीकानेर में जो छात्रावास था, उसको बन्द कर दिया गया। उसको पुनः शुरू किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर में लोक जुम्बिश योजना ने मेरे क्षेत्र में अच्छा काम किया है। खास तौर से जो बच्चियां प्राथमिक शिक्षा से वंचित थीं। उन बच्चियों को उन्होंने लूणकरणसर में, खाजूवाला में, दंतोर में, उग्रामसर में जगह–जगह छह–छह महीनों के कैम्प लगाकर नया जीवन दिया है, नयी शिक्षा व्यवस्था उनको दी हैं। मैं समझता हूं कि लोक जुम्बिश योजना ने मेरे क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए। इसी तरह से 1989–90 में जब उच्च शिक्षा मंत्री थे बी.डी. कल्ला साहब, इन्होंने लूणकरणसर में तकनीकी शिक्षा के अन्दर आई.टी.आई. का स्कूल खोलने की घोषणा की थी। पिछली सरकार ने आई.टी. आई. को नहीं खोला। अब मैं पुनः मांग करना चाहता हूं कि वहां पर आई.टी.आई. की तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां के लड़कों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिल सके, वे औद्योगिक कार्य कर सकें और लोगों को रोजगार के साधन मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने 16 हजार जो प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं उनके संबंध में आलोचना की हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उन्होंने 10वीं क्लास पास की है या

(श्री भीमसेन चौधरी)

बी.ए. पास की है वे न तो खेती कर सकते हैं और न उनको नौकरी मिलती है। ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों की क्या हालत है आप अंदाज लगाइये। मैं समझता हूं प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने से उनको रोजगार के साधन मिलेंगे और जैसाकि माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय ने बताया, एग्रीमैंट होगा और एग्रीमैंट के आधार पर अच्छा काम करेंगे तो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल सकेगी। मैं समझता हूं कि शिक्षा केन्द्र जो खोलने जा रहे हैं ये खुलने चाहिए और इस तरह से गांवों में शिक्षा का प्रसार होगा। मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, 14000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और तीन लाख मतदाताओं की संख्या है। इतने बड़े क्षेत्र में 1100 चक की आबादी है और तीन सौ गांव है। इतने विशाल क्षेत्र के लिए जो प्राथमिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की जा रही है, मैं समझता हूं कि ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस बात की मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। इसके लिए आप निगरानी व्यवस्था करें और उनको ट्रेनिंग दें, रिफैशर कोर्स की तो शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से होगी। जो ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी चौधरी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सबसे पहले नाम दिया था। (व्यवधान) निर्दलीयों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्दलीयों के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य ने सुबह सबसे पहले नाम दिया था, निर्दलीयों को बोलने का अधिकार नहीं है ? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से मैंने नाम दिया है।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय हो रहा है और +++ (व्यवधान) माननीय पर्यटन मंत्रीजी से हम एक घोषणा चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : क्या इनको बोलने का अधिकार नहीं है ? कृपा करके आप पांच मिनट इनको मौका देवें।

श्री अरुण सिंह : चौधरी साहब, आप तो बैठो अभी। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिला वैसे ही पिछड़ा हुआ है, बहुत उपेक्षित जिला है...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य ने सुबह सबसे पहले नाम दिया था... (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग साथ हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है ? आप इनको मौका दें, हमारा सबका निवेदन है आसन से।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम बैठने नहीं आये हैं।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने हमें यहां बैठने के लिए नहीं भेजा है इन कुर्सियों पर। सबसे पहले समय दिया है। यह कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अमराराम(धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने नाम दिया था कि आप बोलने का मौका देंगे। पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो मैं इस बात पर बहिष्कार करता हूं कि आप बोलने की मनाही करते हैं।

(माननीय सदस्य श्री अमराराम(धोद), सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिला वैसे ही सबसे पिछड़ा जिला है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई न्याय नहीं है हमारे साथ। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य को पांच मिनट का मौका दें आप।

एक माननीय सदस्य : क्यों वकालत कर रहे हैं इनकी ?

श्री अरुण सिंह : एक मिनट का ही दे दें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो दो शब्दों में ही कहना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पांच मिनट, पांच मिनट।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : हमारे भरतपुर जिले को बृज सर्किट की घोषणा कर दें, बृज सर्किट की घोषणा कर दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह यदुनाथ का लड़का है पांच मिनट बोलने का मौका दें।

श्री अरुण सिंह : मंत्री महोदय, आप घोषणा कर दें।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : भरतपुर का केवलादेव घना विश्वविख्यात अभयारण्य है जोकि दिन प्रतिदिन जर्जर अवस्था में होता जा रहा है। वहां पर्यटकों के ठहरने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, डीग और सीलीसेढ़ को एक बृज सर्कट बनाने की मंत्री

(श्री यशवन्त सिंह(रामू)

महोदय घोषणा कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का ही काम है। भरतपुर की बेटी है इनको भरतपुर के लिए सोचना चाहिए। भरतपुर के लोग दुआएं देंगे, अदरवाइज इनको गालियां देंगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 के बारे में इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं पर मुझे यह बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में किसी भी माननीय सदस्य ने तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर जो आज राजस्थान के अन्दर हम यह उम्मीद करते हैं कि औद्योगीकरण...

श्री राधेश्याम गंगानगर : आपसे सन्तुष्ट हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : आपने ही कट मोशन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति राजस्थान में है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, मैं चाहता था कि माननीय सदस्य इसमें कुछ सुझाव दें (व्यवधान) आप इंटरनेशनल हो, आप सुनिए। आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य एनसाइक्लोपीडिया हैं इसलिए मैं इनका उत्तर तो क्या दे सकता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम उद्योगों के विस्तार की बात करते हैं और हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने भी कहा है कि हम राजस्थान को देश के सामने उद्योग विकसित रूप में पेश करना चाहते हैं। आप सभी माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि जब तक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार नहीं होगा तब तक हमारे यहां पर जो उद्योग लग रहे हैं उनमें स्किल नहीं आ पायेगा। आज इसके लिए हमारे राजस्थान में सेन्ट्रली फण्डेड एक मात्र संस्था है एम.आर. ई.सी., दूसरा कोई भी इन्स्टीट्यूशन केन्द्रीय सहयोग से यहां पर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मुझे जिम्मेदारी दी गयी तो मैंने इसके सन्दर्भ में एक मीटिंग बुलाई। भारत सरकार की कौंसिल आफ आर्किटेक्चर के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठकर यहां पर मैंने मीटिंग की और कौन कौन से पोटेंन्शल हमारे राजस्थान में हो सकते हैं, आल इण्डिया लेवल के इन्स्टीट्यूट्स यहां पर कायम हो सकते हैं उनके बारे में बात की। आज राजस्थान के अन्दर विभिन्न कोर्सेज हैं। हमारे इंजीनियरिंग कालेज के कोर्सेज भी हैं, पोलीटेक्निक के भी हैं, आई.टी.आईज. के भी हैं, बी.फार्मा के भी हैं। हमारे राजस्थान में अभी तक नौ इंजीनियरिंग कालेज हैं और इनकी जो प्रवेश क्षमता है वह लगभग 1860 है। हम इस वर्ष एम.बी. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर के अन्दर केमिकल पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और एक आर्किटेक्चर का पाठ्यक्रम जो है उसको भी इक्विप करने का हमने निर्णय लिया है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो एजुकेशनल कैलेण्डर है राजस्थान के इंजीनियरिंग कालेजेज के अन्दर, वह लगभग सामान्य है। यह हमारे

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

लिए एक उपलब्धि है। इसी तरह से मैनेजमैंट के कोर्सेज भी राजस्थान में चल रहे हैं और 22 संस्थाएं हैं जो इसके अन्दर काम कर रही हैं। पोलीटेक्निक कालेज के बारे में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 26 पोलीटेक्निक कालेज हैं, जिनमें से छह महिला पोलीटेक्निक कालेज हैं इन संस्थानों में 18 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और छह नान इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं। पोलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश की क्षमता 2150 है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, आई.टी. आईज. के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य के अन्दर एक बहुत दूरगामी निर्णय के तहत एक ही अम्ब्रैला के नीचे हमारी टैक्निकल एजुकेशन को लिया गया ताकि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ा सकें। तुलनात्मक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करने की भी बात है। राज्य में निजी प्रशिक्षण केन्द्र 137 हैं तथा कुल 12 हजार 184 छात्रों को 28 इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों तथा 14 नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष सात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुसज्जित करना और चार नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है। इस हेतु राज्य बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

राज्य में चर्म उद्योग के अधिक विकास की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय लेदर संस्थान, मद्रास और राज्य के गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण(रूडा) की सहायता से जयपुर में एक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

इसी तरह से जो टैक्निकल एजुकेशन की स्थिति है उसके अन्दर भवन निर्माण उपकरण के लिए झुंझुनूं, राजसमन्द, पीपाड़ और बहरोड जो है वे नये हमारे प्रस्तावित हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या प्रस्तावित है ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : आई.टी.आईज. झुंझुनूं का नाम आ गया, खुश हैं आप ?

मैं इस बात के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के छात्र भारी संख्या में टैक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए निजी क्षेत्र के अन्दर इंजीनियरिंग कालेज शुरू करने के लिए हमने निर्णय लिया है। यहां पर पहले से दो इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं, एक तो लक्ष्मणगढ़ में और दूसरा अलवर के अन्दर। निजी क्षेत्र में जो लोग आगे आना चाहते हैं इंजीनियरिंग कालेज को चलाने के लिए,उसके लिए हमने 3–4 इंजीनियरिंग कालेज की एन.ओ.सी.स्टेट की तरफ से दी है। उनकी मान्यता ए.आई. सी.टी. देगी। बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज के लिए इस साल से पाठ्यक्रम में प्रवेश शुरू किया जाएगा। इसके लिए डेढ़ सौ लाख रुपये का प्रावधान बजट में रखा गया है। गंगानगर से आने वाले सदस्य ने कटौती प्रस्ताव दिया गंगानगर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए, उसके सन्दर्भ में उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि बीकानेर

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

सम्भाग जिसमें गंगानगर भी आता है, उसमें इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है और आपके क्षेत्र के छात्र वहां पर आकर भी प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : तीन सौ किलोमीटर दूर है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : राजस्थान के स्टूडैंट तीन सौ किलोमीटर नहीं, हजार किलोमीटर दूर बैंगलौर में और महाराष्ट्र में जाकर भी अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर जो भी संस्थाएं आगे आकर इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहती हैं, पोलीटेक्निक कालेज खोलना चाहती हैं, हम राज्य की तरफ से उनकी पूरी मदद करेंगे। वित्त मंत्रीजी ने इसके अन्दर अपनी बहुत ही सहृदयता दिखाई है, तकनीकी शिक्षा में काफी अच्छा प्रावधान रखा है। यही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी।

श्रीमती कमला(संस्कृत शिक्षा मंत्री) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की जो मांगें हैं शिक्षा एंव कला, संस्कृति और पर्यटन उसमें छोटा सा महकमा संस्कृत शिक्षा विभाग का भी है। इस छोटे से महकमे में जिस तरह आगामी व्यवस्था करने की चेष्टा की गयी है वह इस दृष्टि से की गयी है कि आने वाले समय में राजस्थान के सभी जिलों में पंचायत समिति स्तर पर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य सभी स्तरों पर इस तरह की संरचना की जाए जिससे कि हरेक जिले में इसका अपना एक पर्याप्त और पूर्ण ढांचा तैयार हो सके। काफी समय से संस्कृत के प्रसार– प्रचार और इसकी शिक्षा के व्यवस्थित और पर्याप्त प्रावधानों की चेष्टा करते रहे हैं लेकिन फिर भी इस दिशा में बहुत कम बजट प्रावधानों में रखा जाता रहा है। इस बार माननीय वित्त मंत्रीजी शायद गलती से उल्लेख करना भी भूल गये बजट में संस्कृत शिक्षा के नाम का, लेकिन मैं उनका आभार मानती हूं कि नाम का उल्लेख चाहे न किया हो लेकिन विभाग ने जो प्रस्ताव दिये यद्यपि प्रथमतः उन्होंने नोटिस देकर काटने के आदेश दे दिये थे लेकिन बाद में हमारे निवेदन पर उनको वापस कायम रखा। मैं उनका आभार प्रकट करती हूं।

श्री चन्दनमल बैद(वित्त मंत्री) : संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ का उल्लेख है।

श्रीमती कमला : वह तो पहले से हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पहले से नहीं है, अभी है। पहले होता तो पहले खर्च कर देते ना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पिछले साल के बजट का है।

श्री चन्दन मल बैद : खर्च तो यही करेंगे ना अब। इस साल के बजट में है, पिछले साल के बजट में नहीं था। आपको गलतफहमी है यह।

श्री सी.पी.जोशी : राठौड़ साहब को ध्यान नहीं है। इनको तो दवाइयों का ध्यान है।

श्री चन्दन मल बैद : आपने सिर्फ बात की है, काम हम कर रहे हैं। पिछले साल के बजट में उल्लेख था तो खर्च क्यों नहीं हुआ ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए पिछली सरकार ने उसका एक्ट और सब बना करके प्रावधान भी अपने समय में कर लिया था।

श्री चन्दन मल बैद : पैसे का प्रावधान नहीं किया था, खाली नाम का ही प्रावधान किया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिना यूनिवर्सिटी बने पैसे को चाटेगा, क्या करेगा कोई ?

श्रीमती कमला : विराजिये। तो आगे से आगे सभी का योगदान होगा।

श्री महेश जोशी : आपने तो बहुत सारे काम नाम ही नाम में कर लिए।

श्री चन्दन मल बैद : फलौदी में कालेज खोलने की डिक्लेरेशन कर दी, कालेज नहीं खोला। वह जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर आयी है, आप पर नहीं आयी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका यह लॉ कालेज जिसको आप जोधपुर के अन्दर कह रहे हो, वह हमारे समय में घोषित हुआ है। यह संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे, कोटा विश्वविद्यालय हमारे, बीकानेर विश्वविद्यालय की घोषणा हमने की, नई बात क्या कर रहे हो आप ?

श्री चन्दन मल बैद : यह तो मैं पहले से ही कहता हूं कि आपके मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा तो जरूर की है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी तो आपने उनको पैसा भी नहीं दिया, दो यूनिवर्सिटी को।

श्री चन्दन मल बैद : घोषणा तो उन्होंने की है, काम तो हमको करना है। आप तो घोषणा ही करते रहे।

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान विश्वविद्यालय का भट्टा भी आपने ही बैठाया है। आपने ही बदनामी करवायी है इसकी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : संस्कृत विश्वविद्यालय का अधिनियम विधान सभा में पारित किया गया है, राजकीय और अराजकीय, संस्कृत...

श्रीमती कमला : सबको मालूम है, आप विराजो ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सारा नहीं किया,क्या नहीं किया ? और कोई एक दिन में बन जाता है ? एक दिन में विश्वविद्यालय खड़ा हो जाता है ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसमें भी माननीय मंत्रीजी का बहुत बड़ा योगदान है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह प्राइमरी स्कूल है जो खड़ा हो जाएगा ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसकी वकालत भी माननीय मंत्रीजी ने ही की है।

श्रीमती कमला : इसको भी कोई मना नहीं कर कहा है कि फलां तारीख को फंला सन् में यह विधेयक पास हुआ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो कह देंगे कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, शादी क्यों करें।

श्रीमती कमला(शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नये बजट के अन्दर संस्कृत शिक्षा के लिए प्रवेशिका स्तर की 20 विद्यालयों की स्वीकृति हुई है, 6 वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्तर की 15 विद्यालयों की स्वीकृति हुई हैं, शास्त्री स्तर के महाविद्यालयों में 5 महाविद्यालयों की स्वीकृति हुई हैं, आचार्य स्तर के 2 महाविद्यालय स्वीकृत हुए है, एस.टी.सी.केन्द्र एक, बी.एड. कालेज एक और नवीन विषय 48 स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा महाविद्यालय, स्कूल आदि में नवीन विषयों और नवीन पदों के लिए 200 लाख रुपयों का भी प्रावधान किया गया है जो एक बहुत बड़ा प्रावधान है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूर्व में स्थापित हुआ, उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटित कर दी गयी है और संस्कृत शिक्षा विभाग उसका कब्जा ले रहा है। इसके अलावा आगामी कार्यो के लिए एक करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान किया गया है। जहां तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का सवाल है मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय सामान्य शिक्षा मंत्रीजी से कि वह ध्यान रखें कि पूर्व में नीति निर्धारित है उसमें सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में से 10 प्रतिशत संस्कृत के विद्यालय होगे और 5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत के होंगे और वे इस शिक्षा विभाग के मार्फत खोले जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि संस्कृत शिक्षा विभाग में वेतन विसंगतियां,पदनाम का फर्क और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें चलती हैं तो भी संस्कृत शिक्षा विभाग अपने आपमें काफी व्यवस्था के साथ में और काफी कुछ तरक्की के साथ में काम कर रहा है। जहां तक व्यवस्थागत प्रावधानों का सवाल है, उसमें कमी होते हुए भी यह विभाग चुस्त–दुरुस्त ढ़ग से चल रहा है। मैं इस समय में यह निवेदन करना चाहती हूं कि हालांकि विभाग छोटा है राज्य के अन्य विभाग हैं, बहुत बड़े–बड़े हैं, भारी भरकम हैं, इतनी बड़ी–बड़ी देह वालों के सामने यह छोटा–सा विभाग है, लेकिन देह बड़ी हो सकती है रूह तो बहुत छोटी होती है,अदृश्य होती है। लेकिन रूह के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं। यह मैं सिर्फ काव्य नहीं पढ़ रही हू, सचमुच कह रही हूं यह यथार्थ है। मैं, रूह इसलिए कह रही हूं कि जितने भी विभाग हैं वे सब इसीलिए तो काम करते हैं कि वे इन्सानों और परिवारों से बने समाज की तरक्की के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए सारी व्यवस्थाएं करें लेकिन जिस इन्सान की तरक्की के लिए तमाम विभाग काम करते हैं उस इन्सान को इन्सान बनाये रखने के लिए संस्कृत और संस्कृति काम करते हैं। इसलिए यह समाज और देश की आत्मा है, उसकी रूह है। मैं यथार्थ की बात

(श्री जगत सिंह दायमा)

श्लोक पढ़कर हमको लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, यह है।

श्रीमती कमला : आप भी और मैं भी एक जमात से आते हैं और मैं भी पोंगापंथी और पाखंड में विश्वास नहीं करती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस प्रकार से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप मानसिक रूप से तो पहले ही से लुटे हुए हैं, आपके पास में अब बच क्या गया जो कोई लूटेगा आपसे ?

श्री जगत सिंह दायमा : आप इसलिये कहते हैं कि सबसे ज्यादा संस्कृत पढ़ते ही आपकी बिरादरी के लोग है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो मानसिक रूप से पहले से ही लुटे हुए हैं। आपकी मानसिक स्थिति बिलकुल ठीक नहीं हैं।

श्रीमती कमला : जो व्यक्ति बिना पढ़े बिना लिखे, बिना जाने प्रेजुडिस हो कर बिना तथ्यों के, बिना आधार के बात करता हैं उस जैसा अज्ञानी कोई भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : और ऐसे अज्ञानी लोगों को तो माफ कर दिया जाना चाहिये।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय कमलाजी, यह तो उच्च वर्ग का काम हैं और हम और आप तो किसान वर्ग के हैं, कहां बात कर रही हैं ?

श्रीमती कमला : यह उच्च वर्ग का काम नहीं है, यह आपका और हमारा काम हैं। उच्च वर्ग जिस ढंग ढोल से समाज को राष्ट्र को बिगाड़ रहा हैं, उन्हें हम...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाते। (व्यवधान) संस्कृत नहीं पढ़ी इसीलिये तो निम्न वर्ग में बैठे हो। इसीलिए मानसिक स्तर नीचे गिरा हुआ है।

श्री जगत सिंह दायमा : संस्कृत के श्लोक बोल कर भीख मांगने का काम करते हैं...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : बैठाइये इनको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : दायमाजी के फेरे भी संस्कृत में पड़े थे और आज ये बुराई कर रहे हैं। इन्होंने फेरे भी संस्कृत में ही करवाये थे।

श्री जगत सिंह दायमा : इसीलिये दोनों भाग गयी। अगर संस्कृत में नहीं होते तो नहीं जाती ना।

श्रीमती कमला : आपको संस्कृत को... (व्यवधान) आपको ध्यान ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : भीख मांगने के लिये ही पैदा हुए हैं आप लोग और संस्कृत पढ़े–लिखे लोग भीख देने के लिये ही पैदा हुए हैं।

श्रीमती कमला : संस्कृत न फेरों के मंत्र है, संस्कृत न मृत्यु के उपरांत जो काण्ड पढ़ा जाता है वह है (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : संस्कृत दुर्भाग्य है। अगर इंग्लिश पढ़ो तो...

श्रीमती कमला : न संस्कृत कर्मकांड है, न संस्कृत में समाहित हमारे ग्रंथ कर्मकांड हैं, यह शुद्ध विज्ञान है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप जैसे लोगों के लिये संस्कृत बनी ही नहीं, सभ्य समाज के लिये बनी है। (व्यवधान) आप पता नहीं कैसी बात करते हैं, मनुवादी–मनुवादी करते गये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : पंडितजी, बैठ जाएं। वह हिन्दी में पढ़ते श्लोक संस्कृत का ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : एस.सी. और ट्राइब के जितने बच्चे आज संस्कृत पढ़ रहे हैं उसने उच्च वर्ग वाले भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसीलिए तो कहा गया हैं "दुर्जनम् प्रथमम् वंदे, सज्जनम् तदनतरम्।"

श्रीमती कमला : आप धर्म का क्या अर्थ लगा रहे हैं ? आपको तो धर्म का मतलब मंदिर–मस्जिद ही पता है, आप तो धर्म पर ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहें बैठें। मेरा निवेदन यह है कि जिन आधारभूत, शाश्वत तथ्यों के साथ में इन्सान का निर्माण के लिये व्यवस्थाएं की गयी हैं, वह हमारे ग्रंथों में है। आप समझते हैं धर्म मंदिर–मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है या और कोई स्थान है ? धर्म हमारे ग्रंथों में यह नहीं है। न हिन्दू है, न मुसलमान है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक...(व्यवधान) आप बैठ जाइये। यह गलत बात है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि यह संस्कृत डिपार्टमैंट की मांग है उसका रिप्लाई है यह ?

श्रीमती कमला : हां, मेरा डिपार्टमैंट इसी काम का है।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या बात करती हैं।

श्रीमती कमला : मेरे महकमे में यह पढ़ाया जाता है...

श्री राजेन्द्र पारीक : इस सदन में जो बैठेंगे उनको संस्कृत सुननी पड़ेगी। इस सदन में जो बैठेंगे उसको संस्कृत सुननी ही पड़ेगी, वरना कान में रूई डाल लीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह नहीं कह रहा हूं...

श्रीमती कमला : मैं आपको सही सोच की तरफ ले जाना चाह रही हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं यह कह रहा हूं कि मंत्री महोदया को आपने निर्देश दिया कि आप अपनी डिमांड पर बोलें।

श्री जगत सिंह दायमा : वे लिख नहीं रहे हैं आपकी बात को।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप क्या समझ रहे हो ये रिप्लाई दे रही हैं ?

श्रीमती कमला : आप तसल्ली तो रखिये। मैं समाप्त कर रही हूं। बस इतने में ही घबरा गये ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हमको वेद सिखा रही हैं, प्रकरण सिखा रही हैं, अपने विषय तक सीमित रहो। आप अपने विषय तक सीमित रहो, हम सुन रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हमको आडम्बर में मत फंसाओ। आडम्बर में मत फंसाओ हमको संस्कृत पढ़कर।

श्री छोगाराम बाकोलिया(यातायात मंत्री) : दायमाजी, आपको संस्कृत की पूरी इज्जत करनी चाहिये। यह ऊपर क्या लिखा है ? "सत्यमेव जयते" यह भी संस्कृत में है। श्रीमान्‌जी आपको तो यह पता ही नहीं कि यहां सत्य बोलना चाहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह पढ़ते तो यह बात ही नहीं कहते। इतना पढ़ना जानते तो यह बात ही नहीं होती।

श्री जगमाल सिंह यादव : पारीक साहब, अगर हम संस्कृत का एक श्लोक सुन लेते थे तो हमारे कानों में आप लोग सीसा डाल देते थे।

श्रीमती कमला : अच्छा आप सत्य सुनकर तो कान में सीसा नहीं डालेंगे ?

श्री राजेन्द्र पारीक : यानि आप कान बंद रखते थे, इसलिये आपके कान खोलने पड़ते थे सीसा डाल कर।

श्री जगमाल सिंह यादव : वेद का कोई वाक्य सुन लेते थे तो आप सीसा डाल देते थे, कहां से पढ़ते हम ?

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले सीसा डालते थे, आज जब आपके कान में संस्कृत के श्लोक डाल रहे हैं तो अब आप डालने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : अब यह हमको ऐसा लगता है जैसे कड़ा...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : "या देवी सर्व भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।"

श्री रामस्वरूप मीणा : "विद्या विवादाय धनम् मदाए शाक्त परेशान परपीड़नामे। खलस्य साधु विपरीतमेवे एनानाय, दानाया च रक्षणामें।।"

यह संस्कृत है। इसका नाम है संस्कृत। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : "जल बिन्दु निपातेन् पूर्वतः घटेः स ऐतु विद्या सः ऐतु धनायः।"

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहती हूं कि सत्य, अहिंसा, प्राणी मात्र से प्यार...(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैडम, एक मिनट।

"सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्य चाखिलेश्वरी एवमेव तनाकाराम् असमद वेंरी विनाशनम्।" (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा :" नीलाम्भूजस्य श्यामज कौमजोगम सीता समारोह पितावाम–भागम पाणोमप सहायक चारूचापम नमामी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

रामम रघवेशनाथम्।" आदो देवकी देवगर्भजानम् गोपीगृह वर्द्धनम गोपी गृह वर्द्धनम् मायासन पूतो जीवताप हरणं गौरवरहार्नोधारणम् केशा छेदन कौरवादिहने कुन्तीसुतपालम् एतद् श्रीमदभागवत पुराण कथीतम्, श्री कृष्ण लीलामृतम्।" यह है हमारी संस्कृति, संस्कृत।

श्रीमती कमला : आप विराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : "त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्व मम् देवदेव।।"(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : "काक चेष्टा बको ध्यानम् स्वल्प निन्द्रा च अल्पहारो गृह त्यागो विद्यार्थी ये पंच लक्षणं।" (व्यवधान)

श्रीमती कमला : और कितनी खिल्ली उड़ाने की मन में है, खड़े होकर कह लीजिये। आप खुद नासमझ हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : संस्कृत के लिए इस तरह का वातावरण बनाना उचित नहीं है।

श्रीमती कमला : देखिये, इस तरह की खिल्ली उड़ाना, मजाक करना उन लोगों का काम है जो खुद अज्ञानी हैं। इसलिए महाभारत में कहा है भगवान कृष्ण ने कि आप उनके प्रति कोई ऐतराज मत करिये क्योंकि वे खुद ही नहीं जानते कि वे क्या कह रहे है। (व्यवधान) शान्ति रखें। मैं आखिर में यह कहना चाहती हूं कि सत्य, अहिंसा...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जगमालजी, जगतजी का तो टाइम हो गया।

श्रीमती कमला : कभी–कभी तो मौका आता है कुछ ज्ञान खलखलाने का और आप उतावले हो रहे हो। सत्य, अहिंसा, प्राणी मात्र से प्रेम "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" ये जो विचार हैं वे एक सत् और उत्कृष्ट मानव को बनाने के हैं। (व्यवधान) शाश्वत् सत्यों के साथ जीने का संकल्प करके उसको अपने जीवन में धारण करके जीना, वह धर्म कहलाता है। हमने मंदिर को धर्म मान लिया, मस्जिद को धर्म मान लिया, गुरुद्वारा को धर्म मान लिया। यह कोई धर्म नहीं है। सच्चे और शाश्वत सत्यों के साथ, मूल्यों के साथ जीवन में इसको धारण करके जीना ही धर्म है। यह हमारी संस्कृति, हमारे वेद– वेदांग हमको सिखाते हैं जिससे कि प्राणी सद्बुद्धि से जी सके। मैं यह उम्मीद करती हूं कि आइन्दा समय में हम लोग इनको पढ़ने की, पढ़ाने की, इसे समझने की और अच्छा इंसान बनाने की चेष्टा करेंगे। संस्कृत के विकास और समुन्नयन के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार हेतु आप सभी का सहयोग वांछित समझती हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जैसा व्यक्ति इस बात को नकार दे। यह प्रगति रिपोर्ट है, इस प्रगति रिपोर्ट में 1998–99 में क्या–क्या खर्च है वह आपने ही दिया है। इसमें दिया है संस्कृत विश्वविद्यालय 50 लाख रुपये, यह क्या चीज है ? यह आपका ज्ञान है कि क्या है, जो बोला ? (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कल्ला साहब, मैं दो मिनट बोलूंगा।

श्रीमती कमला : इसके बाद में जो आपने 800 करोड़ की कटौती भारत सरकार से करवायी उस वक्त यह भी कम हो गया, करोड़ वाला। (व्यवधान) रह गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह रिपोर्ट गलत है क्या ? यह रिपोर्ट गलत है क्या ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे से संबंधित...(व्यवधान) दो मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह रिपोर्ट गलत है क्या ? इस बारे में कह दें, यह रिपोर्ट गलत है क्या ? इसमें जो दिया है वह गलत है ? इसमें जो दिया है वह गलत है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

श्री जगत सिंह दायमा : चलते–चलते आप खोल गये थे। आपने 9 साल में खोला नहीं और चलते–चलते खोलकर गये। उनकी जिम्मेदारी बन रही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बात करते हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो कमला जी ने संस्कृत के विषय में अपना उद्‌बोधन दिया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। रतनगढ के अंदर श्री राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम महाविद्यालय है उसमें प्रवेशिका, उपाध्याय और शास्त्री तक अध्ययन होता है। उसकी मान्यता उपाध्याय तक की है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उसको शास्त्री पर्यन्त मान्यता प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कौनसा जवाब दे रहे हैं ? किसका जवाब दे रहे हैं ? (व्यवधान) आपके बाद में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बीना जी बोलना चाहती हैं।

श्री जीतमल खांट : उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदस्य महानुभाव बोल गये, हमें बोलने का मौका ही नहीं आया। सबसे पहले... (व्यवधान) जनता दल की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी(सरकारी उप मुख्य सचेतक) : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जवाब दें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 24 एवं 47 पर विचार

श्रीमती बीना काक(राज्य मंत्री, पर्यटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने शिक्षा, कला एवं संस्कृति और पर्यटन के संबंध में जो अपने विचार रखे उनका मैं सम्मान करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 9 वर्ष के पश्चात् आज

(श्रीमती बीना काक)

पर्यटन मंत्री को मौका मिला है अपनी बात कहने का। इसके पहले हमेशा मुखबंद रहा और कभी भी ना तो कोई कटमोशन आये और ना ही पर्यटन मंत्री ने यहां पर अपना रिप्लाई दिया। इससे जाहिर है कि पर्यटन एवं कला और संस्कृति के क्षेत्र में जागरूकता आयी है। माननीय सदस्यों को अब विश्वास हुआ है कि उन्हें सुझाव देने का मौका हासिल हुआ है और माननीय सदस्यों के सुझावों को तवज्जोह मिलेगी। मैं विश्वास दिलाती हूं कि आपके सुझावों को अहमियत दी जाएंगी। आपके सुझावों से निश्चय ही पर्यटन, कला व संस्कृति के विभाग को बल मिलेगा।

श्री हरिसिंह(सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो समय बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्रीमती बीना काक : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतिहास है कि कभी रेगिस्तान में सरस्वती बहा करती थी और वहां हरियाली थी, खुशियां थीं, समृद्धि थी। आज वहां रेत के टीले हैं, भूख है और प्यास है लेकिन वहां कल समृद्धि भी लौटने को आतुर है। गैस और पेट्रोल के खजाने का पता चला है। पर्यटकों का आकर्षण भी उस तरफ बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी नहर के जरिये फिर खुशियां लौटने के लिए दस्तक दे रही है। यह सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान पर्यटन की संभावना से भरा पड़ा है। नयी सहस्त्राब्दी यानि मिलेनियम में पर्यटन राजस्थान में एक नयी समृद्धि लाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

इसी को ध्यान में रखकर हमने नयी योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं जो रोजगारोन्मुखी हैं। हवेलियां, महल और किले हमारी ऐतिहासिक एवं सांस्कृकि धरोहर हैं। उन पर बहुत काम हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देशी–विदेशी पर्यटक इनसे बहुत आकर्षित होते हैं। लेकिन इसके साथ–साथ जो नग्लैक्टेड एरिया था ईको ट्यूरिज्म, नैचर ट्यूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, पिलग्रेमेज ट्यूरिज्म, एडवेंचर ट्यूरिज्म का, उसको भी हम कुछ बढ़ावा देना चाहते हैं।

जैसा अमीन खां जी कह रहे थे, ट्यूरिज्म सिर्फ अमीरों का है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें अमीर आते हैं लेकिन यह भी सही है कि लाभान्वित वे गरीब को करके जाते हैं। आज गांव–गांव में जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका लुत्फ उठाने, उसकी स्टडी करने, नैचर स्टेडी करने जो लोग आते हैं उससे गरीब लाभान्वित होते हैं। हम ट्यूरिज्म पालिसी को एलीट से कामन मैन का बनाना चाहते हैं, आम आदमी तक इसे ले जाना चाहते हैं। इसके संदर्भ में कई योजनाएं हमने बनायी हैं। अभी हम और सुधार लाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

कुछ कमियां ट्यूरिस्ट के आवक में आती हैं। उसके मुख्य कारणों में इंटरनेशनल

(श्रीमती बीना काक)

एयरपोर्ट का ना होना है। इण्टरनेशनल एयर पोर्ट के न होने से जो ट्यूरिस्ट राजस्थान आना चाहता है, जैसा कि वी.पी. सिंहजी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि दिल्ली और बम्बई रहने के बाद सिर्फ जयपुर आने के लिए सात सौ डालर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। अगर यहीं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो ट्यूरिस्ट सीधा जयपुर आएगा और इसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री ने जिस दिन कार्य भार ग्रहण किया था उसी दिन हम सबको आदेश दिए थे कैबिनेट मीटिंग में कि इण्टरनेशनल एयरपोर्ट का काम त्वरित गति से होना चाहिए। मुझे सदन को यह बताने में बहुत खुशी है कि जो भी गतिरोध इसमें थे वे दूर कर दिए गए हैं। केन्द्र के ट्यूरिज्म और एविएशन मिनिस्टरों से मेरी इस संबंध में बात हुई है, वे मण्डावा आकर गए हैं और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है। सिर्फ केन्द्र की स्वीकृति बाकी है और एक कन्ट्रोल टावर बनना बाकी है, बाकी हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, केन्द्र जिस दिन हमें स्वीकृति देगा उस दिन इन्टरनेशनल हवाई जहाज उतर जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर में भी एयरपोर्ट बनाने की इच्छा जाहिर की है। कई माननीय सदस्यों के सुझाव इस बारे में आए हैं। वहां के कलेक्टर से वार्ता चल रही है, एयर स्ट्रिप बनाने में अगर बीच में कोई एन्क्रोचमैंट है या कोई आबादी है तो उसे हटाकर, मुआवजा देकर इसका भी काम शीघ्र करवाने के निर्देश मुख्य मंत्रीजी ने दिए हैं। साथ ही हर जिले में छोटे हवाई जहाज उतर सकें, ऐसी छोटी एयर स्ट्रिप्स बनाने की संभावना हो सकती है उसके विकास के लिए मुख्य मंत्रीजी ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। फेमिन के जरिये से भी अगर एयर स्ट्रिप्स तैयार हो जाती है तो वह भी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट एयर लाइन्स से इस बारे में वार्ता चल रही है। यू.पी. एयरवेज से बातचीत चल रही है कि जहां भी पर्यटक स्थल हैं वहां हैलीकाप्टर के लिए सर्विस ग्राउण्ड वे उपलब्ध करवाएंगे और आर.टी.डी. सी. के द्वारा हम रहने की जगह उपलब्ध करवाएंगे। राज्य सरकार यह भी चाहती है कि हमारे हैलीकॉप्टर्स यदि कोई किराये पर लेना चाहता है और किसी पर्यटन स्थल पर ले जाना चाहता है उसके लिए हम हैलीकाप्टर उपलब्ध करवा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण इलाकों में ट्यूरिज्म किन स्थानों पर विकसित हो सकता है ऐसे स्थानों को हम आइडैंटिफाई करेंगे जहां आर्ट और क्राफ्ट भी उसकी विरासत हो। किले और गढ़ तो बहुत हैं, हमें उन पर गर्व है लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जैसे मोलेला। मोलेला में पूरा टेराकोटा बनाया जाता है लेकिन ट्यूरिस्ट वहां नहीं जाता। वे सब क्राफ्ट पर्सन्स उठकर बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। तो यह कल्चर जो गांव का है, हम चाहेंगे कि वह अक्षुण्ण रहे। उदाहरण के तौर पर बालोतरा, बाड़मेर जहां प्रिंटिंग होती है। अकोला, रामगढ़–शेखावाटी, जहां लकड़ी

(श्रीमती बीना काक)

का काम बहुत होता है, खुदाई का काम होता है, इन गांवों का चरित्र बना रहे, उनको हम विकसित करेंगे ताकि पर्यटक सीधा वहां जाकर उनकी कला को देख सकें, सराह सके, उसकी तकनीक को एप्रिशिएट कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हम 18 तारीख से हैरिटेज बाक्स शुरू करने जा रहे हैं। पुराने शहरों में अवेयरनैस लाने के लिए लोगों को वहां ले जाया जायेगा और जो वाकिंग ट्रैक्स या साइक्लिंग ट्रैक्स हैं, वे डवलप किए जाएंगे। बच्चों को भी बुलाया जाएगा, उनके इतिहास के टीचर्स को भी बुलाया जाएगा। हम यह चाहेंगे कि इतिहास के टीचर्स उन बच्चों को इस तरह का होम वर्क दें कि आपके एरिये की क्या ऐतिहासिक धरोहर है, क्या महत्व है ? जैसे पण्डित विश्व मोहन भट्ट अगर उस एरिये में रहते हैं तो वहां के बच्चों को कहा जाएगा कि आपके एरिये में क्या खसूसी चीज है, वह बताइए। तो बच्चों को आसपास ढूंढने का वक्त मिलेगा, देखने का समय मिलेगा कि क्या है। अपने-अपने एरिये के बारे में लोगों में अहमियत आएगी तभी उसे वे साफ रखने, अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेंगे। लोगों में अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में अवेयरनैस लाने के लिए इस तरह के हैरिटेज बॉक्स हम शुरू करने जा रहे हैं।

सिंचाई विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. के डाक बंगलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में यदि कोई कमी है तो ज्यादा पैसा खर्च करके उस कमी को दूर करके हम इन डाक बंगलों को पर्यटकों के लिए खोलेंगे। सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं हैं। उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने मुझे इस चीज का भरोसा दिलाया है कि सिंचाई विभाग के डाक बंगलों को वे हमें हस्तांतरित कर देंगे। उनकी तरफ से मौखिक स्वीकृति आ गई है, केवल लिखित स्वीकृति बाकी है। इनमें दो-तीन जगहें हम पहले ले रहे हैं, सुख निवास, बूंदी, मोती महल, जवाई बांध और जयसमंद, अलवर। (व्यवधान) माही की भी बात कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने आर.टी.डी.सी. के वर्क्स डिवीजन में सुधार लाने के कुछ प्रयास किए हैं। पिछली सरकार के समय कुछ इस तरह की वारदातें हुई कि स्वीकृति तो एक्स जगह की हो जाती थी लेकिन उसके यूनिट इंचार्ज को पता नहीं चलता था कि उसकी यूनिट में क्या काम होने वाला है। पैसा खर्च हो गया, अब वह पैसा कहां गया, किस के किले पर खर्च हुआ या किस के बंगले पर खर्च हुआ ? इस तरह की जानकारियां आ रही हैं तो हमने वर्क्स डिवीजन में सुधारने के लिए अपने विभाग में ये निर्देश किए हैं कि ज्यों ही सैंक्शन निकले उसके यूनिट इंचार्ज को उसकी प्रति भेजी जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने जिस तरह से स्पेसिफिक चार्जेज लगाये हैं, आप उनकी जांच करवाएंगी ?

श्रीमती बीना काक : आप बैठें तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक स्पेसिफिक चार्ज पूर्ववर्ती सरकार पर माननीय मंत्री महोदया ने लगाया है कि सैंक्शन किसकी जारी हुई और पैसा कहीं लगा दिया, पैसा कहां लगाया पता नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदया, सरकार लेकर बैठी हो, हिम्मत करके यह कहो। आपको चार्ज लगाने से पहले यह बताना चाहिए कि इन जगहों की यह शिकायत आई हैं, उनके बाद आप बोलें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी(ओसियां) : राठौड़ साहब को पूछें कि उनके मकान में डकैती हुई कि नहीं। उस मकान में खर्चा हुआ था और ट्रक भरकर उनके मकान से पूर्व मंत्री लेकर चली गई, पूछो आप उनसे। बातें करते हैं कि चोरी हो गई। इन्क्वायरी करवा लो आप में हिम्मत हो तो। आप चोरी की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय भाटी साहब, मैं बात पूछ रहा हूं मंत्री महोदय से। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं आपसे बात कर रहा हूं, हुजूर। बोलिए, राठौड़ साहब, चोरी हुई कि नहीं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्पेसिफिक आरोप लगाया है तो आप यह बताएं कि कितनी जगहों की शिकायतें इस तरह की प्राप्त हुई और क्या आप जांच करवाएंगी ? कहना आसान है।

श्रीमती बीना काक : उसकी जांच करवाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमने आते ही आर्डर किया है कि स्वीकृति मिलते ही यूनिट इन्चार्ज को उसकी कापी दी जाए और उन कामों का फिजिकल वैरीफिकेशन हो कि कहां–कहां काम हो रहा है। हमने प्रोफिट मेकिंग यूनिट्स में प्रोफिट इंसेंटिव स्कीम शुरू की हैं जिसके तहत हमारे मैनेजर्स को प्रोफिट में भागीदार बनाया जाएगा। इस योजना के तहत किसी भी वर्ष के लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का 5 प्रतिशत मैनेजर्स को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा ताकि इकाई अधिक से अधिक मुनाफे में ले जाने की कोशिश की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम सामने आने लगे हैं, कई घाटे वाली इकाइयां मुनाफे की ओर अग्रसर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। मकर सक्रांति के अवसर पर इन्टरनेशनल पतंग उत्सव हमने शुरू किया है जो हर साल मनाया जाएगा, जिसमें कई विदेशी पतंगबाज अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। जयपुर में सन् 1972 से बैण्ड वादन की परम्परा चली आ रही थी, इस परम्परा को पुनर्जीवित करके हमने इसको पुनः शुरू किया है। हर शनिवार की शाम अल्बर्ट हॉल में यह आयोजन हुआ करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं कुड़ी गांव गई तो मैंने देखा कि छोटे–छोटे बच्चे पर्यटकों के उतरते ही जहां पर्यटक जाते हैं, उनके पीछे चले जाते हैं। वहां पर हमारी जो धरोहर है, जो कल्चर है वह जरूर कुछ हद तक पोल्यूट होता है। छोटे–छोटे बच्चे, बस आकर रुकती है, गुड मार्निंग मैडम, गुड ईवनिंग मैडम, गिव मी पैन, गिव मी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डालर, इस तरह पर्यटकों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसलमेर जहां के कण–कण में संगीत बसा हुआ है, लंगा और मांगणियार जैसे कलाकार वहां हैं, वहां इस तरह की बच्चों की हरकत मैंने देखी कुड़ी गांव में तो उसी वक्त कलेक्टर को निर्देश दिए कि कुड़ी गांव में कला भवन बनाया जाए और उस भवन में वहां के बच्चे जो डोलते हैं, पर्यटकों के पीछे जाते हैं और डालर की मांग करते हैं, उन्हें वहां की गायकी सिखायी जाए ताकि बच्चे भीख न मांगकर, गाकर लोगों की खुश करके अपनी रोजी कमाएं। इसी तरह के प्रयास बाकी एरियाज के अंदर भी किए जाएंगे। अगर सरकारी धन में कमी आयी तो निजी क्षेत्र के निवेशकों को भी हमने आमंत्रित किया है। स्मारकों के संरक्षण से लेकर भूमि विकास बैंक के माध्यम से राज्य सरकार की ऐसी सम्पत्तियां जिनका उपयोग पर्यटन इकाई के रूप में किया जा सकता है, नीलामी प्रक्रिया से निस्तारित करने का हमारा विचार है, जैसा वी.पी. सिंहजी ने भी कहा था, राजेन्द्र जी ने भी कहा था।

राजस्थान सरकार पर्यटन नीति तैयार कर रही है और वह शीघ्र ही पुरःस्थापित कर दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के जो सुझाव आए हैं उन पर मैं दो मिनट लेना चाहूंगी। शैलेन्द्र अग्रवाल जी ने जो सरकारीकरण, जवाहर कला केन्द्र, रवीन्द्र मंच को आटोनोमस बनाने की बात की थी...

एक माननीय सदस्य : शैलेन्द्र अग्रवाल नहीं, शैलेन्द्र जोशी।

श्रीमती बीना काक : शैलेन्द्र जोशी जी, सॉरी। शैलेन्द्र अग्रवाल ही याद आ रहा है। मेरा डाइरेक्टर है इसलिए मेरे मुंह पर शैलेन्द्र अग्रवाल रटा हुआ है, जिसकी मैं माफी चाहती हूं।

आटोनोमस बनाने की घोषणा तो मैंने नहीं की थी, लेकिन मेरा यह विचार जरूर है और इसके लिए मैंने कुछ बाईलॉज बनाने के लिए दिए हैं जो जल्दी ही बन जाएंगे। इसके बारे में हम जरूर विचार कर रहे हैं। इसमें सरकारी हस्तक्षेत्र तो हो लेकिन यह जो एरिया है उसके अंदर लोगों की भागीदारी हो ताकि वहां पर कुछ न कुछ एक्टिविटी हमेशा चलती रहे कलाकारों के लिए हो, कलाकारों द्वारा ही संचालित हो।

संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी का गठन शीघ्र कर दिया जाएगा। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य राधेश्याम जी ने जो कहा था, वहां पर सचमुच हम मानते हैं कि संभावनाएं हैं, उस एरिया में लोग नहर को देखने जाते हैं। वहां इंदिरा गांधी नहर पर हम शीघ्र ही एक होटल या मोटल बना देंगे।

राजेन्द्र राठौड़ जी ने कहा है कि मेलों में बहुत धन का दुरुपयोग होता है। मैं मानती हूं कि मेलों को पिछले पांच सालों में इतना बढ़ा दिया गया था कि उसमें क्वालिटी के ऊपर

(19.00 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

(श्रीमती बीना काक)

कम्प्रोमाइज कर दिया गया था। आपने ठीक फरमाया था कि ठेके पर कलाकारों को रोटेशन पर दिया जाता था। मैं जब जैसलमेर मेला देखने गयी तो जैसलमेर जैसे प्रेस्टीजियस मेले के अंदर जिस क्वालिटी के कलाकार थे, मुझे झेंप आई। मुझे पता चला कि पूर्व मंत्री ठेके पर देती थी रोटेशन में। बड़े मेलों के लिए हमने यह आॅर्डर दिया है कि इन मेलों को अब लिमिट किया जाए। कुछ कम संख्या में मेले हम आगे से आयोजित करेंगे, बाकी ग्रान्ट–इन–एड दे दिया करेंगे और क्वालिटी के जो आर्टिस्ट हैं उन्हें हम भेजा करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने गढ़मौरा और मेंहदीपुर वालाजी के लिए निवेदन किया था। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माहिर आजाद जी ने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया कि अकबरी मस्जिद को नैग्लैक्ट किया जा रहा है। इसे अब हम प्रायरटी पर ले लेंगे। ब्रज के बारे में भी विचार किया जाएगा, अरुण सिंहजी। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्र जी ने डैजर्ट क्षेत्र की भी मुझसे बात पूछी थी। उसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड, (ओ.ई.सी.एफ) ने 1986 में जापानीज इण्टरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी से डैजर्ट ट्रायंगल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को कहा था। बीकानेर के डिपार्टमैंट से कुछ इनफोर्मेशन मांगी गई थी जो दस माह पूर्व दे दी गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पोकरण के विस्फोट के बाद जापान थोड़ा चमक गया और कुछ चुप्पी साध गये। माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में जापान को और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर को लिखेंगे कि इसके लिए पुनः बातचीत की जाए। अंत में मैं आप सबका सहयोग चाहती हूं ताकि राजस्थान को भविष्य के...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्री जी, मेवाती कला और संस्कृति को प्रिजर्व करने लिए भी कुछ कहें। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, जो भी माननीय सदस्यों के कट मोशंस आए हैं उनका जवाब भिजवा दिया जाएगा और कोई सुझाव हो तो मुझसे वार्ता कर लें। अंत में मै चाहती हूं कि आप सबका सहयोग रहे ताकि राजस्थान को भविष्य के सुनहरे प्रवेश द्वार तक ले जाने में और राजस्थान की संस्कृति और पुरातत्व को दुनिया के नक्शे में लाने में हम कुछ सफल हो सकें, धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा(सिरोही) : पिछले दो साल में 25 परसेंट देशी सैलानी और 10 परसेंट विदेशी सैलानी...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : हम नये–नये सदस्य हैं, हम अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं, हमें आपका...

श्री सभापति : आपस से बात न करें। (व्यवधान) आपस में बात न करें। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मेरा अधिकार है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी माउंट आबू को कहते हैं और पिछले दो साल में 25 परसेंट देशी सैलानी...(व्यवधान)

श्री सभापति : एक–एक करके, माननीय सदस्य, एक साथ नहीं। (व्यवधान) एक साथ नहीं। माननीय जगमाल सिंह जी।

श्रीमती कमला बृजलाल(सपोटरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मंत्री महोदय ने करौली जिले को बिलकुल ही नैग्लैक्ट कर दिया।

श्री सभापति : प्लीज, मैंने इनका नाम पुकार लिया है, इनके बाद आप पूछ लेना।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने सदन में यह घोषणा कर दी कि अलवर का बालाजी का किला और तिजारा का किला पुरातत्व विभाग से पर्यटन विभाग में आपने ले लिया और आपने सदन में यह घोषणा भी कर दी कि हमने इसको होटल चलाने के लिए ऑफर मांगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने हाउस में ही कहा था, कि इसको लीज पर देना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप क्या चाहते हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : जो मैडम चाहती हैं ओर जो आप चाहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो फिर पूछने की आवश्यकता ही क्या थी आपको ?

श्री जगमाल सिंह यादव : ज्ञानवर्धन हो सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है।

श्री सभापति : आपस में चर्चा न करें, माननीय। आप आसन की तरफ देखकर कहें।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने जो सदन में घोषणा की मंत्री महोदय, यह बता दें कि तिजारा का किला और अलवर का बालाजी का किला आप लीज पर देना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं ?

श्री सभापति : ठीक है, एक सवाल हो गया आपका।

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर सेल करना चाहते हैं तो कितनी पार्टियों की ऑफर आई हैं और क्या–क्या आफर आई है ? तीसरा सवाल यह है कि अगर आपके दिमाग में उचित आफर नहीं आई तो क्या आर.टी.डी. सी. खुद भी चलाने में रुचि रखती है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे करौली जिले को बिलकुल ही छोड़ दिया, न तो मेंहदीपुर बालाजी के लिए कहा, न कैलादेवी का नाम लिया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, सबका एक साथ दे देना।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने जो पूछा है मेरा जवाब दे दें।

श्री सभापति : ठीक है, आपका जवाब आ जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : जवाब दे दें, मंत्री महोदय।

श्री सभापति : आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। (व्यवधान) आ जाएगा आपका भी।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि करौली जिले में कैला देवी, श्रीमहावीर जी और मेंहदीपुर के बालाजी जैसे स्थान हैं उनकी अवहेलना न की जाए। कैलादेवी जहां बहुत दूर–दूर से लोग आते हैं, एम.पी., आगरा सब जगह से आते हैं, आप इनकी अवहेलना न करें और इसके लिए कुछ घोषणा करें।

श्री घासीलाल मेघवाल(केशवरायपाटन) : माननीय सभापति महोदय, मेरे केशवरायपाटन में विश्व प्रसिद्ध केशव भगवान का मंदिर है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया सबके प्रश्नों को लिख रही हैं, सबका उत्तर आएगा। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : चम्बल नदी के किनारे है उसको भी लिया जाए।

श्री जीतमल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बांसवाड़ा व डूंगरपुर में कला और संस्कृति की कई ऐतिहासिक जगह हैं, लेकिन उनके लिए आपके बजट में कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते है। निवेदन नहीं, आप क्या सवाल करना चाहते हैं।

श्री जीतमल : बांसवाड़ा की मानगढ़ की पहाड़ी पर 150 आदिवासी भील, जनजाति के लोग अंग्रेजों के सामने गोलियां खाकर शहीद हुए हैं, वहां पर राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। दूसरा मेरा यह कहना है कि डूंगरपुर में नानाभाई खांट और कालीबाई ने अंग्रेजों की हुकूमत के समय गोलियां खाकर आपने प्राण आंहूत कर दिये थे, उनका भी राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर सात–आठ जिलों के आदिवासियों का महाकुंभ है जहां पर हजारों, लाखों आदिवासी इकट्ठे होते हैं, पर्यटन की दृष्टि से उसको भी आप अपनी नीतियों में लें और हमें आश्वस्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, माउंट आबू जो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, उसकी ओर राज्य सरकार द्वारा बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साढ़े तीन लाख सैलानी पिछले साल की तुलना में माउंट आबू में कम आये हैं वहां पर रोप–वे शुरू करने का काम हैं, पार्किंग का विशेष प्लेस बनाने का प्रस्ताव पहले दिया हुआ है, यह सब व्यवस्था पर्यटन विभाग के माध्यम से करवाई जाए। दूसरा वहां जो शिखर होटल है, बिलकुल थर्ड ग्रेड है। कभी वहां दाल जल जाती हैं, कभी चाय नहीं बनती, दूध जल जाता है। बुरी व्यवस्था का वह शिकार है। ग्रीष्म समारोह गर्मियों में आयोजित करते हैं वह भी थर्ड ग्रेड का आयोजित करते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदया को सुझाव है कि माउंट आबू पर ध्यान दें जिससे पूरा विकास हो सके। वहां लोगों को रोजी रोटी...(व्यवधान)

श्री सभापति : सुझाव, सुझाव, आप पहले क्या लगा दीजिए ऐसा करेंगे। आप सवाल पूछ लीजिए, सुझाव मत दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने तो दिया था, बोलने का मौका नहीं दिया, नहीं तो उस समय ही दे देता, माननीय सभापति महोदय। सुझाव दिए थे कि रोप–वे शुरु करवाएं, वहां पर पार्किंग का सेंटर बनवाए।

श्री सभापति : ठीक है। गुढ़ा से आने वाले...(व्यवधान) मैंने उनका नाम पुकार लिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति महोदय, सदन की महिला सदस्या ने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया था कि लोहार्गल में पाण्डवों की बेड़ी कटी थी लोहार्गल, किरडोली, शाकम्भरी, इनका मैंने भी कहा और माननीय सदस्या ने भी इतना बड़ा रहस्योद्घाटन, किया उनका आप नाम नहीं ले रहीं, नाम भूल रही हैं। कुछ करना चाहती हैं या नहीं ?

श्री सभापति : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भित्ति चित्र कला लुप्त होती जा रही है, आप उनके संरक्षण,संवर्धन के लिए कुछ करेंगी ? दूसरा मैंने सवाल किया था कि चूरू उत्सव में हथियारों की बिक्री हुई क्या आप उसकी जांच करवाएंगी ? तीसरा मैंने सेठानी के जोड़े के लिए कहा था, उसको भी दिखाकर उसका भी सर्वेक्षण करने के लिए कहा है क्या आपने ?

श्रीमती ममता शर्मा(बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगी कि हाड़ौती में सिर्फ बूंदी में एक सुख महल को लेकर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। हाड़ौती क्षेत्र के लिए मैं अपको धन्यवाद दे रही हूं। हाड़ौती क्षेत्र में सब तरह ट्यूरिज्म हैं, चाहे वो पिलग्रिमज हो, ईको हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, तो उसमें

(श्रीमती ममता शर्मा)

एक सर्कट डवलप करना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगी, उन्होंने इस बारे में क्या विचार किया ? केशवरायपाटन का केशव जी का मंदिर सारे विश्व में प्रसिद्ध है और तीर्थ माना जाता हैं वहां तीर्थ यात्री भी बहुत आते हैं, पूर्णिमा में मेला भी भरता है, उसके लिए क्या प्रावधान रखा, मैं यह पूछना चाहती हूं ?

श्री सभापति : बहुत हो गया। आप तो बहुत लंबा कर रही हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगी, बहुत लम्बा नहीं है। कोटा चूंकि ट्रेन से वैल कनैक्टेड है, चाहे दिल्ली से लीजिए या मुम्बई से लीजिए, ट्रेन से ट्यूरिस्ट आराम से वहां आ सकते हैं और दिन भर का ट्यूर करके वापस भी जा सकते हैं, उसके बारे में क्या कर रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी ? (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, जालौर जिला एक...(व्यवधान) जय नारायण व्यास को आजादी के वक्त में बंदी बनाकर जेल में रखा गया था। जालौर जिले के किले की तरफ कभी पर्यटन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान का दूसरा माउंट आबू, सूंडा माता जी के स्थान को पर्यटन स्थान घोषित किया जाए। लाखों–करोड़ों लोग गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और अनेक प्रांतो से आकर...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप व्याख्या मत करिए, ज्यादा सवाल नहीं। माननीय सदस्य, आपके दो सवाल आ गए, नोट कर लिए हैं माननीय मंत्री महोदया ने।

श्री रतनाराम चौधरी : सूंडा माता और जालौर का सोनगिरा किला जहां जयनारायण व्यास जी को बंदी बनाकर रखा गया... (व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह(उनियारा) : सभापति महोदय, राज्य के अंदर ट्यूरिस्ट स्पोट इतने हैं कि उनका सर्वे करा लें। पी.डब्ल्यू.डी., इरिगशन डिपार्टमैंट, आर.एस.ई.बी. डिपार्टमैंट ये सब मिलकर एक सर्वे कराएं और ट्यूरिस्ट स्पोट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर ग्लोबल टेंडर करें तो आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा और ट्यूरिज्म डवलपमैंट के लिए भी आपको लाभ होगा, यह मेरा आपको सुझाव है।

श्री सभापति : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र परीक : हर्ष पर्वत पर।

श्री सभापति : मंत्री महोदया, आपने विभाग का विश्लेषण देकर इसे इतना दिलचस्प बना दिया सदन की जिज्ञासा बढ़ गई। सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया एक या दो सवाल संक्षेप में पूछें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, सीकर में...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी दो मंत्रियों के जवाब आने बाकी हैं और बहुत विस्तृत और विशद् रूप से माननीय मंत्री महोदय ने पर्यटन नीति से...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं आपके सुझाव से सहमत हूं और अपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मंत्री महोदया ने कला, संस्कृति और ट्यूरिज्म पर माननीय सदस्यों की सदन की दिलचस्पी पैदा कर दी उसमें मैं क्या करूं ? यह तो दिलचस्प स्थिति है, इन्हें थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : पहले सीकर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हर्ष को मिनी माउंट आबू के नाम से जाना जाता है अभी पिछले साल ही ट्यूरिज्म डिपार्टमैंट और फोरेस्ट डिपार्टमैंट ने एक समन्वित योजना बनायी और जल को लिफ्ट–अप करके ऊपर पहुंचाने की व्यवस्था की गयी। ट्यूरिस्ट डिपार्टमैंट ने भी वहां पर 40 लाख रुपये खर्च करके भवन बनाया। मेरा निवेदन है कि उस ट्यूरिस्ट डिपार्टमैंट को बने हुए भवन को...(व्यवधान)

श्री सभापति : अब क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : ट्यूरिस्ट डिपार्टमैंट को जानकारी दी, फोरेस्ट डिपार्टमैंट ने उस पर कब्जा कर लिया। क्या मंत्री महोदया इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि इनके द्वारा खर्च किये गये पैसे से जो भवन बना है उसको वापस ट्यूरिज्म डिपार्टमैंट में लेकर उसका विकास किया जाए ? दूसरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सीकर विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री सभापति : उत्तर नहीं आ सकेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सकराय प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सकराय को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनारायण धाकड़।

श्री शिव नारायण(बारां) : हाड़ौती राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाड़ौती के अन्दर रामगढ़, बनखेड़ा, शाही माताजी, कपिल दादा ऐसे स्थान हैं, जो बहुत धार्मिक और अच्छे स्थान हैं, इनको भी इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा, यह मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं ?

श्री कन्हैया लाल : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जयपुर से लगता हुआ जो आमागढ़ पहाड़ है उसके ऊपर एक पुराना राजा–महाराजाओं का महल बना हुआ है और आज भी काफी अच्छी स्थिति में है। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी लिया जाएं। साथ में जयपुर से लगता हुआ खोह गांव पहाड़ों के बीच में, जहां चांडा मीणा का राज था, वहां पहाड़ों के बीच में जिस प्रकार महल बना हुआ है, पर्यटन विभाग उसकी तरफ ध्यान दें तो बहुत ही सुनहरा दृश्य है ऐसे ही जयपुर जिले में नई का नाथ है। अगला मेरा निवेदन है कि

(श्री कन्हैया लाल)

जयपुर ज़िले के गांव लूणियावास में एशिया का प्रसिद्ध, गधों का मेला लगता है, आज तक उस मेले की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप संक्षेप में एक या दो सवाल करें, भाषण नहीं दें।

श्री केसाराम चौधरी(खारची) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत पर्यटन मंत्री का ध्यान विधान सभा क्षेत्र खारची की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र खारची में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो पर्यटन के लिए डवलप किया गया हो। आचार्य भिक्षु स्थल सिरियारी और बायड़ के भैरू, जो अरावली पहाड़ के अन्दर आये हुए हैं, वहां पर राजस्थान का कश्मीर बसा हुआ है, 125 और 135 हाइट के दरख्त हैं जो राजस्थान में और कहीं नहीं पाये जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे स्थान को डवलप किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। दीवान साहब।

श्रीमति सुचित्रा आर्य : सभापति महोदय, मेरी बात भी सुने।

श्री सभापति : ध्यान है मेरा।

श्री माधव सिंह दीवान(सोजत) : सभापति महोदय, बड़े लम्बे समय से अजमेर में एयरपोर्ट की मांग होती रही है। वहां पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह है...

श्रीमती बीना काक : आप बाद में आये हैं, वह मैं बोल गयी। अजमेर का बोल गयी।

श्री माधव सिंह दीवान : अजमेर एयरपोर्ट का नहीं, वह जो एयर स्ट्रिप वाली बात थी उसको पिछली सरकार ने कैन्सिल किया था कि एयर स्ट्रिप से काम चलने वाला नहीं है, वहां एयरपोर्ट बनेगा, तभी होगा। उसके बारे में...

श्रीमती बीना काक : उसके बारे में बोल दिया मैंने पहले।

श्री सभापति : माननीय माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने माननीय पर्यटन मंत्रीजी से अकबरी मस्जिद और पन्ने मियां के कुण्ड की बात की थी, उसके लिए तो कह दिया, धन्यवाद। लेकिन मैंने मेवात की कला और संस्कृति को विकसित करने के लिए भी आपसे बात कही थी, उस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो आर.टी.डी.सी. के गैस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स हैं उनमें क्या आप माननीय विधायकों को और सांसदों को रियायती दर पर ठहरने की और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी विचार रखती हैं ? आप बड़ी उदार हैं, यह बताइये। क्योंकि वहां इतनी ज्यादा रेट ली जाती है कि फोरेन का आदमी आता है वह तो दे दे लेकिन हम... (व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : सही मांग है,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

साहब। सारे माननीय सदस्य इस बात की मांग करते हैं, रियायती दर पर उनको सुविधा उपलब्ध करायी जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य(नोहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे हनुमानगढ़ जिले में नोहर तहसील है जहां गोगामेड़ी के अन्दर गोगाजी का मेला लगता है वह मेला एक महीने तक चलता है और पूरे हिन्दुस्तान के लोग वहां आते हैं। वहां पर्यटन-स्थल बनाना चाहती हैं या नहीं ? क्योंकि मैंने क्वेश्चन लगाया था उसका भी जवाब नहीं आया। क्या चाहती हैं, वह आप मुझे बताने का कष्ट करें।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय रामस्वरूप मीणा जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यह निवेदन है कि जो विधायकों के लिए मांग हुई है, वास्तव में यह मांग सही है। विधायकों को रियायती दर पर उनके यहां ठहरने की व्यवस्था करें। आप तो मंत्री बन गयीं, आपको तो सारी सुविधाएं मिलती हैं। माननीय मंत्री महोदया, हम विधायकों के ठहरने की भी कर दें। दिल्ली भी जाना पड़ता है, जाते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : धन्यवाद। नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : रियायती दर पर व्यवस्था की जाए, यह सारे सदस्यों की मांग है।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदया, कृपया संक्षेप में जवाब दे दें।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय मंत्री महोदया, जो माननीय रामस्वरूप जी ने मांग उठायी है, हरियाणा में और दूसरे प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था है इसलिए यहां भी चुने हुए नुमाइंदे को कम से कम एम.एल.एज. के लेवल पर ठहरने की रियायती दर पर व्यवस्था करवाई जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह सुझाव पहले उन्होंने कह दिया। पहले आ गया।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं उनके समर्थन में ही कह रहा हूं।

श्री सभापति : कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। सवाल के अन्दर समर्थन की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदया।

श्री गोवर्द्धन कल्ला(जैसलमेर) : सभापति महोदय, दायीं तरफ देखिये, एक प्रश्न मुझे स्पेसिफिक कहना है। जैसलमेर अन्तरराष्ट्रीय ट्यूरिस्ट सैंटर बन चुका है...

श्री सभापति : सवाल क्या है आपका, सीधा कहिये। आप भूमिका मत बनाइये, सवाल पूछिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सवाल पूछ रहा हूं मैं। वहां नेशनल डैजर्ट पार्क की नींव रखी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

गयी है, उसको डवलप किया जाए। डैजर्ट ट्यूरिज्म को डवलप किया जाए, उस ओर ध्यान दिया जाए विशेषकर।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती बीना काक : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि दुबारा इतने सुझाव और आये हैं, इसलिए प्रसन्न होकर अपनी खुशी का इजहार मुख्य मंत्रीजी के लिए करना चाहती हूं।

"कद्रे गौहर जानता है कोई शाह या जौहरी, हर वशर ने पाया नहीं मर्तबा पहचान का।"

मुख्य मंत्रीजी ने जो विभाग मुझे दिया जिसके लिए इतने अच्छे सुझाव आये हैं आप सब के मिलकर, उन्हें तो मैं धन्यवाद देती हूं कि यह महकमा मुझे दिया और आप सबके जो सुझाव आये हैं, आप सब मिलकर वित्त मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से विनती कर मुझे और फण्ड दिलवा दें तो जो आप सब की मांगें हैं वे मैं पूरी कर दूंगी। अब एम.एल.एज. के सुझावों को तवज्जोह देने का, अहमियत देने का वक्त आया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि आप यह बना दो, इसमें फण्ड की आवश्यकता नहीं है। हम तो आपसे जो बात कह रहे हैं उसे तो कहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : रियायती दर पर विधायकों को ठहरने की सुविधा दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जिस तरह से टाला है, कैलादेवी का इतना बढ़िया स्थान है उसको तो करना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज शांति से स्थान धारण करें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायकों के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, क्या जो प्रश्न पूछे गये हैं उनमें से एक का भी जवाब माननीय मंत्री महोदया ने दे दिया ?

श्री रामस्वरूप मीणा : न तो आपने करौली जिले के बारे में कुछ कहा और न आपने विधायकों के बारे में कुछ कहा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदया की परफोर्मेन्स बहुत बढ़िया है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये हैं...

श्री सभापति : आप मंत्री महोदया की तारीफ में ज्यादा कसीदे नहीं कहें, विराजिये आप। शांति धारण करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर अलाउ क्यों किया ? (व्यवधान) जवाब नहीं दें तो फिर आपने हमको अलाउ क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : विधायकों के लिए रियायती दर पर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गयी है, उसको इन्होंने टाल दिया। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : विधायकों के बारे में विचार करें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : रियायती दर पर देने के बारे में विचार करें। वैसे ही खाली पड़े रहते हैं आर.टी.डी.सी. के। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने अलाउ कर दिया, माननीय सदस्यों ने प्रश्न पुछ लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : खाली पड़े रहते हैं वे, कोई उनमें ठहरता भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : और माननीय मंत्रीजी ने बात आयी गयी कर दी। अलाउ नहीं करना चाहिए था।

श्री सभापति : आप अब मेरी बात भी सुनिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूं...

श्री सभापति : मैं वैधानिक प्रक्रिया बता रहा हूं, आप विराजिये। आपने प्रश्न किये, मैंने आपको अनुमति दी। मंत्री महोदया ने उनके उत्तर दे दिये। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : कहां दिये ? एक का भी जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये आप। मैं मंत्री महोदया को या राज्य सरकार को जैसा आप उत्तर चाहते हैं वैसा उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता। उन्होंने अपना उत्तर दे दिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक का भी उत्तर नहीं दिया। एक का भी उत्तर दिया हो तो आप प्रोसीडिंग दिखवा लीजिये। फिर हमको अलाउ क्यों किया ?

श्री सभापति : विराजिये। डाक्टर जितेन्द्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : विधायकों को रियायती दर पर ठहरने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम आसन को सहयोग कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : यह तो होने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, आप विधायकों को रियायती दर पर सुविधा दिला दीजिये। (व्यवधान) सारे विधायकों की मांग है मंत्री महोदया, सारे विधायक चाहते हैं।

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : एनाउंसमैंट कर रही हैं तो कहने दें उनको।

श्री रामस्वरूप मीणा : घोषणा करिये कि माननीय विधायकों को अब रियायती दर पर दी जाएगी। कितनी रियायत दी जाएगी यह भी बताइये। माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि कितनी रियायत दे रहीं हैं आप विधायकों के लिए ? (व्यवधान) सारे विधायक इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप रियायती दर पर उनके ठहरने की सुविधा दें। वैसे भी खाली पड़े रहते हैं वे। कभी कभी विधायकों का काम पड़ता है। इसमें आप क्यों कंजूसी बरत रही हैं। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या बात हो गयी ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं रख सकतीं तो फिर दूसरों का क्या ध्यान रखेंगी ?

श्री सभापति : विराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : जब हमने रिक्वैस्ट कर दी तो इसके ऊपर आपको कुछ न कुछ व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदय, मैं शकधर के पेज 603 की दो लाइन पढ़ना चाहता हूं, वे दो लाइन आपकी व्यवस्था को सपोर्ट करती हैं। वे दो लाइन हैं सभापति महोदय, कटमोशन की – "Nor does it bestow a right on any member to insist on moving his cutmotions."यह व्यवस्था है। आपके उत्तर आ गये हैं, इतने सुन्दर रूप में दिये हैं। दो मंत्री और बोलने वाले है। यह रूलिंग है।

मोहम्मद माहिर आजाद : कट मोशन नहीं हैं, ये क्वेश्चन हैं। कट मोशन पर थोड़े ही दे रहे हैं ? जो मंत्रीजी ने जवाब दिया उस पर सवाल पूछे, उनका जवाब मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सारे विधायक चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : सभापति महोदय, यह मेरा राइट है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आप जवाब दे दें, हम संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर तो मैंने उठाया है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये।

श्री जगत सिंह दायमा : यह हमारा कंठ मोशन है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है, आसन को जो मार्ग दर्शन दिया वह बिलकुल उचित है, वह संसदीय परम्पराओं के अनुकूल हैं। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है...

श्री जगत सिंह दायमा : ...और यह हमारा विशेष अधिकार मोशन है।

श्री सभापति : आप बैठिये एक बार, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, बैठ रहे हैं, इसमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : आप बैठिये, आपकी नहीं चलेगी। आपकी अकेले की नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें कोई बात ही ऐसी नहीं है कि आप लड़ें। इसमें लड़ने की क्या जरूरत है ? (व्यवधान) वे जवाब दे रही हैं।

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...बिलकुल खतम कर दिया, मंत्री महोदया खड़ी हो गई जवाब देने के लिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, या तो आप हमको सवाल पूछने का अवसर ही नहीं देते। स्वयं की व्यवस्था को बदल रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ....किसी के दबाव में आकर, यह तरीका ठीक नहीं है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी तो आपने हमको अलाउ क्यों किया ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने अलाउ कर दिया था मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, आपने अलाउ कर दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी खड़ी हो गई जवाब देने के लिए, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया और आप वापस कह रहे हैं कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी आप फरमा रही हैं क्या ? मंत्री महोदया, आप कुछ कहना चाहती हैं क्या ? (व्यवधान) आप और अधिक फरमाना चाहती हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जवाब दे रही हैं, हां, वे दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : तो फिर क्यों हाथ उठा रही हैं आप ? कोई उत्तर नहीं आ रहा है, दे दिया जवाब। बैठिये आप। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, वे दे रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीया मंत्रीजी खड़ी हो गई जवाब देने के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये आप। जरूरत से ज्यादा नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : जरूरत से ज्यादा की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, विराजिये। बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने अलाउ कर दिया, वे खड़ी हो गई थीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप हमको इस तरह से नहीं कर सकते।

श्री सभापति : बैठिये आप। बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) नांट अलाउड। (व्यवधान) बैठिये, बैठिये। अब जरूरत से ज्यादा नहीं। उच्च शिक्षा मंत्री। बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जोर से जवाब देकर आप हमको रोक नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सदन के नियमों के अन्तर्गत हम कुछ पूछ रहे थे...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठने की बात नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमको जनता ने अधिकार देकर भेजा हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : यह हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई अधिकार नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : आप जवाब दे रही हैं, मंत्रीजी बोलना चाहती हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये। विराजिये, विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपका संरक्षण चाहिये और...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...मंत्रीजी जवाब देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी जवाब दे रही हैं।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें आपका प्रोटैक्शन चाहिए, आपसे संरक्षण चाहिए और आप हमको मौका ही नहीं देना चाहते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़ी हुई हैं। ये बार–बार पूछकर ...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह तो हमारा अधिकार हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ ?

श्री जगमाल सिंह यादव : आसन से तो संरक्षण चाहिए, बल्कि यह अपेक्षा कर रहे हैं कि आसन हमारे हकों की रक्षा करेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : आप आसन को डिक्टेट नहीं कर सकते, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : डिक्टेट नहीं कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा विशेषाधिकार है।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जगत सिंह दायमा : हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, हम आपसे संरक्षण मांग रहे हैं, हम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हम निवेदन कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने अलाउ कर दिया था, मंत्री महोदया जवाब देने के लिए खड़ी हो गई थीं। उसके बाद में आप दुबारा पूछ रहे हैं आप जवाब देना चाहती हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम रिक्वैस्ट कर रहे हैं आपसे, रिक्वैस्ट।

श्री सभापति : मैं क्या पूछना चाहता हूं क्या नहीं, आप मुझे गाइड नहीं कर सकते।

श्री जगमाल सिंह : इसका मतलब यह हुआ कि...

श्री सभापति : आप बैठिये। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप संरक्षण करें हमारा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्रीजी का जवाब सुनने ही नहीं दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठ जाएं आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा बोलने का अधिकार है, माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है, वे चाहे जो बोल सकते हैं।

श्री सभापति : माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका मतलब हुआ कि मंत्रीजी,...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आसन को इतना कठोर नहीं होना चाहिए, आसन को पोलाइट होना चाहिए।

श्री सभापति : सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया दो मिनट में अपनी बात कह देंगी। फिर हमें सवाल पूछने का मौका ही क्यों दिया ? (व्यवधान)

श्री सभापति : वह दे दिया मैंने। (व्यवधान) सुनिये आप।

डा. जितेन्द्र सिंह(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय सभापति महोदय, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है कला, संस्कृति और शिक्षा...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : स्वयं मंत्रीजी जवाब देने के लिए खड़ी हो गई थीं...

श्री जगमाल सिंह यादव : इनको आप सुन तो लें, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिये एक बार। भाई जगमालसिंह जी, बैठिये। आप तीनों वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : वरिष्ठ हैं पर

(श्री जगत सिंह दायमा)

आसन से निवेदन तो कर दें, आपसे।

श्री सभापति : आप सुनिये, बात सुनिये। (व्यवधान) आप बात सुनिये। आप तीनों वरिष्ठ सदस्य हैं, अनुभवी हैं और...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें कौनसी गलत बात कह दी, साहब ?

श्री सभापति : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मार्गदर्शन दिया है सदन को, आपको और आसन को, वह एक संसदीय परम्परा के अनुकूल है। उन्होंने जो कोटेशन दिया है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिये, नम्बर एक। नम्बर दो यह है कि माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर दे दिया है और अधिक वे कुछ बोलना नहीं चाहती हैं। (व्यवधान) सुनिये आप, बात सुनिये आप। वे और कुछ कहना नहीं चाहती हैं, मैं सरकार को अपनी इच्छा के अनुकूल उत्तर दिलाने के लिए विवश नहीं कर सकता। उनके पास जो उत्तर होगा वही दिया जाएगा। सुनिये आप, जो बात उनको कहनी थी कह दी, आप इस तरह विघ्न पैदा नहीं करें। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी जितेन्द्र सिंह जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कुछ तो करें, माननीय सभापति महोदय।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम यह नहीं कहते कि हमारे अनुकूल उत्तर आए। हमारे खिलाफ उत्तर आ जाए लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा मंत्रीजी को। हमारे खिलाफ दें, हम यह नहीं कहते कि हमारे हक में उत्तर दें। आपने हमको प्रश्न पूछने के लिए अलाउ कर दिया, हमने प्रश्न पूछ लिये और आप कहते हैं मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जब मंत्री महोदया ने जवाब दे दिया, आपने हमको अलाउ क्यों किया ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, आप जो यह कह रहे हैं कि बैठ जाओ +++ नहीं है। हम चाहे संख्या में 14 हों लेकिन सदन चलाने के लिए आपको हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, अधिकारों का संरक्षण रखना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इस तरह से धमकी नहीं दे सकते, आप आसन को डिक्टेट भी नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आसन को धमकी नहीं दे सकते और मदन दिलावर तो आप हो ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजिये। ...(व्यवधान) विराजिये, आप विराजिये। माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा ही विशेष अधिकार है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे बहुत अधिकार हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपके अधिकारों के ऊपर कोई चुनौती नहीं देता हूं, आपके बहुत अधिकार हैं और...

श्री जगत सिंह दायमा : वह बोल रहे हैं हम। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी क्या ताकत है, वह मुझे मालूम है, आसन को मालूम है लेकिन आसन को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप कृपया शांति धारण करें। डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम आसन से निवेदन कर रहे हैं, डिक्टेट नहीं कर रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : हम रिक्वैस्ट कर रहे हैं। माननीय पर्यटन मंत्रीजी कुछ कहना चाहती हैं, आप उनसे पूछ तो लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनसे एक बार और पूछ लें, इतना तो आप कर ही सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : कुछ बोल रही थीं, आपने उनको रोक दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतना पूछने में तो कोई आपत्ति नहीं है, आप उनसे एक बार और पूछ लें कि वे हमारे सवालों का जवाब देना चाहती हैं क्या। इतना तो पूछ लीजिये।

श्री सभापति : आप विराजिये। सुनना चाहते हैं तो आप विराजिये। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, सवाल इसका नहीं है कि हमारे हक में उत्तर दें और सवाल इसका भी नहीं है कि क्या कहेंगी। सवाल तो यह है कि आपने हमको पूछने के लिए अलाउ किया और मंत्री महोदया जवाब दे दें, चाहे हमारे खिलाफ दे दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई जरूरी नहीं है।

श्री सभापति : मंत्री महोदया ने जवाब दे दिया, स्थान ग्रहण करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : कब दे दिया ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, ने जवाब दे दिया और यह रिकार्ड के ऊपर हैं, और अधिक वे कुछ नहीं बोलना चाहतीं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, कब दे दिया ? सभापति महोदय, इतना कठोर मत बनिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : इसका मतलब हुआ कि मंत्रीजी का रिप्लाई आया तो फिर हम सवाल नहीं पूछ सकते। तो हम जाएं अपने घर ?

श्री सभापति : यह आपकी इच्छा पर है, आप बैठिये। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि

(श्री सभापति)

आप विराजिये और आपकी इच्छा है कि हम जाएं घर तो मैं आपको रोकता नहीं हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, आसन के प्रति मेरा आदर है लेकिन +++ आप जो कह रहे हैं कि मैं रोकता नहीं, सभापति महोदय, +++ मैं आसन का सम्मान करता हूं, उसको फोलो करूंगा, लेकिन यह कोई आपके रिमार्क्स हैं कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ ही माननीय सदस्य हैं सदन के अन्दर जो वरिष्ठ लोग हैं और उनकी मैं जितनी इज्जत करता हूं, उतनी ही आपकी करता हूं मुझे पर्सनली आपके प्रति अफैक्शन है लेकिन आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं इसमें आपके नम्बर नहीं बढ़ रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह क्या पैमाना है कि मैं जरूरत से ज्यादा कर रहा हूं ?

श्री सभापति : हां, ज्यादा कर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, मेरे अधिकार हैं। उसके लिए ही हम आते हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, आपके अधिकारों की कोई सीमा नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपने क्यों अलाउ कर दिया ?

श्री सभापति : आपके मनमाने अधिकार आपको नहीं मिल सकते।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरे मनमाने नहीं हैं।

श्री सभापति : चाहे मैं रहूं या और कोई रहे।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मेरे मनमाने अधिकार नहीं हैं और न मैं चाहता हूं, यह व्यवस्था का प्रश्न हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन से व्यवस्था हो गई कि आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाटी ने उठाया और उनके पाइंट आफ आर्डर से मैं सहमत हूं। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी बुद्धिमता पर हमको शक नहीं है। आप प्रकांड विद्वान आदमी हैं, आपकी हम कद्र करते हैं। आपकी बुद्धि पर और आपकी अक्लमंदी पर हमको शक नहीं है, हम आपका सम्मान करते हैं और जानते हैं कि सदन में आपसे ज्यादा कोई बुद्धिमान आदमी नहीं है।

श्री सभापति : आप विराजिये, आसन निर्षिवाद बुद्धिमान है। इस पर कौन बैठता हैं, वह बात नहीं हैं, आसन आसन हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : हम कह रहे हैं अपनी बात।

श्री सभापति : आप विराजिये, विराजिये आप। आप कृपा करो। आपका बहुत हो गया। डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : लिखित में जवाब भेज देंगे क्या ?

श्री सभापति : लिखित में आ जाएगा आपके पास।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी से पूछ लें कि क्या लिखित में जवाब दे देंगी ? कुछ तो कहें।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया, आज जितने प्रश्न उन्होंने किये हैं उनके आप लिखित में उत्तर भिजवा दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपकी यह रूलिंग भी +++ यह तो कोई सिस्टम नहीं है कि लिखित में उत्तर भिजवा दीजिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आज इस मुकद्दस सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है शिक्षा, कला और संस्कृति। वे दोनों हिन्दुस्तान की विरासत हैं और उसमें उच्च शिक्षा का अपना महत्व है। राजस्थान का उच्च शिक्षा में अपना स्थान रहा है और देश–विदेश में चाहे बैंगलौर के अन्दर इण्डियन सैटेलाइट रिसर्च ओर्गेनाइजेशन हो चाहे विदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान के स्कोलर्स ने अपना स्थान प्रूव किया है। सभापति महोदय, वर्षों बाद उच्च शिक्षा को सबसे बड़ा बजट मिला है जो 213 करोड़ रुपये है, जनजाति कालेजेज के लिए 5.89 करोड़ का अलग से प्रावधान है। अभी तक पिछले वर्षों में आये बजट में सर्वाधिक बजट उच्च शिक्षा को दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पहली बार राजस्थान को 190 लाख रुपये दिये हैं। ये विशेष प्रयास के अन्तर्गत दिये गये हैं इसी वर्ष जबकि गत पांच वर्षों में यू.जी.सी. ने राजस्थान को मात्र 72.23 लाख रुपये दिये थे। यह अपने आपमें एक बहुत अहम मुद्दा है और उससे हमारी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज की लैबोरेट्री और उनके पुस्तकालय भवन के लिए एक एडिशनल मद में मदद रहेगी। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए नये राजकीय कालेज खोले जाएंगे। इसके अन्तर्गत 1999–2000 में 14 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी। सभापति महोदय, Mother is the nursery of the education. मां की गोद से बच्चा शिक्षा सीखता है सबसे पहले। इसलिए पहली बार राजस्थान के अंदर चार महिला महाविद्यालय दिये जा रहे हैं।

महोदय, मैंने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में 27–28 जिलों का दौरा इसलिए किया था इस कि इस समय सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के कालेजेज इफैक्टेड हैं। उनके अंदर जो सब्जैक्ट होने चाहिए वह नहीं है। आज गांव के लड़के को अगर आई.ए.एस. करना होगा, पी.एम.टी., पी.ई.टी. करनी होगी, कुछ भी करना होगा, कई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर सब्जैक्ट ही नहीं हैं। पहली बार राज्य सरकार ने एक

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

प्लान बनाया है जिसमें राज्य के 32 जिलों के ऊपर तीनों संकाय किये जाएंगे। इसमें आल द थ्री सब्जैक्ट होंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लड़के को दर–दर भटकना नहीं पड़े जयपुर अजमेर जैसे बड़े शहरों के अंदर।

सभापति महोदय, कोटा और अजमेर डिवीज़न में अगर जन सहयोग से वे अपनी व्यवस्था करा देते हैं तो वहां पर भी कालेज खोले जा रहे हैं। कई माननीय सदस्यगण ने राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के क्रम में अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। सभापति महोदय, आज The condition of Budget is very bad. द्वितीय महायुद्ध में जब जर्मनी पराभव की ओर था तो एडोल्फ हिटलर ने अपने जनरल गोरिंग से पूछा था कि "General, what is the condition of our army ? " जनरल गोरिंग ने कहा कि "Sir, we are losing in Leningrad. We are losing in France. Any time, fall of Berlin is due." तो फ्यूरर ने कहा था, "Blow all the institutions, factories and the developed places of Berlin." So the debt of Rs. 23,000 crores denotes that it is a desert at Berlin. इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है। आज जो विकास के काम सरकार को करने चाहिए या जो भी माननीय सदस्यों ने मांगें रखी हैं उनकी बड़ी अहमियत है। मैंने गांवों में जा–जा कर देखा है कि जहां कालेज होने चाहिए वहां नहीं हैं। उनकी जायज मांगें हैं। सभापति महोदय, सदस्यगण की मांगों को देखते हुए महाविद्यालय खोलने के लिए यदि कोई दानदाता या स्वयंसेवी ट्रस्ट उन स्थानों पर आते हैं, वे बिल्डिंग बना कर देते हैं और गर्ल्स कालेज के लिए एस्टीमेटेड एक साल का ख़र्चा देते हैं या को–एजुकेशनल कालेज के लिए तीन साल का खर्चा देते हैं तो राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन स्थानों पर कालेज खोलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो स्कूल बेच रहे थे और आप कालेज बेच रहे हो। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल : आप एक भी खोल देते...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, जहां बड़े–बड़े कालेज हैं जैसे भरतपुर और कोटा और एक अजमेर, कोटा में तो आलरेडी है, वहां की स्ट्रैंथ पांच हजार से ऊपर तकरीबन जा चुकी और वहां पर प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि कालेज वहां पर चलाये जाने की स्थिति हो, इसलिए उन दोनों स्थानों भरतपुर और अजमेर में एक एक्स्ट्रा कालेज खोलने का प्रोविज़न किया गया है राज्य सरकार द्वारा।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर में छह हजार की है बच्चों की स्ट्रैंथ।

डा. जितेन्द्र सिंह : इसी आधार पर नैक्स्ट

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बजट में जहां इस तरह की स्थिति होगी वहां राज्य सरकार निश्चित रूप से स्प्लिट कालेज खोलेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर में छह हजार की स्ट्रैंथ हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : श्रीमान, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे। (व्यवधान) राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सब्जैक्ट्स की कमी है इसको देखते हुए पंद्रह नये सब्जैक्ट्स शुरू किये जा रहे हैं। नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जहां उर्दू की क्लासेज हैं, टैन प्लस टू है, वहां कालेज होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इन पंद्रह सब्जैक्ट्स में उर्दू को महरूम नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने सब्जैक्ट्स की मांग की है, तो प्राथमिकता के आधार पर पंद्रह सब्जैक्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने हैं और उनकी अपनी प्रायोरिटी के अनुसार गंगानगर को भी अंदर वरीयता पर रखा जाएगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : हमारे जिन सब्जैक्टस पर बोला हूं सारे दोबारा बोलूं ?

श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : माननीय मंत्रीजी हमारे यहां पधारे थे और आपने हमारे कालेज की...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह : नहीं, वह आप दे दें मुझे लिख कर। (व्यवधान) पंद्रह सब्जैक्ट्स हैं। सर, सब्जैक्ट जरूर दूंगा, सब्जेक्ट के लिए मैं मना नहीं कर रहा, निश्चित दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, सब के आश्वासन को विचार करने का आश्वासन दे दें। अगर मांग स्वीकार करना शुरू कर दिया तो आपके मुश्किल हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : पहले आओ पहले पाओ।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, नये संकाय खोलने में क्योंकि बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है इसलिए नई क्लासेज खोलने के बारे में, कोई नया सब्जैक्ट खोलने के बारे में एक योजना प्रारूप तैयार किया गया है। जो लोग साइंस खोलना चाहते हैं अपने कालेज के अंदर, निश्चित रूप से वे उसके लिए अपने फाइनेंसेज देंगे तीन वर्ष के लिए यू. जी. क्लासेज के लिए और पी.जी. के लिए दो वर्ष के लिए, तो वहां पर सब्जैक्ट खोले जाएंगे साइंस और डिफरेंट सब्जैक्ट्स। महोदय, कई सदस्यों द्वारा अपने कालेज में विधि संकाय प्रारम्भ करने का मेरे पास कटमोशंस में आया है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए अपने मापदण्ड बना रखे हैं। उसके तहत जहां पर ला क्लासेज या ला कालेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वहां के स्थानीय लोगों को बिल्डिंग प्रोवाइड करनी होगी, बाकी सारा स्टाफ सरकार देगी। They want a different college building for that.

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय अलवर गये थे (व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में नहीं, माननीय सदस्य, पहले मंत्री महोदय, का उसके बाद आप।

श्री जगत सिंह दायमा : विधि संकाय के लिए एक कालेज खोलने की बात थी।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को पहले सुनना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, किसी माननीय सदस्य का बीच में आप कोई उत्तर नहीं दें।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी, बड़ा ज्ञान दे रहे हैं हमको, हम भी इज्जत कर रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, इस समय सबसे बड़ी समस्या यह हो रही हैं कि छात्रों को गांवों के अंदर एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, छात्र संख्या इतनी अधिक हो गई है। छात्रों की एडमिशन की प्रॉब्लम है इसलिए सरकार ने सौ नये सैक्शन खोलने की घोषणा की है छह हजार छात्रों के उसके अंदर दाखिला मिलेगा। सभापति महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना ग्रामीण छात्रों के साथ यह है कि उनको गांव से अपनी पी.एम.टी., पी.ई.टी., एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ट्रेनिंग के लिए शहर आना पड़ता है। सभापति महोदय, The God has given the grey matter to everybody the same. भगवान ने सबको एक अपना ग्रे मैटर दिया है which denotes the inteligence. कालिदास जी निपट मूर्ख थे, उन्होंने "अभिज्ञान शाकुन्तलम् और मेघदूत" लिखा, It was the atmosphere made him like this. आज गांव से आने वाले विद्यार्थी के पास टेलेन्ट की कमी नहीं हैं। जिस छात्र ने गत बार आई.ए.एस. को टॉप किया वह मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक बीस घरों की ढाणी चारावास का लड़का था। उसने आई.ए.एस. में टॉप किया। आज ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लड़कों के साथ विडम्बना यह है कि वे 20–20 हजार रुपये कोचिंग क्लासेज के लिए नहीं दे सकते, नहीं खर्च कर सकते। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोचिंग कहां होती है, उनको गलियों का ही पता नहीं उनकी इसलिए, सभापति महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि अगर जिला हैडक्वार्टर के ऊपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आई.पी.एस. (प्रिलिम), आर.ए.एस. और आर.जे.एस., पी.एम.टी., पी.ईटी. की क्लास इसी सत्र से प्रारम्भ की जाएगी। यह सैल्फ फाइनैंस बेसिस पर है और सैल्फ फाइनेंस बेसिस पर इतना–सा अमाउन्ट है, एक हजार, दो हजार के बीच का हमने स्टैण्डर्ड रखा है जो कोई भी छात्र दे सकता है, जबकि 20 हजार रुपये दूसरी जगह लगते हैं। यह हर डिस्ट्रिक्स हैडक्वार्टर पर प्रारम्भ की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक हजार, दो हजार पर मन्थ या पूरा ही ?

डा. जितेन्द्र सिंह : No, Sir, the complete package course. It is a

(डा. जितेन्द्र सिंह)

complete package course of 1,000 to 2,000. आई.ए.एस., आर.ए.एस., आई.पी. एस. के लिए कम्प्लीट कोर्स का पैकेज होगा।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, आपके आदेश की अवहेलना हुई है, बीच में मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। सभापति महोदय, अब यह बताइये कि यह कौन–सी व्यवस्था आई हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : ...(व्यवधान) श्रीमान् मैंने तो सूचना दी हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : आप भेदभाव रखते हैं। इसका मतलब फिर में यह आसन से उम्मीद रखूं ? नहीं, बताइये, अब, यह भेदभाव है या नहीं ? मतलब वही बात कर रहे हैं कि मनुवादी का तो कर दिया जाएगा और बहुत–सों का नहीं किया जाएगा। आप गम्भीर मुद्रा में बैठे हैं, हमारे लिये अब नहीं बोल रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : महोदय, राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्थिति निःसंदेह एक विचारणीय प्रश्न है। सम्माननीय हिज एक्सीलैंसी और सभी जो वाइस चांसलर थे उनके द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी और विश्वविद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाई पॉवर कमेटी बना रखी है जो इस बात पर विचार कर रही हैं कि विश्वविद्यालयों की स्थिति में गुणात्मक सुधार किस तरह से किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आज अजमेर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि बीकानेर से लेकर तकरीबन कोटा तक टच करती है, 170 से ज्यादा कालेजेज हैं, बाकी Kota University is a just like a ball. दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में तो दुबारा से सरकार यह निर्णय कर रही है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, राजस्थान, कोटा, और अजमेर इनका जो परिसीमन है उसकी दुबारा से डिवीजन किया जाए ताकि कोटा के कालेज के लड़कों को दूर नहीं जाना पड़े और बीकानेर के कालेज के लड़कों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इस तरह से हमने विभाजन किया है।

सभापति महोदय, लैक्चरर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कालेजेज में सब्जैक्ट इतने हैं और लैक्चरर्स की बहुत कमी है, यह देखते हुए राज्य सरकार 443 नवीन लैक्चरर्स के पद सृजित करने जा रही है ताकि कालेजेज के अंदर प्रोपर लैक्चरर्स हों और उसमें प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। आज शिक्षक के प्रति सरकार बहुत ज्यादा जागरूक है। शिक्षक जब तक वैल पैड नहीं होगा तब तक वह अपने छात्रों को ढंग से नहीं पढ़ा सकता। सभापति महोदय, आप तो स्वयं उस जिले से आते हैं जहां से मैं रिप्रजैन्ट करता हूं। एक कहावत है शेखावाटी में कि बिरला जी पहले सब प्राइमरी स्कूलें चलाया करते थे और पण्डित जी महाराज चटशाला की सारी कक्षाएं लिया करते थे। तो पण्डित जी अंग्रेजी पढ़ा रहे थे तब घनश्याम दास जी पहुंचे, कहावत है, जी आई आर एल ग्रिल ग्रिल माने लड़की। बिरला जी बाहर सुन रहे थे, स्तब्ध रह गये। ज्यों ही कक्षा समाप्त

(डा. जितेन्द्र सिंह)

हुई, बिरला जी ने पण्डित जी से कहा कि पण्डित जी महाराज, जी आई आर एल ग्रिल कोनी होवे, गर्ल हुया करे। तो पण्डित जी बोले सेठां 10 रुपये में तो ग्रिल ही होवेगी। सभापति महोदय, उन्होंने अपनी व्यथा कहीं। वह एक शिक्षक की व्यथा थी। बहुत वर्षों की बात है। अगर शिक्षक इस बात के लिए मजबूर होगा कि खाने के लिए उसके बच्चों के लिए दाने भी नहीं होगे तो वह क्या पढ़ाएगा नैक्स्ट जनरेशन को ? सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने पहली बार राजस्थान में सारी लैक्चरर्स, प्रोफेसर्स और सबके लिए यू.जी.सी. वेतनमान लागू किया है जो कि अपने–आप में वैल पेड है। उनकी सैलेरी इतनी अच्छी कर दी गई है कि मैं नहीं समझता कि उन लोगों को कोई कोचिंग करने की जरूरत हो या एक्स्ट्रा क्लासेज लेने की जरूरत हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने प्राथमिक शिक्षा में जो किया है 12 सौ रुपये वाला मामला, वह 12 सौ रुपये में तो ग्रिल ही पढ़ाया जाएगा।

डा. जितेन्द्र सिंह : श्रीमान्, मैंने उदाहरण दिया है। कम से कम उच्च शिक्षा को तो सुधारा है।

श्री सभापति : सी.पी. जोशी साहब को (व्यवधान) आपके साथ में है।

श्री राजेन्द्र पारीक : 12 सौ रुपये में तो गर्ल नहीं पढ़ाया जा सकता, ग्रिल ही पढ़ाया जाएगा।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आठवीं क्लास के लड़कों को और क्या दिलाओगे आप ?

एक माननीय सदस्य : आठवीं क्लास के लड़के भी यही पढाएंगे, साहब।

श्री जगत सिंह दायमा : पारीक साहब, आप तो राजी हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं, तब आप भी राजी हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मनुवादी व्यवस्था है।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए सभी साथियों का सहयोग आवश्यक है और अगर इस बार भी उच्च शिक्षा में यह सरकार नहीं कर सके तो It will be a curse on the next generation सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, बहुत लम्बा समय हो गया है... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप आपनी पार्टी वालों को समझाइये। आर्डर प्लीज। हां, बोलिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ...(व्यवधान) अब आप मुस्करा दिये। मैं मेरे क्षेत्र का एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप जब अलवर पधारे थे तब आपने घोषणा की थी कि अलवर में मैं विधि कालेज खोल सकता

(श्री जगत सिंह दायमा)

हूं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपने कहा था कि मैं अलवर में विधि कालेज खोलने के लिए तैयार हूं अगर प्रोफेसर्स या किसी भी वित्तीय सहायता की सरकार से मांग न की जाए। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अलवर में न आपसे प्रोफेसर मांगते न...(व्यवधान)

श्री सभापति : देखिये, आप फिर नाराज होंगे। माननीय सदस्य, आप भाषण नहीं देंगे। आर्डर प्लीज। आप प्रश्न पूछिये और आप उधर देखने की चेष्टा मत करिये। आप प्रश्न कीजिये सीधा।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, सर मैं आपसे ही कह रहा हूं। जो आप अलवर मैं घोषणा करके आये थे उसमें पूरी तरीके से हम बिल्डिंग देने के लिए तैयार हैं, कोई प्रोफेसर हम नया लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं तो क्या आप कालेज खोलने के लिए तैयार हैं ? आपसे एक पैसे की भी हम मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौनसी वजह है राजस्थान के सब जिला हैडक्वार्टर पर कालेज और झुंझुनूं जिले में नही दिया जा रहा है ? घर के पूत कुंवारे डोलें और पड़ौसी के फेरे हो रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान में एक जिला मुख्यालय भी ऐसा है जिसमें कालेज नहीं हैं, इसके कारण क्या हैं ? आप खोलेंगे नहीं, मुझे पत है लेकिन हमको संतोष तो दिलवाइये कि क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

श्री सभापति : झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, वैसे प्रश्न तो पूछ लिया गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी आपकी मार्फत कि, आखिर क्या कारण है, कि अकेला जिला झुंझुनूं ही ऐसा मुख्यालय है जहां पर आज भी एक भी राजकीय कालेज नहीं है उसके बारे में आपने अपने भाषण में किसी भी प्रकार का न कोई आश्वासन दिया और न कोई प्रकार का दिलासा हमें दिलाया।

दूसरा मेरा एक प्रश्न और है, वह यह है कि आपने सब जिला मुख्यालयों पर आई.ए एस., आई.पी.एस. और इनको ट्यूशन देने की बात कही, कौन देगा यह ट्यूशन, उसके बारे में बजट में तो कोई प्रोविजन नहीं हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : सैल्फ फाइनेंस हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, कौन देगा ? कौन ट्यूशन देगा उनको ? कहां से बिल्डिंग आएगी ? कौन ट्यूशन देगा, कितने उसके ऊपर प्रोफेसर्स होंगे, उसके बारे में तो कहीं कोई बजट में प्रोविजन है नहीं, तो कृपया यह भी बता दें। सब स्पष्ट करें।

श्री सभापति : नैक्स्ट।

(20.00 बजे)

श्री शंकर लाल अहारी : माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर सीमलवाड़ा में कालेज खोलने के लिये बराबर मांग उठती रही है, वैसे माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी डूंगरपुर जिले के प्रभारी भी हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी सीमलवाड़ा कालेज खोलने के लिये घोषणा करेंगे। धन्यवाद।

डा. के.सी. चौधरी : सभापति महोदय, मंत्रीजी ब्यावर पधारे थे और ब्यावर में एक सार्वजनिक घोषणा हुई थी कि अगले सत्र से ला क्लासेज होगी। ब्यावर पी. जी. कालेज बहुत पुराना कालेज है राजस्थान का, बिल्डिंग कम्पोनेंट वहां सफिसिएंट है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्डिंग का सर्वे करा लें, अगर बिल्डिंग पूरी पाई जाए तो मेहरबानी करके अगले सैशन से वहां लां क्लासेज शुरू करवा दें। बिल्डिंग का आप सर्वे करवा लें, बिल्डिंग हमारे पास एक्स्ट्रा बनी पड़ी है। ला क्लासेज आप अगले सैशन से शुरू करवा दें, यह मेरी आपसे विनती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, यदि आप इस तरीक से सबको अलाउ करेंगे तो फिर मंत्रीजी भूल जाएंगे। हमने जो प्रश्न उठाया है उसका जवाब पहले आ जाए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय लिख रहे हैं आपकी बात को और आप वाली बात तो वे भूल ही नहीं सकते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं धरने पर बैठूंगी, मैंने कह दिया आपसे।

श्री सभापति : आपकी बात को मंत्री महोदय नहीं भूलेंगे। वे रोज झुंझुनूं जाते हैं, कैसे भूल जाएंगे ?

श्री ललित भाटी(अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : रानीवाड़ा में एक कालेज दे दी जाए। जो एग्रीकल्चर कालेज रानीवाड़ा में है वहां कोई सुविधा नहीं हैं। वहां किसान और गरीब लोग रहते हैं। अभी भी जो हमारे...(व्यवधान)

श्री सभापति : रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण अंकित नहीं किया जाए। रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मेरी बिना अनुमति के उसको अंकित नहीं किया जाए।

श्री रतनाराम चौधरी : XXX

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। भाजपा राज में जो शिक्षा प्रबन्धन उस सरकार का था, प्रदेश के युवाओं के सामने निशान्त भारद्वाज आया। अब जब राज बदला है, लोगों की, युवाओं की अपेक्षाएं इस सरकार के साथ बढ़ी हैं।

श्री सभापति : आप प्रश्न बोलिए।

श्री ललित भाटी : शिक्षा मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों की जो हालत खराब हैं उसके मामले में आपने

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित भाटी)

अपने जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। अजमेर विश्वविद्यालय को जिस तरीके से एक जेब की संस्था बनाकर कुलपति ने चला रखा है, उसके लिये बराबर आपके पास ज्ञापन हैं, लोगों का आक्रोश है, छात्रों का आक्रोश है, अध्ययन कार्य वहां पर नहीं हो रहा है। खाली बैठे हुए लैक्चरर वहां पर तनख्वाह उठा रहे है, सरकारी कोष का दुरुपयोग हो रहा है।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य भाषण नहीं, भाषण नहीं।

श्री ललित भाटी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार अजमेर विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें लम्बी छुट्टी पर भेजने की मंशा रखती है या नहीं, स्पष्ट जवाब देवें ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने जिक्र कर दिया था आपने सुना नहीं। अब मेरा निवेदन है कि आप सब बहुत उत्सुक हैं, आप प्रश्न करेंगे, मंत्री महोदय उत्तर दे नहीं सकेंगे, आप उनसे मिल लेना। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कुछ कहना चाहें तो... (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : मेरा सवाल बड़ा गंभीर सवाल है।

श्री रघुवीर सिंह : सभापति महोदय, एक सवाल पूछूंगा, मात्र एक।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं, हमारे प्रश्न का जवाब तो दिलवा दीजिए।

श्री सभापति : मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि वे चाहे तो आपका उत्तर दे देवें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चाहें तो, यह आपने अच्छी व्यवस्था दी। झुंझुनूं के प्रति आपको इतना भी लगाव नहीं है क्या ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, कुछ कहेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...

श्री सभापति : उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी।

श्री रघुवीर सिंह(सराड़ा) : सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र बहुत लम्बा–चौड़ा है, वहां के बारे में मंत्रीजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में सवा सौ किलोमीटर की डिस्टैंस है, उसके बीच में कोई कालेज प्रस्तावित है क्या ? सराड़ा, खैरवाड़ा, डूंगरपुर के बीच में लंबा–चौड़ा आदिवासी क्षेत्र आता है, क्या आप मंशा रखते हैं उस क्षेत्र में कालेज खोलने की ? यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 50 किलोमीटर तक कोई कालेज नहीं है, क्या मंत्री महोदय वहां कालेज खोलने का विचार रखते हैं ?

श्रीमती सुचित्रा आर्य : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि नोहर के भवानी कालेज में क्या पी.जी.बनाना चाहते हैं या नहीं ? नोहर, टीबी और भादरा तीनों को मिलाकर एक ही कालेज है इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं इन्होंने मेरे को कहा भी था कि बनाएंगे लेकिन इसमें इन्होंने नहीं रखा। बनाना चाहते हैं या नहीं, यह स्पष्ट जवाब दें।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, हो गया आपका सवाल। भाषण नहीं, माननीय सदस्या भाषण नहीं।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र सपोटरा से हूं, वहां मंत्री महोदय कालेज खोलना चाहते हैं कि नहीं ? ग्रामीणों की तो मंत्री महोदय ने बात की लेकिन क्या मेरे क्षेत्र सपोटरा में कालेज खोलने की मंशा रखते हैं कि नहीं रखते ?

श्री सभापति : जहां–जहां कालेज खोलने हैं वो सब बजट में है, आप उसको पढ़ लो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बजट में हमारा नाम नहीं है इसीलिए मांग कर रहे हैं।

श्री सभापति : सुमित्रा जी का सवाल, सुनिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रश्न का जवाब दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, प्रश्न इतने अधिक है कि उनको तुरन्त जवाब देना निश्चित रूप से संभव नहीं है, मैं सबको लिखकर भेज दूंगा। यह मैं इस भावना के साथ कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हमारा तो एल.एल.एम. की क्लासेज के लिये निवेदन है, उसमें ना तो प्रोफेसर चाहिये और ना बिल्डिंग चाहिये। हमें एल.एल.एम. के लिये आप बोलकर आये थे, उसमें ना हमें प्रोफेसर की जरूरत है, ना बिल्डिंग की। सिर्फ घोषणा मात्र है।

श्री सभापति : आप बोलने दीजिए। बोलने के बाद बैठ जाए तब पूछ लेना।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और निश्चित रूप से उनकी और उनके क्षेत्र की जायज मांगे भी हैं, मैं सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करके माननीय वित्त मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने रख दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब भी कभी इसमें कोई भी अवसर आएगा तो उनको इसके लिये डिवोइड नहीं किया जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, 32 जिलों में केवल एक जिला हो...

श्री अमराराम(पचपदरा) : विश्वविद्यालय में रेगुलर क्लासेज लग रही हैं या नहीं लग रही हैं ? नहीं लग रही हैं तो उसके लिये

(श्री अमराराम)

आप क्या कदम उठा रहे हैं ? आज एक भी क्लास राजस्थान विश्वविद्यालय में रेगुलर नहीं लग रही है, न कोई बच्चा वहां जाता है न कोई लैक्चरर वहां जाता है। एक भी नहीं जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम कालेज खोल रहे हैं, विश्वविद्यालय के लिये यह सुधार कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सवाल पूछो। अमराराम जी, आप जनरल सवाल पूछ रहे हो कि क्लासेज नहीं लग रही हैं।

श्री अमराराम(पचपदरा) : आप क्या कदम उठा रहे हैं ? कोई सब्जैक्ट का लैक्चर वहां हाजिर नहीं है।

श्री सभापति : आप मंत्री रहे हैं, आप सुनो तो सही। आप पूछ रहे हैं कि उस कालेज में रेगुलर क्लासेज नहीं लग रही हैं क्या करेंगे, यह कोई प्रश्न है क्या ?

श्री अमराराम(पचपदरा) : वहां पर आप व्यख्याताओं की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उनके लिये सारी सुविधाएं जुटा रहे हो और लैक्चरर कालेज में जाते ही नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। फिर आप क्या सुधार कर रहे हो ?

श्री सभापति : आप चार महीने पहले मंत्री थे, वो व्यवस्था क्यों नहीं करके गये ? चार महीने पहले मंत्री थे आप। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, जिस जिले के साथ इतना जबरदस्त अन्याय हो कि 31 जिलों के मुख्यालयों के ऊपर राजकीय कालेज हो और एक मात्र जिला हो कि उस जिला मुख्यालय के ऊपर राजकीय कालेज नहीं हो, मैं इसके विरोध स्वरूप धरने पर बैठती हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्या की मांग बहुत उचित है। माननीय सभापति महोदय, आप उस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह अन्याय है झुंझुनूं के साथ इसलिए हम भी धरने पर बैठते हैं।

(माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह ने वैल में धरना दिया)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं भी पहले झुंझुनूं से विधायक रहा हूं, मैं भी बैठता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप उस झुंझुनूं जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह अन्याय है झुंझुनूं के साथ, इसलिए हम भी इनके समर्थन में धरने पर बैठते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति जी, मैं भी पहले झुंझुनूं से विधायक रहा हूं, झुंझुनूं जिले में कालेज होना चाहिए।

श्री महेश जोशी(उपमुख्य संचेतक) : राजेन्द्र राठौड़ जी, यह अन्याय भी आप कर रहे हैं झुंझुनूं के साथ।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए मैं भी सुमित्रा जी के साथ धरने पर बैठता हूं।

(माननीय सदस्य मोहम्मद माहिर आजाद व श्री राजेन्द्र राठौड़ वेल में आकर धरने पर बैठ गये)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कई प्रकार के परिवर्तनों के सम्बन्ध में सुझाव दिये। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जिन–जिन कटौती प्रस्तावों के बारे में यहां विचार रखे गये है मैं उनका प्रत्युत्तर तो दूंगा ही दूंगा लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने किसी कारण से अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं उनको लिखित में उत्तर अपनी ओर से भिजवाने का प्रयास करूंगा।

श्रीमन् हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है। बचपन में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं डाक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुशल प्रशासक बनूंगा, अच्छा वकील बनूंगा, समाज सेवी बनूंगा अथवा अच्छा प्रोफेसर बनूंगा, लेक्चरर बनूंगा वगैरह, वगैरह। हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है और उस सपने को साकार करने का यदि कोई माध्यम है तो वह एक मात्र शिक्षा ही है। शिक्षा ही व्यक्ति को बनाती है और जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वह कुछ कर गुजरता है। जो बचपन में पढ़ता नहीं है, खेल के मैदान में अच्छा खेलता नहीं है, वह अनाड़ी रह जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति शिक्षित नहीं होता हैं तो वह अज्ञानी बन जाता है। इसलिए कहा गया है "विद्या विनयेन शोभत" "विद्या ददाति विनयम्"। विद्या विनयशीलता प्रदान करती है, विद्या से विनयशीलता आती है। "विद्या विनयेन शोभते," विनयशील व्यक्ति को ही विद्या शोभा देती है। श्रीमान्, यहां पर मैं अब्राहम लिंकन ने जो अपने पुत्र के अध्यापक को सौ वर्ष पहले एक पत्र दिया था, उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने अपने पुत्र के अध्यापक को जो पत्र दिया उसका सार यह था कि अध्यापकजी, आप मेरे बच्चे को सफलता का पाठ तो पढ़ाएं ही लेकिन इसके साथ असफलताओं से जूझना, उनको सहन करना भी सिखाएं। आप मेरे वार्ड को चलना सिखाएं लेकिन इसके साथ–साथ, गिरना और गिरकर सम्भलना भी सिखाएं। उसको हंसना सिखाएं, उसके साथ रोना भी सिखाएं। जहां एक ओर फर्स्ट डिवीजन में सफल होने की बात सिखाते हैं वहीं असफल होकर उस व्यक्ति के साथ टीम वर्क में काम करते हुए सीखना जरूरी है। ये सारी बातें उन्होनें इस स्पिरिट से कहीं कि हर व्यक्ति को जीवन की अच्छाइयों, बुराइयों, गहराइयों, ऊंचाइयों इन सब के बारे में सीखना चाहिए। इन्हीं बातों को एक प्रसिद्ध मनीषी और शिक्षाविद गीजूभाई ने इस रूप में बताया कि आज समाज की सबसे बड़ी चिन्ता शिक्षक के दायित्व के बारे में है, शिक्षक के सृजनात्मक गुण के बारे में है। हमारे शिक्षक जिस समय अपने दायित्व बोध को समझ लेगा और पुराने गुरुकुल के गुरूओं के बारे में चिन्तन करता हुआ पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से आज के विद्यार्थी को शिक्षा सीखने में आनन्द की अनुभूति होगी। जो शिक्षक कक्षा कमरे में पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को आनन्द की अनुभूति देता है वह अच्छा शिक्षक माना जाता है। जहां विद्यार्थी यह समझे कि कैसे ये 40 मिनट पूरे हों और मैं अपने घर को चला जाऊं तो मैं समझता हूं कि उसमें उसको आनन्द की अनुभूति नहीं होती है, यह लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। विद्यार्थी घर में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बैठा हुआ यह महसूस करे कि आज मैं किसी सामाजिक दायित्व के कारण अथवा घर में कोई फंक्शन होने के कारण स्कूल नहीं गया तो मैंने आज कुछ खो दिया है, यह तभी महसूस करेगा जब उसको योग्य शिक्षक मिलेगा।

श्रीमान्, शिक्षा से कई पहलू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिक्षण संस्था, अध्यापक, अध्यापक का प्रशिक्षण, आसपास का वातावरण, ये सारी चीजें शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालती हैं। योग्य शिक्षक होगा, उसका अच्छा प्रशिक्षण होगा और केवल प्रशिक्षण ही नहीं, निरन्तर पढ़ाते हुए 2–3 वर्ष में अपने विषय के बारे में अप–टू–डेट उसका ज्ञान हो तभी वह अपने कक्षा–कमरे में अच्छी तरह से पढ़ाई करा सकेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि योग्य गुरु हो, कक्षा–कमरे का फर्नीचर, लाइब्रेरी, इक्विपमैंट्स का अच्छा प्रावधान हो और आसपास का वातावरण अच्छा हो। घर में उसकी सम्भाल हो, माता–पिता उसको सम्भालें, वह केवल स्कूल और शालाओं के भरोसे नहीं रहे। जो आजकल वातावरण उसको मिल रहा है उसके बारे में खास तौर से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा भी है। पहले हमारे माता–पिता और अभिभावक यह कहते थे कि बेटे, सिनेमा नहीं देखनी चाहिए। अब कमरे–कमरे में सिनेमा पहुंचा हुआ है, कमरे–कमरे में टेलीविजन पहुंचा हुआ है जो आज की पीढ़ी को एक तरह से गूंगा बना रहा है। एक राइटर ने कहा है कि यह ईडियट बाक्स है। यह ईडियट बाक्स हर घर में, हर कमरे में है। इसका मुकाबला हर विद्यार्थी को करना है। जब वह टीवी देखना शुरू कर देता है तो किताबों में उसका मन नहीं लगता। किताबों में मन नहीं लगता है इस कारण उसमें क्रियेटिव पावर खतम हो जाती है। उसका सृजनधर्मिता का जो गुण है वह गुण एक तरीके से खतम होता चला जाता है।

मैं आज के दिन बहुत–सी बातें कहना चाहता था लेकिन सीधा ही आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किये हैं उनके ऊपर आना चाहूंगा। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपका घर जाने का मूड है। वैसे तो शिक्षा की मांग रात को 2–2 बजे तक चली है लेकिन आज साढ़े आठ बजे तक पहले–पहले ही ये पूरी बातें समाप्त हो रही हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा की तलाश है। अभिभावक क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहता हैं, इन सब भावनाओं को ध्यान में रखने के साथ–साथ विद्यार्थियों की आकांक्षाओं, विद्यार्थी की जिज्ञासाओं और विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि और भविष्य में वह किस प्रकार से अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्वस्थ और एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे।

श्रीमान्, आप तो जानते हैं कि दिसम्बर में सरकार का गठन हुआ है। कोई भी स्वस्थ चीजें या अच्छी चीजें शुरू की जाती हैं, जैसी अभी इस बजट के माध्यम से हमने शुरू की हैं उनमें समय लगता है। हमें विरासत में सारी समस्याएं मिलीं। उन समस्याओं को देखते हुए, समझते हुए, जूझते हुए हमने अपना कार्य प्रारम्भ किया। इन सब बातों को

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

विस्तार से बताते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक अच्छे और कम्प्लीट विद्यालय की परिकल्पना हमारे दिमाग में है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, आज के युग की आवश्यकता है कि एक कम्पलीट विद्यालय हम समाज को दें जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपना सांगोपांग उत्तमोत्तम विकास कर सकें। मैं इस सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए इस वर्ष के बजट में 3230 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। गत वर्ष जो प्रावधान किया गया था 2967.72 करोड़, उसकी तुलना में वास्तविक व्यय 2824.72 करोड़ का किया गया। उससे हमारी शिक्षा का बजट 12.5 प्रतिशत ज्यादा है।

श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1998–99 में जहां राज्य में केवल मात्र 100 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, वहीं इस बजट में 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। यह पिछले वर्ष के प्रावधान से 10 गुना है। इसी प्रकार वर्ष 1998–99 में जहां 181 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया गया, इस वर्ष 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाएगा, जो 2 गुने से अधिक है। इसी प्रकार वर्ष 1998–99 में जहां 85 सैकण्डरी स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों अर्थात् सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया था, उसकी जगह इस चालू वित्तीय वर्ष 1999–2000 में 200 सैकण्डरी स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करेंगे। इसी प्रकार पूरे राज्य में 16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र बनाने की योजना है। कुछ माननीय सदस्यों ने 10 हजार की बात की है। हमने यह कहा है कि जहां–जहां 40 विद्यार्थी उपलब्ध होंगे वहां–वहां हम ये प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलेंगे। आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जहां भी 40 विद्यार्थी मिले तो इस संस्था को हम निश्चित रूप से 16 हजार तक करने का पूरा प्रयास करेंगे।

इस वर्ष पहली बार राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया गया है जो मैं समझता हूं कि राज्य में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में मील का पत्थर साबित होगा। जहां तक राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यार्थी सुरक्षा बीमा राशि का प्रश्न है, पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो प्रावधान था उस प्रावधान को दुगुना किया गया है। पहले विद्यार्थी को दुर्घटना में यदि कोई मुआवजा मिलता था तो उसकी राशि 10 हजार थी, अब विद्यार्थियों को 20 हजार की राशि देने का प्रावधान, इस प्रावधान को बढ़ाने के कारण हुआ है।

जन–सहभागिता से विद्यालयों की मरम्मत विकास योजना के अन्तर्गत पहले 50 प्रतिशत दानदाता जन सहयोग देता था तभी जाकर 50 प्रतिशत की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध होती थी। इसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि 30 प्रतिशत राशि दानदाता देगा, 70

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रतिशत राशि विद्यालयों की मरम्मत के लिये राज्य सरकार मुहैया कराएगी। इसी प्रकार तीन जिलों–बारां, राजसमन्द और दौसा में डाइट की स्थापना की जाएगी। बालिका छात्रावास मात्र 6 जिलों में बने हैं, बाकी 25 जिलों में तत्परता के साथ बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य में उर्दू अध्यापकों के 200 नये पद सृजित किये जाएंगे और उर्दू के जो पद रिक्त हैं, जिनको सामान्य पदों में कन्वर्ट पर दिया गया था पिछली सरकार के द्वारा, हम बाकायदा सर्वे कराएंगे और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जहां–जहां उर्दू के विद्यार्थी उपलब्ध होंगे उनकी संख्या के अनुसार और नार्म्स के अनुसार वहां पर अध्यापक उपलब्ध कराऊंगा।

जिनका परीक्षा परिणाम सबसे अच्छा रहेगा, उन पांच विद्यालयों को चुनकर उनकी एड का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। जहां तक मूकवधिर और अंधे विद्यालयों का सवाल है पिछले वर्षों में इन विद्यालयों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। राज्य में 58 लाख रुपये की लागत से मूक–बधिर एवं अंध विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार दसवें वित्त आयोग की राशि, जब मैंने कार्य–भार सम्भाला तो मुझे यह पता लगा कि पिछली सरकार ने इस राशि को अभी तक खर्च नहीं किया। मैंने आते ही उस फाइल को मंगवाकर 3238 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड–पम्प, 100 विद्यालयों में चारदीवारी, 1262 प्राथमिक विद्यालयों तथा 367 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति जारी की। उसका काम प्रगति के ऊपर चल रहा है और मेरी यह कोशिश रहेगी कि यथा समय सारे कार्य पूरे करा दिये जाएं।

श्रीमन्, इस सदन में जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उसमें सबसे ज्यादा चिन्ता रिक्त पदों के बारे में और नियुक्तियों के बारे में व्यक्त की गयी। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, व्याख्याताओं के 80 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये, 926 व्याख्याताओं को डी.पी.सी. के माध्यम से सलैक्ट किया गया और 1681 वरिष्ठ अध्यापकों को एडहोक प्रमोशन देकर उन लोगों की नियुक्ति की गयी। इस प्रकार 2687 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गयी। अब वर्तमान में 1378 पद व्याख्याताओं के रिक्त हैं इसके लिए इमरजैंसी रिक्रूटमैंट की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। वरिष्ठ अध्यापकों के राज्य में 1015 पद प्रमोशन देकर अथवा नियुक्ति देकर भरे गये हैं, 51 द्वितीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। इसी प्रकार 1066 वरिष्ठ अध्यापक बनाये गये हैं। सामान्य अध्यापक की श्रेणी में, श्रीमन्, 2505 अध्यापकों को नियुक्ति दी गयी है। 705 शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति दी गयी हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस सरकार ने 6963 अध्यापकों को अलग–अलग पदों पर नियुक्ति दी हैं। अभी आपने देखा होगा, कुछ समय पूर्व प्रश्नकाल में और आज भी कुछ माननीय सदस्यों ने यह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चिन्ता जाहिर की कि रिक्त पदों पर भर्ती का काम नहीं हो रहा हैं, नियुक्तियों का काम नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, आपने क्या किया ? प्रायः उनके वक्त में तो एक से छह नम्बर तक बैन और अध्यापकों के भी ज्यादातर पद रिक्त रहे हैं जो पिछली सरकार के वक्त में रहे। उन्होंने इन पदों को नहीं भरा जबकि नौजवानों को यह कहा था कि हम एक घर में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं...

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले मेरे को बोलने दें, उसके बाद आप बोल लेना। मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे...

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यह परम्परा नहीं है। मेरा क्रम टूट जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, ऐसी कोई भी साल बता दें जब 31 मार्च के दिन जितने पद खाली थे उतने माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक में नहीं भरे गये हो। एक भी साल बता दें, एक भी साल। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर होने दें।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, मिडल स्कूलों में दो टीचर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं तो जितने पद स्वीकृत हुए उतने...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मिडल स्कूलों में सिर्फ दो टीचर ? आपने स्कूल तो खोल दिये लेकिन...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसका कारण था कि हमारे पूर्व...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु आपने एक स्कूल में सिर्फ एक–एक टीचर दिया। (व्यवधान)

श्री रतनराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये हमारे घोषणा पत्र का हमेशा जिक्र करते हैं ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे जितने पद स्वीकृत होते हैं उसमें सारे पद 31 मार्च तक भरे गये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : उनको बोलने की आवश्यकता ही कहां रह गयी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और निल रिपोर्ट लेकर हम 31 मार्च, के दिन कागज अपने पास रखते थे। (व्यवधान) निल रिपोर्ट। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : एक भी टीचर आपने नहीं लगाया। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, कटारिया साहब ने रिक्त पद को...(व्यवधान) इंटरप्ट करते हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, इन्होंने एक भी टीचर नहीं लगाया।

श्री रतनाराम चौधरी : आप मंत्रीजी को इंटरप्ट मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बच्चों की तकदीर के साथ खिलवाड़ किया था। पहले इन्होंने... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने चुनाव घोषण पत्र में एक वादा किया था कि हम हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, तो मुझे बकौल शायर याद आता है कि :

"कहा था रोजगार मिलेगा, हर एक घर के लिए। और कहां रोजगार मयस्सर नहीं इस शहर के लिए। यहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है। चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।" नौजवानों ने घोर निराशा छा गयी थी। पूरे पांच वर्ष तक देख लेस्यूं, कर देस्यूं, करस्यूं और परसों मिलस्यूं के अलावा और कोई बात इन्होंने नहीं कही, उनके पास एक ही जवाब था। इस तरीके से पूरे पांच वर्ष उन्होंने निकाल दिये और केवल मात्र झांसा–पट्टी के इन्होंने राजस्थान को कुछ नहीं दिया।

श्री शंकर लाल अहारी : देखो हमारे मंत्रीजी को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और कोई शब्द हों तो वह भी बोल दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं सदन में बताना चाहता हूं कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड...(व्यवधान) यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : झांसा ही झांसा दिया, आपने पट्टी नहीं दी। पट्टी होती तो आप स्कूलों में बिछा देते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, वर्तमान में 31.3.99 को जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको अलग रखें सब तो केवल मात्र अध्यापकों के 768 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 1030 पद रिक्त है। 31.3.99 को जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको जोड़ें तो अध्यापकों के केवल 2024, वरिष्ठ अध्यापकों के 1417 और व्याख्याताओं के मात्र 1378 पद रिक्त हैं। बाकी सारे पदों को जिम्मेदारी से भरने का प्रयास किया गया है।

गुढ़ा से जो माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने पिछली सरकार के द्वारा स्कूल जो कम खोले गये उनके बारे में बातें बताई और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के बारे में भी कुछ बातें सदन को बताई। मैं इस सम्बन्ध में

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

शिव से आने वाले माननीय सदस्य के उस विचार से मैं इत्तफाक रखता हूं कि पहले हमारे यहां गुरुकुल होते थे, वे कोई डिग्री लिये हुए गुरुकुल नहीं होते थे। महाराजाओं की जो शालाएं होती थी उसमें गुणे हुए लोग होते थे। कहते हैं एक गुणी और एकबणियों, तो वे गुणे हुए लोग थे। गुणा हुआ हुआ व्यक्ति यदि कोई पढ़ाता है तो यह संस्कारों का, नैतिक मूल्यों का सृजन विद्यार्थियों में करता है। इसलिए गुणे हुए व्यक्तियों का सरकार चयन करेगी, पंचायतें चयन करेंगी और उसके माध्यम से मजरों और ढाणियों तक में जिसको पिछली सरकार ने इग्नोर किया था, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे और उनमें अच्छी शिक्षा का प्रसार करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, नैतिक शिक्षा के बारे में बोले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, बोलता हूं। बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने परीक्षा की सैंक्टिटी के बारे में कुछ विचार प्रकट किये। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षाओं की सैंक्टिटी को बनाये रखा जाएगा। मुझे तो यह शिक्षा का संत्र अन्तिम चरणों में मिला, इस संदर्भ में मैं खासतौर से कहना चाहता हूं, जैसा एक शायर ने कहा है :--

"चुन--चुनकर ले रही है फिजां उनका इन्तकाम। जो--जो गुनाह किये थे हमने बहार में।।" वर्ष 1992--94, 94--96, और 96--98 में जिस--जिस तरह की घटनाएं परीक्षाओं के संबंध में हुई, उस विरासत को चुनौती के रूप में हमने लिया है और मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से और राजस्थान के निवासियों के प्रयत्न से मैं शिक्षा प्रणाली में, परीक्षा प्रणाली में जो--जो सुझाव आपने दिये है उनको इम्प्लीमैंट करवाने के लिये बोर्ड के माध्यम से पूरा प्रयास करूंगा।

फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर जो चिन्ता जताई है उसका मैं प्रत्युत्तर दे चुका हूं। रिक्त पदों की आपूर्ति के बारे में व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : बहरोड़ से आने वाले माननीय करण सिंहजी ने जो आपके सामने आरक्षण के संबंध में कहा था... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आ रहा हूं एक--एक पर आप कृपया बीच में नहीं बोलें।

शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने नो ब्लाक जो अकल्लीयत के हैं, वहां पर शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिये चिन्ता व्यक्त की। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, पहली बार मदरसों के उन्नयन के लिये राज्य सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। इस संबंध में वित्त मंत्रीजी ने भी स्वयं इस डिबेट में इन्टरवीन करके सदन को यह आश्वस्त

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किया था कि इससे अधिक मदरसे भी उपलब्ध होंगे तो इसके लिये अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान करेंगे। मैं समझता हूं कि इससे उनकी चिन्ता का समाधान हो गया होगा।

जहां तक मदरसों में हिन्दी, गणित, भूगोल और अंग्रेजी की पढ़ाई कराने की बात आपने उठायी, इस संबंध में मदरसों का जो माडर्नाइजेशन करेंगे। उस समय इन सब्जैक्ट्स को लिखाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगे।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने गांवों में स्कूल खोलने, वरीयता सूची की तारीख को बढ़ाये जाने के बारे में जो प्रश्न उठाये हैं, उसके संबंध में जिस तरीके से... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आरक्षण के संबंध में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप बीच में मत बोलें। मेरे मुंह में शब्द मत डालो, मैं अपने आप बोल दूंगा। माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं भिज्ञ हूं और इसके संबंध में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, मैं उठाऊंगा।

एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. को जो 16 परसेंट, 12 परसेंट और 21 परसेंट आरक्षण की प्रावधान किया हुआ है, इस संबंध में कोई भी स्पेसिफिक मामला आप मुझे सुझाएंगे, बताएंगे तो मैं उसकी जांच करूंगा और जहां जिस किसी भी अधिकारी ने इसका उल्लंघन किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा।

स्त्री शिक्षा के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता जताई, उस चिन्ता में मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। गाड़ी के दो पहिये होते हैं। एक भी पहिया कमजोर होता है तो गाड़ी चल नहीं सकती। एक पुरुष पढ़ता है तो वह अकेला पढ़ता है, यदि स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ लेता है। इसलिए स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार पुरजोर प्रयत्न करेगी।

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने किशोरपुरा सीनियर सैकण्डरी स्कूल के बारे में, प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के बारे में तथा शिक्षा के स्तर के बारे में चिन्ता व्यक्त की। मैं इसके संबंध में उनसे यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिये हमें कुछ समय दीजिये। समय जैसे कहते हैं न "माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आये फल होय।" आप मुझे एक–दो साल का समय दीजिये, उसके बाद मैं निश्चित रूप से शिक्षा में जहां संख्यात्मक बजट में अभिवृद्धि की है, गुणात्मक सुधार लाने का भी अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करूंगा। जिस सैकण्डरी स्कूल के बारे में आपने मेरे सामने चर्चा की है बुढ़ानिया की, उसका मैं गुणावगुण के आधार पर समय आने पर फैसला करूंगा।

आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा के बारे में यह कह दिया कि आप शिक्षा देकर बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके विचार अन्तरराष्ट्रीय है,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लेकिन सोच अन्तरराष्ट्रीय नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाती हैं, अपने पैरों पर खड़ा करती है, शिक्षा का प्रसार जितना अधिक होगा, उतना ही व्यक्ति स्वावलम्बी होगा। उन्होंने कैरियर काउंसिलिंग का जो सुझाव दिया था, उसका मैं खुद स्वागत करता हूं। कैरियर काउंसिलिंग के बारे में मैं सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को और हमारे साथी उच्च शिक्षा मंत्रीजी को भी यह कहना चाहूंगा कि इसके बारे में उन्होंने तो केवल सुझाव दिया है, लेकिन इस सुझाव को इम्प्लीमैंट करने के लिये हम कोई न कोई कदम उठाएंगे।

टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने नैतिक शिक्षा के बारे में बात की। शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाओं का सम्प्रेषण नहीं है, श्रीमन्। हम यह चाहते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ने आता है वह संस्कारित बने, वह नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थावान बने। उनका सामाजिक ज्ञान बढ़े, उनकी तकनीकी और वैज्ञानिक सोच बढ़े और इसके लिये हम स्कूलों में पुरजोर व्यवस्था आने वाले समय में करेंगे। हमारे शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बी.एड. और एस.टी.सी. तक सीमित नहीं रहेगा, उनको दो वर्ष बाद कम से कम छह सप्ताह की ट्रेनिंग देने के प्रस्ताव के बारे में भी मैं बहुत गम्भीरता से मनन कर रहा हूं ताकि वे सतत् रूप से अपने विषय के बारे में और अपने अध्यापकीय कार्य के बारे में भिज्ञ रहें और शैक्षिक नवाचारों के बारे में दिन–प्रतिदिन जो उन्नति हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में उन शैक्षिक नवाचारों को सीख कर स्कूलों में पहुंचाए।

श्री रामस्वरूप मीणा : धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय, आपने हमारी बात को इतना महत्व दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक सुधार के बारे में कुछ मुद्दे उठाये। आप स्वयं जानते हैं कि चार महीने में हमने शिक्षा में काफी गुणात्मक सुधार किये है और ट्रांसपेरेंसी लाये हैं। आप कहते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाए हैं हम। श्रीमन्, पिछले वर्षों में शिक्षकों का चयन हो जाता था, लेकिन छह महीने तक जिला शिक्षा अधिकारी, जो स्वयं या उसका प्रतिनिधि बैठता था, लेकिन वह उसकी एप्रूवल नहीं देता था। हमने ये कानून बनाये हैं, नियम बनाये हैं कि 45 दिन के अन्दर–अन्दर जिस शिक्षक का चयन हो चुका है, यदि जिला शिक्षा अधिकारी उसकी एप्रूवल नहीं देगा तो वह डीम्ड टू बी एप्रूव्ड माना जाएगा, उसके अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अनेक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने बानए हैं।

मैं सदन को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हम अपने पुस्तकालयों में पुस्तकों की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे। लैबोरेटरीज में या जहां भी इक्विपमैंट्स की कमी है, जन सहयोग से अथवा बोर्ड से जहां–जहां हमारे पास फण्ड्स हैं उनके माध्यम से फर्नीचर में, पुस्तकालयों की पुस्तकों में और इक्विपमैंट्स

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे ताकि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए ये सारी चीजें आगे बढ़ सकें।

डा. करण सिंह यादव : मंत्रीजी, एक मिनट का इन्ट्रप्शन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, पूरा हो रहा है फिर कर लेना आप। एक सैकण्ड में पूरा हो रहा है।

श्री सभापति : बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने स्थानान्तरण के बारे में बात की। वो कहते हैं जो +++ चूरू जिले में पिछली सरकार ने 1426 स्थानान्तरण किये। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं उस समय के मुख्य मंत्रीजी से उन तबादलों को रुकवाया। जब से मैंने शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला है एक भी व्यक्ति का वाइस–वर्सा ट्रांसफर आज तक नहीं किया है और एक रुपया ट्रांसफर पर खर्च नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जो 1426 स्थानान्तरण नीति विरुद्ध किये हैं उनको तो मुझे ठीक करना पड़ेगा तो वह समय आएगा तब करेंगे। प्रशासनिक आधार पर जो स्थानान्तरण करने होंगे वे निश्चित रूप से करेंगे लेकिन उसमें हम किसी भी प्रकार आक्षेप नहीं आने देंगे।

नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उर्दू अध्यापकों के बारे में चिंता जाहिर की। यह बात सही है कि गत वर्षो में उर्दू अध्यापकों के पदों का सामान्य अध्यापकों के पदों में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन अब ये चीजें नहीं होंगी। उर्दू अध्यापकों के पदों की नियुक्ति होगी वे उर्दू अध्यापक रहेंगे। उनके प्रमोशन भी उर्दू अध्यापकों के वरिष्ठ अध्यापकों के रूप में होंगे और वरिष्ठ अध्यापकों के जो प्रमोशन होते हैं वे उर्दू के व्याख्याताओं के रूप में होंगे, यह आपको मैं विश्वास लेकर चलना चाहता हूं।

जहां तक मेवात क्षेत्र में मदरसा योजना की क्रियान्विति का प्रश्न है, जहां–जहां मदरसे उपयुक्त पाये जाएंगे उनके माडर्नाइजेशन का और विकास का काम भी हाथ में प्राथमिकता से लिया जाएगा।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने खाजूवाला में प्रिंसिपल की नियुक्ति के बारे में जो बात उठायी उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह पद 1.11.1998 से रिक्त है। हमारे पास प्रधानाध्यापक की और व्याख्याताओं के पदों की कमी है, मैं अतिशीघ्र जैसे ही हमारे पास में उपलब्ध होंगे इस पद की आपूर्ति कर दूंगा। जहां तक उन्होंने मिडल स्कूल और अन्य प्राध्यापकों के पदों की बात कही है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लूणकरणसर में पिछले महीनों में शारीरिक शिक्षकों के जितने भी रिक्त [illegible] थे वे पूरे भर दिये गये हैं, बाकी पद [illegible] जो हमारे पास उपलब्ध हैं उन उप[illegible] पदों को हमारे पास

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की [illegible]।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जो नयी नियुक्तियां हुई हैं, उनसे भरने का पूरा प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, मैं सोचता हूं मैंने सभी माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किये गये थे उनका संक्षिप्त में प्रत्युत्तर कर दिया है और अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि शिक्षा से सम्बन्धित मांग को आप पारित कराने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. करण सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि तृतीय श्रेणी के...(व्यवधान)

श्री सभापति : रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री रतनारामजी, आप थोड़ा विराजें।

श्री शंकर लाल अहारी : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, विद्यालयों का समय परिवर्तन करेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : विद्यालय का समय परिवर्तन करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और नया सत्र पुरानी तरह चालू हो जाएगा।

डा. करण सिंह यादव : मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। इस मामले में कितनी सच्चाई है कि तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के चयन के मामले में डी.ई.ओज. यह कहते हैं कि हम अधिकृत नहीं हैं अपाइंटमैंट देने के लिए और चिट्ठी भेजते हैं डाइरेक्टर महोदय के पास में, कि डाइरेक्टर साहब स्वीकृति देंगे तो डाइरेक्टर साहब उस स्वीकृति को यह कह कर लौटा देते हैं कि मैं सक्षम नहीं हूं, सरकार स्वीकृति देगी ? इस तरह से एक ऐसा वातावरण कई जिलों के अन्दर है जिसकी वजह से अभ्यर्थी चक्कर काट रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रही। इस मामले में आपकी क्या राय है, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूं ?

दूसरा, मुझे बहुत खेद है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, माननीय टैक्नीकल एजुकेशन मंत्रीजी, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, किसी मंत्री ने यह नहीं कहा कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के मामले में सरकार कोई सोच रखती है यह नहीं रखती है। कौनसी गलत बात है ? भारत के संविधान में है जो देश के सब राज्यों में हो रही है। क्या कारण है कि इस सरकार के मंत्री महोदय उसके बारे में कुछ भी कहने में आनाकानी कर रहे हैं कि हम आरक्षण के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा, पंजाब में नहीं हो रहा कि मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा ? फिर क्या चिंता की बात है ? इन दो सवालों का मैं जवाब चाहता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सैकण्ड। सभापति महोदय, सब प्रश्न करें मैं एक–एक का जवाब दे देता हूं।

बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में जो सवाल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उठाये हैं, इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे आर्डर कर दिया था नियुक्तियों पर। इसके कारण से जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने से ऊपर के अधिकारियों से यह पूछताछ की थी कि हम नियुक्तियां कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे ही वह स्टे वेकेट हुआ उसके बाद नियुक्तियां जारी कर दी गयी। मैं समझता हूं कि यह कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए।

जहां तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण के बारे में सवाल हैं, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे सामने तो यह समस्या है ही नहीं। सभी लोगों का सरकारी विद्यालयों में निर्बाध रूप से प्रवेश हो जाता हैं। यदि प्रवेश नहीं होगा तो मैं इस पर विचार लूंगा। यह समस्या है ही नहीं हमारे सामने तमाम सरकार स्कूलों में सभी का प्रवेश हो जाता है इसलिए यह समस्या शालाओं में नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल है।

डा. करण सिंह यादव : आपके बी.एड. है। बी.एड. नहीं है आपके पास में ? (व्यवधान) आपके यहां बी.एड. है, आपके एस. टी.सी. है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों का...(व्यवधान) और हर साल मुझे जाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : शालाओं में ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल है प्राब्लम

डा. करण सिंह यादव : शिक्षा की बात नहीं है, बी.एड. है आपके पास में, एस.टी.सी है आपके पास में।

श्री सभापति : ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, उनसे पहले तो मैं...

श्री सभापति : नहीं, मैं देख रहा हूं पहले किसका हाथ है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, आपने प्राइवेट स्कूल के बारे में फरमाया कि आप कठोर स्टैप्स लेंगे। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि एडेड स्कूल या नान एडेड ? नान एडेड पर आपके पास क्या अथोरिटी है ? अगर वे क्वालिटी दे रहे हैं और लोग उनको पैसा देना चाहते हैं तो आप उनको क्यों रोक रहे हो ? जैसे अगर मेरे को जरूरत पड़ी मेरे लड़के को घुड़सवारी सिखाने के लिए, मैंने वहां के प्रिंसिपल को पूछा कि आप इंडियन से या नान ब्रिटिश से तीन गुना ज्यादा क्यों लेते हो ? तो उन्होंने कहा, आपको गरज है तो आओ, नहीं तो मत आओ। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करने जा रहा हूं कि यहां जो स्टेटमैंट होता है वह फिर अखबारों में छपता है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसीलिए आरक्षण की जरूरत होती है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दें, आप बीच में विघ्न पैदा नहीं करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इससे जनता भ्रमित होती है। इसलिए आप जो भी फरमाए, जो एक्शन आप ले सकते हैं जरूर लें लेकिन जो आपकी अथोरिटी नहीं है उसको कोट नहीं करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, हमारे राज्य में सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त, एडेड, नान एडेड इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें केन्द्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। पिछले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो वे प्रवेश फार्म के बारे में फीस लेते थे, उसकी राशि रुपये 100/–से अधिक नहीं लेने का प्रावधान किया है। यहां राज्य में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो प्रवेश फार्म की फीस बारह–बारह सौ रुपये लेते हैं और उसके अभिभावकों की शिकायतें हमारे पास आती है। जहां कोई शिकायत आएंगी तो उसके बारे में कोई नियम बनाना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य, जो लोग पांच–पांच और दस–दस हजार रुपया महीना ले रहे हैं, इसके बारे में भी मैंने सदन की विश्वास में लेने की बात कही हैं, इसके लिए हम कुछ नियम बनायेंगे। हमारा उद्देश्य किसी को तंग करने का नहीं है वरन् शोषण को समाप्त करने का है।

(21.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय श्री जगमाल सिंह यादव, पूछिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत केवल दो सवाल पूछना चाहता हूं एक सवाल तो यह है कि पिछले आठ–नौ सालों में जो पाठ्यक्रम बदल दिया गया...(व्यवधान) मुख्य सचेतकजी, एक मिनट। पिछले आठ दस सालों में पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन कर दिया गया और पाठ्यक्रम को साम्प्रदायिक रूप से दिया गया जैसे पांचजन्य का जो सम्पादक है उसका सब्जैक्ट भी आपने पाठ्यक्रम में लगा दिया, क्या उसको आप हटाने और बदलने का विचार रखते हैं ?

श्री सभापति : यह तो कह दिया न। मंत्रीजी ने खुद ही कहा है।

श्री जगमाल सिंह यादव : दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपने जिला लेवल पर और संभागीय लेवल पर अलग–अलग डी.ई.ओ. के कार्यालय कायम किये हुए हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि हमको खर्चा कम करना है, तो संस्कृत शिक्षा, महिला शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन सबका एक डी.ई.ओ. बनाकर एक निदेशालय बनाकर उन्हीं में इन सबका एक–एक प्रतिनिधि रख दें तो शिक्षा पर ज्यादा खर्चा नहीं होगा और न ही जगह–जगह भटकना पड़ेगा। जगह–जगह डी.ई.ओ. पंचायती राज के अलग, उच्च शिक्षा के अलग, संस्कृत शिक्षा के अलग, इनमें अगर आप बचत करना चाहे तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप ऐसा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

स्वरूप देना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, एक—एक का जवाब दे दूं ?

श्री सभापति : हां, वन बाई वन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्रीमन्, मैंने पाठ्यक्रम के बारे में तो बता ही दिया है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन पिछली सरकार में बोर्ड ने दिया था, उसके बारे में कमेटी का गठन कर दिया गया है, उसकी रिपोर्ट देने के बाद कार्यवाही होगी। जहां तक आपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारम्भिक और माध्यमिक के बारे में सुझाव दिया है, इसकी मैं समीक्षा करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, खेलकूद के जो नम्बर नहीं जोड़े जा रहे हैं उससे छात्रों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, उसकी आप घोषणा करो न।

श्री बुलाकीदास कल्ला : खेलकूद के मामले में जो विद्यार्थी नेशनल स्तर पर कोई सर्टिफिकेट लेकर आता है उसको पांच नम्बर, राज्य स्तर पर तीन और जिला स्तर पर एक अंक दिया जाता है। अगर कहीं नहीं जोड़ा है, आप मुझे शिकायत बताएंगे तो उसको मैं दूर कर दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आप जो शिक्षा केन्द्र खोल रहे हैं... (व्यवधान) शिक्षा केन्द्र 16 हजार खोल रहे हैं, 10 हजार खोल रहे हैं, खोलो आप और आप वह खोलेंगे, लेकिन प्राथमिक स्कूलों का भाग्य क्या होगा ? आप जो केन्द्र खोलेंगे उसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल जो आज तक खुलते आ रहे हैं उस हिसाब से खोलेंगे या नहीं खोलेंगे ? यह इसलिए शंका है कि जब प्राथमिक स्कूल नहीं खोलेंगे तो उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत आप क्या करेंगे ? प्राथमिक स्कूल जो आज है वे तो साल भर में, छह महीने में क्रमोन्नत हो जाएंगे। इसलिए प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे हैं, वर्ष की वर्ष आप परम्परा करना चाहते हैं या सिर्फ केन्द्र के माध्यम से ही आप इसको समाप्त करना चाहते हैं, यह स्पष्ट करें ?

श्री सी.सी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दो—तीन प्रश्न यहां पर आये हैं 15 तारीख को पंचायती राज की डिमाण्ड है उस समय उनका उत्तर दे दिया जाएगा। अभी तो इस संबंध में ही बात करें लें।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री भंवरू खान।

श्री भंवरू खान(फतेहपुर) : माननीय सभापतिजी, फतेहपुर में पांच एडेड स्कूल्स हैं जिसमें से चमड़िया कालेज को 80 प्रतिशत एड दी जा रही हैं, चमड़िया संस्कृत कालेज को 90 प्रतिशत एड दी जा रही है, पोद्दार स्कूल को 80 प्रतिशत एड दी जा रही है और,

(श्री भंवरू खान)

धानुका कालेज को 90 प्रतिशत एड दी जा रही है जबकि आजाद स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसको केवल 60 प्रतिशत एड दी जा रही है वह भी मात्र 13 अध्यापकों पर। मैं मंत्री महोदय, से यह पूछना चाहूंगा कि इस पर आप क्या विचार कर रहे है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्रीमन्, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आजाद स्कूल के बारे में जो बात कही है, वे मेरे को अलग से प्रार्थना पत्र दे दें। मैं उसका पैनल इंसपेक्शन करवाकर गुणावगुण के आधार पर फैसला कर दूंगा।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि मेरे सपोटरा क्षेत्र में सिर्फ एक ही गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल है उसमें चार साल हो गये, बी.जे.पी. की सरकार के टाइम से संस्कृत की टीचर नहीं है, मंत्रीजी इस पर ध्यान दें। एग्जाम हैं और चार साल से संस्कृत की टीचर नहीं है और सिर्फ एक स्कूल है सिर्फ सीनियर सैकण्डरी...

श्री सभापति : झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह(महुवा)(सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, आज कम से कम 200 प्रश्न तो पूछ लिये। यह एण्डलैस चेन है, इसका कोई अन्त नहीं है, आप डिमाण्ड पास करवाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न तो हो जाने दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब प्रश्न पूछ रहे हैं और जब सारे विधायकों से संबंधित सवाल था आपने उनको अलाउ नहीं किया, बैठा दिया उनको। इसको भी +++ दिया।

श्री सभापति : हां, बैठिये। थोड़ा बोलना सीखो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मै माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी, आप कृपया यह बताएं कि ये जो शारीरिक शिक्षक सैकड़ों की तादाद में मारे मारे फिर रहे है इनको अपाइन्टमैंट के बारे में आपकी क्या नीति है ? आप उन्हें करेंगे कि नहीं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्रीमन् मैंने जब मुख्य रूप से आपकी रिप्लाई दी थी उस समय बताया था कि इस सरकार के आने के बाद 705 शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है और 51 द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गयी है।

श्री सभापति : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री कन्हैया लाल : माननीय सभापति महोदय, आप सत्तपक्ष–सत्तापक्ष की ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपने अच्छा नहीं किया, सभापति महोदय।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. के.सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के बारे में आपने बताया है कि उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, चूंकि पिछला पाठ्यक्रम ... (व्यवधान) आपने समिति बना दी है, क्या यह उचित नहीं होगा कि उस समिति में जन प्रतिनिधियों को भी मिला दिया जाए ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जन प्रतिनिधि उसमें सुझाव देना चाहें या कोई बात करना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री कन्हैया लाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति : सवाल पूछिये, आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री कन्हैया लाल :...कि शिक्षा मंत्री महोदय आपसे शिक्षा में प्रावधान किया है मन्द बुद्धि के छात्रों के लिए। सूची आपको बनाकर भी दी है, सौ बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं जो बहुत महंगे है उनमें से 32 विद्यार्थी पैसे के अभाव में वहां से छूटकर आये है। तो मेरा एक निवेदन है कि मन्द बुद्धि वालों के लिए एक विद्यालय का प्रावधान किया जाए। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि जो कालेज खोलने की घोषणा आपने की है इसका आपने कोई मानदण्ड तय कर रखा है क्या ?

श्री सभापति : कालेज वाली डिमाण्ड पहले गयी।

श्री शंकर लाल अहारी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम के व्यक्तियों से भरना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : एक सवाल सिर्फ उनका।

श्री रघुवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जब किसी शिक्षक/कर्मचारी की डेथ हो जाती थी तो उसके 45 दिन में एम्प्लाई करना जरूरी थी, उस समय को आप बढ़ाना चाहेंगे ? या क्या विचार है, थोड़ा बताओ सदन को।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह डी.ओ.पी. से संबंधित सवाल है। आज एजुकेशन की मांग है, यह डी.ओ.पी. से संबंधित है।

श्री सभापति : बैठिये, यह निर्णय आप मत करो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्रीमन्, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूर्व वक्तव्य में और अभी भी जो प्रश्न किये है इसके बारे में इतना ही करना चाहता हूं कि [illegible] क्षेत्र में पिछले वर्षों में स्कूल्स नहीं [illegible] लेकिन जो

motorcabs, a specified weight of passengers' luggage shall be carried free of charge, and that the charge, if any, luggage in excess there of shall be at a specified rate;

(viii) that, in the case of motorcabs, a taximeter shall be fitted and maintained in proper working order, if prescribed;

(ix) that the Regional Transport Authority may, after giving notice of not less than one month:-

(a) vary the condition of the permit;

(b) attach to the permit furhter conditions.

(x) that the condtions of permit shall not be departed from save with the approval of the Regional Transport Authority;

(xi) that specified standards of comfort and cleanliness shall be maintained in the vehicles;

(xii) that, except in the circumstances of exceptional nature, the plying of the vehicle or carrying of the passengers shall not be refused;

(xiii) any other condtions which may be prescribed.

(3) (a) The State Government shall, if so directed by the Central Government, having regard to the number of vehicles, road condtions and other relavant matters, by notification in the Official Gazette, direct a State Transport Authority and a Regional Transport Authority to limit the number of contract carriages generally or of any specified type, as may be fixed and specified in the notification onerating on city routes in towns with a poulation of the not less than Mve tax.

(b) Where the number of contract carriages are fixed under clause (a), the Regional Transport Authority shall in considering an application for the grant of permit in respect of any such contract carriage have regard to the following matters, namely:-

(i) financial stability of the applicant;

(ii) satisfactory performance as a

contract carriage operator including payment of tax if the applicant is or has been an operator of contract carriages; and

(iii) such other matter as may be prescribed by the State Government;

Provided that other conditions being equal, preference shall be given to applications for permits from:

(i) the India Tourism Development Corporation

(ii) State Tourism Development corporations;

(iii) State Tourism Departments;

(iv) State transport undertakings;

(v) co-operative societies registered or deemed to have been registered under any enactment for the time being in force;

(vi) ex-servicemen.

88. (9) Not with standing anything contracted in sub section (i) but subject to any rules that may be made by the Central Government under sub-section (14), any State Transport Authority may, for the purpose of promoting tourism grant permits in respect of tourist vehicles valid for the whole of India, or in such contiguous States not being less than three in number including the State in which the pemit is issued as may be specified in such permit in accordance with the choice indicated in the application and the provision of section 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 [2][clause (d) of sub-section (1) of section 87 and section 89] shall, as for as may be, apply in relation to such permits.

परिशिष्ट - 2

(तारांकित प्रश्न संख्या-168 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

आर्थिक सहायता लाभान्वितों एवं लम्बित प्रकरणों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	1.12.98 से 1.3.99 तक दी गई आर्थिक सहायता से लाभान्वितों की संख्या	लम्बित प्रकरण
1.	कोटा	42	40
2.	जयपुर	60	100
3.	बीकानेर	33	40
4.	जोधपुर	25	300
5.	उदयपुर	147	40

परिशिष्ट "ब"

विकलांग लोगों की खेलकूद प्रतियोगिता का विवरण एवं व्यय की सूचना वर्ष 98-99

क्र.स.	संस्था का नाम	प्रतियोगिता का विवरण	आंवटित राशि
1.	राजस्थान डिसऐवल्ड स्पोर्ड्स सोसायटी, जयपुर	टेबल टेनिस प्रतियोगिता	30,000/–
2.	राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फार डिसेएबल्ड, अजमेर	राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता	2,00,000/–
3.	अनुराग संगीत संस्थान, जयपुर	संगीत प्रतियोगिता	20,000/–
4.	प्राचार्य मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास केन्द्र, जयपुर	नेशनल स्पेशल आलम्पिक, 98	9,686/–
5.	अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग कल्याण संस्थान, जयपुर	सांस्कृति समारोह के लिए	15,000/–
6.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर	नेत्रहीन विद्यालयों की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता	25,000/–

1	2	3	4
		6. सुश्री संतोष कुमारी पुत्री श्री बाबूलाल डांगी पुरानी बकरामण्डी, अजमेर	5,000/–
		7. श्री शकील अहमद पुत्र श्री अमीर अहमद अलोगंज, टोंक	5,000/–
		8. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री बच्चालाल मोरबाटीयान, टोंक	5,000/–
		9. श्री रामराज गुर्जर पुत्र श्री रंगलाल गुर्जर लाक, टोंक	5,000/–
5.	जोधपुर	1. श्री शेरसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह सौमतीगेट, जोधपुर	5,000/–
		2. श्री अमीर सिंह पुत्र जगदीश सिंह चौपसनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	5,000/–
		3. सबीना बोनो पुत्री श्री जनाब रसीद खां सुभाषचौक रातानाड़ा, जोधपुर	5,000/–
6.	कोटा	निल	–

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-169 की सूची)

राजस्थान वन सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति कार्यरत अधिकारियों की सूची

वरिष्ठ वेतन श्रंखला के 8 अधिकारी, कनिष्ठ वेतन श्रंखला के 9 अधिकारी, कुल 17 अधिकारी

अनुसूचित जाति

1. श्री दिनेश चन्द्र
2. श्री पी. आर. वर्मा
3. श्री एन. सी. बाकोलिया
4. श्री वेनीराम
5. श्री एम. एन. सोलल
6. श्री के. एस. बड़गर्जर
7. श्री दीपचन्द बैरवा
8. श्री टी. सी. वर्मा
9. श्री धर्मपाल सिंह
10. श्री भूप सिंह
11. श्री लक्ष्मणलाल परमार पुत्र बाबूलाल
12. श्री लक्ष्मणलाल पुत्र डाबरलाल
13. श्री उपकार
14. श्री अमरसिंह गोठवाल
15. श्री ज्ञानचन्द

अनुसूचित जनजाति

1. श्री कैलाश चन्द मीणा
2. श्री रूपनारायण मीणा

यातायात मंत्री)

पूर्ववत कार्यरत है। वर्तमान में चैक पोस्ट निरीक्षण व्यवस्था पुनः चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि परिवर्तित परिस्थितियों में चैक पोस्ट प्रणाली कारगर नहीं है।

(8) जी, नहीं। निगम के लाभ में रहने के मुख्य कारक निगम की प्रबन्धकीय व्यवस्था को सुदृढ़ कर, कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के प्रयत्न प्रमुख रहे हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के छात्रावास

176. श्री शैलेन्द्र जोशी(बांदीकुई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कहां–कहां कुल कितने छात्रावास कार्यरत हैं ? गांवों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावासों में पानी एवं पंखों की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में और छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां–कहां व कब तक ?

उत्तर

(1) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा 2 राजकीय छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं :–

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्थान	स्वीकृत छात्र
1.	राज.अनु.जाति बालक छात्रावास	बांदीकुई	50
2.	राज, अनु. जनजाति छात्रावास	बसवा	25

(2) उक्त छात्रावासों में पानी एवं बिजली की पूर्ण व्यवस्था है। बांदीकुई छात्रवास के लिए सामान्य मरम्मत एवं पंखा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को 25 हजार रुपये आवंटन कर दिये गये हैं।

राज्य सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थान विशेष की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(3) छात्रावास खोलने/स्वीकृत करते समय निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है :–

1– अनुसूचित जातियों जन जातियों में से जिस जाति का छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव हो, उस जाति की उस स्थान पर पर्याप्त जनसंख्या हो।

2– वहां पर सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी विद्यालय हो।

3– छात्रावास हेतु उपयुक्त भवन उपलब्ध हो जिसमें बिजली पानी की व्यवस्था हो।

4– उस स्थान पर आने जाने के साधन उपलब्ध हो।

ग्राम खजूरी (छबड़ा) में वृक्षारोपण प्रकरण

177. श्री प्रताप सिंह सिंघवी(छबड़ा): क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या तहसील छबड़ा के ग्राम खजूरी में छबड़ा रेंज द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त वृक्षारोपण में कार्यरत सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां तो कितना–कितना ?

उत्तर

तहसील छबड़ा के ग्राम खजूरी में 58 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है ? इस वृक्षारोपण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल राशि 4,11,091 रुपये का भुगतान वन विभाग के द्वारा गैंग संगठन मुखिया को किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सड़क निर्माण कार्य

178. श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक उक्त क्षेत्र के किस–किस ग्राम में कितनी ग्रेवल सड़कें बनवाई गई तथा कितने ग्रामों की सड़क का डामरीकरण किया गया और कितनी अपूर्ण हैं ? उक्त सड़कें अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार इस वर्ष उक्त सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक 19 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को विभिन्न प्रकार की सड़कों से जोड़ा गया है। इसमें से 16 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से, 2 ग्राम पंचायतों को मेटल सड़क से एवं एक ग्राम पंचायत को ग्रेवल सड़क से जोड़ा गया है। (विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है)

(2) वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के 17 गांवों को डामर की सड़क से जोड़ा गया है जिसमें 16 ग्राम पंचायत मुख्यालय भी शामिल है। इनमें से 6 गांवों को कृषि मंडी समिति द्वारा, 8 गांवों को ए.डी.पी. योजना के अन्तर्गत एवं 3 ग्रामों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सा.नि.वि. द्वारा जोड़ा गया है। 7 गांवों को मेटल सड़क से जोड़ा गया है जिसमें 2 ग्राम पंचायत मुख्यालय भी शामिल हैं, 7 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा गया है जिसमें 1 ग्राम पंचायत भी शामिल है। जिसकी लम्बाई 15.5 कि.मी. है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 15 सड़कें अधूरी हैं। जिनमें से एक सड़क पर डामर का

(श्री रतन लाल ताम्बी)

और गरीबों को जमीन आवंटन न होने तथा जनता में व्याप्त असंतोष को देखते हुए जहाजपुर क्षेत्र के गांवों की चरागाह भूमि को पुनः चरागाह में इन्द्राज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। बनास नदी पर बनाये जा रहे बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 63 गांवों के विस्थापितों को कृषि प्रयोजनार्थ एवं आवासीय कालोनी विकसित करने के उद्देश्य से जिला टोंक, अजमेर एवं भीलवाड़ा की कुछ तहसीलों में आवंटन हेतु चरागाह भूमि का 60 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित करने और शेष 40 प्रतिशत स्थानीय चरागाह के रूप में रखे जाने के आदेश क्रमांक प. 6 (1) राज/6/95/7 दिनांक 13–3–95 जारी किये गये थे (प्रति परिशिष्ट 'क') संलग्न है।

डूब में आने वाले 63 गांवों में तहसील जहाजपुर का ग्राम मुंशीपुरा भी शामिल है। इन गांवों के विस्थापितों के पुनर्वास की दृष्टि से जहाजपुर तहसील के भी 20 ग्रामों के विभिन्न खसरा नम्बरान की कुल 4701 बीघा 9 बिस्वा चरागाह भूमि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 6 (315) राज/ग्रुप–3/95 दिनांक 12–3–97 के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अधीन आरक्षित करने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि इस प्रकार परिवर्तित भूमि प्रत्येक ग्राम की कुल चरागाह के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–'ख') इस प्रकार 60 प्रतिशत से अधिक चरागाह भूमि आरक्षित नहीं की गई।

(2) जी, हां। इस बाबत आपत्तियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 6 (1) राज/6/95/7 दिनांक 13–3–95 द्वारा लगाई रोक आदेश क्रमांक प. 6(1) राज/6/95 दिनांक 11–6–98 द्वारा हटा ली गई है। (परिशिष्ट–'ग')

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। यह सही है कि राज्य सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास को प्राथमिकता से निपटाने के लिए अजमेर जिले की केकड़ी, भिनाय, टोंक की देवली, टोडारायसिंह व भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के अलावा अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटन पर रोक लगाई थी। (परिशिष्ट–'क')

2–आदेश क्रमांक प. 6 (1) राज–6/95

दिनांक 11–6–98 के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों के अतिक्रमणों को निर्धारित शर्तों पर नियमन किये जा सकेंगे।

(5) भूमिहीन व्यक्तियों के काफी समय से चले आ रहे कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों को नियमानुसार निर्धारित करने हेतु आदेश क्रमांक प. 6 (1) राज/6/95 दिनांक 11–6–98 द्वारा राज्य सरकार ने नियमन पर लगी रोक हटा ली है। यह भी ध्यान रखा गया है के प्रत्येक गांव की कुल चरागाह भूमि की 60 प्रतिशत अधिक भूमि बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के प्रयोजनार्थ आरक्षित/आवंटित नहीं की जावे तथा शेष 40 प्रतिशत चरागाह स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यथावत रखा जावे।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प.6(1)राज/6/95/7 जयपुर, दिनांक 13–3–1995

आदेश

1. बीसलपुर परियोजना क्षेत्र में जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है और ऐसे किसानों ने अपनी जमीन के पास सिवाय–चक या चरागाह भूमि पर स्वयं के खर्चे से कुआं खोदकर उनसे अपनी जमीन पर सिंचाई की है, जांच करने के पश्चात् कि वे कुएं काश्तकार द्वारा स्वयं के खर्चे से खोदे गये हैं, और उस कुएं से उनकी स्वयं की कृषि भूमि सिंचित होती है इन मामलों में खसरा परिवर्तनशील के आधार पर ऐसे कुएं का मुआवजा दिया जायेगा।

2. टोंक जिले की देवली और टोडारायसिंह, अजमेर जिले की केकड़ी तथा भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में बीसलपुर क्षेत्र परियोजना के विस्थापितों को आवंटन हेतु चरागाह भूमि का 60 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया जावे, शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय चारागाह के रूप में रखा जावे। इस कार्य हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में

जिला कलेक्टर को चरागाह भूमि को चरागाह से सिवाय चक में परिवर्तन करने के 4 हैक्टेयर तक के अधिकार दिये हुये हैं, उनमें उपरोक्त चारों तहसीलों के मामले में उपरोक्त सीमा तक छूट मानी जावे।

3. जिला कलेक्टर उपरोक्त प्रकार 60 प्रतिशत चरागाह को विस्थापितों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव संबंधित पंचायतों से पारित कराये या उनसे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें।

4. उपरोक्त चारों तहसीलों में परियोजना के विस्थापितों के अलावा अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटन पर रोक लगाई जाती है।

5. ऐसे विस्थापितों को जिनके नाम पिता या दादा के जीवित होने की स्थिति में जमाबंदी में खातेदार की हैसियत से नहीं है किन्तु उनका भूमि में नोशनल हिस्सा बनता है, उनको मुआवजे के सामान्य नियमों के अन्तर्गत उनके नोशनल हिस्से की सीमा तक पूरी जांच करने के पश्चात् प्राथमिकता पर कृषि भूमि आवंटित की जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी को भूमि अवाप्ति अवार्ड जारी करने से पूर्व भूमि की कीमत का आकलन मौके की स्थिति के अनुसार तथा भूमि के उपयोग के अनुसार धारा 4 की विज्ञप्ति से पूर्व के 4 वर्षों की गिरदावरी के आधार पर विस्तृत कारण देते हुए करना चाहिये।

ह./–

(आई. सी. श्रीवास्तव)

प्रमुख शासन सचिव(राजस्व)

परिशिष्ट 'ख'

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक–प.6(315)राज/ग्रुप–3/95 जयपुर, दिनांक 12.3.97

जिला कलेक्टर,

भीलवाड़ा (राजस्थान)

विषय :– बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिए कृषि भूमि आवंटन एवं पुनर्वास कालोनी हेतु प्रस्ताव।

संदर्भ :– आपका अर्द्ध शासकीय पत्रांक प.12–6(4)आरए/92 दिनांक 12.8.96 तथा दिनांक 31.12.96

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपके प्रस्तावानुसार तहसील जहाजपुर के संलग्न सूची के अनुसार 20 ग्रामों के विभिन्न खसरा नम्बरान की कुल 4701 बीघा 9 बिस्वा भूमि चरागाह से निदेशानुसार खारिज कर बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के कृषि एवं पुनर्वास कालोनी के प्रयोजनार्थ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत आरक्षित करने की स्वीकृति आंशिक संशोधन के साथ एतद् द्वारा इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि इस प्रकार परिवर्तित भूमि प्रत्येक ग्राम की कुल चरागाह भूमि के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

आपके जिला कार्यालय की मूल पत्रावली संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह./–

(उदाराम कुडिया)

शासन उप सचिव

विषय : बीसलपुर विस्थापितों के पुनर्वास हेतु चाही गई वांछित सूचना, (एग्जाही तहसील जहाजपुर)

क्र.स.	ग्राम	गांव की कुल चहागाह भूमि बीघा बिस्वा में	चारागाह भूमि के ख.न.किता	चारागाह भूमि के रकबा	ख.न. जो आरक्षण के लिए प्रस्तावित (मिन)	बिलानाम हेतु प्रस्तावित रकबा	ग्राम का कुल रकबा जो बिलानाम हेतु प्रस्तावित बीघा बिस्वा	प्रतिशत
1.	मामला पालिया	366.06	4	386.06	3	223.05	223.05	58
2.	अमरवाली	906.14	15	906.14	7	539.12	539.12	60
3.	रामनगर	162.13	2	162.13	1	91.00	91.00	56
4.	कुराड़िया	662.00	10	682.00	8	413.01	413.01	60
5.	जहाजपुर	10.03	13	1019.03	8	613.07	613.07	60
6.	निध्याभाटा	53.04	1	53.04	1	32.05	32.05	60
7.	भगतों का झोंपड़ियां	412.00	5	412.00	1	234.00	234.00	57
8.	बाराणी	282.14	9	282.14	2	164.01	164.01	58
9.	माच्या का बाड़ा	632.15	4	632.15	3	226.11	226.11	36*
10.	लक्ष्मीपुरा	125.07	1	125.07	1	76.04	76.04	—
11.	बिन्दी	174.11	1	174.11	1	105.00	105.00	60
12.	गणेशपुरा	119.15	2	119.15	2	72.14	72.14	60
13.	रावतखेड़ा	570.14	17	570.14	13	341.16	341.16	60
14.	घुवाला	331.10	3	331.10	3	200.00	200.00	60
15.	मोरला	67.09	9	67.09	4	40.08	40.08	60
16.	ऊंचा	365.18	8	365.18	6	217.19	217.19	60
17.	खारला पालिया	263.02	4	263.02	2	157.17	157.17	60
18.	कुचलवाड़ाकलां	702.01	18	702.01	2	407.15	407.15	52
19.	किशव विलास	110.08	4	110.06	1	65.00	65.00	60
20.	मांगीलाल	830.16	28	830.18	17	480.14	480.14	58
	कुल योग :	8198.18	158	8198.18	86	4701.09	4701.09	

* शेष भूमि काश्त आबादी नहीं होने से कम कर दी है।

परिशिष्ट "ग"

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषिति : जिला कलेक्टर,

अजमेर/भीलवाड़ा/टोंक।

क्रमांक : प. 6 (1)राज—6/95 जयपुर, दिनांक 11—6—98

आदेश

बीसलपुर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 6 (1)राज—6/95 दिनांक 13.3.95 के द्वारा टोंक जिले की देवली एवं टोडारायसिंह, अजमेर जिले की केकड़ी तथा भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में परियोजना के विस्थापितों के अलावा अन्य व्यक्ति को भूमि आवंटन पर रोक लगाई गई थी। पूर्व केकड़ी तहसील की भिनाय उप—तहसील को क्रमोन्नत कर भिनाय तहसील बना दिया गया है। इस प्रकार भिनाय तहसील भी उक्त रोक में सम्मिलित हो गयी।

उक्त तहसील में बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों को बसाने के लिए कार्यवाही चल रही है। उपरोक्त पांच तहसीलों में कुछ काश्तकारों द्वारा राजकीय भूमि पर कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमण काफी समय से किये हुये है। उपरोक्त रोक से काफी समय से चले आ रहे अतिक्रमणों का नियमन नहीं हो पा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा इन अतिक्रमणों के नियमन करने के संबंध में विचार किया गया। काफी समय से चल रहे इन कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों का नियमन किया जाना आवश्यक है।

अतः निदेशानुसार निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित तहसीलों में राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 एवं इस संबंध में समय—समय पर जारी परिपत्रों के अजमेर जिले की भू—संशोधन संबंधी समस्या को हल करने हेतु जारी परिपत्र क्रमांक 12 (53) राज—1/71 पार्ट दिनांक 24.11.92 के तहत भूमिहीन व्यक्तियों के अतिक्रमणों को निर्धारित शर्तों पर नियमित करने हेतु उक्त रोक लागू नहीं रहेगी।

ह0/—

(के0पी0 सिंघल)

शासन उप सचिव

जिला भरतपुर एवं धौलपुर को विधायक कोष से देय राशि

181. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना)** : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधायक कोटा को निर्बन्ध योजना के अंतर्गत सरकार ने पांच लाख की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा कर रखी है ? यदि हां, तो वर्ष 1998–99 में भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को उक्त राशि उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कार्यों के लिए विधायक कोटे से राशि उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो जिला धौलपुर में सुझाये गये कार्यों की राशि क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार निर्बन्ध राशि योजना–न्तर्गत प्रत्येक विधायक महोदय द्वारा अभिस्तुत जनोपयोगी निर्माण कार्य कराने हेतु उनके विधायक कोटे के अन्तर्गत पांच लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा कर रखी है। वर्ष 1998–99 में जिला भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को उक्त राशि उपलब्ध करायी गई है।

(2) निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत 5.00 लाख रुपये की लागत के कार्यों को कराने के लिए विधायक कोटे से राशि उपलब्ध करायी जाती है। धौलपुर जिले में निर्बन्ध राशि योजना में माननीय विधायकगण द्वारा सुझाये गये कार्यों की स्वीकृति उपरान्त उनके क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त की राशि दी जा चुकी है।

बूंद-बूंद सिंचाई योजना का अनुदान प्रकरण

182. **श्रीमती रमा पायलेट(हिण्डौली)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बूंद–बूंद सिंचाई योजना के अनुदान पर राज्य सरकार ने रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा अपना अनुदान अंश नहीं लगाने के कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान से राज्य सरकार वंचित रही है ?

उत्तर

(1) बूंद–बूंद सिंचाई योजना पर राज्य सरकार ने अनुदान पर रोक नहीं लगाई है, किन्तु राज्य सरकार के आयोजना विभाग द्वारा उद्यान विभाग के लिए वर्ष 1998–99 हेतु निर्धारित संशोधित आयोजना सीमा में ही व्यय सुनिश्चित करने हेतु उद्यान विभाग द्वारा बूंद–बूंद सिंचाई संयंत्रों के अनुदान हेतु पूर्व में आहरण एवं भुगतान अग्रिम आदेशों तक मात्र एक माह की अवधि के लिए स्थगित किये गये थे। बाद में राज्य आयोजना सीमा में वृद्धि किये जाने से बूंद–बूंद सिंचाई योजना के अनुदान हेतु आहरण एवं भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा अपना अनुदान अंश

(कृषि मंत्री)

नहीं लगाने के कारण केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान से राज्य सरकार वंचित नहीं रही है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर मुख्यालय का बस स्टैण्ड प्रकरण

183. डा. जसवन्त सिंह यादव(मुण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने कृपा करगें :–

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में परिवहन निगम की बस सेवा से कितने ग्राम कस्बे जुड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के मुख्यालय पर निर्धारित बस स्टैण्ड न होने के कारण बसें कहीं भी रुक कर यात्रियों को उतार देती हैं जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा होती हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर एक निश्चित जगह बस स्टैण्ड का निर्माण करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कहां एवं कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में परिवहन निगम की बस सेवाओं से जुड़े ग्राम/कस्बों की सूची परिशिष्ट–1 के अनुसार है।

(2) जी, हां। यह सही है कि मुण्डावर में निर्धारित बस स्टैण्ड नहीं है लेकिन निगम का बुकिंग एजेन्ट जिस स्थल पर कार्यरत हैं, वहीं पर बसें रुक कर यात्रियों को चढ़ाती/उतारती हैं।

(3) जी, नहीं। निगम सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ग्राम मुण्डावर में निगम द्वारा बस स्टेण्ड का निर्माण करवाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के ग्राम/कस्बों का विवरण जो निगम बस सेवा से जुड़े हुए हैं।

क्र.स.	मार्ग	ग्राम	कस्बे
1	2	3	4
1.	तिजारा से सराय वाया मुण्डावर	तिनकी रूडी, बल्लूवास सराय कला	मुण्डावर
2.	तिजारा से खानपुर	तिनकी रूडी	खानपुर
3.	तिजारा से बहरोड़ वाया मुण्डावर	तिनकी रूडी, उलाहिडी, सिमाको, पिपली, हटूण्डी	मुण्डावर, सोडावास
4.	अलवर से मुण्डावर	गाजूकी,खानपुर, चिरखाना चिकानी, किथूर,	खैरथल, हरसोली, मुण्डावर

1	2	3	4
		पापडी,घासोली किशनगढ, बासकृपालनगर, तिनकीरूडी	
5.	कोटपूतली से खैरथल वाया बहरोड– सोडावास– मुण्डावर	हदडी,विरूणी, पोपली, सिमाको, उल्हाडी, भेदन्ता, तिनकीरूडी	सोडावास, मुण्डावर

बालोतरा का छात्रावास भवन प्रकरण

184. श्री अमराराम चौधरी(पचपदरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बालोतरा शहर में अनुसूचित जनजाति के लिये छात्रावास भवन का निर्माण प्रारम्भ करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा तथा इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

उत्तर

अनुसूचित जनजाति छात्रावास, बालोतरा के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। भवन निर्माण हेतु संस्थागत वित्त प्रबंध की कार्यवाही की जा रही है। भवन का लागत लगभग 35.68 लाख रुपये आने की संभावना है।

प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के विस्तार की योजना

185. श्री गोविन्द सिंह(नसीराबाद) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की करीब बीस वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी ? क्या इस दौरान राज्य में काफी औद्योगिक विकास हुआ है ? क्या उसी के अनुपात में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का भी विस्तार किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है मण्डल में गत पांच वर्षो से कोई भी नई भर्ती नहीं की गई है ?

(3) क्या औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए हर तहसील मुख्यालय पर उद्योग अधिकारी लगाये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? सरकार बढ़ते हुए औद्योगिक विकास एवं बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हर जिला मुख्यालय पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन–कौन से जिले/तहसील मुख्यालय पर उक्त संदर्भ में कार्यवाही प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.2.75 द्वारा किया गया था। मंडल ने अपने सीमित संसाधनों में, उद्योगों की अधिकता को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं।

(2) जी, नहीं। मण्डल ने पिछले पांच वर्षों पर समय–समय पर आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की भर्ती की है।

(3) तहसील मुख्यालय पर उद्योग अधिकारी लगाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण की आवश्यकता को देखते हुए निम्न स्थानों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं :– कोटा, जोधपुर, अलवर, जयपुर (दक्षिण), उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, जयपुर(उत्तर) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदेश के सम्पूर्ण 32 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की पालना करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त औद्योगीकरण व पर्यावरण संरक्षण में समन्वय स्थापित करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र धौलपुर, चित्तौड़गढ, सिरोही एवं राजसमन्द में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के 4 सहायक अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।

मांडपुर घाटी (बूंदी) का निर्माण प्रकरण

186. **श्री घासीलाल मेघवाल(पाटन)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मांडपुर घाटी (बूंदी) के निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो उक्त घाटी के निर्माण हेतु अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा कितना कार्य शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घाटी के निर्माण के शेष रहे कार्य के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है तथा इसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त घाटी पर पहाड़ की कटाई के बाद आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा ? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सड़क मांडपुर घाटी (जिला बूंदी) 1.50 कि.मी. लम्बाई के निर्माण हेतु वर्ष 94–95 में 15.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त घाटी के निर्माण हेतु अब तक 15.74 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति के [illegible] 1.20 कि.मी. लम्बाई में मांडपुर [illegible] की आंशिक

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कटाई एंव तीन नालों पर पुलियाओं का निर्माण कर पैदल यात्रियों के लिये मार्ग सुगम हो गया है। अब मांडपुर घाटी की कटाई का शेष कार्य एवं मांडपुर मंदिर तक 5.0 कि.मी. लम्बाई में सड़क निर्माण शेष है।

(2) उक्त मांडपुर घाटी के शेष निर्माण (बूंदी–लाखेरी–सवाई माधोपुर एस.एच.–29 से मांडपुर मंदिर तक 5.0 कि.मी. लम्बाई में) के लिये लगभग 113.00 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी एवं इसकी स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी।

(3) जी, हां। मांडपुर मंदिर तक सड़क निर्माण का तकमीना 113.04 लाख रुपये का है जिसकी स्वीकृति उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

सामान्य चिकित्सालय, गंगापुरसिटी का शैय्या प्रकरण

187. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल(गंगापुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सामान्य चिकित्सालयों में आउटडोर–इन्डोर मरीजों की संख्या के अनुपात में शैय्याएं उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो किस अनुपात में व किस प्रक्रिया से ?

(2) सामान्य चिकित्सालय, गंगापुर सिटी में कितनी शैय्याएं मरीजों की भर्ती के लिए उपलब्ध हैं ?

(3) उक्त चिकित्सालय में प्रतिमाह कितने मरीज आते हैं ? क्या चिकित्सालय में उनके हिसाब से शैय्याएं उपलब्ध हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में शैय्याएं बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, कितनी व कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुर सिटी में 50 रोगी शैय्याएं उपलब्ध है।

(3) उक्त चिकित्सालय में गत वर्ष प्रतिमाह औसत 13516 रोगी आउटडोर में तथा 2071 रोगी इन्डोर में उपचार हेतु आये। रोगियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कुछ शैय्याओं की कमी हैं। वर्तमान में सामु. स्वा. के. गंगापुर सिटी में कुल 62 रोगी शैय्याएं स्वीकृत हैं परन्तु भवन व्यवस्था सीमित होने के कारण केवल 50 रोगी शैय्याएं ही लगी हुयी हैं।

(4) व्यय राशि उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

पंचायत समिति तिजारा की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

188. श्री जगमाल सिंह यादव(तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तिजारा के ग्राम उद्यनवास, कुलावट, चुहडपुर, गोधान एवं मेव मुन्डाना, कहरानी में क्रेशर

(श्री जगमाल सिंह यादव)

मालिकों ने सिवाय चक भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किन–किन ने ?

(2) क्या ग्राम पंचायत सिवाय चक जमीन अथवा राजस्व रेकार्ड की जमीन पर क्रेशर लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर सकती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पंचायत समिति तिजारा के ग्राम उधनवास, कुलावट, चुहडपुर, गोधान एवं मेव मुण्डाना, कहर, रानी में क्रेशर मालिकों ने सिवाय चक (सरकारी) जमीनों पर अनधिकृत कब्जा नहीं कर रखा है।

(2) जी, नहीं। ग्राम पंचायत सिवाय चक अथवा राजस्व रेकार्ड के जमीन पर क्रेशर लगाने के लिये सीधी अनापत्ति जारी नहीं कर सकती है, किन्तु जो संपरिवर्तन के लिये आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है, उनके संबंधित अधिकारी द्वारा संपरिवर्तन से पूर्व ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्राप्त की जाती है।

बायोगैस कार्यकर्त्ताओं का सेवा समाप्ति प्रकरण

189. श्री राजेन्द्र राठौड़(चूरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के आदेश कब–कब जारी हुए ? बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त करने हेतु प्रशासनिक निर्णय किस स्तर पर कब हुआ ? निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं को अन्य विभाग में समायोजित किया गया है यदि हां, तो क्यों और किस आदेश के अंतर्गत तथा कितने बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं के प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सेवा समाप्ति के विरुद्ध बायोगैस प्रसार कार्यकर्ता ने मा. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय हुआ तथा मा. उच्च न्यायालय के निर्णय की पालनार्थ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि परियोजना निदेशक अभियांत्रिक (वि.यो.सं.) के मौखिक आदेश से बिना सरकार की सहमति के बायोगैस प्रसार कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

(5) क्या वर्तमान में बायोगैस योजना चालू है ? यदि हां, तो बायोगेस कार्यकर्ताओं की सेवाएं क्यों समाप्त की गई हैं ? विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8(3)

जिला दौसा में फव्वारा सैट पर अनुदान राशि

190. डा. किरोड़ी लाल(बामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले में वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु फव्वारा सैट उपलब्ध कराए गए थे ? यदि हां, तो ग्रामवार एवं पंचायत समितिवार नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्षो में वितरित फव्वारा सैट अनुदान पर दिये गये थे ? यदि हां, तो किस–किस पंचायत समिति में किस–किस किसान को कितना–कितना अनुदान कब–कब दिया गया ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी फव्वारा सैटों का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो भौतिक सत्यापन कर प्रति वर्षवार एवं पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1996–97 एवं 98 में कृषि विभाग, दौसा द्वारा जिले में फव्वारा सैटों पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया गया हैं। कृषकों की ग्रामवार एवं पंचायत समितिवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट अ–ब)

(2) जी, हां। उक्त वर्षों में फव्वारा संयंत्र पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है। सूची पंचायत समितिवार, ग्रामवार एवं कृषकवार अनुदान राशि व दिनांक सहित संलग्न कर प्रेषित है। (परिशिष्ट अ–ब)

(3) जी, हां। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट– स)

(सूचियां प्रश्न शाखा के मूल सैट में रखी गयीं)

शस्त्रों के अनुज्ञापत्र देने का अधिकार प्रकरण

191. श्री देवीसिंह भाटी(कोलायत) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए रोजड़ों को मारने के लिए कुछ पद के अधिकारियों को प्राधिकार–पत्र देने हेतु अधिकृत किया है ? यदि हां, तो किस–किस पदाधिकारी को व उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन किसानों के पास हथियार नहीं हैं उन्हें गृह विभाग से हथियार लाइसेन्स देने के लिए रियायत दिलवाने के लिए नियमों में कितनी शिथिलता की गई हैं ? यदि नहीं, तो किसान रोजड़े किस प्रकार मारेंगे ?

(3) क्या सरकार सिंचित क्षेत्र में किसानों को हथियार लाइसेन्स देने हेतु विशेष छूट दिलवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मण्डल वन अधिकारी/उप–वन संरक्षक/उप–मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक व प्रादेशिक (टेरोटोरियल) रेंजरों के स्तर के अधिकारी को प्राधिकृत किया है। सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। प्रक्रिया में पीड़ित किसान एक प्रार्थना–पत्र इन आदेशों में उल्लेखित सम्बन्धित अधिकारी को देगा जो पूर्ण रूप से जांच कर संतुष्ट होने पर स्वीकृति जारी करेगा।

(2) टोपीदार बन्दूकों के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए राज्य के सीमावर्ती चार जिलों–यथा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर व श्रीगंगानगर को छोड़कर शेष जिलों में सभी तहसीलों के तहसीलदारों को उनके कार्यक्षेत्र में अधिकृत किया गया है। टोपीदार बन्दूकों के अलावा अन्य कुछ हथियारों के अनुज्ञापत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाते हैं। आवेदक द्वारा तहसीलदार को आवेदन करने पर उसकी जांच कर पुलिस से चरित्र सत्यापन कर उसे अनुज्ञा पत्र देने या न देने का निर्णय लिया जाता है।

(3) शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के सम्बन्ध में पूर्व में ही आर्म्स एक्ट एवं नियम बने हुए हैं, जिसके अनुसार ही नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इसलिये सिंचित क्षेत्र के किसानों के लिए हथियार लाइसेन्स देने बाबत विशेष छूट नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प.11(27)वन/91 जयपुर, दिनांक 16.1.1996

अधिसूचना

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम–53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 11(1) बी के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाता है, को मारने की अनुमति दने के लिये अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, बूंदी, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं, कोटा, जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा, जोधुपर, टोंक, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली एवं जयपुर जिले के लिये इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या 11(27)वन/91 दिनांक 3.3.94 के द्वारा मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया गया था।

वन्य जीव संरक्षक अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम–53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब उक्त अधिनियम की धारा 11(1) बी के अन्तर्गत ऐसी नीलगायें

जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिये मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जैसलमेर तथा बीकानेर को भी प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित जिलों के सम्मुख अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को भी प्राधिकृत किया जाता है :–

जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
1. अजमेर	ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर।
2. अलवर	अलवर, बानसूर, बहरोड, किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़। राजगढ़, थानागाजी।
3. बाड़मेर	बायतू, शिव, चौहटन, सिवाना, सिण्धरी, धोरीमन्ना, बालोतरा, बाड़मेर।
4. बारां	बारां, किशनगंज, नाहरगढ़, छींपाबड़ौद, अटरू, शाहबाद।
5 बूंदी	नैनवां, ढाबी, हिण्डोल, बूंदी, इन्द्रगढ़।
6. भरतपुर	बयाना, नदबई, भरतपुर, सीकरी, डीग।
7. भीलवाड़ा	भीलवाड़ा माण्डलगढ़, शाहपुरा, जहाजपुर।
8. सीकर	सीकर, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़।
9. झुंझुनूं	झुंझुनूं, नवलगढ, चिड़ावा, उदयपुरवाटी, खेतड़ी।
10. कोटा	लाडपुरा, मण्डाना, कनवास, सुलतानपुर, मोड़क।
11. जालौर	जालौर, जसवन्तपुरा, सांचोर, रानीवाड़ा, बहौड़ी।
12. नागौर	नागौर, मेड़ता, कुचामन, परबतसर, लाडनूं।
13. श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर, रावला, विजयनगर, श्रीगंगानगर, घड़साना, अनूपगढ़ बांडा, पदमपुर, करणपुर, रोलडी, सुरतगढ़।
14. दौसा	दौसा, बांदीकुई, लालसोट, महुवा।
15. जोधपुर	जोधपुर, बालेसर, बिलाडा, औसियां, फलौदी, वोखा, अराना।
16. टोंक	देवली, टोंक, मालपुरा, निवाई, उनियारा।

जिले का नाम	प्रादेशिक (टैरीटोरियल) रेंज का नाम
17. सिरोही	आबूरोड, पिंडवाडा, सिरोही सिरोडी।
18. पाली	पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, सेंदड़ा।
19. जयपुर	चाकसू, चौमूं, दूदू, जयपुर, शाहपुरा, कोटपूतली, बस्सी, झोटवाड़ा, आमेर, जमवारामगढ़, नाहरगढ़, विराटनगर, जयपुर॥

इस प्रकार की अनुमति पूर्णतया से जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी॥

आज्ञा से,

ह./–

अति.शासन सचिव, वन

राजस्थान-सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प.11(27)वन/91 जयपुर, दिनांक 30 अप्रैल, 1997

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा ज़ारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19.1.96 के क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा 11(1)बी के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय को कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती है, को मारने की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित जिलों के सम्मुख अति प्रादेशिक (टैरीटोरियल) रैन्जरों को भी प्राधिकृत किया जाता है :–

जिले का नाम	प्रादेशिक (टैरीटोरियल) रंजों का नाम
1	2
1. राजसमंद	राजसमंद, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ, मावली।
2. हनुमानगढ़	रावतसर, सादुलशहर, भादरा, हनुमानगढ़ मस्तीवाली, पीलीबंगा, पल्लू, नोहर।
3. चित्तौड़गढ़	चित्तौड़, भैंसरोडगढ़, निम्बाहेडा, बेगूं, खोखेर, विजयपुर।

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	वी.आर.–207	सम्पर्क सड़क बोडीगामा	5.0	–	–	–	5.0
32.	वी.आर.–210	कुशलगढ भोयनघाटी	6.0	–	–	–	6.0
33.	वी.आर.–211	बडौदिया नोगामा सड़क	10.0	–	–	–	10.0
34.	वी.आर.–219	हमीरपुरा घोटिया आम्बा सड़क	11.0	–	1.0	–	12.0
35.	वी.आर.–221	नोगामा बोडीगाम सड़क 0/0 से 5/0	5.0	–	–	–	5.0
36.	वी.आर.–222	बड़ोदिया करजी सड़क	4.0	–	1.0	–	5.0
37.	वी.आर.–229	छीछ पिण्डारमा सड़क 0/0 से 5/0	5.0	–	–	–	5.0
38.	वी.आर.–236	सम्पर्क सड़क नागावाड़ा	–	4.0	–	–	4.0
39.	वी.आर.–237	चोकला भोयन सड़क	3.0	–	3.0	–	6.0
40.	वी.आर.–242	बडौदिया बुडवा सड़क	2.0	–	–	–	2.0
41.	वी.आर.–243	छीछ पाटन सड़क	4.0	–	–	–	4.0
42.	वी.आर.–254	नल्दा बोडीगामा सड़क	1.0	–	3.0	–	4.0
43.	वी.आर.–266	सम्पर्क सड़क उम्मेदगढ़ी	0.5	–	1.0	–	1.5
		योग	333.0	8.5	24.0	4.0	369.5

परिशिष्ट "ब"

स्वीकृत/प्रस्तावित सड़कों की सूची

क्र.स. सड़क का नाम	लम्बाई	स्वीकृत	विशेष विवरण
1. सम्पर्क सड़क झरनिया	1 कि.मी.	स्वीकृत	5054 टी.ए.डी में स्वीकृत

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	वी.आर.–27	बदरेल से बडलिया वाया रतनपुरा	3.0	–	–	–	3.0
17.	वी.आर.–28	वीरपुर से पलासवानी वाया झरनिया	6.0	2.0	–	2.0	10.0
18.	वी.आर.–29	सम्पर्क सड़क झूपेल	3.0	–	–	–	3.0
19.	वी.आर.–31	सम्पर्क सड़क देवगढ़	1.0	0.3	–	–	1.3
पंचायत समिति पीपलखूंट							
20.	वी.आर.–25	सम्पर्क सड़क कोईवाव वाया जहांपुरा	3.0	–	4.0	–	7.0
21.	वी.आर.–36	सरवन फेफर सड़क	4.0	–	–	–	4.0
22.	वी.आर.–38	सम्पर्क सड़क बारी	2.0	2.0	–	–	4.0
23.	वी.आर.–41	सम्पर्क सड़क कोटडा	4.0	–	–	–	4.0
24.	वी.आर.–44	सम्पर्क सड़क नादिया	5.0	–	–	–	5.0
25.	वी.आर.–46	सम्पर्क सड़क खजूरी	4.8	0.2	4.0	–	9.0
26.	वी.आर.–47	सम्पर्क सड़क कुण्डल	5.5	–	–	–	5.5
27.	वी.आर.–33	पीपलखूंट घंटाली दानपुर 30/0 से 47/0	17.0	–	–	–	17.0
पंचायत समिति बागीदौरा							
28.	राजमार्ग सं. 4	प्रतापगढ़ बांसवाडा झालोद रोड कि.मी. 385/0 से 410/0	25.0	–	–	–	25.0
29.	एमडीआर–43	गढी कुशलगढ़ सड़क 31/0 से 38/0	7.0	–	–	–	7.0
30.	वी.आर.–203	छीछ चौराहा से बागीदौरा गागडतलाई	12.0	–	–	–	12.0

जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालय प्रकरण

193. श्री फतेहसिंह(कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने चिकित्सालय हैं तथा उनमें कितने–कितने पद रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या सरकार दूर–दराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) जिला बांसवाडा के चिकित्सालयों को किस मानदण्ड के आधार पर औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में एक जिला चिकित्सालय, पांच औषधालय, एक क्षय निवारण केन्द्र, 10 रेफरल चिकित्सालय (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) 58 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 338 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों की सूची संलग्न हैं।

(2) जी, हां। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भिजवाई गई हैं, तथा दिनांक 24 मार्च,,99 को अनुबन्ध के आधार पर चयनित कर पांच चिकित्सा अधिकारी लगाये गये हैं। वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित होने के उपरान्त ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) राज्य में कार्यरत विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं को निम्नानुसार निर्धारित मापदण्डा–नुसार बजट औषधियों हेतु उपलब्ध करवाया जाता है :–

चिकित्सा संस्थान	राशि
उप केन्द्र	5000/–प्रति वर्ष
डिस्पेन्सरी (बिस्तर रहित)	16,000/–प्रति वर्ष
डिस्पेन्सरी (बिस्तर सहित)	20,000/–प्रति वर्ष
प्रा. स्वा. केन्द्र	24,000/– प्रति वर्ष
सा. स्वा. के. (इन्डोरपेशेन्ट)	2,400/– प्रति बैड प्रति वर्ष
सा. स्वा. के. (आउटडोर पेशेन्ट)	रू. 03/– प्रति दिन प्रति आउटडोर रोगी

चिकित्सालय का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1. महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा	1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	3	एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि) वरिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि) के पद के पद विरुद्ध कार्यरत है।
	2. कनिष्ठ विशेषज्ञ	—	तीन, विशेषज्ञ(चर्म, पैथेलोजी व ई.एन.टी.) के पद विरुद्ध 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडि.) एवं एक बाल रोग कार्यरत है।
	3. उप नियंत्रक	1	
	4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	
	5. चिकित्सा अधिकारी	10	
	6. चिकित्सा अधिकारी (दंत)	1	
	7. नर्स—प्रथम	1	
	8. कार्यालय सहायक	1	
	9. क. लेखाकार	1	
	10. सा. सहायक	1	
	11. डेंटल तकनीशियन	1	
2. क्षय रोग निवारण केन्द्र, बांसवाड़ा	1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय)	1	
	2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय)	1	
	3. बी.सी.जी. तकनी.	1	
	4. टी.बी.एच.वी.	2	
3. (1) सिटी डिसपे.1	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
(2) हाउसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
(3) खाण्डू कालोनी	1. चिकित्सा अधिकारी	1	

1	2	3	4
4. सामुदायिक स्वा. केन्द्र, छोटी सरवन	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	
	2. चिकित्सा अधिकारी	1	
	3. मैल नर्स–प्रथम	1	
	4. मेल नर्स–द्वितीय	1	
	5. संगणक	1	
	6. बी. ई. ई.	1	
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, घंटाली	1. लैब टैक्निशियन	1	
6. प्रा. स्वा. केन्द्र, केलामेला	1. नर्स–ग्रेड–द्वितीय	2	
	2. लैब टैक्निशियन	1	
7. सामु. स्वा. केन्द्र, कुशलगढ़	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	एक चि. अधि. पद विरुद्ध कार्यरत
	2. चि. अधिकारी	1	
	3. दन्त चिकित्सक	1	
	4. मेल नर्स–प्रथम	1	
	5. मेल नर्स–द्वितीय	2	
	6. व.लिपिक	1	
	7. ब्लाक हैल्थ सुरपरवाइजर	2	
	8. क. लेखाकार	1	
	9. संगणक	1	
	10. मलेरिया निरीक्षक	1	
	11. एस.एम.पी.डब्ल्यू	3	
	12. एम.पी.डब्ल्यू	1	
	13. सिस्टर	1	
	14. दंत तक्निशियन	1	
	15. एक्सरे टैक्निशियन	1	
	16. स्टाफ नर्स	1	

1	2	3	4
8. प्रा.स्वा.केन्द्र रामगढ़	1. मैल. नर्स–द्वितीय	2	
9. प्रा.स्वा.केन्द्र मोखमपुरा	1. लैब टैक्निशियन	1	
10. प्रा.स्वा.केन्द्र टिमेडाबड़ा	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
	2. मैल नर्स–द्वितीय	1	
	3. लैब टैक्निशियन	1	
	4. पार्ट टाइम स्वीपर	1	
11. प्रा.स्वा.केन्द्र परतापुर	1. व.चि.अधिकारी	1	
	2. चिकित्सा अधिकारी	1	
	3. नेत्र सहायक	1	
	4. मलेरिया निरीक्षक	1	
	5. बी.ई.ई.	1	
	6. संगणक	1	
12. सा.स्वा.केन्द्र सरेरीबड़ी	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	
	2. चिकित्सा अधिकारी	1	
	3. मैल नर्स–द्वितीय	3	
	4. लैब टैक्निशियन	1	
	5. सहायक रेडियोग्राफर	1	
13. प्रा.स्वा.केन्द्र पालोदा	1 नर्स द्वितीय	1	
14. प्रा.स्वा.केन्द्र लोहारिया	1. लैब टैक्निशियन	1	
15. प्रा.स्वा.केन्द्र भीमपुर	1. लैब टैक्निशियन	1	
16. प्रा.स्वा.केन्द्र कोटड़ा	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
	2. मैल नर्स–द्वितीय	1	
	3. लैब टैक्निशियन	1	

1	2	3	4
17. प्रा.स्वा.केन्द्र, अरथूना	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
	2. वरिष्ठ लिपिक	1	
18. प्रा.स्वा. केन्द्र, आजना	1. लैब टैक्निशियन	1	
19. प्रा.स्वा.केन्द्र बोरी	1. लैब टैक्निशियन	1	
	2. च.श्रे.क.	1	
20. प्रा.स्वा.केन्द्र, गढ़ी	1. चिकित्सा अधिकरी	1	
	2. मेल नर्स–द्वितीय	1	
	3. लैब टैक्निशियन	1	
	4. स्टाफ नर्स	1	
21. प्रा.स्वा.केन्द्र, ओडवाड़ा	1. मेल नर्स–द्वितीय	1	
22. प्रा.स्वा.केन्द्र, गोपी नाथ कागढ़ा	1. लैब टैकनिशियन	1	
23. प्रा.स्वा.केन्द्र, तलवाड़ा	1. बी.ई.ई.	1	
24. प्रा.स्वा.केन्द्र, नयागांव	1. मेल नर्स–द्वितीय	1	
25. प्रा.स्वा.केन्द्र, धलकिया	1. चिकित्सा अधिकरी	1	
	2. लैब टैक्निशियन	1	
26. प्रा.स्वा.केन्द्र, कुहाला	1. मेल नर्स–ii	1	
	2. लैब टैक्निशियन	1	
27. प्रा.स्वा.केन्द्र सुरवानिया	1. चिकित्सा अधिकरी	1	
	2. मेल नर्स–द्वितीय	1	
28. सामु.स्वा.केन्द्र, छोटाडूंगला	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	
	2. चिकित्सा अधिकारी	1	

1	2	3	4
	3. स्वा.निरीक्षक	1	
	4. नेत्र सहायक	1	
	5. क. लेखाकार	1	
	6. मलेरिया निरीक्षक	1	
	7. संगणक	1	
	8. सैक्टर सुपरवाइजर	1	
29. प्रा.स्वा.केन्द्र, बाम्बेसरा	1. लैब टैक्निशियन	1	
30. प्रा.स्वा.केन्द्र, कसारवाड़ी	1. चिकित्सा अधिकरी	1	
	2. लैब टैक्निशियन	1	
	3. वरिष्ठ लिपिक	1	
	4. स्टाफ नर्स	1	
31. सा.स्वा.केन्द्र, गनोड़ा	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	
	2. सहायक रेडियोग्राफर	1	
	3. नेत्र सहायक	1	
	4. संगणक	1	
	5. कनिष्ठ लेखाकार	1	
	6. मलेरिया निरीक्षक	1	
32. सा.स्वा.केन्द्र, घाटोल	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	
	2. लैब टैक्निशियन	1	
33. प्रा.स्वा.केन्द्र,खमेरा	1. लैब टैक्निशियन	1	
34. प्रा.स्वा.केन्द्र, चन्दूजी का गढ़ा	1. लैब. टैक्निशियन	1	
35. प्रा.स्वा.केन्द्र,नरवाली	1. मेल नर्स–द्वितीय	1	
36. प्रा.स्वा.केन्द्र,जगपुरा	1. चिकित्सा अधिकरी	1	
	2. नर्स–द्वितीय	2	
	3. लैब टैक्निशियन	1	

1	2	3	4
37. प्रा.स्वा.केन्द्र,भूंगडा	1. लैब टैक्निशियन	1	
38. सा.स्वा.केन्द्र, आनन्दपुरी	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	एक चि.अधि.क.वि.के पद विरुद्ध कार्यरत है।
	2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	
	3. मेल नर्स – प्रथम	1	
	4. रेडियोग्राफर	1	
	5. क.लेखाकार	1	
	6. संगणक	1	
	7. नेत्र सहायक	1	
	8. कनिष्ठ लिपिक	1	
	9. बी.एच.एस.	1	
39. प्रा. स्वा.केन्द्र, लहरपुरा	1. लैब टैकनिशियन	1	
40. प्रा.स्वा.केन्द्र, उदयपुराबड़ा	1. चिकित्सा अधिकारी	1	
	2. लैब टैक्निशियन	1	
41. प्रा.स्वा.केन्द्र, चान्दरवाड़ा	1. मेल नर्स–द्वितीय	1	
42. सा.स्वा.केन्द्र. बागीदोरा	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	
	2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	
	3. रेडियोग्राफर	1	
	4. वाहन चालक	1	
	5. लैब टैक्निशियन	1	
43. प्रा.स्वा.केन्द्र, छींछ	1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	
	2. कनिष्ठ लेखाकार	1	
	3. बी.ई.ई.	1	
	4. संगणक	1	
	5. सैक्टर सुपरवाईजर	2	
	6. मलेरिया निरीक्षक	1	
	7. एम.पी.डब्ल्यू	1	

1	2	3	4
44. प्रा. स्वा.केन्द्र, नौवां	1. लैब टैक्निशियन 2. स्वीपर	1 1	
45. प्रा.स्वा.केन्द्र, सल्लोपाट	1. चिकित्सा अधिकारी 2. लैब टैक्निशियन	1 1	
46. प्रा.स्वा.केन्द्र, शेरगढ़	1. महिला स्वा. दर्शिका 2. स्वीपर	1 1	
47. प्रा.स्वा.केन्द्र, गागडतलाई	1. लैब टैक्निशियन	1	
48. प्रा.स्वा.केन्द्र, कालीजंरा	1. लैब टैक्निशियन	1	
49. प्रा.स्वा.केन्द्र बड़ोदिया।	1. महिला स्वा. दर्शिका	1	
50.प्रा.स्वा.केन्द्र जोलाना	1. लैब टैक्निशियन	1	

देवस्थान की भूमि पर खनन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र प्रकरण

194. **श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनू)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग की भूमि पर खनन कार्य करने के लिए खनिज को अनापति प्रमाण–पत्र विभाग द्वारा जारी किये जाते है, जिसके आधार पर खनन पट्टे खनिज विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं ? यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने अनापत्ति प्रमाण–पत्र देवस्थान विभाग ने जारी किये जिसके आधार पर कहां–कहां पर किस–किस को कितने–कितने क्षेत्रफल का पट्टा खनिज विभाग ने दिया ? उक्त पट्टों से सरकारी को कितनी–कितनी आय हो रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकारी द्वारा भूमि के खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो कब से और क्या तथा नियमों के तहत किस अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का अधिकार है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खानों का किराया किस आधार पर तय किया जाता है तथा विभाग को किस की ओर से किस प्रकार से [illegible] हो रहा है ? यदि बकाया हो तो [illegible] .कस में कब–कब

(श्री हरजीराम बुरडक)

से, कितना–कितना ? सरकार उक्त वसूली के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिए ही खनिज विभाग से खननं पट्टा देवस्थान की भूमि पर जारी कर दिया ? यदि हां, तो कौन–कौनसे ऐसे पट्टे कहां–कहां पर किस–किस के नाम जारी किये तथा इस संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी, हां। 33 भू–खण्ड हेतु 20 अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट –1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। अनापत्ति प्रमाण–पत्र राज्य सरकार/आयुक्त द्वारा जारी किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति एवं आज्ञा परिशिष्ट–2 एवं 3 सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) देवस्थान विभाग द्वारा खनन योग्य भूमि को किराये पर नहीं दिया जाता है, अपितु मन्दिरों की भूमि में खनन कार्य करने हेतु खातेदार के रूप में जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के एवज में परिशिष्ट–2 व 3 के अनुसार निर्धारित राशि वसूल योग्य है। बकाया का विवरण परिशिष्ट–4 संलग्न है। संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा वसूली हेतु नोटिस दिये जाकर वसूली के प्रसास जारी है।

(4) जी, हां। सूची परिशिष्ट–5 संलग्न है। विभाग द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

(विवरण एवं नीति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भिवाड़ी से करौली राज मार्ग का निर्माण प्रकरण

195. **श्री जनार्दन गहलोत**(करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भिवाड़ी से वाया मण्डावर महुवा–करौली तक राज मार्ग का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पांचना बांध के ऊपर से लेने का प्रावधान था ?

(3) क्या उक्त योजना के तहत उक्त मार्ग पर पांचना नदी के पास पुल निर्माण पुल निगम द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या करौली क्षेत्र में शेष बची 14 कि.मी. सड़क को भी बनाने की योजना है ? अब कब तक उक्त सड़क का निर्माण पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना के तहत करौली शहर को बाईपास योजना में गंगापुर मार्ग होते हुए मंडरायल मार्ग की तरफ से मिलाना भी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्रियान्विति कब तक होगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। भिवाड़ी से वाया मंडावर महुवा होते हुए करौली से 14 कि.मी. पूर्व तक निर्माण/चौड़ाईकरण/सुदृढ़ीकरण विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत कराया गया है। उक्त मार्ग पर 2/99 तक 102.74 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

(2) उपरोक्त सड़क का विश्व बैंक पोषित योजना अन्तर्गत पांचना बांध के ऊपर से ले जाने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन उक्त

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कार्य का कुछ भाग पांचना बांध के भराव क्षेत्र में आने के कारण वैकल्पिक मार्ग को बांध के ऊपर से लेने का पांचना बांध की परियोजना के तहत प्रावधान है।

(3) इस पुल का निर्माण विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत नहीं कराया गया है, लेकिन सिंचाई विभाग की पांचना बांध परियोजना एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत पुल का निर्माण पुल निगम द्वारा कराया गया है। वैकल्पिक मार्ग (कि.मी. 43/0 से 51/0 तक बांध पर से होता हुआ) का निर्माण पांचना बांध परियोजना में सम्मिलित है जिसका निर्माण आंशिक भाग में सिंचाई विभाग द्वारा जमा कराई गई राशि के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है एवं इस सड़क भाग में बरखेड़ा पुल की एप्रोच में (पांचना बांध की तरफ वाली एप्रोच में) लगभग 350 मीटर लम्बाई में वन क्षेत्र में आने के कारण निर्माण लम्बित है। वैकल्पिक मार्ग का शेष भाग सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है, जिसमें से कुछ का निर्माण किया जा चुका है। शेष लगभग 6 कि.मी. लम्बाई का निर्माण/सुदृढ़ीकरण की अभी कोई योजना नहीं है। वैकल्पिक मार्ग का निर्माण वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर ही निर्भर करता है।

(4) विश्व बैंक पोषित योजना अन्तर्गत करौली शहर में लगभग 3 कि.मी. सड़क का सुधार कार्य प्रस्तावित था जिसके तहत वर्तमान सड़क के कि.मी. 40/0 एवं 43/0 के मध्य री–एलायनमैंट प्रस्तावित था। विश्व बैंक पोषित योजना की क्रियान्विति जून, 96 में समाप्त हो जाने के कारण एवं री–एलायनमैंट निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति नहीं होने के कारण यह कार्य नहीं कराया जा सका।

यह कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकताओं के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

जिला सीकर में फव्वारा सिंचाई योजना के लम्बित प्रकरण

196. **श्री अमराराम(धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–**

(1) जिला सीकर में गत पांच वर्षों में फव्वारा अनुदान हेतु वर्षवार कितने किसानों ने आवेदन किया तथा कितनों को अनुदान मिला तथा कितने अभी शेष हैं ? किसानों को अनुदान नहीं मिलने के क्या कारण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में फंव्वारा अनुदान की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में पिछले पांच वर्षों में 11579 पत्रावलियां अनुदान हेतु पंजीकृत हुई एवं 10914 किसानों को अनुदान स्वीकृत किया गया। अब केवल 34 पत्रावलियां अनुदान करनी शेष हैं, जिन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिलने के कारण लम्बित रखी है। अनुदान हेतु लम्बित रखी गई पत्रावलियों का किसानवार ब्यौरा परिशिष्ट–'ए' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों की पत्रावलियों का पंजीकरण कर ऋण एवं अनुदान स्वीकृत किया जाता है तथा कामर्शियल बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के लिए काश्तकारों की पत्रावलियों का पंजीकरण कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। कामर्शियल बैंकों द्वारा इन पत्रावलियों पर ऋण स्वीकृति के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत कर अनुदान राशि संबंधित बैंक को भिजवाई जाती है जो संबंधित काश्तकार के खाते में जमा हो जाती है।

परिशिष्ट-'अ'

फव्वारा सैटों के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु लम्बित पत्रावलियों की सूची

क्र.स.	काश्तकार मय पिता	ग्राम	बैंक का नाम
1	2	3	4
1.	श्री खेमा राम/ठाकरू	आमावास	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
2.	श्री नारायण लाल	मूंडरू	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
3.	श्री तोफाना/मूंगा	आमावास	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
4.	श्री रामेश्वर/मुन्ना	मूंडरू	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
5.	श्री गोपीराम/लादूराम	आमावास	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
6.	श्री भंवरलाल/जगन्नाथ	तिमारला	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
7.	श्री फूसाराम/रतनाराम	लोहरवाड़ा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
8.	श्री गौरूराम/मूवाराम	जयरामपुरा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
9.	श्री मूलसिंह/गणपतसिंह	टोडा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
10.	श्री परसाराम/मांगूराम	लोहरवाडा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
11.	श्री जोधाराम/मोसीराम	जयरामपुरा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
12.	श्री भंवरलाल/सवाई	अरनिया	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
13.	श्री भगवानसिंह/रामसिंह	कोलया	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
14.	श्रीमती सुरजीदेवी/जगदीश स्वामी	फुटाला	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
15.	श्री गोविन्दा/बालराम	कोटडीधामन्य	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
16.	श्री जगदीश/गोरूराम	पदमपुरा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक

1	2	3	4
17.	श्री मनसाराम/नारायण	लोहरवाड़ा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
18.	श्री घीसीदेवी/तेजा	पितमपुरी	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
19.	श्री प्रेमराम/खमाना	कोटडीधीत्यन	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
20.	श्री ज्यानादेवी/हणमान	नागल	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
21.	श्री छोटूराम/भूराराम	गढटकनेत	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
22.	श्री गोपीराम/सूथाराम	मऊ	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
23.	श्री सुरजमल/बाघू	गढटकनेत	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
24.	श्री सायरकंवर/सुरजीतसिंह	कोलवा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
25.	श्री शिवदयालसिंह/रिछपालसिंह	कोलवा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
26.	श्री गोपाल/छगन	मूंडरू	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
27.	श्री अर्जुन/नारायण	सिमारला	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
28.	श्रीमती छोटी/कानाराम	कोलवा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
29.	श्री पतीदेवी/लादूराम	रतनपुरा	सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक
30.	श्री श्रवण,गोदू,वाधा/लिखमा	जीवास	धोद पी.एन.बी. बाडलवास
31.	श्री नारायणसिंह/दानसिंह	पालवास	धोद एस.बी.बी.जे. सीकर
32.	श्री बजरंगलाल/रामकुमार पारीक	नौसाली	एस.जी.बी. करड
33.	श्री गोविन्दराम/नारायणलाल	पचार/दांतारामगढ़	एस.जी.बी. पचार
34.	श्री कानाराम/महादाराम	बढाढर/धोद	पी.एन.वी. रसीदपुरा

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-235 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

गत पांच वर्षों में तहसील चौहटन में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.स.	वर्ष	पूर्व केसेज प्रकरण	दायर प्रकरण	योग	बेदखली के आदेश दिये गये	शेष प्रकरण
1.	1994–95	2672	2994	5666	4717	949
2.	1995–96	949	2510	3459	2907	552
3.	1996–97	552	2272	2824	2563	261
4.	1997–98	261	2146	2407	2205	202
5.	1998–99	202	1772	1974	1815	159

परिशिष्ट "ख"

बाबत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में पश्चातवर्ती अतिक्रमियों को दी गयी सजा की सूची

क्र.स.	मु.न.	नाम अतिक्रमी मय पिता	गांव	ख.नं.	रकबा	सजा
1.	171/98	श्री विरधा पुत्र मोडा	ओगाला	629	20/	3 माह
2.	247/98	श्री सलीम पुत्र अती मो.	सैडवा	343/3 गोचार	5 बिस्वा	3 माह
3.	356/98	श्री सला पुत्र अदला मुस.	भूणिया	289	11/5	3 माह
4.	357/98	श्री मुकीम पुत्र जुमा मुस.	भूणिया	289	11/8	3 माह
5.	506/98	श्री प्रताप वगैरा	चौहटन	651/27/2	14/	3 माह
6.	509/98	श्री भैरा पुत्र ऊदा	चौहटन	651/27/2	6/	3 माह
7.	513/98	श्री भागीरथ वगैरा	चौहटन	344/2/2	32	3 माह

परिशिष्ट -"ग"

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

प्रेषिति : जिलाधीश
जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर,
नागौर, पाली, बीकानेर और चूरू।

क्रमांक : प.6(9)राज./ग्रुप–4/78 जयपुर, दिनांक 21.4.76

विषय : मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने तथा मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिये आरक्षित रखने हेतु।

महोदय,

मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न कर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिये आरक्षित रखे जाने के संबंध में राजस्व (ग्रुप–3) विभाग के परिपत्र संख्या प.3(16)राज./ग्रुप–3 दिनांक 20.8.75 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि सीलिंग कानून के तहत अवाप्त भूमि के नियमानुसार आवंटन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं माना जावे तथा राजकीय अनधिकृत भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों का राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र के अनुसार नियमन किया जावें।

राज्य सरकार के मरुस्थलीय जिलों में स्थित भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन न करने तथा मरूस्थली विकास कार्यक्रम के लिये आरक्षित रखे जाने के प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है कि मरुस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर तक भूमि के टुकड़े के आवंटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नहीं किया जावे।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में एक हैक्टेयर तक के टुकड़े में स्थित भूमि के आंवटन के सिवाय अन्य किसी कृषि भूमि का आवंटन नही किया जावे। ऐसे एक हैक्टेयर भूमि के टुकड़ों का आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 में उल्लेखित आवंटन हेतु निषेध क्षेत्र आवंटन के लिये व्यक्तियों की योग्यता एवं प्राथमिकता तथा अन्य प्रावधानों को मद्दे नज़र रखा जाकर उक्त नियमों के अधीन किया जावे। एक हैक्टेयर से अधिक का सिवाय चक क्षेत्र मरुस्थलीय विकास के लिये आरक्षित रखा जावे।

भवदीय
ह./–
शासन उप सचिव राजस्व

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-236 की सूचियां)

परिशिष्ट "अ"

नियमन संबंधी पत्रावलियों की सूची (चरागाह)

क्र. स.	नाम अतिक्रमी	नाम ग्राम	रकबा (बीघा - बिस्वा)
1	2	3	4
1.	धन्ना पुत्र श्री मांगया माली	नन्देरा	2—05
2.	राधाकिशन पुत्र श्री भौरया गूजर	नन्देरा	5—00
3.	हजारी पुत्र श्री मलजी दरोगा	नन्देरा	5—03
4.	माधोसिंह पुत्र श्री देवी सिंह राजपूत	अनन्तवाड़ा	7—00
5.	बाल्या वगै. पुत्र श्री मंगला माली	पून्दरपाड़ा	9—00
6.	मक्खनसिंह पुत्र श्री माधोसिंह राजपूत	मोदूका	2—06
7.	बक्ससिंह पुत्र श्री किशनसिंह राजपूत	राजाहेड़ा	0—15
8.	कैलास वगै. पुत्र श्री श्रीनारायण ब्राह्मण	महुखुर्द	2—05
9.	काल्या, कंचन वगै. पुत्र श्री श्रवण मीणा	महुखुर्द	2—05
10.	चिरंजीलाल पुत्र श्री बाल्या जोगी	हाण्डली	0—18
11.	होडिया पुत्र श्योजी मीणा	निहालपुरा	3—10
12.	वोदन वगै. पुत्र श्री कन्हैया मीणा	बैजूपाड़ा	1—01
13.	भागीरथ सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत	बैजूपाडा	5—13
14.	आनन्दा पुत्र श्री झूथा मीणा	हिंगोटा	1—00
15.	रामदेव पुत्र श्री रेवड़ चमार	हिगोटा	5—02
16.	श्रवण पुत्र श्री किशनलाल ब्राह्मण	हिगोटा	0—11
17.	भीखा पुत्र श्री छोट्या मीणा	बावडीखेड़ा	1—10
18	राजपाल पुत्र श्री गंगासहाय मीणा	हिंगोटा	6—00

1	2	3	4
19.	नथ्या पुत्र श्री ग्यारसा जोगी	हाण्डली	0–08
20.	प्रभुदयाल पुत्र श्री जगन्नाथ ब्राह्मण	महुखुर्द	2–00
21.	रामकिशोर पुत्र श्री सुखराम मीणा	बालाहेडा	4–15
22.	मूलचंद पुत्र श्री रामपाल मीणा	झूथाहेडाकलां	6–00
23.	कैलास पुत्र श्री नन्दराम ब्राह्मण	रामपुरिया का वास	0–18
24.	विश्राम वगै. पुत्र श्री घासी बैरवा	गिरधरपुरा	1–01
25.	छोटूसिंह पुत्र श्री कंचन गूजर	बसवा	10–00
26.	कंचन पुत्र श्री सेडया गूजर	बसवा	1–19
27.	मांगीलाल पुत्र श्री रामजीलाल मीणा	रेवासा	10–00
28.	बुद्धा पुत्र श्री रणजीता मीणा	रेवासा	15–00
29.	गिलोर पुत्र श्री मूल्या मीणा	झाझीरामपुरा	2–00
30.	रामकिशोर पुत्र श्री ग्यारसा मीणा	पंडितपुरा	1–10
31.	लीला पुत्र श्री लाला मीणा	भावती	0–05
32.	मूल्या पुत्र श्री धन्ना मीणा	भावती	5–00
33.	श्रवण पुत्र श्री काना कोली	वगडेडा	1–14
34.	हरचंदा पुत्र श्री मांगया मीणा	भावती	2–00
35.	प्रभुदयाल पुत्र श्री कालूराम ब्राह्मण	श्यामपुरा	6–00
36.	किशनलाल पुत्र श्री उमराव गूजर	गुढ़ाकटला	2–00
37.	सोमनाथ पुत्र श्री जैला गूजर	गादरवाड़ा गूजरान	7–10
38.	हरिसिंह वगै. पुत्र श्री कालूसिंह गूजर	यथा	8–00
39.	श्रीया पुत्र श्री किशना गूजर	यथा	8–00
40.	रामजीलाल पुत्र श्री कौरंया गूजर	यथा	4–10
41.	रामसहाय पुत्र श्री मांगया गूजर	यथा	5–00
42.	कन्हैया पुत्र श्री मीमा गूजर	यथा	2–00
43.	गंगासहाय पुत्र श्री रामसहाय गूजर	यथा	5–00

1	2	3	4
44.	श्रीकिशन पुत्र श्री रामसहाय गूजर	यथा	3—00
45.	गंगासहाय पुत्र श्री रामसहाय गूजर	यथा	1—00
46.	रामस्वरूप पुत्र श्री रामनिवास गूजर	यथा	2—05
47.	हरसहाय पुत्र श्री कन्हैया वगै. ब्राह्मण	श्यामपुरा	4—00
48.	बन्सी पुत्र श्री सुखपाल गूजर	पीचूपाड़ा—कलां	2—18
49.	आन्य वगै. पुत्र भागीरथ माली	पीचूपाड़ा—खुर्द	4—11
50.	बद्री पुत्र श्री नोन्दा वगै. माली	यथा	4—00
51.	छाज्या पुत्र श्री छीतर गूजर	गादरवाड़ा गूजरान	3—00
52.	आनन्दा पुत्र श्री परसा बैरवा	श्यालावास कलां	0—15
53.	रामप्रताप पुत्र श्री सोन्या गूजर	श्यालावास—खुर्द	2—00
54.	रामकुमार पुत्र श्री भौरया गूजर	यथा	2—15
55.	बच्चूसिंह पुत्र श्री रामजीलाल गूजर	यथा	3—00
56.	रामसिंह पुत्र श्री गणेश गूजर	यथा	2—00
57.	मूलचंद पुत्र श्री कानाराम गूजर	यथा	1—00
58.	हरसहाय पुत्र श्री भौरेलाल गूजर	यथा	1—15
59.	बहादुरसिंह पुत्र श्री बक्ससिंह राजपूत	सुनगाड़ी	2—15
60.	किशनलाल पुत्र श्री लोहड्या बैरवा	अरनिया	10—04
61.	पूरण पुत्र श्री हरसहाय बैरवा	अरनिया	1—00
62.	रीता पुत्र श्री नानगा बैरवा	कीरतपुरा	1—02
63.	रामधन पुत्र श्री रामसहाय माली	यथा	2—04
64.	छोटक्या पुत्र श्री नोन्दा माली	यथा	1—10
65.	मुकन्दा पुत्र श्री औंकार माली	अरनिया	3—00
		कुल योग	212—10

जिला कलेक्टर, दौसा

परिशिष्ट "अ"

नियमन संबंधी पत्रावलियों की सूची (सिवाय-चक भूमियों की)

क्र. स.	नाम अतिक्रमी	नाम ग्राम	रकबा (बीघा - बिस्वा)
1	2	3	4
1.	श्री नारायणदास बाबा	बास–बिवाई	2–10
2.	रामकरण पुत्र श्री भैरूं गूजर	लीलोज	3–00
3.	जीता पुत्र टूण्डा गूजर	नन्देरा	3–10
4.	मंगला पुत्र श्री भूरा माली	नन्देरा	3–10
5.	रामधन वगै. पुत्र श्री मांगया कुम्हार	नन्देरा	0–10
6.	रामेश पुत्र श्री बालया माली	नन्देरा	6–00
7.	भब्वड वगै. पुत्र श्री सडया माली	मूडधिस्या	1–12
8.	रामल्या पुत्र श्री काल्या माली	यथा	1–11
9.	गंगासहाय पुत्र श्री कजोड़ वगै	यथा	7–13
10.	हरिया पुत्र श्री मंगला माली	यथा	1–11
11.	भौरया पुत्र श्री हाबूडा माली	बिवाई	3–00
12.	दूला पुत्र श्री सोन्या मीणा	पातरखेड़ा	1–05
13.	कंवरा पुत्र श्री नानगा मीणा	यथा	1–11
14.	हरसहाय पुत्र श्री सोन्या मीणा	महुखुर्द	1–06
15.	सुरेश पुत्र श्री बाबूलाल ब्राह्मण	महुकलां	1–17
16.	भैरू सहाय पुत्र श्री दुर्गालाल ब्राह्मण	महुकलां	1–17
17.	रामहेत पुत्र श्री जगन्नाथ ब्राह्मण	महुकलां	2–01
18.	विशम्बर पुत्र श्री लक्ष्मन ब्राह्मण	महुकलां	1–17
19.	अमरचन्द पुत्र श्री गोकल मीणा	ढिंगारियाकपूर	2–00
20.	विश्राम पुत्र श्री श्रवण वगै. मीणा	लोटवाड़ा	1–13
21.	मोतीसिंह पुत्र श्री चतरसिंह राजपूत	गोलाड़ा	2–16

1	2	3	4
22.	मंगड्या पुत्र श्री हरचंदा मीणा	बालहेड़ा	1–00
23.	सूरजमल पुत्र श्री रामसहाय मीणा	हिंगोटा	9–16
24.	गिरधारी पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा	कांकरवास	1–10
25.	बन्सी पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा	यथा	6–00
26.	किशनलाल पुत्र श्री खूण्डा मीणा	यथा	5–00
27.	ख्याली पुत्र श्री बुद्धा मीणा	यथा	1–15
28.	अब्दुल हमीद नागोरी	दूर्सवा	0–03
29.	सीताराम पुत्र श्री ठाकरया मीणा	वसवा	0–02
30	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मंगला मीणा	जैतपुरा	0–07
31.	हरचन्द्र पुत्र श्री गोविन्दा मीणा	जैतपुरा	0–10
32.	रामचन्द्र पुत्र श्री थाना मीणा	ऐचेडी	0–10
33.	सुक्का पुत्र श्री नन्दा माली	कोलाना	15–00
34.	सोन्या पुत्र श्री रामलाल मीणा	काटरवाड़ा	0–05
35.	छाजूलाल पुत्र श्री चन्द्रा मीणा	काटरवाड़ा	0–14
36.	नाथ्या पुत्र श्री परस्या मीणा	बडियाल–खुर्द	0–05
37.	सियाराम पुत्र श्री हरबक्स	यथा	0–15
38.	रणजीता पुत्र श्री कन्हैया कुम्हार	भावता	0–00
39.	जीता पुत्र श्री भैरया वगै. मीणा	भावता	1–00
40.	रूधनाथ पुत्र श्री गणेश मीणा	भावता	0–12
41.	कजोड़ पुत्र श्री श्रवण मीणा	भावता	1–19
42.	रामकिशन पुत्र श्री गंगाधूर मीणा	भावती	9–12
43.	रूडा पुत्र श्री मेवा जोशी	बगड़ेडा	2–16
44.	नात्या पुत्र श्री रामपाल गूजर	यथा	0.03
45.	गंगाधर पुत्र श्री भागला गूजर	यथा	0–14
46.	विश्राम पुत्र श्री हजारी गूजर	सुमेल–कलां	0–14

1	2	3	4
47.	बिरदा पुत्र श्री दाना गूजर	यथा	4–06
48.	रामरतन पुत्र सोला गूजर	यथा	0–06
49.	रामजीलाल पुत्र श्री शंकर गूजर	यथा	3–14
50.	रामस्वरूप पुत्र श्री रामनिवास गूजर	गादरवाड़ा गूजरान	1–07
51.	नाथूलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण गूजर	यथा	1–07
52.	धन्ना पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	रेहडियां	6–00
53.	रेवड़या पुत्र श्री सेडया माली	चांदेरा	5–00
54.	सुरजन पुत्र श्री नारायण मीणा	दुड़की	1–10
55.	सोन्या पुत्र श्री रामकुवार गूजर	रेहडिया	8–14
56.	लूणसिंह पुत्र श्री कालूसिंह राजपूत	गुढलिया	2–01
57.	मंजीतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राजपूत	यथा	4–03
58.	भीकमसिंह पुत्र श्री औकारसिंह राजपूत	बांदीकुई जागीर	0–03
59.	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत	यथा	0–15
60	चुन्नीबाई/गोकुल दर्जी	यथा	1–10
61.	कैलास पुत्र श्री हरलाल माली	यथा	0–08
62.	लक्ष्मन पुत्र श्री मेहता माली	प्रतापपुरा	2–10
63.	मूलचन्द पुत्र श्री जीवणु माली	गोराड़ी	5–00
64.	लल्लू पुत्र श्री सोहनपाल माली	यथा	2–18
65.	सोन्या पुत्र श्री ग्यारसा माली	यथा	1–10
66.	बाबूलाल पुत्र श्री मूलचन्द माली	यथा	0–10
67.	डूंगा पुत्र श्री आनन्दा गूजर	यथा	3–00
68.	रामसिंह पुत्र श्री श्रवण गूजर	खूंटला	1–10
69.	सोन्या पुत्र श्री रामचन्द्र कुम्हार	पीचूपाड़ा कलां	0–19
70.	अमरसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण गूजर	श्यालावास–कलां	6–00
71.	राधा/रूगनाथ राजपूत	यथा	2–00

1	2	3	4
72.	रामनिवास पुत्र श्री रामजीलाल गूजर	यथा	1–05
73.	पांच्या पुत्र श्री भूरया माली	जस्सापाड़ा	1–00
74.	खेला पुत्र श्री हरिया माली	आभानेरी	4–00
75	प्रहलाद पुत्र श्री इन्द्रा माली	ऊनबड़ागांव	3–00
76.	मूलचंद पुत्र श्री बद्री महाजन	यथा	2–00
77.	रामधन पुत्र श्री भोरया माली	अरनिया	1–00
		योग	191–10

ह/–

जिला कलक्टर, दौसा

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-240 की प्रति)

कार्यालय जिला कलेटर, उदयपुर

क्रमांक : प.39/1(1)राजस्व/98/600–14 दिनांक 21 मार्च, 98

आदेश

तहसील सराडा के ग्राम भटवाडा की आराजी नम्बर 1 में से रकबा 10.95 4 रकबा 1.22 8 रकबा 0.16, 10 रकबा 0.17, 11 रकबा 0.20 13 रकबा 0.41, 15 रकबा 5.65 26/9 रकबा 10.03 व 27/9 रकबा 0.04 हैक्टेयर एवं अनसेटाल्ड रकबा 1.08 हैक्टेयर कुल रकबा 19.91 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम हस्तानान्तरण करने की एतद् द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

ह./–

जिला कलेक्टर, उदयपुर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-245 का विवरण)

एनक्चर "क"

मद में वार्षिक सहायता एवं वार्षिक खर्चे का विवरण निम्नप्रकार से हैं :

वर्ष	बजट मद	प्राप्त राशि	खर्च राशि के मुख्य मद
1994–95	2401 क्राप हंजबेण्ड्री	26,81,000.00	1.सन् 2020 तक राज. कृषि
1995–96	2401 यथा	2,82,30,218.00	विश्वविद्यालय के लिए
1996–97	2401 यथा	20,00,000.00	विकास योजना तैयार
1997–98	2401 यथा	1,50,00,000.00	करना.
		4,79,11,218.00	2. संकाय सुधार कार्यक्रम एवं मैसर्स राज रावल एसोसिएट, नई–दिल्ली (वास्तु परामर्शक को भुगतान हेतु)
1996–97	4401कैपीटल आउटले (II) यंत्र एवं उपकरण	1,00,00,000.00	वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण क्रय करने हेतु
1997–98	यथा	4,00,00,000.00	
		3,00,00,000.00	
1998–99	यथा	75,00,000.00	
		1,87,18,000.00	
		10,62,18,000.00	
1996–97	4401कैपीटल आउटले (II) निर्माण कार्य	1,31,40,000.00	भवन निर्माण कार्य, मुख्य परिसर एवं राज. कृषि
1997–98	यथा	2,75,60,000.00	विश्वविद्यालय के अन्य
		4,24,40,000.00	परिसरों पर
1998–99	यथा	4,75,00,000.00	
		5,50,00,000.00	
		18,56,40,000.00	

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-246 की प्रति)

परिशिष्ट ''क''

कपास फसल में पत्ती मोडक रोग नियंत्रण (सीएलसीबी) की कार्यकारी योजना की क्रियान्विति हेतु दिनांक 19.3.98 को आयोजित बैठक की कार्यवाही

आज दिनांक 19.3.98 को कपास में पत्ती मोडक रोग नियंत्रण हेतु कार्यकारी योजना की क्रियान्विति हेतु निदेशक, कृषि महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य स्तरीय, खण्ड स्तरीय, जिला/उप जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संलग्न परिशिष्ट के अनुसार भाग लिया गया।

बिन्दु-1

देशी कपास आर.जी. 8, बीकानेरी नरमा एवं आर.एस. 875 किस्म के बीज की उपलब्धता :

महा प्रबन्धक रा.रा.निगम द्वारा बताया गया कि निगम के पास बीकानेरी नरमा कुल करीबन 2300 क्वि. होगी जिसमें से 800 क्वि. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में तथा 1500, क्वि. अन्य क्षेत्रों में वितरण कराया जायेगा।

यह भी अवगत कराया कि आर.जी. 8 किस्म का बीज निगम के पास करीबन 1800 क्वि. एन.एस. के पास 1500 क्वि. एच.एफ.सी.आई. के पास 400 क्वि. तथा निजी विक्रेता क्षेत्र में 13000 क्वि. उपलब्ध होगा।

इसके साथ ही आर. एस. 875 किस्म के बीज की उपलब्धता नगण्य है।

बैठक में विचार विमर्श बाद निर्णय लिया गया कि अन्य जिलो से आबंटन कम कराकर, उपलब्ध बीज को अधिशेष से अधिक मात्रा में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र के सी.एल.सी.वी. प्रभावित क्षेत्र उप जिला श्रीगंगानगर, करनपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़ एवं सादुलशहर में ही वितरण किया जावे।

बिन्दु सं. 2.

विभागीय प्रदर्शन एवं मिनीकिट आयोजन पर विचार :

(1) विभागीय प्रदर्शन :

संयुक्त निदेशक, कृषि (तिलहन) मुख्यालय, जयपुर द्वारा बताया गया कि इस आगामी

खरीफ में केवल गंगानगर जिले में 100 प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। प्रदर्शनों का आयोजन श्रीगंगानगर, करनपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर में प्रत्येक 25 प्रदर्शन आर.जी.8 किस्म के आयोजित होंगे। इसी प्रकार हनुमानगढ़ जिले में भी हनुमानगढ़ व सादुलशहर में उप जिलों प्रदर्शन आयोजित किये जाये।

(संयुक्त निदेशक, कृषि (तिलहन)

(2) विभागीय मिनीकिट :

संयुक्त निदेशक, कृषि (दलहन) द्वारा बताया गया कि वर्ष 98–99 में कपास फसल में एल.आर.ए. 516/6 किस्म के 1000 मिनीकिट वितरण करने का कार्यक्रम बताया गया है जिसमें श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक उप जिले में 125 मिनीकिट दिये जा रहे हैं।

बैठक में विचार–विमर्श कर यह प्रस्तावित किया गया कि बीकानेर आई. जी. एन.पी. क्षेत्र के अनूपगढ़, हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ क्षेत्र में प्रत्येक को 50 मिनीकिट प्रति उप जिला से 150 मिनीकिट दिये जावे तथा गंगानगर व हनुमानगढ़ में मिनीकिटों की संख्या बढ़ाकर 1850 कर दी जावे। राज. बीज निगम द्वारा बताया गया कि हम 50 क्वि. बीज एल.आर.ए.–5166 की व्यवस्था कर रहे है। जिसमें से 40 क्वि. बीज 2000 मिनीकिटों हेतु उपलब्ध करा दिया जावेगा। शेष सामान्य वितरण के काम में लिया जायेगा। अतः संयुक्त निदेशक, कृषि (दलहन) 1000 मिनीकिट अतिरिक्त का कार्यक्रम लिये जाने हेतु कहा गया।

(संयु. निदेशक, कृषि (दलहन)

बिन्दु सं.-3

बीज उत्पादन कार्यक्रम पर विचार :

निदेशक, कृषि महोदय, द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी वर्ष में कपास फसल में पत्ती मोडक रोग हेतु रोग रोधी किस्मों आर.जी.8, आर.एस.875 एवं एल.आर.ए. 5106 का पर्याप्त क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जावे ताकि आगामी वर्षो के लिये पर्याप्त बीज की व्यवस्था की जा सके। इस किस्म को **Zerrec** में चर्चा कर सिफारिश में सम्मिलित कर लें।

(राज. राज्य बीज निगम, जयपुर)

(संयु. निदेशक, कृषि गंगानगर)

बिन्दु सं.-4,

कार्यकारी योजना की क्रियान्विति पर विचार :

निदेशक, कृषि महोदय, द्वारा आई.सी.ए.आर. द्वारा अनुमोदित कार्यकारी योजना की शत

प्रतिशत क्रियान्विति करने हेतु निर्देशित किया गया।

(1) बफर जोन–1 व बफर जोन–2 का निर्धारण

निर्णय लिया गया कि निदेशानुसार अन्तरराष्ट्रीय सीमा से 20 कि.मी. क्षेत्र के ग्रामों का चयन कर बफर जोन–1 निर्धारण कर उसमें केवल देशी कपास आई.जी.8 को ही बुवाई करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जावे तथा बफर जोन–1 के आगामी 20 कि.मी. क्षेत्र बफर जोन–2 में कपास की रोगरोधी किस्मों की बुवाई करने हेतु कृषकों को प्रेरित करें।

(अ) पंचायत समिति एवं जिला परिषद पर बैठकें आयोजन कर पत्ती मोडक रोग नियंत्रण की विभिन्न सिफारिशों की पूर्ण जानकारी की जाये।

(ब) पंचायत समिति एवं सहायक कृषि स्तर पर कृषक गोष्ठियां आयोजित कर विभिन्न सिफारिशों के बारे में कृषकों को अवगत कराये। पेम्पलेट आदि वितरण कर पूर्ण जानकारी 15 अप्रेल, से पूर्व कृषकों को उपलब्ध कराई जाये।

(स) आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस मीडिया के द्वारा अपनाये जाने वाले सुझावों को नियमित प्रचार–प्रसार कराये। सिनमाघरों में भी मुख्य बिन्दुओं की स्लाइड्स बना कर प्रचार कराये।

(समस्त क्षेत्रीय अधिकारी)

(द) बैठक में संयुक्त निदेशक, कृषि (शष्य) मु. जयपुर द्वारा अवगत कराया कि देशी कपास की बुवाई अप्रेल में ही हो जाती है। नहरों से पानी उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई विभाग को अ.श. पत्र लिख दिया गया है। निदेशक महोदय द्वारा आज ही संयुक्त निदेशक, कृषि (शष्य) को क्षेत्रीय अधिकारियों को अ.शा. पत्र की छाया प्रति देने एवं जिलाधीश श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ को फैक्स संदेश देकर कृषि एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर नहरों से अप्रेल में ही सिंचाई हेतु पानी कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्णय करने को कहा गया। निदेशक महोदय द्वारा श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के कृषि अधिकारियों से संबंधित जिलाधीश से सम्पर्क कर बैठक आयोजित कर इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।

श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ कृषि अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, कृषि(शष्य)

बिन्दु सं. 5 प्रचार-प्रसार

पत्ती मोडक रोक की रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस मीडिया द्वारा किया जाये। ग्रामों में मुख्य स्थानों पर वाल पेन्टिंग कराई जाकर मुख्य बिन्दुओं को दर्शाया जावे।

(क्षेत्रीय कृषि अधिकारी)

हिन्दी में पेम्फलेट निदेशालय स्तर पर भी तैयार कराये जाकर क्षेत्र में 31 मार्च, तक वितरण हेतु भिजवाये जायें, पेम्फलेट तैयार कर संयुक्त निदेशक, कृषि (सूचना) को दिया जाये तथा खण्ड स्तर पर भी रोग नियंत्रण हेतु सुझाये गये उपायों पर पेम्फलेट छपवा कर कृषकों को किसान गोष्ठियों में वितरण कराये जावे। जिला स्तर से प्रस्तावित मासिक बुलेटिन "काटन स्पेशल" के नाम से विशेष अंक प्रसारित किया जाये।

(संयु. निदेशक,कृषि (सूचना) जयपुर/श्रीगंगानगर/ परि. निदेशक, कृषि–बीकानेर)

बिन्दु सं. 6 बीज उपचार हेतु रसायन की व्यवस्था :

सिफारिश अनुसार इमेडिक्लोप्रिड रसायन की उपलब्धता मैसर्स वायर इण्डिया को बुलवाकर तुरन्त कराया जावे ताकि क्षेत्र में रसायन उपलब्ध बुगई पूर्व कृषकों को हो सके।

संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.स.) द्वारा अवगत कराया गया कि सिफारिश अनुसार अमेरिकन कपास के बीजों को 5 ग्राम प्रति किलो इमेडीक्लोप्रिड रसायन से उपचार करने की सिफारिश है।

(संयु. निदेशक कृषि (पौ.सं.))

बिन्दु सं. 7

कपास फसल में पत्ती मोड़क रोग/नियंत्रण हेतु सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु सिफारिश अनुसार एक बार में एक ही रसायन का प्रयोग करावे तथा क्षेत्र में रसायनों की उपलब्धता क्षेत्रीय अधिकारी सुनिश्चित करावे। अचानक, कीटनाशी विक्रेताओं तथा बिना लाइसेंस के विक्रेताओं के साथ सख़्ती से निपटा जावे।

(क्षेत्रीय कृषि अधिकारी)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-247 की सूची)

क्र.स. पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	8	3 (3 चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत हैं)
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4	1 (1चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध कार्यरत है)
3. चिकित्सा अधिकारी	13	–
4. नर्स श्रेणी – प्रथम	3	1
5. नर्स श्रेणी – द्वितीय	33	1
6. स्टाफ नर्स	1	–
7. महिल स्वास्थ्य दर्शिका	3	–
8. रेडियोग्राफर	1	–
9. सहायक रेडियोग्राफर	1	–
10. लेब टेक्नीशियन	12	1
11. प्रसाविका	10	–
12. वरिष्ठ लिपिक	4	3
13. कनिष्ठ लिपिक	3	1
14. कनिष्ठ लेखाकार	1	1
15. वाहन चालक	2	–
16. स्वास्थ्य निरीक्षक	1	–
17. नेत्र सहायक	2	–
18. वार्ड बॉय/स्वीपर	35	2 (वार्ड बॉय)
कुल स्वीकृत	137 कुल रिक्त	14

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-255 की सूची)

सीकर जिले में माह अप्रेल, 98 से फरवरी, 99 तक सड़कों की मरम्मत हेतु हुए व्यय का सड़कवार विवरण

क्र. स.	सड़क का नाम	अप्रेल, 98 से फरवरी, 99 तक का व्यय
1	2	3
1.	सीकर नवलगढ़ सड़क	8,27,396
2.	एस.एच.–13 शाहपुरा चिड़ावा सड़क	15,50,557
3.	सीकर सालासर सड़क	8,61,732
4.	सीकर पचकोड़िया वाया खूड़ रैनवाल सड़क	12,17,874
5.	फतेहपुर, चूरू सड़क	5,87,495
6.	चौमूं चूरू वाया अजीतगढ़ सड़क	12,06,600
7.	नीमकाथाना पाटन कोटपूतली सड़क	2,77,108
8.	सीकर उदयपुरवाटी सड़क	5,85,119
9.	सीकर खूड़ लोसल डीडवाना सड़क	6,93,867
10.	फतेहपुर मंडावा सड़क	6,05,268
11.	लक्ष्मणगढ़ सालासर रोड	9,64,487
12.	कुचामन खण्डेला सड़क	2,54,909
13.	सीकर धोद सड़क	4,08,536
14.	सैयद बड़ी से शाहपुरा सड़क	2,89,827
15.	सम्पर्क सड़क नानी	420
16.	पलसाना से खण्डेला सड़क	3,22,337
17.	रानोली से शिश्यू रोड	52,878
18.	सीकर हर्ष रोड	1,59,305

1	2	3
19.	धोद भूवाला रोड	1,800
20.	सम्पर्क सड़क नेछवा	1,320
21.	सीकर कालवाड़ सड़क	1,380
22.	सम्पर्क सड़क न्यायिक आवास गृह सीकर	21,514
23.	सीकर कंवरपुरा रोड	360
24.	सीकर बाईपास सड़क	1,28,578
25.	सांवली से गोकुलपुरा	71,940
26.	सीकर दुगोली वाया पालवास सड़क	573
27.	सीकर सेवद बड़ी से सेवद छोटी सड़क	1,457
28.	धोद पेवर सड़क	840
29.	सम्पर्क सड़क नेतड़वास	840
30.	गौरिया खंडेला रोड	49,618
31.	सम्पर्क सड़क दाता की ढाणी	14,618
32.	सम्पर्क सड़क साकू सड़क	14,733
33.	कुंदन पालड़ी सड़क	16,170
34.	बलारां डूंडलोद सड़क	30,870
35.	सम्पर्क सड़क रामगढ़ रेल्वे स्टेशन	485
36.	सम्पर्क सड़क खूड़ी दादिया सड़क	3,89,117
37.	बलारां से डूंडलोद सड़क	22,240
38.	पक्की प्याऊ से रामदेव का मंदिर, लक्ष्मणगढ़	64,700
39.	सम्पर्क सड़क एन.एच.–11 से वारी	73,992
40.	लक्ष्मणगढ़ मुकंदगढ़ सड़क	4,48,739
41.	सम्पर्क सड़क गारिण्डा	1,36,556

1	2	3
42.	ताजसर से उदनसर सड़क	1,490
43.	रामगढ़ शेखावाटी चौकी सड़क	27,277
44.	सम्पर्क सड़क फतेहपुर टाउन	1,07,405
45.	सम्पर्क सड़क बगड़ी	3,650
46.	सम्पर्क सड़क सीकर झीगर सड़क	75,402
47.	रोजसाबसर से ढांढण सड़क	43,243
48.	चैलासी से किरडोली	81,937
49.	फतेहपुर बेसवा रोड़	2,36,813
50.	सम्पर्क सड़क गुरूप्रेरणा	3,756
51.	फतेहपुर सालासर सड़क	53,252
52.	रींगस दांता सड़क	6,41,076
53.	दांता बाय सड़क	7,620
54.	सम्पर्क सड़क कालाखेडा सड़क	30,889
55.	बाय बनायला सड़क	840
56.	रामगढ़ मारोठ सड़क	3,05,807
57.	गोरियां जीणमाता सड़क	3,82,170
58.	सम्पर्क सड़क खाचरियावास	2,190
59.	सम्पर्क सड़क मढा खाटू सड़क	2,51,507
60.	खुलियावास से कोछोर सड़क	2,740
61.	सम्पर्क सड़क खाटू	91,875
62.	खंडेलसर से रानोली सड़क	27,517
63.	कोछोर ने खण्डेलसर सड़क	37,814
64.	जीणमाता से उदयपुरिया	95,060

1 2	3
65. सम्पर्क सड़क दांता सुलियावास सड़क	77,285
66. सीकर बाईपास सड़क	1,45,965
67. बाय से लिखमा का बास	290
68. डूकिया से खांटू सड़क	31,263
69. रींगस उदयपुरवाटी सड़क	2,11,632
70. सम्पर्क सड़क आसपुरा	685
71. सम्पर्क सड़क दलेहपुरा	6,668
72. सम्पर्क सड़क कावंट खण्डेला सड़क	2,82,736
73. सम्पर्क सड़क निमेड़ा	1,47,727
74. चला उदयपुरवाटी सड़क	37,318
75. सम्पर्क सड़क टोडा	2,29,174
76. अजीतगढ से हरदास का वास	85,484
77. डाबला पाटन रोड	3,02,910
78. चला उदयपुरवाटी सड़क	50,519
79. सम्पर्क सड़क आसपुरा	35
80. सम्पर्क सड़क नाथूसर नांगल सड़क	85,669
81. रींगस श्रीमाधोपुर सड़क	2,181
82. सम्पर्क सड़क नीमकाथाना	1,270
83. झाडूली से हरदास का वास	742
84. माउंडा से रिलो सड़क	688
85. सीकर बाईपास	47,488
86. उदयपुरवाटी से शाकम्बरी माता	42,785
87. खूड़ मांडेता सड़क	23,979
कुल योग :	1,72,71,999

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-258 की सूची)

परिशिष्ट-1

दिनांक 1-12-98 से 1-3-99 की अवधि में विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु लाभान्वितों की सूची

क्र.स.	नाम व पता	स्वीकृति दिनांक
1.	श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री भंवरलाल ग्राम पो. कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़	7.12.98
2.	श्रीमती सम्मादेवी पत्नी श्री लखविन्द्र ग्राम पो. रामसरा–नारायण तहसील हनुमानगढ़	7.12.98
3.	श्रीमती जेला पत्नी श्री नायब सिंह ग्राम पोस्ट कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़	7.12.98
4.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री रामजीलाल ग्राम पोस्ट नन्दराम की ढाणी तहसील/जिला हनुमानगढ़	7.12.98
5.	श्रीमती शेरा बाई पत्नी श्री मंशीराम वार्ड नं. 8 टिब्बी जिला हनुमानगढ़	7.12.98
6.	श्रीमती भीखकंवर पत्नी श्री गुदर सिंह मु. पोस्ट बागोल तहसील देसूरी जिला पाली	18.2.99
7.	श्रीमती भगवती पत्नी श्री प्रतापराम सुथार रेबारियां का बास सेला गेट, बाली जिला पाली	18.2.99
8.	श्रीमती पोनी बाई पत्नी श्री मगाराम इन्द्रा कालोनी, वार्ड नं. 10 फालना जिला पाली	18.2.99
9.	श्रीमती मेवा देवी पत्नी श्री नान्रूराम नाई मु. पो. नयाबास, वाया सामोद जिला जयपुर	8.1.99
10.	श्रीमती सेडी देवी पत्नी स्व. श्री सूडाराम मु. पो. जोधपुरा वाया पावटा जिला जयपुर	9.2.99

1	2	3
11.	श्रीमती चन्दा देवी पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण कोली प्लाट नं. ए–73, जिय नगर, करतापुरा जिला जयपुर	9.2.99
12.	श्रीमती नरेन्द्रकोर पत्नी स्व. श्री सरदार सोहनसिंह प्लाट नं. 116, मार्ग संख्या 8, ब्रह्मपुरी थाने के सामने, गोविन्द नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर	22.2.99
13.	श्रीमती जमना देवी, एस.बी.बी.जे. बैंक के पीछे, स्टेशन रोड़ गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	26.1.99
14.	श्रीमती घीसी देवी वार्ड नं. 32, रेगर मोहल्ला बजरिया, सवाईमाधोपुर	26.1.99
15.	श्रीमती गफूर बाई सुभाष नगर रेलवे कालोनी बजरिया, सवाईमाधोपुर	26.1.99
16.	श्रीमती विमला देवी, ग्राम माडोसी तह. बोसी जिला सवाईमाधोपुर	26.1.99
17.	श्रीमती जगदीशी बुन्देला मोहल्ला, बोंली	26.1.99
18.	श्रीमती सन्तरा ग्राम पोस्ट कुण्डेरा, सवाईमाधोपुर	26.1.99
19.	श्रीमती प्रभाती देवी ग्राम लिवाली बामनवास जिला सवाईमाधोपुर	26.1.99
20.	श्रीमती फूलवती देवी, एफ.सी.आई. गोदाम के पास, वार्ड नं. 33 गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	26.1.99
21.	श्रीमती सीता देवी मु. पोस्ट बाढ़ रामसर जिला सवाईमाधोपुर	26.1.99
22.	श्रीमती हवा पत्नी श्री भंवरलाल, श्रीमालियों की गली, राम कोलोनी, बाडमेर	8.2.99
23.	श्रीमती मीरा पत्नी श्री नैमाराम मोचियों का बास, बाड़मेर	23.2.99

1	2	3
24.	श्रीमती मांग कुंवर पत्नी श्री इन्द्रसिंह ग्राम पोस्ट खारा राठोड़ान तहसील रामसर जिला बाड़मेर	8.2.99
25.	श्रीमती बन्तो देवी जाटव, ग्राम पोस्ट भांकरी तहसील व जिला करौली	
26.	श्रीमती ललिता देवी राजपूत ग्राम पोस्ट खावदा तहसील सपोटरा जिला करौली	
27.	श्रीमती रामकन्या बैरवा ग्राम पोस्ट आडच तहसील सपोटरा जिला करौली	
28.	श्रीमती सुशीला शर्मा ग्राम पोस्ट नोड़ा गांव तहसील सपोटरा जिला करौली	
29.	श्रीमती देवी कौर, ग्राम पोस्ट तेसगांव तहसील नादोती जिला करौली	
30.	श्रीमती ज्ञानवती राजपूत, ग्राम पोस्ट जितकीपुर तहसील नादोती जिला करौली	
31.	श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम गुना पो. राजाखेड़ा तहसील नादोती जिला करोली	
32.	श्रीमती रामनाथी मीणा ग्राम डाबिर पोस्ट चौड़ा गांव तह. सपोटरा जिला करौली	
33.	श्रीमती रामकोरी बैरवा ग्राम मोरी की झोंपड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली	
34.	श्रीमती रामपति देवी ग्राम बलवापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली	
35.	श्रीमती प्रेम देवी ग्राम पोस्ट सलावद तहसील नादोती जिला करौली	
36.	श्रीमती रतना देवी जाटव, ग्राम खेड़ी पो. ढिढोरा तहसील हिण्डोन जिला करौली	

1	2	3
37.	श्रीमती रामपति निवासी हिण्डोन दरवाजा, करौली	
38.	श्रीमती उगन्ती कोली ग्राम पोस्ट कोटा (मामचारी) तहसील व जिला करौली	
39.	श्रीमती जमीला निवासी ऊपरी टोरी बागुरवाली मस्जिद के पास, चटीकना बाजार, करौली	
40.	श्रीमती मेहरूनिसा पत्नी स्व. श्री जमीलुर्रहमान, टोंक	11.12.98
41.	श्रीमती सईदन पत्नी स्व. श्री बशीर खां, टोंक	31.12.98
42.	श्रीमती प्रेम देवी शर्मा, पत्नी स्व. श्री दुर्गालाल शर्मा काकलवाड़ तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक	1.2.99
43.	श्रीमती मसूदा बाई पत्नी स्व. श्री हबीबुर्रहमान, टोंक	2.2.99
44.	श्रीमती विद्यादेवी ग्राम ओडकी जिला गंगानगर	2.2.99
45.	श्रीमती शीला बाई ग्राम अतिपुरा जिला गंगानगर	2.2.99
46.	श्रीमती रेशम बेवा स्व. बल्लों ग्राम व पोस्ट शीशवाडा तहसील डीग जिला भरतपुर	28.1.99
47.	श्रीमती अशर्फी बेवा मन्दु ग्राम थून पोस्ट तहसील(नगर) जिला भरतपुर	28.1.99
48.	श्रीमती सुरजा बेवा श्री रामसिंह, नगर परिषद के पीछे भरतपुर	28.1.99
49.	श्रीमती चन्दा देवी बेवा इन्द्रजीत, नगला महलोनी पोस्ट दमदमा तहसील बयाना जिला भरतपुर	28.1.99
50.	श्रीमती टाकली बेवा थावरा मु. बालवी–मादड़ी तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर	27.2.99
51.	श्रीमती अमृत देवी बेवा श्री रूमलाल मु. कल्याणपुर तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर	27.2.99
52.	श्रीमती गणेश बाई बेवा श्यामलाल, 52 पानेरियों की मादडी, उदयपुर	27.2.99

1	2	3
53.	श्री सुन्दरबाई बेवा श्री ओंकारजी हनुमान मोहल्ला कुरावड़ जिला उदयपुर	27.2.99
54.	श्रीमती झांकली देवी बेवा श्री करणा, फलाकंसरिया जवास खैरवाड़ा जिला उदयपुर	27.2.99
55.	श्रीमती गंगाबाई बेवा श्री बाबूलाल मौहल्ला आमलीवाड़ा ऋषभदेव जिला उदयपुर	27.2.99
56.	श्रीमती माया देवी बेवा श्री जयप्रकाश, प्रेस गली, ऋषभदेव, जिला उदयपुर	27.2.99
57.	श्रीमती वदन कुंवर बेवा स्व. नाहरसिंह मु. पो. पहावली कलां, पहावली जिला उदयपुर	27.2.99
58.	श्रीमती गंगा बाई बेवा श्री कमला शंकर ग्राम दूस पो. डबोक जिला उदयपुर	27.2.99
59.	श्रीमती शकुन्तला बेवा श्री लक्ष्मण सिंह 137. अम्बा माता स्कीम, उदयपुर	27.2.99
60.	श्रीमती केंकू बेवा भीखराज, बेलदारों की ढाणी जिला जैसलमेर	13.1.99
61.	श्रीमती सन्ता देवी बेवा पेमाराम भीखोडलई जिला जैसलमेर	13.1.99
62.	श्रीमती कमला देवी बेवा मिश्री लाल गांव गीखोड़ाई जूनी जिला जैसलमेर	13.1.99
63.	श्रीमती डरिया बेबा अम्बाराम गर्ग, ग्राम पो. गोमट जिला जैसलमेर	13.1.99
64.	श्रीमती कमला बेवा चानण खां, गांव दान्तल जिला जैसलमेर	13.1.99
65.	श्रीमती जसोदा बेवा भंवरलाल किले ऊपर, जैसलमेर	13.1.99
66.	श्रीमती रतनी बेवा लिखमाराम गांव ऊंजलां जिला जैसलमेर	13.1.99
67.	श्रीमती ढेली बेवा तगदान ग्राम पो. कोडा जिला जैसलमेर	13.1.99
68.	श्रीमती जतनी बेवा चेतनराम ग्रा. पो. स्पान लार (जैसलमेर)	13.1.99

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-261 की सूची)

जिलावार/पंचायत समितिवार शिक्षाकर्मी विद्यालयों की सूची

नाम जिला/पंचायत समिति	शिक्षाकर्मी विद्यालयों की संख्या
जिला बांड़मेर:	
1. सिवाना	28
2. चोहटन	41
3. बालोतरा	33
4. बाड़मेर	20
5. सिणधरी	13
6. धोरीमन्ना	07
7. बायतू	39
8. शिव	14
पंचायत समिति जिला जैसलमेर:	
1. सांकड़ा	24
2. सम	4

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न सख्या-262 की सूची)

डब्लू.बी.एस. सड़क निर्माण कार्य नेशनल हाईवे नं. 8 से मोखमपुरा की गुणवत्ता की जांच निम्न अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार की गई

कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति द्वारा जांच	सहायक अभियन्ता (डी.आर.डी.ए.) द्वारा जांच	अधिशाधी अभियन्ता (डी.आर.डी.ए.) द्वारा जांच
23.4.97	19.7.97	19.7.97
5.5.97	12.9.97	12.9.97
7.6.97	15.6.98	15.6.98
25.6.97		
12.7.97		
12.9.97		
16.10.97		
24.11.97		
17.12.97		
6.1.98		
31.1.98		
27.3.98		
3.4.98		
2.6.98		
15.6.98		

एंसडी
विकास अधिकारी
पं० समिति दूदू, जिला जयपुर

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-263 की सूचियां)

पंचायत समिति बांदीकुई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आंवटित आवास की सूची

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद
1.	श्री जगदीश प्रसाद यादव	विकास अधिकारी
2.	श्री रामअवतार शर्मा	शिक्षा कर्मी सहयोगी
3.	श्री प्रभाती लाल ताम्बी	कनिष्ठ लेखाकार
4.	श्री पदमसिंह	हैण्ड पम्प फिटर
5.	श्री रविकुमार शर्मा	शिक्षा प्रसार अधिकारी
6.	श्री बृजेश कुमार छींपा	कनिष्ठ लिपिक
7.	श्रीमती सुनीता अरोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता
8.	श्री गुलाब सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
9.	श्री विशम्बर दयाल मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
10.	श्री दयाशंकर महावर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
11.	श्री नारायण सैनी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

पंचायत समिति बांदीकुई के परिसर में निर्मित आवास में रहने वाले पंचयात समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्र.म.	नाम अधिकारी/कर्मचारी व पद	आवास संख्या
1.	श्री रामअवतार शर्मा, शिक्षाकर्मी सहयोगी	2
2.	श्री प्रभाती लाल ताम्बी, कनिष्ठ लेखकार	3
3.	श्री पदमसिंह, हैण्ड पम्प फिटर	5
4.	श्री रविकुमार शर्मा, शिक्षा प्रसार अधिकारी	6
5.	श्री बृजेश कुमार छींपा,कनिष्ठ लिपिक	7
6.	श्रीमती सुनीता अरोड़ा,कनिष्ठ अभियन्ता	8
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवासः		
1.	श्री गुलाब सिंह च.श्रे.क.	1
2.	श्री विशम्बर दयाल मीणा च.श्रे.क.	2
3.	श्री दयाशंकर महावर च.श्रे.क.	3
4.	श्री श्रीनारायण सैनी च.श्रे.क.	4

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या संख्या-268 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति रायपुर में मगरा विकास योजना लम्बे समय तक स्वीकृत न होने के कारण का विवरण

पंचायत समिति राजयपुर विकास योजना नानगा अगस्त, 1995 से विचाराधीन है।

मगरा विकास योजना नानणा को जे. आर.वाई.इनोवेटिव के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का जो प्रस्ताव तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली द्वारा प्रेषित किया गया था उसे इनोवेटिव स्कीम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था, प्रस्तावित योजना जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर आधारित थी, अतः अभिकरण पाली को इसे डी.डी.पी./सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत लिये जाने का सुझाव दिया गया। अभिकरण पाली द्वारा तद्नुसार पंचायत समिति, रायपुर को अवगत कराते हुए निर्देशित किया गया कि प्रस्ताव डी.डी.पी./सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत लिये जाने हेतु प्रस्ताव जलग्रहण विकास मार्गदर्शिका अनुसार भेजी जावे। पंचायत समिति रायपुर द्वारा दिनांक 1–11–95 को मगरा विकास योजना के अन्तर्गत 7 माइक्रो वाटरशैड प्रस्तावित लिये गये जिसमें से दो माइक्रो वाटरशैड संख्या 3 व 5 दिनांक 1912.95 को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अभिकरण, पाली द्वारा आवंटित किया गया। आवंटित माइक्रो वाटरशैड के संबंध में पंचायत समिति रायपुर द्वारा जो सी.पी.आर. प्रस्तुत की गई थी वह जलग्रहण विकास मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं होने के कारण अभिकरण, पाली द्वारा लौटा दी गई। पंचायत समिति रायपुर द्वारा पुनः प्रस्तुत सी.पी.आर. में भी कमियां थी व अपूर्ण पाई गई। अतः अभिकरण, पाली को निर्देशित किया गया कि पंचायत समिति रायपुर को विशेष सहायता उपलब्ध करवाकर सी.पी.आर. तैयार करवाई जाय तथा सही ढंग से हो यह मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की जावे।

इसके उपरान्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाली को निर्देशित किया गया कि इस विचाराधीन प्रस्ताव को एकीकृत बंजर भूमि विकास के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत करवाये जाने हेतु, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फोरमेट में सूचना तैयार कर भिजवाई जावे।

इस संबंध में अभिकरण, पाली द्वारा पंचायत समिति रायपुर को उनके पत्र दिनांक 12.3.99 द्वारा निर्देशित किया गया है कि मगरा विकास योजना का नानणा वाटरशैड मेक्रो सं. 10 पं. स. रायपुर के 6687 हैक्टेयर क्षेत्र की परियोजना एकीकृत बंजर भूमि विकास के अन्तर्गत लिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित फोरमेट में सूचना तैयार कर भेजी जावे ताकि प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जा सकें।

परिशिष्ट "ब"

पाली जिले में ई.एं.एस. योजना के अधीन एजेन्सी एवं पंचायत समितिवार जलग्रहण क्षेत्रों में व्यय राशि का विवरण 28.2.99 तक

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	वाटरशेड का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत क्षेत्रफल	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में
1.	भू संरक्षण विभाग, पाली	डेण्डा	पाली	500	25.00	3.10
2.	भू संरक्षण विभाग, पाली	सोनाइमोजी	पाली	415	17.00	2.83
3.	भू संरक्षण विभाग, पाली	डूंगरपुर	रोहट	500	18.865	2.02
4.	भू संरक्षण विभाग, पाली	पालीयावास 8/4	जैतारण	325	12.48	2.08
5.	भू संरक्षण विभाग, पाली	पालीयावास 8/3	जैतारण	250	10.82	2.44
6.	भू संरक्षण विभाग, पाली	टुकड़ा	जैतारण	750	25.00	15.53
7.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नहारपुरा	रायपुर	287	12.45	2.36
8.	भू संरक्षण विभाग, पाली	बाबरा	रायपुर	342	15.22	2.82
9.	भू संरक्षण विभाग, पाली	पीलपाई	रायपुर	500	25.00	8.60
10.	भू संरक्षण विभाग, पाली	मारवाड जं.	मारवाड़ जं.	495	24.75	3.23
11.	भू संरक्षण विभाग, पाली	सिंचाना	मारवाड़ जं.	495	24.75	2.10
12.	भू संरक्षण विभाग, पाली	वाडका	देसूरी	500	25.00	4.72
13.	भू संरक्षण विभाग, पाली	सरथुर	देसूरी	286	14.30	8.19
14.	भू संरक्षण विभाग, पाली	ऊन्दरथल	देसूरी	266	23.30	2.52
15.	भू संरक्षण विभाग, पाली	डल की ढाणी एक	देसूरी	467	23.35	7.93
16.	भू संरक्षण विभाग पाली	रल की ढाणी दो	देसूरी	602	25.00	5.95
17.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नवापुरा	देसूरी	638	25.00	6.80
18.	वन विभाग, पाली	नादान भाटान–ए	रानी	500	25.00	4.763
19.	वन विभाग, पाली	नादान भाटान–ब	रानी	465	23.25	4.184

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	वाटरशेड का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत क्षेत्रफल हे.	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में
20	वन विभाग, पाली	चांगवा–ए	रानी	500	25.00	3.693
21.	वन विभाग, पाली	चांगवा–ब	रानी	405	20.25	3.344
22.	वन विभाग, पाली	सींगपुरा–ए	सोजत	479	23.95	2.025
23.	वन विभाग, पाली	सींगपुरा–ब	सोजत	446	22.30	1.604

परिशिष्ट "ब"

पाली जिले में डी.डी.पी. योजना के अधीन एजेन्सी एवं समितिवार जलग्रहण क्षत्रों में व्यय राशि का विवरण 21.2.99 तक

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	वाटरशेड का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृत क्षेत्रफल हे.	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय राशि लाखों में
1	2	3	4	5	6	7
1.	भू संरक्षण विभाग, पाली	चवड़ों की ढाणी (सेदरिया)	रोहट	190	9.50	6.06
2.	भू संरक्षण विभाग, पाली	चवड़ों की ढाणी (खुण्डावास)	रोहट	500	20.00	9.56
3.	भू संरक्षण विभाग, पाली	मांडावास–एक(कलस्टर)	रोहट	500	21.00	7.32
4.	भू संरक्षण विभाग, पाली	मांडावास–दो(कलस्टर)	रोहट	500	25.00	3.52
5.	भू संरक्षण विभाग, पाली	धोलेरिया शासन (कलस्टर)	रोहट	500	20.32	5.32
6.	भू संरक्षण विभाग, पाली	धोलेरिया जागीर (कलस्टर)	रोहट	500	25.00	4.38
7.	भू संरक्षण विभाग, पाली	चवड़ों की ढाणी (भावरी–एक)	पाली	380	14.90	4.82

1	2	3	4	5	6	7
8.	भू संरक्षण विभाग, पाली	चवड़ों की ढाणी (भांवरी–दो)	पाली	500	18.40	3.35
9.	भू संरक्षण विभाग, पाली	डेण्ड़ा(सोडावास)	पाली	320	16.00	6.20
10.	भू संरक्षण विभाग, पाली	डेण्ड़ा(गुन्दाज)	पाली	500	23.50	3.57
11.	भू संरक्षण विभाग, पाली	गुडा श्यामा (गुडा कल्ला)	सोजत	437	21.85	5.52
12.	भू संरक्षण विभाग, पाली	गुडा श्यामा (गुडा श्यामा)	सोजत	413	20.65	6.20
13.	भू संरक्षण विभाग, पाली	धाकड़ी (खामल)	सोजत	481	24.09	7.95
14.	भू संरक्षण विभाग, पाली	धाकड़ी(मालपुरिवाकलां)	सोजत	403	20.18	3.43
15.	भू संरक्षण विभाग, पाली	धाकड़ी(मालपुरिवाखुर्द)	सोजत	215	10.73	2.01
16.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर(भगोडा)	मारवाड़ जं.	356	17.80	11.31
17.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर (पदमसिंह का गुडा)	मारवाड़ जं.	499	24.95	9.73
18.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर (कैसरसिंह का गुडा)	मारवाड़ जं.	487	24.35	4.69
19.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर (बातनी जोजावर)	मारवाड़ जं.	335	16.75	9.81
20.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर(नेवा की खेती)	मारवाड़ जं.	498	24.90	9.57
21.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर (अजबा जी का गुडा)	मारवाड़ जं.	498	24.90	5.28
22.	भू संरक्षण विभाग, पाली	जोजावर (मोकमसिंह का गुडा)	मारवाड़ जं.	160	8.00	3.82
23.	भू संरक्षण विभाग, पाली	गुडा रामसिंह (आसन जोधवान)	मारवाड़ जं.	348	17.40	11.46

1	2	3	4	5	6	7
24.	भू संरक्षण विभाग, पाली	गुडा रामसिंह(गुडामानी)	मारवाड़ जं.	452	22.60	6.62
25.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नादान भाटान(किशनपुरा)	रानी	500	24.09	17.45
26.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नादान भाटान(आकडवास)	रानी	500	25.00	9.04
27.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नादान भाटान (नादान जोधत)	रानी	430	20.44	5.30
28.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नादान भाटान(सालरिया)	रानी	500	24.86	10.13
29.	भू संरक्षण विभाग, पाली	नादान भाटान(राबडिया)	रानी	500	24.40	6.91
30.	भू संरक्षण विभाग, पाली	पराखिया	सुमेरपुर	500	25.00	8.78
31.	भू संरक्षण विभाग, पाली	पराखिया(जाखेड)	सुमेरपुर	200	10.00	5.25
32.	भू संरक्षण विभाग, पाली	रवीमेल–4	बाली	500	25.00	13.76
33.	भू संरक्षण विभाग, पाली	रवीमेल(कालनागांव)	बाली	500	25.00	5.80
34.	भू संरक्षण विभाग, पाली	रवीमेल(दांतीवाडा)	बाली	500	25.00	3.86
35.	भू संरक्षण विभाग, पाली	रवीमेल(धणी)	बाली	500	25.00	12.58
36.	भू संरक्षण विभाग, पाली	रास	जैतारण	500	24.98	12.69
37.	भू संरक्षण विभाग, पाली	पालिवावास	जैतारण	500	24.98	11.29
38.	भू संरक्षण विभाग, पाली	बाबरा(भयरियापाटन)	रायपुर	500	24.82	12.19
39.	भू संरक्षण विभाग, पाली	बाबरा	रायपुर	500	24.91	10.93
40.	भू संरक्षण विभाग, पाली	कोटडी–एक	देसूरी	450	20.45	14.07
41.	भू संरक्षण विभाग, पाली	कोटडी–दो(नाडोल)	देसूरी	465	22.62	7.81
42.	वन विभाग, पाली	मुरडावा	सोजत	500	25.00	9.635
43.	वन विभाग, पाली	कन्टालिया	मारवाड़ जं.	425	21.25	8.473
44.	वन विभाग, पाली	केशरपुरा–ए	रायपुर	500	25.00	15.135
45.	वन विभाग, पाली	केशरपुरा–ब	रायपुर	230	11.50	4.268

1	2	3	4	5	6	7
46.	वन विभाग, पाली	काणुजा–ए	रायपुर	500	25.00	18.395
47.	वन विभाग, पाली	काणुजा–ब	रायपुर	500	25.00	9.975
48.	वन विभाग, पाली	नीपल	रानी	460	23.00	4.322
49	पंचायत समिति रायपुर	झुठा	रायपुर	500	25.00	4.267
50.	पंचायत समिति रायपुर	गुडिया(कालकोट–एक)	रायपुर	500	25.00	13.266
51.	पंचायत समिति रायपुर	गुडिया(कालकोट–दो)	रायपुर	445	22.25	12.202
52.	पंचायत समिति पाली	रूपावास	पाली	500	20.61	–
53.	पंचायत समिति पाली	भोवरी	पाली	500	22.39	2.630
54.	मेधावी(एन.जी.ओ) अहमदाबाद	डूंगली	बाली	225	10.12	1.641